



PASSION TO SERVE.
PASSION TO PERFORM.



PERFORMANCE ¹⁰²
Celebrating 102 years of growth



निदेशक मंडल / Board of Directors



बायें से दायें - श्री रंजीत कुमार चटर्जी, डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद, डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी, श्री आलोक निगम, श्री आर.के. बक्षी - कार्यकारी निदेशक, श्री एम.डी.मल्या - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन.एस.श्रीनाथ - कार्यकारी निदेशक, श्री ए. सोमसुंदरम, डॉ. दीपक बी. फाटक, श्री मौलिन ए. वैष्णव, डॉ अतुल अगरवाल, श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी

Left to Right: Shri Ranjit Kumar Chatterjee, Dr. (Smt) Masarrat Shahid, Dr. Dharmendra Bhandari, Shri Alok Nigam, Shri R.K. Bakshi - Executive Director, Shri M.D. Mallya - Chairman & Managing Director, Shri N.S. Srinath - Executive Director, Shri A. Somasundaram, Dr. Deepak B. Phatak, Shri Maulin A. Vaishnav, Dr. Atul Agarwal, Shri Milind N. Nadkarni.

महाप्रबंधक / General Managers

एन. रमणी	N. RAMANI
ए. के. गुप्ता	A. K. GUPTA
आर. के. बंसल	R. K. BANSAL
एस. एस. मूंदड़ा	S. S. MUNDRA
नन्दन श्रीवास्तव	NANDAN SRIVASTAVA
एन. आर. बद्रीनारायण	N. R. BADRINARAYANAN
एस. के. भार्गव	S. K. BHARGAVA
मीनल भगत (श्रीमती)	MINAL BHAGAT (Smt.)
ओ. एस. पिल्लै	O. S. PILLAI
सिरिल पात्रो	CYRIL PATRO
बी. बी. गर्ग	B. B. GARG
जी. सी. शर्मा	G. C. SHARMA
जे. रमेश	J. RAMESH
वि. एच. थत्ते	V. H. THATTE
एस. के. दास	S. K. DAS
ए. डी. एम. चावली	A. D. M. CHAVALI
उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन (श्रीमती)	USHA ANANTHASUBRAMANIAN (Smt.)
जी. गणपति रमण	G. GANAPATHI RAMAN
के. एम. असावा	K. M. ASAWA
सी. डी. कालकर	C. D. KALKAR
एस. पी. भानोत	S. P. BHANOT
आर. वी. मोदी	R. V. MODY
एस. सी. आहूजा	S. C. AHUJA
उल्हास पी. सांगेकर	ULHAS P. SANGEKAR
आर. एस. सेतिया	R. S. SETIA
अरुण तिवारी	ARUN TIWARI
एस. कल्याणरमण	S. KALYANRAMAN
अनिमेष चौहान	ANIMESH CHAUHAN
के. आर. शेणॉय - मुख्य सतर्कता अधिकारी	K. R. SHENOY - Chief Vigilance Officer
डॉ. (श्रीमती) रूपा नित्सुरे - मुख्य अर्थशास्त्री	Dr. (Smt.) RUPA NITSURE - Chief Economist

लेखा परीक्षक / Auditors

ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

A. Sachdev & Co.
Chartered Accountants

गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants

अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

Ashwani & Associates
Chartered Accountants

एस. के. कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

S. K. Kapoor & Co.
Chartered Accountants

एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

N. C. Banerjee & Co.
Chartered Accountants

हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

Haribhakti & Co.
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वडोदरा 390 006.

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, इमेज अस्पताल के पास, माधापुर, हैदराबाद 500 081.

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Investor Services Department

1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Nr Image Hospital, Madhapur, Hyderabad 500 081.

विषय सूची / Contents

	पृष्ठ		Page
अध्यक्षीय वक्तव्य	32		
निदेशकों की रिपोर्ट	35	Chairman's Statement	2
बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण	59	Directors' Report	5
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	74	Basel II Pillar 3 disclosures	59
शब्दावली	76	Key Financial Indicators	74
तुलन-पत्र	78	Glossary	76
लाभ-हानि लेखा	79	Balance Sheet	78
नकदी-प्रवाह विवरणी	121	Profit & Loss Account	79
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	123	Statement of Cash Flow	121
समेकित वित्तीय विवरणियां	125	Auditors' Report	123
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	155	Consolidated Financial Statements	125
नोटिस	188	Report on Corporate Governance	155
प्रॉक्सी फार्म / उपस्थिति पर्ची / ईसीएस		Notice	188
		Proxy Form / Attendance Slip / ECS	



Moving Ahead on Sustainable Performance.....

M. D. Mallya

Chairman & Managing Director

Dear Stakeholder,

It gives me great pleasure to present the Annual Report and Financial Statements of Bank of Baroda for the year ended 31st March, 2010. The Bank's business and financial performance during the year under review has demonstrated its strength and stability amid uncertain economic environment.

Economic Review

Indian economic environment was fairly mixed and uncertain during 2009-10 (FY10). The first half of the year (i.e., H1, FY10) was overcast by the monsoon failure and a sharp decline in foodgrain production, a continued slowdown in final consumption expenditure, a muted demand for bank credit and a negative growth in both exports and imports.

However in the second half of 2009-10 (i.e., H2, FY10), countercyclical policies, a pickup in the global economy and a recovery in capital inflows helped India overcome an adverse monsoon and see a quick rebound in the economy. Both exports and imports turned positive by November-December, 2009 after contracting continuously for the previous 12-13 months.

The headline inflation (WPI), after remaining subdued during H1, FY10 increased at a faster pace in H2, FY10 and came close to 10.0% (y-o-y) in March, 2010. At the same time, driven by manufacturing and mining sectors, the industrial production recovered from 1.1% (y-o-y) in April, 2009 to 15.1% (y-o-y) in February, 2010. Rapid growth in both inflation and industrial production has prompted the Reserve Bank of India (RBI) to normalise its Monetary Policy and move its focus to "recovery management" from the earlier thrust on "crisis management".

While the demand for bank credit remained highly subdued and skewed throughout the year under review, credit costs increased for several banks with the maturing of restructured loans. Moreover, higher level of government market borrowings and resultant volatility in bond yields posed tough challenges for the banking industry's treasury operations.

Bank of Baroda's Resilience to Shocks

While it is challenging to remain immune to the disruptions created by economic shocks, Bank of Baroda has been able to withstand the turbulence more effectively during FY09 and FY10 mainly due to its strong business fundamentals. Again in the year FY10, the Bank could demonstrate consistent performance by delivering much better quality of earnings, healthier asset quality compared to banking industry with higher provision coverage and lower interest rate risk. It has been steadily improving its market share also. It expanded its global business level by 24.0% (y-o-y) to Rs 4,16,080 crore during the year FY10.

Despite ongoing global economic challenges, the Bank's international operations continued to remain its mainstay and contributed almost 24.0% to the Bank's total business and 20.0% to its operating profits in FY10. The Bank's international business grew by 31.0% (y-o-y) in FY10 without any compromise with credit quality. The Bank's gross NPA in international operations stood at 0.47% and net NPA at just 0.11% in FY10.

One of the greatest strengths of the Bank over a period of time has been the "trust and confidence" that it enjoys of its stakeholders. Notwithstanding the unprecedented turbulent conditions created by the global economic meltdown during the years FY09 and FY10, the Bank's stakeholders remained

firmly positive on the Bank's business and financial performance. I am happy to share with you that the Bank too met the stakeholders' expectations in terms of performance, transparency, corporate governance and integrity in guidance during the last couple of years.

New Initiatives

During the year under review, the Bank maintained its focus on introducing new business, customer and technology initiatives to further strengthen its operations and leverage its considerable domestic footprint.

The Bank launched a new business process reengineering and organisational restructuring project "Navnirmaan-Baroda Next" on 22nd June, 2009. The project envisages redesigning and streamlining of existing processes and structures including revamp of the branch architecture for better service and sales, higher revenue growth and improved efficiency. The project is primarily designed to optimise on available resources to maximise business and profits and to build a next step for Bank of Baroda, that is, "Baroda Next."

The Bank achieved 100.0% Core Banking Solution (CBS) for all its domestic branches reflecting the fastest ever roll out of such solutions in the Indian banking industry. The Bank's CBS branches are enabled for inter-bank remittances through the RTGS and NEFT. Around 94.0% of its overseas business is also covered under the CBS.

By 31st March 2010, the Bank's ATM network expanded to 1,315. Moreover, "Base 24" has been made fully operational for all domestic ATMs and for ATMs in the Bank's seven overseas territories. Today, the Bank's customers enjoy multiple service channels like Baroda Connect (Internet Banking), Phone Banking, Baroda Cash Management Services, NRI Services, Depository Services, etc.

The Bank has implemented an Integrated Global Treasury Solution in its major overseas territories. It has also started providing Online Institutional Trading to its corporate customers. During FY10, many other important technological initiatives were taken in the domain of anti-money laundering, document management system, payment messaging solution, etc.

In order to improve credit flows under the retail business and to consolidate that portfolio, the Bank has realigned its retail bouquet of products. The Bank has also launched a new subsidy-linked housing loan scheme under the Home Loan Product styled as "Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor."

A couple of years ago, the Bank introduced a Retail Loan Factory model as a fast delivery channel for the benefit of its retail customers. Going by the success of this initiative, the Bank opened six new Retail Loan Factories during FY10, taking the total number of such factories to 30.

Leveraging its newly created robust technological platform, the Bank made "Home Loan and Education Loan Application Modules" online during the year under review.

The Bank has always believed in making a difference to the society at large. The Bank took several initiatives on the "Financial Inclusion" front during FY10 to harness the emerging opportunities for rural and agriculture lending. To augment its Agriculture advances, the Bank conducted special campaigns for Crop Loans and Investment Credit. The Bank organized 2,857 Village Level Credit Camps and disbursed Rs 2,484 crore to over 1.9 lakh borrowers during FY10. The Bank identified 450 thrust branches across India to enhance agricultural lending. The Bank formulated various area-specific agricultural lending schemes with various concessions in the rate of interest, charges, etc., in the interest of poor farmers.

Towards the effective use of technology in rural agricultural lending, the Bank has introduced IT-enabled smart card based technology for financial inclusion. With nine additional Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (Baroda R-SETI) Centres opened during FY10, the total number of BSVS has gone up to 25. Over two million no-frill savings accounts have been opened so far. As part of the Financial Inclusion Initiative, the Bank has opened four Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) christened as "SARTHEE".

Adding its offerings in wealth management products, the Bank has entered into tie-up arrangements with two more leading asset management companies in FY10 for distribution of mutual fund products. The Bank's joint venture in life insurance, in association with Andhra Bank and L & G (U.K.) – IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. commenced its operation during the year. The IndiaFirst has received an overwhelming response from the Bank's customers across the country, making the company the fastest growing Insurance company to reach Rs 100 crore premium collections in the first 100 days of its launch.

Business & Financial Performance

The Bank has reported a healthy growth in its business and profits with improvement in all key parameters during FY10.

As stated earlier, its Global Business touched a new milestone of Rs 4,16,080 crore in FY10 reflecting a growth of 24.0% (y-o-y). Both its domestic deposits and advances increased at the above-industry pace of 22.4% and 21.3%, respectively. The Bank's domestic low-cost or CASA deposits grew by an unprecedented 25.1% taking the share of domestic CASA deposits to 35.63% in FY10 versus 34.87% in FY09. Its Social Sector Advances or Priority Sector Credit surpassed the mandatory requirement and posted a growth of 24.0% (y-o-y). The Bank recorded a growth of 44.0% in SME credit, 27.0% in farm credit and 24.0% in retail credit reflecting a well-diversified growth achievement.

In its overseas business, while the Bank's deposits grew by 36.0% (y-o-y), its advances grew by 25.0% during FY10. Within total overseas deposits, the customer deposits grew by 33.7%. Total assets of the Bank's overseas operations

increased from Rs 51,165 crore to Rs 68,375 crore registering a growth of 33.6% during the year under review.

The growth in profits was led by healthy topline growth, prudent management of deposit costs and better operating efficiency. The Bank's Net Profit at Rs 3,058.33 crore for FY10 reflected a robust year-on-year growth of 37.3%.

As the Bank's primary objective has been to grow with quality, the Bank focused on containing the impaired assets to the minimum possible level. While the Gross NPA in domestic operations stood at 1.64% at end-March 2010, the same for Overseas Operations was at 0.47%. In spite of growing slippages for Indian banking industry during FY10, our Bank succeeded in restricting its global Gross NPA level to 1.36% and Net NPA level to 0.34% by end-March, FY10. While the RBI has extended the deadline for recovery from the Agricultural Debt Relief accounts till end-June, 2010, the Bank has continued to classify these accounts as NPA as a prudent measure. Despite this, the Bank enjoys one of the lowest ratios for Gross and Net NPA in the industry. The Bank's NPA coverage ratio at 74.90% as on 31st March, 2010 has been comfortably above the norm of 70.0% set recently by the RBI.

The Bank's Return on Average Assets (ROAA) at 1.21%, Earnings per Share (EPS) at Rs 83.96, Book Value per Share (BVPS) at Rs 378.40, and ROE (Return on Equity) at 22.19% reflect a significant improvement over their previous year's levels. The Bank's Capital Adequacy Ratio too stood at the healthy level of 14.36% with the Tier 1 capital at 9.20% during FY10. The Bank's Cost-Income ratio also eased from 45.38% to 43.57% on year-on-year basis.

Looking Forward

Bank of Baroda's long standing reputation for financial soundness, long-term customer relationships and proactive management are as important today as ever. Going forward also, the Bank would continue with its thrust on growth with quality. At the same time, it would try to grow above the industry average on the back of strongly positive growth outlook for India in FY11.

The Bank would try to protect or improve further the current levels of its key financials like ROAA, ROE, EPS, BVPS, asset quality, etc., through its dedicated focus on low-cost deposit mobilization & fee-based income, efficient pricing of deposits and loans, reduction in high cost or low yielding bulk business and through improved credit origination and effective credit monitoring.

In all core operations, the Bank has put in place strategies that seek to address near-term challenges as well as to seize opportunities to strengthen its foundations for sustainable growth. The focus of these strategies has been on well-balanced, qualitative growth, service and operational excellence and people management.

In fact, the Bank has been aggressively recruiting the best

possible talent in the country from the premier Institutions during the last couple of years. The Bank has been working on the business process reengineering (BPR) project in consultation with the McKinsey & Co. so as to achieve the optimum use of technology and right skilling of the manpower to yield maximum customer satisfaction. During FY10, the Bank also launched a series of marketing campaigns to promote its brand value. The same would continue in future also, in order to strengthen the Bank's market share both from the asset and liability sides.

The Bank has been actively designing strategies for enhancing sales and raising brand equity through continuous market research. The Bank has also focused on evolving a Strategic Mass Communication and Events Plan to ensure brand enhancement. Besides this, significant initiatives in customer education would continue for putting in place an effective Customer Relationship Management system in the Bank.

Bank's Corporate Goals & Strategy

For the year 2010-11, the Bank has selected the motto "Leveraging technology for augmenting business growth and profitability."

The ultimate objective of the Top Management of the Bank is to equip the Bank with more stability and growth-orientation. To attain this goal, we have adopted a Business Model that focuses on achieving sustainable growth. This model has four pillars – Healthy CASA, Well-diversified Advances Portfolio, Strong back up of Non-interest income and Stringent NPA Management. The Bank is well geared to ensure that its performance will be driven across all these parameters.

The Bank is aware of the fact that the market leadership can be achieved only through a visionary, strategic and sustainable model of pursuit and perseverance. The success lies in attaining the acceptance of our stakeholders about the Bank's core values, passion for customer service and the credibility of leaders, which alone would give our Bank a unique place in the banking space. In a bid to gain better market share, we will work relentlessly to provide financial stability and brand value that matters the most.

It will be our endeavour in FY11 to work towards more customer-centricity by upgrading our institutional processes, systems and capabilities. In the current economic environment, prudence and proactive vigilance are most important to convert challenges into opportunities. So, our central focus will be on risk management and growth with quality.

In our pursuit to move towards the top position in the industry, I solicit your continued cooperation and patronage.



M. D. Mallya

Chairman & Managing Director

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Second Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2010 (FY10).

Performance Highlights

- **Total Business** (Deposit+Advances) increased to **Rs 4,16,080 crore** reflecting a growth of 24.0%.
- **Gross Profit** and **Net Profit** were **Rs 4,935 crore** and **Rs 3,058 crore** respectively. Net Profit registered a growth of 37.3% over previous year.
- **Credit-Deposit Ratio** stood at **84.55%** as against 81.94% last year.
- **Retail Credit** posted a growth of **23.5%** constituting 18.15% of the Bank's Gross Domestic Credit in FY10.
- **Net Interest Margin (NIM) in global operations** as per cent of interest earning assets was at the level of **2.74%** and in domestic operations at 3.12%.
- **Net NPAs to Net Advances** stood at **0.34%** this year against 0.31% last year.
- **Capital Adequacy Ratio (CAR)** as per Basel I stood at **12.84%** and as per Basel II at **14.36%**.
- **Net Worth** improved to **Rs 13,785.14 crore** registering a rise of 20.6%.
- **Book Value** improved from Rs 313.82 to **Rs 378.44** on year.
- **Business per Employee** moved up from Rs 911 lakh to **Rs 1,068 lakh** on year.

Segment-Wise Performance

The Segment Results for the year 2009-10 (FY10) reveal that the contribution of Treasury Operations was Rs 1,048 crore, that of Corporate/Wholesale Banking was Rs 1,585 crore, that of Retail Banking was Rs 779 crore, and of Other Banking

Operations was Rs 2,732 crore. The Bank earned a Profit after Tax (PAT) of Rs 3,058 crore after deducting Rs 1,906 crore of unallocated expenditure and Rs 1,180 crore towards provision for tax.

Dividend

The Bank's Directors have proposed a dividend of Rs 15/- per share (on the face value of Rs 10/-per share) for the year ended March 31st, 2010. The total outgo in the form of dividend, including taxes, will be Rs 639.26 crore.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) is comfortable at 14.36% under Basel II as on 31st March 2010. During the year, the Bank strengthened its capital-base by raising Rs 1,000 crore through unsecured subordinated bonds and Rs 900 crore through innovative perpetual bonds.

The Bank's Net Worth as at 31st March 2010 was Rs 13,785.14 crore comprising paid-up equity capital of Rs 365.53 crore and reserves (excluding revaluation reserves) of Rs 13,419.61 crore. An amount of Rs 2,419.07 crore was transferred to reserves from the profits earned.

Other Prudential Measures

As a prudent measure, the Bank has made provision towards contribution to **gratuity** (Rs 131.93 crore), **pension funds** (Rs 120.21 crore), **leave encashment** (Rs 134.29 crore) and **additional retirement benefits** (Rs 16.28 crore) on actuarial basis. Total provisions under these four categories amounted to Rs 402.71 crore during the year 2009-10, against Rs 550.60 crore during 2008-09. Total corpus available with the

Key Financial Ratios

Particulars	2009-10	2008-09
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.21	1.09
Average Interest Bearing Liabilities (Rs crore)	2,15,886.21	1,71,666.55
Average Cost of Funds (%)	4.98	5.81
Average Interest Earning Assets (Rs crore)	2,16,735.54	1,75,818.59
Average Yield (%)	7.70	8.58
Net Interest Margin (%)	2.74	2.91
Cost-Income Ratio (%)	43.57	45.38
Book Value per Share (Rs)	378.44	313.82
EPS (Rs)	83.96	61.14

Bank at the end of March 2010 under these heads is: Rs 948.54 crore (**gratuity**), Rs 2,835.10 crore (**pension funds**), Rs 488.31 crore (**leave encashment**), and Rs 340.56 crore (**additional retirement benefits**).

Management Discussion and Analysis

Economic Scenario in 2009-10

Indian economy strongly rebounded during the year FY10 ahead of most countries in the world, thanks to the timely monetary easing and strong fiscal stimulus provided by the Reserve Bank of India (RBI) and the Central Government, respectively, in the wake of the global crisis. Other factors that facilitated its bounce-back during FY10 were an improving global economy, a return of risk appetite in financial markets and large capital inflows.

Moreover, India was not at the centre of the crisis and its growth is largely dependent on domestic drivers. So, the global crisis could not dent the country's medium-term growth potential.

The Government's advance estimates for the year have put India's real GDP growth at 7.2% for FY10 reflecting a marked improvement over the 6.7% recorded in FY09. The main contributors to this growth have been manufacturing (8.9%), mining & quarrying (8.7%) and the services sector (8.8%). Agriculture output, however, is estimated to have fallen by 0.2% as against a growth of 1.6% in FY09 reflecting the poor South-West monsoon rains. According to the Government reports, production of foodgrains and oilseeds is likely to have declined by 8.0% and 5.0%, respectively, on year on year basis. However, the adverse impact of sub-normal monsoon has been contained to a large extent by a better-than-expected rabi (winter) crop in FY10.

Within the manufacturing sector, the industries like infrastructure, cement, steel, automobiles, machinery & equipment, transport equipment, rubber, plastic & chemical products, etc., have grown strongly during FY10. However, sectors like consumer non-durables, power generation and labour intensive export-oriented industries like textiles, gems & jewellery, etc., continued to remain fragile.

The expansion of services sector was healthier at 8.8% in FY10. However, it slowed down from a year earlier due to a moderate pace of spending by the Government on compensation to employees.

Final consumption expenditure too remained subdued during FY10, as growth in both private and Government final consumption expenditure slowed down. However, investment demand, especially gross fixed capital formation showed a gradual recovery during the year.

The Wholesale Price Index (WPI) inflation, after remaining significantly subdued during the first half of FY10, increased at a faster pace in the second half and reached 9.9% by March, 2010. While a significant portion of inflation could be explained by a shortfall in agricultural production and spikes in international crude oil prices, indications of generalization of inflation became increasingly evident starting from November 2009. Inflation in non-food manufactured products increased from (-) 0.4% in November 2009 to 4.7% in March 2010.

A rebound in the economy and rising inflation pressures prompted the RBI to signal the beginning of an exit from its crisis policy stance since October 2009 when it restored the Statutory Liquidity Ratio (SLR) to 25.0% and tightened provisioning requirements for property loans. Subsequently, it raised the Cash Reserve Ratio (CRR) by 75 bps to 5.75% in late January, 2010. Again, it raised the Repo and Reverse Repo Rates by 25 bps each on March 19th 2010 ahead of the Annual Monetary Policy in April, 2010 to guard against inflationary expectations becoming entrenched. This was the first change in policy rates since April 2009.

A strong revival in global demand brought back India's export growth to a positive zone in November 2009 after 13 months of year-on-year declines. Imports too moved to positive growth in December 2009 after 12 months of year on year contraction. In cumulative terms, however, exports declined by 11.3% (y-o-y) in Apr-Feb, FY10, while imports declined by 13.5%. The trade deficit during the first eleven months of FY10 stood at US\$ 95.42 billion as against US\$ 114.72 in the corresponding period of FY09. The robust growth in invisible receipts observed during the past few years was reversed in FY10 due to the lagged impact of recession in advanced economies. Despite lower trade deficit, the fall in invisibles surplus led to marginally higher current account deficit during FY10. The latest available data show that the current account deficit during April-December, 2009 stood at US\$ 30.3 billion, higher than US\$ 27.5 billion during April-December, 2008.

A noteworthy feature of economic revival during FY10 was the resumption of large capital inflows led by both the FII and FDI inflows. According to the RBI Report, the FII (net) investment in India during FY10 was US\$ 29 billion while FDI inflows amounted to US\$ 33.1 billion during April-February, FY10. In nominal terms, the rupee appreciated against the US Dollar by 11.5% during FY10 primarily due to an upsurge in capital inflows. However, an increase in inflation differentials between India and its trading partners during the year resulted in much higher appreciation of real exchange rate.

During FY10, India's foreign exchange reserves (FER) increased by US\$ 27.1 billion to reach US\$ 279.1 billion as at end-March 2010. Furthermore, the RBI purchased 200 metric tonnes of gold from the IMF on November 3, 2009 as part of the RBI's FER management operations.

India's external debt stock at US\$ 251.4 billion at end-December 2009 recorded an increase of US\$ 26.8 billion over its level at March 2009 primarily on account of an increase in long-term debt.

Indian equity markets displayed vibrancy and increased momentum during FY10 except for some occasional corrections caused by Dubai World default and the Greek sovereign debt concerns during the last two quarters of FY10. On the whole, the benchmark indices Sensex and the Nifty gained 81.0% and 74.0% respectively, on year-on-year basis, primarily on the back of huge FII inflows.

The Central Government's fiscal deficit for FY10 is expected to remain within the 6.8% of GDP target. Stronger divestment receipts and direct tax revenue could make up for the shortfall, if any, in 3G auction proceeds and indirect tax collections,

while higher than budgeted spending on pensions and food & fertilizer subsidies can be accommodated through savings on other accounts.

The Government's record market borrowings programme proceeded well and in a non-disruptive manner during FY10 with limited impact on bond yields.

The Union Budget for FY11 has set the goal of reducing the fiscal deficit to 5.5% of GDP in FY11 and further to 4.8% in FY12 and to 4.1% in FY13. This will be facilitated by the expected fall in expenditure items and likely revenue buoyancy, going forward.

The Union Budget for FY11 began the exit from fiscal stimulus by partially rolling back some of the duty relaxations introduced during the crisis period. It hiked the excise duty from 8.0% to 10.0%. The other tax proposals included rationalization of income tax slabs, additional excise duty on petrol & diesel, and a restoration of 5.0% customs duty on petroleum products, including crude oil. A landmark reform in the area of government subsidy is the introduction of nutrient-based subsidy for fertilizers. This policy is expected to improve agricultural productivity, contain the subsidy bill over time and offer environmental benefits. Furthermore, the government has decided not to issue any more special off-budget bonds from FY11 to finance subsidies for fuel, food and fertilisers. Another major fiscal development is a revival programme for the disinvestment of state-owned enterprises listed on the stock exchanges. During FY10, the government raised a record Rs 33,500 crore through this route, whereas the FY11 Budget calls for realisation of Rs 40,000 crore through disinvestment.

The outlook for India, going forward, looks strongly positive. Its economy has been showing steady improvement. Industrial recovery is expected to take firmer hold on the back of rising domestic and external demand. Exports and imports have bounced back since October-November, 2009. Flows of funds to the commercial sector from both bank and non-bank sources have picked up. Business outlook surveys by the RBI and other agencies suggest that business optimism has improved. On balance, under the assumption of normal monsoon and sustained good performance of the industrial and services sectors, the RBI has projected real GDP growth for India for FY11 at 8.0% with an upside bias.

Performance of Indian Banking Sector in FY10

Indian banking industry stood firm and resilient amid the global crisis on the back of its improved productivity since the mid-1990s and a robust regulatory and supervisory framework. The Industry's financial soundness indicators remained strong with the Return on Average Assets (ROAA) at 1.13%, Capital Adequacy Ratio (CAR) at 13.98% and Net NPA ratio at 1.05% as at end-March, 2009.

During the year FY10, the banking industry posted a decent business and financial performance despite several challenges. For instance, the scheduled commercial banks' (SCB) Aggregate Deposits grew by 17.1% (y-o-y). Within this, the term deposits grew by 16.2%, primarily due to a sharp decline in interest rates offered on term deposits by several banks. As credit growth was quite muted until November, 2009, the banks struggled to protect their net interest margins by reducing the

pressure on cost of deposits. A slower growth in term deposits resulted in a slower growth of broad money supply or M3 by 16.8% (y-o-y) during FY10. However, the banks' demand deposits grew healthily by 22.8% (y-o-y) during FY10 reflecting the industry's aggressive efforts to mobilize low-cost (CASA) deposits to reduce the pressure on cost of funds.

Amongst the sources of money supply, Net Bank Credit to the Government grew at a strong pace till mid-November, 2009, as the Government financed majority of its market borrowing requirements during this period. However, after November, 2009 the growth in this component eased considerably. On year on year basis, the Net Bank Credit to Government (including the RBI Credit) increased by 30.6% during FY10.

The demand for non-food credit from the commercial sector started improving from November, 2009 and eventually posted a growth of 16.9% (y-o-y) by end-March 2010 as against the Reserve Bank of India's (RBI's) indicative target of 16.0%. In the year up to October 2009, deceleration in non-food credit had continued and reached a low of 10.3%. With the industrial recovery getting increasingly broad-based, demand for non-food credit revived since end-November 2009 and pushed upwards the incremental credit-deposit ratio in the second half of FY10. While, the state-owned banks played a major role in credit expansion during FY10, credit extended by private banks also showed some improvement in FY10 over last year. However, as per the RBI report, the loan portfolio of foreign banks contracted further in FY10.

Reflecting the revival in credit demand from the private sector, the SCBs' investment in SLR securities increased at a lower rate of 18.5% (y-o-y) as on March 26, 2010 as against 20.0% a year ago. The SCBs' holdings of SLR securities was at 28.8% of their net demand and time liabilities at the end of March, 2010.

Disaggregated data on sectoral deployment of gross bank credit in FY10 put out by the RBI show an improvement in credit growth (y-o-y) to all major sectors like agriculture, industry, services and retail loans from November 2009 onwards.

Within industrial sector, the sectors like infrastructure, basic metals and metal products led the demand. Within services sector, credit growth for transport operators, computer software, tourism, hotels, restaurants & trade accelerated in February 2010. The credit to real estate decelerated sharply in FY10 mainly on account of change in the concept of real estate introduced in September 2009.

Asset quality of Indian banks too remained largely stable during the year FY10 except for a few banks. The fears of rising delinquencies have faded now with improving economic outlook and resumption of capital inflows.

For the year FY11, the outlook for Indian banking industry remains positive. With improving economic prospects for India, many International Credit Rating Agencies have revised their outlook for the Indian banking industry in the recent past. For instance, the Moody's Rating Agency has changed the fundamental credit outlook for the Indian banking system from "negative" to "stable" on the back of favourable trends in India's economic indicators over the last few months. Even the Fitch Rating Agency has stated in its latest report on Asian Banking Industry that the operating environment for banks in

Asia (including India) has strengthened unexpectedly fast in June-December, 2009 shifting concerns away from potential bad loans arising from severe economic slowdown to concerns over asset price bubbles.

Risk Management

Managing various types of financial risks is an integral part of the banking business. Bank of Baroda has a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately compensated. The Risk Management Architecture in the Bank comprises Risk Management Structure, Risk Management Policies and Risk Management Implementation and Monitoring Systems.

Risk Management Structure

The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. Bank has constituted a Sub Committee of the Board on ALM (Asset Liability Management) and Risk Management to assist the Board on financial risk related issues. The Bank has a full fledged Risk Management Department headed by a General Manager and consisting of a team of qualified, trained and experienced employees. The Bank has set up separate committees, of Top Executives of the Bank to supervise respective risk management functions as under.

Asset Liability Management Committee (ALCO) is basically responsible for the management of Market Risk and Balance Sheet Management. It has the responsibility of managing deposit rates, lending rates, spreads, transfer pricing, etc in line with the guidelines of Reserve Bank of India. It also plans out strategies to meet asset-liability mismatches.

Credit Policy Committee (CPC) has the responsibility to formulate and implement various enterprise-wide credit risk strategies including lending policies and also to monitor Bank's credit risk management functions on a regular basis.

Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of mitigation of operational risk by creation and maintenance of an explicit operational risk management process.

Risk Management Policy

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and mitigate various risks that the Bank is exposed to. In order to provide ready reference and guidance to the various functionaries of the Risk Management System in the Bank, the Bank has in place Asset Liability Management and Group Risk Policy, Domestic Loan Policy, Mid Office Policy, Off Balance Sheet Exposure Policy (domestic), Business Continuity Planning Policy, Pillar III Disclosure Policy, Stress Test Policy and Stress Test Framework, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy duly approved by the Board.

Risk Management - Implementation and Monitoring System

In the financial services industry, the main risk exposures that

the Bank faces are Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Bank either does not have the financial resources available to meet all its obligations and commitments as they fall due or it has to access these resources at excessive cost. During the year under review, the financial system exhibited a fair level of liquidity with some adjustments done by the monetary authority to balance credit growth and control inflation.

The Bank's ALCO has the overall responsibility of monitoring liquidity risk of the Bank. The liquidity risk is measured by flow approach on a daily basis through Structural Liquidity Gap reports and on a dynamic basis by Dynamic Gap reports on fortnightly basis for the next three months. Under Stock Approach, the Bank has established a series of caps on activities such as daily call lending, daily call borrowings, net short term borrowings and net credit to customer deposit ratio and prime asset ratio, etc. The Asset Liability Management (ALM) Cell, working in the Risk Management Department reviews the liquidity position on a daily basis to ensure that the negative liquidity gap does not exceed the tolerance limit in the respective time buckets. Specialized Integrated Treasury Branch, Mumbai assesses the domestic liquidity in respect of all foreign currency exposures. In respect of overseas operations, each territory assesses its currency wise liquidity position at prescribed intervals. The funding requirements in case of contingencies are also examined at regular intervals to prepare the Bank to meet any exigencies of a shortfall in funds' position. The Bank has managed its liquidity by prudent diversification of the deposit base, control on the level of bulk deposit, and ready access to wholesale funds under normal market conditions. The Bank has significant level of marketable securities, which can be sold, used for repo borrowings or as collaterals, if required.

Credit Risk

Credit Risk is the risk that the counterparty to a financial transaction will fail to discharge an obligation resulting in a financial loss to the Bank. Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures.

In order to provide clarity to the operating functionaries, the Bank has various policies in place such as Domestic Loan Policy, Investment Policy, Off-Balance Sheet Exposure Policy, etc, wherein the Bank has specified various prudential caps for credit risk exposures. The Bank also conducts industry studies to assess the risk prevalent in industries where the Bank has sizable exposure and also for identification of sunrise industries. The industry reports are communicated to the operating functionaries to consider the same while lending to these industries.

The Bank has adopted various credit rating models to measure the level of credit risk in a specific loan transaction. The Bank uses a robust rating model developed to measure credit risk for majority of the business loans (non personal loans). The rating model has the capacity to estimate probability of default

worsened following the global financial crisis. The Slippage Prevention Task Force was formed at all Zonal/Regional offices of the Bank. Moreover, the Bank's Domestic Loan Policy has been aligned with appropriate provisions for the purpose of arresting slippages at an early stage in conformity with the laid down norms and guidelines. The Bank has placed a special focus on sharpening its credit monitoring process for improving the asset quality, identifying areas of concern and/or branches requiring special attention, working out strategies and ensuring their implementation in a time-bound manner.

The primary **objectives** of the **Credit Monitoring Department** at the corporate level are as under:

- Identification of weakness / Potential default / incipient sickness in the account at an early stage;
- Initiation of suitable and timely corrective actions for preventing impairment in credit quality, whenever signals are noticed in any account, e.g. decline in credit rating, delay in meeting liabilities in LC/Guarantee and delay in servicing of interest/ installments etc;
- Prevention of slippage in the Asset Classification and relegation in Credit Ratings through vigorous follow up;
- Identification of suitable cases for restructuring/ rescheduling/ rephasing as well as further financing in deserving and genuine cases with matching contribution from the borrower;
- Taking necessary steps / regular follow up, for review of accounts and compliance of terms and conditions, thereby improving the quality of Bank's credit portfolio;
- To work towards improving the Credit Ratings.

Restructuring of Advances Accounts

As a part of an on-going business strategy to improve upon the quality of assets, the Bank has reaffirmed the need to monitor the quality of advances portfolio on a continuous basis, industry-wise as well as borrower-wise. It also requires an analysis of the present position and problems foreseen in near future and to identify weaknesses/potential default/incipient sickness in the advances accounts at an early stage so as to initiate suitable and timely corrective measures for preventing impairment of

credit quality.

The Bank's Credit Monitoring Department at the Corporate Office has taken several initiatives in identifying the incipient sickness/potential default/weaknesses in the advances accounts for taking corrective actions including restructuring in deserving cases as per the RBI guidelines for supporting entrepreneurs facing temporary cash flow problems due to economic challenges.

During the year FY10, the Bank undertook restructuring of various advances accounts as per the table given below.

Besides, in its International Operations, the Bank undertook restructuring of 43 borrowal accounts working out to an overall outstanding balance of Rs 1,796.98 crore during FY10.

The Bank also initiated follow up actions for ensuring expeditious review of accounts, compliance of terms and conditions, up-gradation in credit rating, etc., in high value advance accounts for improving the asset quality of the Bank's credit portfolio. This proactive approach has greatly helped the Bank in maintaining better asset quality in the industry.

Economic Intelligence Unit

At the Corporate Office of the Bank, a specialized Economic Intelligence Unit (EIU) supports the Top Management in critical areas like Business Strategy Formulation, Investor Relations, Asset-Liability Management and in discussions/deliberations with the Regulators (both domestic & international) and Rating Agencies. The Unit regularly provides the Top Management and the Bank's various operational units a periodic outlook on key macro variables like industrial and infrastructural growth, inflation, interest rates, stock movement, credit deployment & resource mobilization of the banking industry, liquidity and exchange rates.

By providing better understanding of macroeconomic aspects, corporate sector health and financial sector policies, the EIU of Bank of Baroda supports the Bank's efforts in tapping business opportunities and swiftly responding to market dynamics.

The EIU also brings out a weekly e-publication on macro-economic, policy and regulatory developments to share its perspective with the top management, market participants and

Restructuring of Advance Accounts (Domestic): FY10

(Rs crore)

Particulars		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	7	817	19,591	20,415
	Amt. Outstanding	355.76	402.37	1,662.31	2,420.44
Sub-standard Advances Restructured	No. of Borrowers	0	4	305	309
	Amount Outstanding	0.00	29.29	4.62	33.91
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	0	1	24	25
	Amount Outstanding	0.00	0.53	0.17	0.70
Total	No. of Borrowers	7	822	19,920	20,749
	Amount Outstanding	355.76	432.19	1,667.10	2,455.05

with industry leaders. The division works as an intellectual arm of the Bank in comprehending developments that helps in the development of rightly aligned strategies.

Internal Control Systems

The Bank has a well established **Central Inspection & Audit Division (CIAD)** that examines the adherence to systems, policies and procedures of the Bank. The guidelines received on various issues of internal control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the Internal Control System for better risk management. CIAD operates through ten zonal inspection centres to carry out inspection of branches/offices as per the periodicity decided by the Audit Committee of Board and examines adherence to such systems of internal control and risk management [including various aspects such as Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) etc].

The Regular Branch Inspection Report is the most comprehensive feed-back to the Management about the degree of compliance of the Bank's systems and procedures and guidelines at the operational level and, hence, the most important tool for exercising control. The compliance is monitored through submission of Rectification Certificate by the auditee units duly countersigned by the reporting authorities.

All the branches are covered under Risk Based Internal Audit (RBIA). The assessment of level of risk and its direction is as per the Risk Matrix prescribed by the Reserve Bank of India which helps the Management in identifying areas of high risk requiring attention on priority basis. The position of the risk categorization of the branches is reviewed by Audit Committee of the Board on quarterly basis.

Besides Regular Inspection of Branches, various other inspections are also carried out in the Bank such as Inspection of Subsidiaries, Associates, Functional Departments at Corporate, Head Office, Training Centres, Administrative Offices, Management Audit of the Controlling Offices of the Bank, its Subsidiaries and Regional Rural Banks (RRBs). Overseas branches are inspected through the Bank's Internal Auditors posted at those centres.

During FY10, 2,357 Risk Based Internal Audits (RBIA) of the domestic branches were carried out by the Inspecting Officers attached to various Zonal Inspection Centres across the country. Around 438 inspections of overseas branches were carried out by the Internal Auditors posted overseas. Besides, Management Audit of M.P. & Chhattisgarh Zone, North Zone, Maharashtra & Goa Zone, Projects & IT / Inter Branch Operations / HRM / Wholesale Banking Departments at Baroda Corporate Centre, and Nainital Bank Ltd. (Subsidiary) was carried out during FY10.

Concurrent Audit of the Bank covered 611 branches including Specialized Integrated Treasury Branch which handles Funds and Investment Management and FOREX Dealing Operations of the Bank. Concurrent Audit covers more than 79.0% of total domestic advances and 69% of total domestic business of the Bank, besides 100.0% domestic investments and FOREX Dealing Operations.

The CIAD oversees Credit Audit function which examines

compliance with extant sanction and post-sanction processes/ procedures laid down by the Bank from time to time, as per the RBI guidelines. The objectives of Credit Audit are as follows.

- Improvement in the quality of credit.
- Review of sanction process and compliance status of large loans.
- Feedback on regulatory compliance.
- Independent review of Credit Risk Assessment.
- Pick up early warning signals and suggest remedial measures.
- Recommend corrective action to improve credit quality, credit administration and credit skills of staff, etc.

During FY10, 2,331 large accounts were subjected to credit audit covering aggregate limit of Rs 1,09,680 crore (FB Rs 85,666 crore and NFB of Rs 24,014 crore). All the reports during the current year of the eligible accounts for credit audit have been attended to and closed after compliance/necessary directions to the concerned Zones.

The CIAD compiles Risk Profile Templates of the Bank on self assessment basis quarterly, as per direction of the Reserve Bank of India. After approval by the respective Functional Heads and final approval from Board of Directors, it is submitted to RBI on quarterly basis. As per Risk Profile Templates, the Bank's overall risk level is LOW and direction is STABLE as on 31st March, 2010.

The CIAD through its Information Security (IS) Audit Cell / External Auditors conducts IS Audit of select branches and Data Migration Audit of branches shifting to Core Banking Solutions (CBS) platform from the legacy system.

The Bank conducts training programmes for Inspecting Officers attached to Zonal Inspection Centers on Information Security Audit and Risk Based Internal Audit. Similar programmes were also conducted for the Concurrent Auditors to update their knowledge base.

Agenda placed before the Audit Committee of the Board for review includes total audit function of the Bank. The compliance of direction of Audit Committee of the Board is monitored through Action Taken Report (ATR) system. The compliance of directions received from Reserve Bank of India and Government of India are placed before the Audit Committee of the Board for review.

Operations and Services

Customer-centric Initiatives Taken by the Bank in FY10

As always, efficient customer service and customer satisfaction are the primary objectives of the Bank in its day to day operations. The Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers, and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers on a sustainable basis.

Recently, the Bank has taken several measures to improve customer service at the branches and at the same time, strengthened the customer complaint redressal machinery for fast disposal of the customer complaints.

Efforts to Improve Customer Service at Branches

- The feed-back on quality of customer service at branches is obtained through the Branch Level Customer Service Committee meetings in which customers from various cross sections of the society are invited to participate. The suggestions/views generated during such meetings are collated and appropriate follow up action is taken to examine the feasibility to implement the suggestions for improving the quality of customer service rendered at the branches.
- For bringing improvement in the customer services at branches, the employees of the Bank are imparted training through various training centres for upgrading their soft skills or for bridging the knowledge gaps.

Latest Developments for Better Customer Service

- In September 2009, the Bank brought all the branches of the Bank on CBS platform to offer “Anywhere Anytime” banking to all its customers. All the branches of the Bank have been enabled to provide e-banking services as well as electronic fund transfer facilities by way of RTGS and NEFT to its customers.

Bank's Business Process Re-Engineering Project

- In order to derive the full benefit of technology and offer hassle free services to customers, the Bank has undertaken a comprehensive exercise on business process re-engineering (BPR), for which it has appointed the renowned consultancy firm viz. McKinsey & Company.



Launch of "Navnirmaan - Baroda Next"

- The Bank has conceptualized two types of Back office operations – City Back Office (CBO) and Regional Back Office (RBO). The City Back Office has been designed to handle the centralised processing of clearing and collection functions, including the ECS, of all the branches in a city/centre. Such centralisation is intended to relieve the staff of the branches from the load of cumbersome back-office functions and enable them to focus more on sales and service. The -21- service branches and -47- main offices are functioning on the CBO model. These CBOs shall cater to 1,090 branches.
- Three Regional Back Offices (RBOs), one each at Baroda, Jaipur and Coimbatore, are already in operation. The RBOs

at Jaipur and Coimbatore were set up during FY10. Each RBO is designed to cater to 350-400 branches for back office activities. As on 31st March, 2010, the centralised processing of accounts opening at the RBOs has been extended to -344- branches. The centralised issuance of Personalised Cheque Books has been introduced at 104 branches. Two more RBOs – at Bhopal and Lucknow - have been planned to be operationalised during the first half of FY11.

Compliance

The Bank is a member of The Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Commitment to the customers revised by the BCSBI in August 2009 and, also, Code of Bank's Commitment to Micro & Small Enterprises. The code has been placed on the Bank's web site and also made available to the customers at the branches.

Customer Service: Institutional Framework

Customer Service Committee of the Board

The Bank has a sub-committee of Board for Customer Service. The Committee has the following members as on 31st March 2010.

- Shri M.D.Mallya - Chairman and Managing Director
- Shri Rajiv Kumar Bakshi - Executive Director
- Shri N.S.Srinath - Executive Director
- Shri A.Somasundaram - Director
- Dr. Masarrat Shahid - Director

The sub-committee addresses the issues relating to the formulations of policies and assessment of its compliances, which brings about consistent improvement in the quality of customer service. The sub-committee also monitors the status of the number of deceased claims pending for settlement beyond 15 days pertaining to depositors/locker hirers/depositors of safe custody articles. It reviews the status of implementation of the Awards of Banking Ombudsman and also addresses issue of systemic deficiencies existing in the Bank, if any, brought out by the Awards.

The details of the attendance of the meeting of 'Customer Service Committee of the Board' held on 22.06.2009, 29.08.2009, 05.12.2009 and 05.03.2010 during FY10 are as follows.

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri M.D.Mallya	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
Shri V. Santhanaraman	01.04.2009 to 31.08.2009	2	2
Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
Shri N.S.Srinath	07.12.2009 to 31.03.2010	1	1
Shri A.Somasundaram	01.04.2009 to 31.03.2010	4	3
Dr. Masarrat Shahid	24.11.2009 to 31.03.2010	2	1

Standing Committee on Customer Service

The Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services as per the directives of RBI. The committee comprises three eminent public personalities as members along with four General Managers of the Bank. The committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

The committee is set up to oversee timely and effective compliance of the RBI instructions on customer service and, also, review the practices and procedures prevalent in the Bank and take necessary corrective steps on an ongoing basis.

A brief report on the performance of the Standing committee is submitted periodically to the Customer Service Committee of Board.

KYC/AML

Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) and obligation of Bank under PMLA, 2002

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based.

The major highlights of KYC-AML-CFT implementation across the Bank are as under.

- Generation of Cash Transaction Reports (CTRs) electronically for submission to Financial Intelligence Unit (FIU), through the electronic medium.
- Installation/Implementation of AML Solution for generating system based alerts.
- System-based detection and submission of Suspicious Transaction Reports (STR) to the Financial Intelligence Unit (FIU)
- System based Risk Categorization (from AML Measure) of the Bank's customers every half year.
- Filing of Counterfeit Currency Reports (CCRs) to FIU-IND, New Delhi.

The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site (www.bankofbaroda.com) for the benefit of customers
- A KYC-AML page is created at the Bank's INTRANET for posting reference material on KYC-AML education.
- Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments.
- Training is organized for the Bank's senior officials / executives at RBI, IBA and National Institute of Bank Management (NIBM).

- Sustained efforts are made to develop expertise at the Bank's Head Office for corporate oversight and, also, KYC Audit of branches.

Government Business

The Bank's Operations & Services Department has taken following initiatives during FY10 in the domain of Government Business.

- It has established a **Central Pension Processing Centre (CPPC)** for Central Civil Pensioners. The CPPC has been accorded formal approval with effect from 1st January, 2010 by the Chief Controller (Pension) CPAO, New Delhi. Bank of Baroda is the first Nationalised Bank to have received such approval. The Bank has already accomplished the Centralisation of Pension Processing and Payments. The pension payment of more than 17,000 pensioners, is being processed every month at the CPPC. The processing and payment for new PPOs/Revised PPOs, Master Data Base for Central Civil Pensioners, Back Office functions and fund settlement through Link Cell, Nagpur etc. are the main functions of the CPPC which facilitate a faster and accurate payment of pension to pensioners and for Bank, a quick settlement of funds by the Reserve Bank of India.
- It has set up a **Grievance Redressal Matrix**. For instance, at the Bank's CPPC, it has made operational a Toll Free Help Line exclusively for Pensioners (1800 233 2656). This provides an efficient set up for providing information to pensioners and also serves in grievance handling and redressal. The Bank has also provided on the home page of its website a separate link to the CPPC. Through this Link, pensioners can see Pension Payment Scheme Book, download various forms/certificates and also register a complaint for redressal.
- It has developed a system for **Defence and Railway Pension Payment**. For instance, the pension payment for more than 40,000 Defence and 50,000 Railway pensioners was scattered at various locations of the Bank. For making timely and accurate payment of pension to the Defence and Railway pensioners, the Department has centralized this function at the Bank's ten nodal branches.
- It has started offering **services for payment of taxes**. The tax payers having Baroda Connect facility with transaction password can now pay Direct and Indirect Taxes through e-Mode. It has also been providing a physical tax payment facility at 550 branches for Direct Taxes and at 365 branches for Indirect Taxes.

Vigilance

Vigilance is not an impediment but is used as a tool for corporate governance. The Vigilance Department of the Bank has infused confidence amongst the employees of the Bank with an assurance that innocent employees would be protected and the guilty would be weeded out. Furthermore, checks and

balances are put in place from time to time with respect to the nature of incidents reported. This has helped a great deal in increasing efficiency and creating an environment of security for the honest work-force.

The operating staff, thus, could execute their role with confidence thereby contributing to the business growth of the Bank during FY10. Compared to the quantum jump in the Bank's business, the low incidence of frauds indicates highly effective systematic controls created by the Bank. Rapid computerisation has, however, exposed the Bank to new kinds of attacks. However, the Vigilance Department has studied the fraud prone areas under computerised environment in great detail and has come out with the fresh guidelines.

The Bank has also introduced a scheme for granting rewards to employees for detecting and foiling attempts of frauds/prevention of frauds with a view to encourage the vigil and alertness displayed by the employees while performing their duties. It is heartening to note that, with the awareness, alertness and diligence exhibited by the operating staff, -44- attempts of defrauding the Bank by unscrupulous elements were thwarted during FY10, which saved the Bank from sustaining a sizeable financial loss.



Release of book on "Clarification on IT Procurement related issues" by CVC.

The Bank has been making mammoth investment towards immovable properties and procurement of Works/ Stores/ Purchases/ Contracts. As a step towards improving vigilance administration, the Bank organised a workshop at its Corporate Office with the help of the officials of the Central Vigilance Commission, New Delhi, in which Chief Vigilance Officers and General Managers (IT) of major Public Sector Banks participated. A booklet giving clarifications on the issues raised during the workshop was compiled and sent to the participating Public Sector Banks for their reference.

The Vigilance Department of the Bank continues to remain a watchdog and helps the Management of the Bank to excel and reach higher scales of performance.

Business Performance

Given below are the details of the Bank's major achievements on business front during FY10.

Resource Mobilisation & Asset Expansion

The share of Bank's deposits in total resources stood at 86.61% as of 31st March 2010. The total deposits grew from Rs 1,92,396.95 crore to Rs 2,41,044.26 crore, reflecting a growth of 25.28% over the previous year. Of this, Savings Bank Deposits – an important constituent of low cost deposits grew by 23.67% - from Rs 42,487.28 crore to Rs 52,543.92 crore. The share of low cost deposits (Current & Savings) in Total Global Deposits was at 29.65% and in Domestic Deposits at 35.63%. Unlike the previous year, the banking industry witnessed a movement from term deposits to low-cost deposits during the year as interest rates offered on term deposits declined sharply during 2009-10.

The Bank's Global Advances expanded by 22.19% during 2009-10 led by 21.28% expansion in domestic advances and 25.04% expansion in overseas advances.

Composition of Funds – Global

Particulars	End March 2009 (Rs crore)	End March 2010 (Rs crore)	Growth %
Deposits	1,92,396.95	2,41,044.26	25.28%
- Domestic	1,51,408.99	1,85,282.59	22.37%
- Overseas	40,987.96	55,761.68	36.04%
Borrowings	12,767.91	13,350.09	4.56%

Global Advances

Particulars	End March 2009 (Rs crore)	End March 2010 (Rs crore)	Growth %
Advances	1,43,251.41	1,75,035.28	22.19%
- Domestic	1,08,548.51	1,31,643.62	21.28%
- Overseas	34,702.90	43,391.66	25.04%

Wholesale Banking

The Bank's Wholesale Banking Division offers a full range of loan products and services such as Term loans, Working Capital facilities, Trade Finance products, Cash Management products, Treasury products, Bridge Loans, Syndicated Loans, Infrastructure Loans, Cross Currency/Interest Rate Swaps, Foreign Currency Loans and many more to its large and mid-corporate clients depending upon their needs. The product offerings are suitably structured taking into account the customers' risk profiles and specific needs. Based on the superior product delivery, passionate service orientation and a customer-centric approach, the Bank has made significant inroads into providing an array of Wholesale Banking products and services to several multinationals, domestic business houses and prime public sector companies.

The focus of the Wholesale Banking operations during FY10 was on promoting innovative products and adopting a well-integrated approach to build new relationship management.

Under Wholesale Banking, the corporate customers are identified as Large and Mid corporates. Companies having annual sales turnover of over Rs 500 crore are classified as Large Corporates and those having annual sales turnover between Rs 100 crore and Rs 500 crore are classified as Mid Corporates.

During FY10, the Wholesale Banking Division sanctioned various credit facilities working out to 660 accounts, consisting of both new and existing ones, amounting to a sum of Rs 70,105.56 crore. The fresh sanctions were mostly given to sectors like Infrastructure, Petrochemicals, Oil exploration, NBFC, Commercial Real Estate, Iron & Steel, Aluminium etc.

Reduction in turnaround time in Wholesale Banking

Efforts were also made to improve the speed of decision making. The average turnaround time for sanction of a proposal was reduced considerably to less than 30 days during FY10 as against 45 days during FY09. With the continued thrust on faster delivery through efficient channels and adoption of better practices in credit administration, the Bank plans to reduce the turnaround time in according a sanction further to less than 20-25 days. The number of Fast-track proposals sanctioned during FY10 was 230 amounting to Rs 32,933.23 crore compared to 122 amounting to Rs 16,525.99 crore last year. The strengthening of fast track clearance of large credit helped in bringing qualitative change in the credit dispensation.

Project Finance Division

The Project Finance Division, a part of the Wholesale Banking Division, earned total fee income of Rs 684.10 lakh during FY10 through conducting 110 TEV studies and vetting of projects as against Rs 327 lakh during the previous year. Out of this, a sum of Rs 397.80 lakh was earned from three Loan Syndication Deals.

Marketing Efforts in Wholesale Banking

In order to further broaden the corporate credit function a credit syndication cell commenced operations in October 2009. It has been tracking the 'Projects Today' database on a regular basis to identify upcoming projects and identified newer companies from the point of view of the significant business opportunities and syndication.

Other initiatives

- The processing of proposals has been simplified to reduce the turnaround time drastically.
- The time taken for according Agreement-in-principle has been reduced to 2-3 days.
- The Bank's existing corporate customers have been proactively approached for building more robust relationships.
- A substantial improvement has been brought out in communication channels between the Corporate Office and Operating Units of the Bank.

- Higher focus is placed on upgradation of skills and knowledge levels of officers working in the Department including the new campus recruits.

The wholesale banking department is set to bring about qualitative transformation in credit distribution and is committed to a broad-based, well-diversified growth.

Retail Business

Retail Business continued to be one of the thrust areas for achieving business growth during FY10. In order to achieve the sustained growth of assets/ liabilities, the Bank had improved and customized several retail lending products.

Retail Loan outstanding as on 31st March 2010 was Rs 24,247.71 crore as against the level of Rs 19,627.55 crore as on 31st March, 2009. A growth rate of 23.54% (Rs 4,620.16 crore) was registered during FY10 as against the growth rate of 16.19% (Rs 2,723.35 crore) posted during FY09. The growth under five key products (excluding LABOD/ODBOD etc) was 22.65% (Rs 3,507.36 crore) over the level of Rs 15,484.63 crore as of end-March, 2009. During the same period of FY09, growth under the five key products was 18.03% (Rs 2,365.85 crore) over the level of Rs 13,118.78 crore as of end-March, 2008.

NPA under the Retail Loan

The amount of Non Performing Assets as on 31st March, 2010 under the Retail Loan segment is Rs 511.77 crore (2.11%) as against the level of Rs 487.25 crore (2.48%) as on 31st March 2009 and Rs 507.72 crore (3.01%) as on 31st March 2008.

Savings Bank Deposits

The Bank's overall Savings Deposits stood at a level of Rs 51,257.53 crore as on 31st March 2010 registering a growth of 24.03% (Rs 9,929.34 crore) over the level of Rs 41,327.00 crore as on 31st March 2009. The Bank's CASA share has improved from 34.87% as on 31st March 2009 to 35.63% as on 31st March 2010 helping Bank in keeping good control over the cost of deposits.

Initiatives in Retail Banking

New Products Launched

- An exercise on **realignment of assets** was carried out on 28th March 2009 for reducing the total number of retail asset products from 26 to 9. This came into force on 1st April, 2009.
- At the instance of Ministry of Finance, Government of India, a new subsidy linked housing loan scheme under the Bank's Home Loan Product styled as "Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor (ISHUP)" was launched on October 10, 2009.

Business Initiatives

- A "Home Loan Campaign" was launched from 15.06.09 to 14.08.09 with special emphasis on take-over of Home Loan accounts. A 100.0% waiver of Documentation and Processing charges was offered for Home loans and Auto loans. The campaign period was extended upto 31.08.09. An additional business of Rs 1,156 crore by way of fresh sanctions was generated during the campaign as against a target of Rs 750 crore.

- Another Retail Loan Festival Campaign was launched on 01.09.09 to encash the business potential of the festive season during September and October 2009. A fresh business of Rs 1,680 crore was mobilized during the campaign period as against the target of Rs 2,000 crore set for the campaign. One more Retail Loan campaign, launched on 15.01.10, generated additional business of Rs 772 crore.
- For mobilizing low cost deposits, a Savings Bank Deposit Campaign was launched on 15.06.09. An amount of Rs 2,437.35 crore as fresh Savings Bank Deposit was mobilized during the campaign as against the target of Rs 2,000 crore. Another SB deposit campaign, launched in January 2010, yielded fresh SB deposits of Rs 1,057.17 crore.
- For giving boost to the Auto Loan portfolio, MoUs were signed with M/s Honda Siel Cars India Ltd and M/s Toyota Kirloskar Motors Ltd on 11.06.09 and 16.09.09 respectively, in addition to MoUs already signed last year with a number of leading car manufacturing companies viz. Maruti Suzuki India Ltd, Tata Motors Ltd, Hyundai Motors India Ltd and Mahindra & Mahindra Ltd.
- Six new Retail Loan Factories (RLFs) have been opened during FY10 at Chandigarh, Gamdevi (MMSR), Patna, Coimbatore, Ranchi and Allahabad. The total number of operational RLFs is now 30.
- With a view to provide a high class banking experience to the young customers in general and IT/techno savvy youth in particular, our Bank has pioneered an outfit styled as Gen-next Branch. At present, the total number of Gen-next branches is seven.
- The Bank has already made Home Loan and Education Loan Application modules online. The Bank, now, proposes to bring Auto Loan Application module also online very shortly. With this, the applicants can have an online track to know the status of their loan applications.
- The Bank has made an arrangement with Kotak Life Insurance to provide life insurance cover to the Bank's Home Loan borrowers against the entire loan outstanding balance and full tenure of the loan at the option of the borrower. This would be made available against the payment of a nominal premium amount paid by the Bank and recovered along with EMIs of the loan from the borrowers.

Wealth Management Services

During FY10, the Bank signed Corporate Agency Agreement with its joint venture company in life insurance, IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., to market their life insurance products under Wealth Management Services. The life insurance company is a joint venture amongst Bank of Baroda (share 44.0%), Andhra Bank (share 30.0%) and Legal & General, U.K. (share 26.0%).

As part of customer centric measures, the Bank has been providing Wealth Management Services to its High Net worth Individuals (HNI) and affluent customers as a total financial solution at one place since June 2004. At present, the Bank

provides through the network of its branches various third party products in Life Insurance, Non Life Insurance including Health Insurance, Mutual Funds and Equity Trading under tie-up arrangements through different partners along with its own joint ventures in Life Insurance and Mutual Fund. In Mutual Fund segment, the Bank's joint venture Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. is in association with Pioneer Investments of Italy.

Moreover, the Bank extended the ASBA (application supported by Blocked Amount), the supplementary process of applying in IPO / FPO / Right issues to 60 more branches during the year to facilitate its customers. These 60 branches are located in centres, which have been traditionally inhabited by investors in the capital market.

The Bank has also established 'Baroda Gold Lounge' in 13 select strategically located branches which are distinct dedicated spaces to provide par excellence investment advisory services to HNI customers of the Bank. Various initiatives of the Bank under Wealth Management Services have been decently contributing to its "Non-Interest Income", which has emerged as the important earning stream in recent years.

Bank of Baroda's Joint Venture in Life Insurance Business

The Bank has diversified into life insurance business by forming a three-way Joint venture amongst Bank of Baroda, Andhra Bank and Legal & General Group Plc (UK). The initial authorised capital of the company is Rs 200 crore, which is subscribed by the three partners in the ratio of 44.0%, 30.0%



Unveiling of the logo of IndiaFirst Life Insurance Company.

& 26.0%. The company has been named as "IndiaFirst Life Insurance Company Ltd." The IndiaFirst has received an overwhelming response from the Bank's esteemed customers across the country making the company the fastest ever Insurance company to reach Rs 100 crore premium collections in the first 100 days. The company also proposes to service the rural markets with customized products and processes and make delivery more appropriate and cost efficient to match the practical realities of rural India.

MSME Business

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segment has been a vital component of Indian economy. This sector accounts for around 40.0% of total industrial production, 34.0% of industrial exports, 95.0% of industrial units and 35.0% of total employment in manufacturing and service sectors of India. The unorganized sector which forms a major component of the MSE segment comprises almost 95.0% of total industrial units and employs over 65 million people.

The contribution of Services Sector within the SME segment is quite significant; especially IT enabled services, hospitality services, tourism, couriering, transportation, etc. The SMEs have also been playing a vital role in the job creation process.

To give a focused attention to emerging SMEs in India, the Bank has been considering other commercial units with a turnover up to Rs 150 crore at par with the SMEs.

To promote the growth of SME Sector, the Bank has launched a special and novel delivery model, viz. SME Loan Factory, which at present, is operationalised in 36 centres of the Bank and well accepted in the marketplace. The SME Loan Factory is an innovative model for streamlining processes and for timely sanctions of SME loan proposals. The model comprises of the Central Processing Cell for speedy appraisal and sanctioning of proposals within the stipulated deadline.

Out of 36 SME Loan Factories as on 31st March 2010, three SME Loan Factories have been established during the year. The Bank has SME Loan Factories at all major business centres across the country, viz. Agra, Ahmedabad, Bangalore, Bareilly, Baroda, Bhilwara, Bhubhaneshwar, Bulsar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, two Factories in Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jamshedpur, Jamnagar, Jodhpur, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhaina, 3 Factories in Mumbai, Nagpur, Nashik, Pune, Rajkot, Raipur, Surat, Varanasi and Vishakhapatnam.

These SME Loan Factories sanctioned loans aggregating Rs 11,071 crore during FY10 as against Rs 8,508 crore in the previous year.

Growth of Business

The total outstanding in MSME Sector works out to Rs 21,111 crore as on 31st March 2010. The growth in lending to MSME Sector during the last three years is given in the table below.

Financial Year	Percentage Growth
2007-08	31.11%
2008-09	24.18%
2009-10	43.98%

The percentage growth of MSME credit during FY10 is relatively high as the advances up to Rs 20 lakh to Retail Trade are, now, classified under the "Micro & Small Enterprises Sector" after the RBI's revised guidelines issued during September, 2009. The Bank has taken the following initiatives in its SME business segment during the year under review.

Initiatives in SME Financing During FY10

- The Bank set up three new SME Loan factories during FY10.

- The Bank sponsored workshop on "Management Skills to source financing and Management of Technology by SMEs" arranged by AIMA at Kolkata, Bangalore.
- The SME Meets and interactive sessions were held at various centres with SME customers



A glimpse of Customer Meet

- The Bank introduced seven new customer-centric area specific products to suit the local cluster needs.
- The Bank Sponsored a full day Seminar on "Importance of CFO & Financial Advisory Services for SMEs" jointly with Maharashtra Industrial and Economic Development Association, India International Trade Centre (IITC-India), SME Training Institute of India and CFO and Financial Advisory Council for SMEs.
- The Bank celebrated SME Month from 1st December, 2009 to 31st December, 2009, which was subsequently extended upto 15th January, 2010 in order to give boost to SME advances. The concessions in rate of interest and service charges were announced for loans sanctioned during the celebration period.
- The Bank participated in the Workshops arranged by D&B in partnership with CGTMSE on Bank Credit to Micro & Small Enterprises and Role of Credit Guarantee.

Rural and Agricultural Lending

The Bank has always been a frontrunner in the area of Priority Sector and Agriculture lending, harnessing the vast potential of the rural market through its wide network of 1,126 rural branches and 721 semi-urban branches. The Bank has opened 97 new branches in rural and semi-urban areas during FY10. The Bank is the convener of **State Level Banker's Committee (SLBC)** in UP and Rajasthan. The Bank shoulders the Lead Bank Responsibility in 44 districts in the states of Gujarat (12), Rajasthan (12), Uttar Pradesh (14), Uttaranchal (2), Madhya Pradesh (2) and Bihar (2).

The Bank has sponsored five **Regional Rural Banks (RRBs)** in various states with a branch network of 1,209 branches and total business of more than Rs 16,000 crore as of end-March, 2010.

Performance of Priority Sector Lending in FY10

Priority Sector Advances of the Bank surged from Rs 39,239.08 crore as at the end-March 2009 to Rs 48,552.36 crore as at the end-March 2010 and formed 44.43% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandated target of 40.00%.

Agriculture Advances of the Bank recorded a growth of 27.43% over the previous year and rose to Rs 21,617.30 crore as at end-March 2010.



Release of Financial Inclusion Plan for Rajasthan.

Under its flagship agriculture loan product “Baroda Kisan Credit Card”, the Bank issued as many as 1,85,419 Credit Cards during FY10 to provide credit to farmers. The Bank has financed as many as 1,93,816 **new farmers** during FY10. As a part of its microfinance initiatives, the Bank credit linked 24,954 **Self Help Groups** with an amount of Rs 187 crore during FY10 thereby taking the total number of SHGs credit linked to 1,15,685 amounting to Rs 793 crore.

Business and Social Initiatives

The Bank introduced various initiatives/strategies during FY10 to harness the emerging opportunities for rural and agriculture lending. Some of them are mentioned below.

To augment the Agriculture advances, the Bank has conducted **special campaigns** viz. Kharif and Rabi campaign for crop loans under which the disbursements of Rs 1,888 crore and Rs 818 crore were made respectively. Another Campaign for Investment Credit was also launched under which disbursements of Rs 742 crore were made.

The Bank organized **2,857 Village Level Credit Camps** and disbursed Rs 2,484 crore to 1,90,534 borrowers during FY10.

The Bank has identified **450 Thrust Branches** across India to enhance Agriculture lending which constituted 34.0% of total Agriculture lending as at end-March 2010.

The Bank formulated various **area-specific schemes** tailor made to the needs of local requirements, particularly where there is a concentration of industries like Rice Mills, Cold storages, cotton ginning units, Poultry units, etc. Suitable concessions in rate of interest, charges, etc. were allowed under these schemes to garner maximum possible business. As many as 18 area specific schemes were formulated to increase agricultural lending.

Towards effective use of **technology in rural agricultural lending**, the Bank has introduced IT-enabled smart card based technology for financial inclusion. At present, the smart card based financial inclusion is being implemented in the states of Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. Currently, the Bank has about 309 ATMs in Rural/Semi-urban areas. Moreover, all its rural and semi-urban branches are under the Core Banking Solution or the CBS platform.

The Bank has adopted **Dungarpur district** (Rajasthan) which is primarily a tribal district and one of the most backward districts in the country for Total Integrated Rural Development and 100.00% Financial Inclusion towards its Corporate Social Responsibility. The project was launched on 1st October 2007. We are pleased to share with you that 100.00% Financial Inclusion in Dungarpur district has already been achieved. So far, credit of Rs 35.91 crore has been disbursed to 15,440 borrowers for Dairy Development, Cultivation of High Value Crops, Vegetable cultivation, etc. Various other developmental activities like training, scholarships to girl students etc. are also being done under the project. Scholarships amounting to Rs 8.76 lakh to 30 tribal girl students have been provided under the project.

The Bank has adopted 101 villages as “**Baroda Centenary Year Villages**” for Total Integrated Development spread over three years and also for 100.00% Financial Inclusion. Furthermore, the Bank has provided social infrastructure like solar lamps, bus stand shelters, hand pumps, community halls etc. in 73 villages by giving grant of Rs 92.42 lakh.

Baroda Grameen Paramarsh Kendra (BGPK) – is another initiative undertaken by the Bank to help the rural community by providing Credit Counseling, financial literacy and other services like information on the prices of agricultural produces, scientific farming, etc. The Bank has established 52 BGPKs as on 31st March, 2010.



Beneficiaries of "Baroda Swarojgar Vikas Sansthan".

Around nine more **Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS)**, **Baroda R-SETI** Centres were opened during FY10. With this, the total number of BSVS has gone up to 25. Raebareli and Ajmer BSVS have been created exclusively for women entrepreneurs. The BSVS are primarily the institutes for training the youth and imparting knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During FY10, 16,191 youth beneficiaries were trained out of which 10,135 have established self-employment ventures. Out of the total 37,230 beneficiaries trained by these centres so far, 21,704 have established their self-employment ventures.

Business Facilitators Model

This model has been implemented across the country to accelerate Financial Inclusion of the excluded segment as well

as to augment agriculture portfolio. Business Facilitators will mainly canvass loan applications for the Bank for which Bank will pay them compensation. Individuals including retired Bank and Government staff, NGOs, Farmers clubs and SHGs are engaged as agents to greatly improve the Bank's outreach in the rural/semi-urban areas.

The Bank has opened **Micro Loan Factory** at Sultanpur in U.P. during the year under review. The Bank is already having mobile micro finance loan factory at Rae Bareilly. The Micro Finance Loan Factory has a mobile van with facilities and all related stationeries/ documents on SHG financing. It is manned by officers who are duly authorised to sanction and disburse loans upto Rs 25,000 to SHGs on the spot and at their door steps.

Performance of Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank

The Bank has sponsored five RRBs as under.

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Head Office : Raebareli.
- Baroda Rajasthan Gramin Bank, Head Office : Ajmer.
- Baroda Gujarat Gramin Bank, Head Office : Bharuch.
- Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank, Head Office: Haldwani.
- Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank, Head Office : Jhabua.

The aggregate business of these five RRBs rose to Rs 16,244.41 crore as of March, 2010 from Rs 14,278.28 crore as at end-March, 2009, registering a growth of 13.77%.

The five RRBs together posted a net profit of Rs 118.93 crore during FY10 as against Rs 103.32 crore earned during FY09. The "Net Worth" and the "Reserves and Surplus" of all these RRBs put together improved from Rs 490.19 crore at end-March, 2009 to Rs 609.12 crore at end-March, 2010 and from Rs 272.35 crore at end-March, 2009 to Rs 354.43 crore at end-March, 2010, respectively.

Bank's Drive towards Financial Inclusion

As indicated earlier, the Bank has taken several initiatives for **Financial Inclusion** and has achieved 100.00% Financial Inclusion in 21 out of 44 of its lead districts. Over two million no-frill savings accounts have been opened in the Bank so far.

As part of the financial Inclusion initiatives, the Bank has opened Financial Literacy and Credit Counselling Centres (**FLCCs**) christened as "**SAARTHEE**" at Ajmer, Raebareli, Amethi and Baroda. These centres will be providing financial literacy and credit counselling to needy persons. The Bank has plans to open more such centres in its lead districts in due course.

The Bank has approved **Financial Inclusion Plan** for providing banking services in the un-banked/under-banked 20,000 villages during the next three years. The Bank has planned to cover 6,000 villages during FY11 including villages having population of 2,000 and above allocated by the respective DCCs. The remaining 14,000 villages will be covered during the next two years, covering 7,000 villages each in the financial years FY12 and FY13. The banking services will be provided to these villages through Information and Communication Technology based models like smart cards, micro ATM, mobile

vans and brick and mortar branches, wherever feasible.

The banking products like No frill SB accounts with inbuilt overdraft facility, Recurring Deposit, Baroda Kisan Credit Card (BKCC), Baroda General Credit Card (BGCC) as well as non banking products like Small remittances, Insurance products, etc., will be provided to the rural masses.

The Bank expects to open more than 41 lakh no-frill accounts and also generate substantial amount of business in terms of deposits, advances, remittances and selling of insurance products under this plan.

Advances to SC/ST Communities during FY10

The outstanding advances granted by the Bank to SC/ST communities have been growing year after year. This is evident from the fact that the outstanding advances granted to these beneficiaries went up from Rs 2,799.93 crore as at end-March, 2009 to Rs 3,100 crore as at end-March, 2010. In fact, the SC/ST communities accounted for a share of 28.0% in the total advances granted to Weaker Sections during the year under review. Furthermore, a special thrust is laid by the Bank in financing SC/ST under various government sponsored schemes namely Swarnajayanti Gram Swarajgar Yojana (SGSY), Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), etc.



A glimpse of Credit Camp organized by the Bank for SC/ST beneficiaries.

Around 25 Baroda Swarajgar Vikas Sansthan (BSVS) have been giving due preference to SC/ST communities while selecting the trainees. It is heartening to indicate that so far, these centres have trained 7,501 youths under the SC/ST category of which 3,568 have already established their self employment ventures.

International Business

With the global economic scenario not having completely settled down after the financial crisis, the Bank faced several challenges in pushing the growth of its overseas business and, at the same time, maintaining good quality of assets. Yet, the Bank's international operations showed a good growth in all the business parameters during FY10. The profitability too got a big boost with reversal of provisions made during FY09 on 'mark to market' of Investments.

As the Bank has a large customer base for mobilization of deposits, it did not face any liquidity problem during the year under review. Yet, it raised funds in the International market at competitive rates so as to create a good capital base.

During the year under review, the Bank further strengthened risk management procedures & AML systems, launched aggressive marketing campaigns, expanded customer base and took various steps in the interest of long-term growth of business. The Bank continued with its aggressive branch expansion plans to take advantage of the business opportunities available in various countries around the world.

Business & Profit Performance in Overseas Operations

During FY10, the total business (Deposits+Advances) of the Bank's overseas branches registered a growth of 30.92%. Out of this, the Customer Deposits increased by 33.67%, Total Deposits by 36.04% and Advances increased by 24.90%.

The International Operations contributed 23.8% to Bank's global business as on 31st March, 2010.

Total Assets

Total Assets of the Bank's International Operations increased from Rs 51,165 crore to Rs 68,375 crore registering a growth of 33.64% during the year.

Net Profit

The Net Profit of International Operations during FY10 increased by 108.08% over that of the previous year. This substantial increase came from some improvement in global market conditions and sizeable reversal of provision made during the previous year on 'Mark to Market' of Investments. The contribution of international operations to the Bank's global Net Profit was 28.65% during FY10.

Asset Quality

The Bank further strengthened the monitoring of assets to contain slippages and also intensified the efforts for recoveries in accounts already classified as NPAs. The accounts restructured during FY09 as per regulatory norms were given added attention during FY10 so as to contain incremental delinquencies.

In fact, the Bank was able to further improve the quality of its overseas assets. The Gross NPAs to Total Advances have been brought down from 0.51% as of end-March 2009 to 0.47% as of end-March, 2010.

The Net NPAs were also contained at 0.1% - close to almost zero level.

International Presence

The Bank's international presence covers 25 countries through its 78 offices, the break-up of which is given below.

Bank's Overseas Branches	48
Bank's Representative Offices	03
Branches of Bank's Overseas Subsidiaries	27
TOTAL	78

In addition to the above, the Bank's associate in Zambia has -12- branches.

Overseas Expansion



Opening of a new branch of Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. at San Fernando.

During the year under review, four new branches of the Bank's subsidiaries were opened at San Fernando (Trinidad & Tobago), Chaguanas (Trinidad & Tobago), Mukono Uganda) and Lira (Uganda).

Future Expansion Plans

The Reserve Bank of New Zealand registered the subsidiary, Bank of Baroda (New Zealand) Ltd., as a Bank from 1st September, 2009 and the branch at Auckland will be opened shortly. Steps have been initiated for opening of branch at Ilford, Essex (U.K.) and approval has been received for opening of three Electronic Banking Service Units in UAE. The Bank has also filed application with the host country Regulators for setting up a subsidiary in Suriname. In Malaysia, application has been filed with Bank Negara Malaysia for setting up a subsidiary in Joint Venture with two other Public Sector banks of India.

The Bank has initiated steps for further expanding the overseas network to canvass business and enhance the profitability. The growing volume of India's external trade and investments and the increasing presence of Indian Corporates/NRIs/PIOs around the world offer tremendous opportunities for canvassing business.



Signing of MoU for setting up of India International Bank (Malaysia) BHD.

The Bank has initiated steps for opening of branches/offices in Canada, Russia, Qatar, and upgradation of Representative Office in Australia to a Branch. Applications filed with home country regulators for opening of branches in Russia, Canada, New Zealand, Australia, Qatar and Mozambique are under process. The Bank also has plans to further expand its branch network in UAE, Oman, UK, USA, Uganda, Kenya and Botswana etc. to take advantage of the business opportunities.



Opening of a new branch of Bank of Baroda (Uganda) Ltd. at Mukono, Uganda.

Syndication Centre

The Bank has set up Global Syndication Centres at London and Dubai to focus on the business of Syndication Loans in International Market. The Offshore Banking Unit at Singapore is also actively contributing in canvassing this business. The activities are supported by the specialized outfit – International Merchant Banking Cell (IMBC) at Corporate Office, Mumbai to serve the increasing demand of Indian Corporates for raising funds from International markets. The IMBC is being further strengthened to focus on loan origination.

Products and Services

To take advantage of the CBS, the Bank has been launching new products and services and also modifying existing products to bring these in line with the local requirements and at par with those offered by other International Banks.

The Bank has been making efforts for popularization of these products through marketing campaigns.

Technology Up gradation

- **Installation of additional ATMs:** The number of ATMs at Overseas Territories and Subsidiaries increased to 55 (36 onsite and 19 offsite) as on 31st March, 2010 from 45 (31 onsite and 14 offsite) as on 31st March, 2009.
- **Global Treasury Solution** has been implemented at UK, UAE, Bahamas, Bahrain and Hong Kong. The Bank's Singapore Territory will be covered by June, 2010.
- **Swift Centralisation** activity has been started at the Bank's Mumbai Main Office.
- **SAM** has been implemented in China, Mauritius, Seychelles, Bahrain, Ghana, Trinidad & Tobago (T&T), Kenya, Oman, Uganda, Hong Kong, Bahamas, Tanzania, Fiji, UAE and Guyana.

- **Payment Messaging Solution** is being implemented at various overseas centres. It is an interface between Core Banking Solution (Finacle) and Swift, which will help in straight through processing of incoming and outgoing swift messages with Anti Money Laundering check. The PMS has been implemented in UAE, Oman, Fiji, Tanzania, Bahamas, Uganda, Guyana, HK, Botswana, Seychelles, Mauritius, South Africa & Kenya. PMS in Ghana, T&T, China, Singapore, New Zealand and Bahrain will be covered by the end of FY11.
- **Anti Money Laundering Compliance**
The AML online list match and AML Erase Solution have been implemented in 14 overseas territories/subsidiaries. The facility will be extended to T&T, Ghana, Singapore & Bahrain by end of May 2010.
- **A view based E-BANKING** has been launched in Mauritius, Seychelles, Fiji, UAE, Oman, Botswana and Tanzania. A transaction based e-banking is presently being implemented in Botswana, Uganda and will be extended to all other territories in a phased manner.

Risk Management in Overseas Business

In compliance of the BASEL II guidelines, "integration and processing of data of all the overseas territories" are dealt with at the Bank's International Division. To comply with the Regulatory Norms on Credit Deployment, Asset Quality, Provisioning and Computation of Risk Weighted Assets, the Bank will be implementing ASCROM (Asset Classification and Credit Monitoring) System in all its overseas territories in a phased manner. To generate Global RWA master summary as per the Bank's policy, the solution will be customized as per the territory specific requirements to compute Risk Weighted Assets (RWA) based on more stringent of norms applicable in Host or Home country. The introduction of 'ASCROM' will also be helpful for other MIS purposes and Credit Monitoring.

Regulatory Compliance

The Bank scrupulously follows the home country regulations and has built up a reputation of a regulatory-compliant Bank in all the overseas countries of its operation. The Bank has put in place all the necessary systems to adhere to the Anti-Money Laundering guidelines of the host country regulators

Treasury Operations

The global outlook improved significantly during the year FY10 with most advanced economies posting positive growth. Throughout the year, ample liquidity remained in the domestic financial system, keeping the short-term interest rates near the Reverse Repo Rate. However, given the business confidence in the economy, the RBI has started sequencing the 'exit' from an expansionary Monetary Policy in a calibrated way so that while the recovery process is not hampered, inflationary expectations remain anchored.

During the year, medium to long-term bond yields increased considerably. From as low as 6.12% in April 2009, the 10-year GOI Bond Yield peaked to 8.0% towards the end of the year. Looking at the overall economic strengths of India and having doubts about the sustainability of lower interest rates for a

longer term, the Bank's Treasury Division focused on reducing the duration of the portfolio and exited longer duration bonds in the market and booked profits during the first quarter of the year. This strategy helped safeguard the "Bonds Portfolio" from excessive depreciation and left an opportunity to invest in these long-term bonds when the yields rose later in the year. Given the volatility in the yields, focus remained on active trading. This helped boost trading income. Besides, the Treasury continued to actively encash the arbitrage opportunities available between Money market, CBLO, G-sec and resources generated through USD/INR swaps. The treasury branch was active in utilizing market opportunities and used Rupee interest rate swaps viz Overnight Indexed Swaps and INBMK swaps to hedge the assets and liabilities from time to time. The Bank has an active Derivatives desk at its Treasury Branch, which offers customized solutions to suit the requirements of corporate clients in hedging their interest rate and currency risks. The Derivatives desk has also initiated trading in exchange traded Interest rate futures reintroduced in the market during the year.

The Corporate Bond markets saw the spreads shrinking vis-à-vis the comparable government securities leading to large issuances in the primary market. During the year under review, Treasury Branch was active in raising long-term resources for the Bank. It raised Rs 1,900 crore in four tranches through a mix of Upper tier II and innovative perpetual Bonds.

Successive good growth figures locally, fortified the thought that India to a large extent is a decoupled economy leading to higher business confidence. A sense of investor confidence prevailed and the FIIs and DIIs started investing in the stock market, sensing growth opportunities in the Indian Economy. Echoing the sentiment, BSE Sensex peaked from 9,900 in April, 2009 to 17,700 in March, 2010. The operation at the Equity Desk of the Bank remained active and vibrant. Sensing the opportunity, the Treasury accumulated stocks at lower levels. This strategy of accumulation when the Index was lower helped in active churning of the portfolio and generated good profits for the Bank.

In the foreign exchange market, Indian rupee appreciated against US Dollar during the year. It rose by 12.29%, moving from Rs 51.19 as on 1st April, 2009 to Rs 44.90 as on 31st March 2010 against the USD. The Bank's integrated Treasury continued to be a prominent market maker in USD/INR, EUR/USD & GBP/USD. The Forex market remained very volatile, during the year under review, due to spiral effect of sub-prime crisis across all Financial Centres. The Bank's Foreign Exchange Dealing Room has been able to encash the volatility and earned good profit for the Bank. The Forex desk introduced trading in the exchange traded Currency Futures during the year.

A State-of-the-Art Dealing Room of the Bank at Mumbai handles the entire gamut of foreign exchange transactions and derivative products. The advanced technology environment is being leveraged by the Bank to offer a variety of products to its clients by way of hedging instruments such as Exchange traded Currency and Interest Rate Futures, Interest Rate Swaps, Currency Swaps and Options. Through the Automated Dealing System, the Bank quotes auto generated real time foreign exchange rates to its customers at all authorized branches in India, thereby, providing them the feel of the real time market.

As part of its business reengineering, the Bank is in the process of implementing Global Treasury Solution across key financial centres. It has been implemented successfully in London, Dubai, Brussels, Bahrain & Bahamas. During the year FY10, the Global Treasury platform was successfully implemented in the Bank's Specialized Treasury Branch in Mumbai. The roll out for other centres is in progress. Upon implementation, the Bank will have better Global Risk Management set-up and can achieve optimum deployment of resources.

A full-fledged Mid-office in Treasury Division monitors and manages various exposures and limits fixed by the Board of Directors on real time basis, using advanced technology. The Risk Management Tool such as Value at Risk (VaR) is used to measure the Market risk on all portfolios. Furthermore, the back testing of VaR number is conducted on daily basis to confirm the veracity of the forecasted values. The Stress Testing of all portfolios is also done to complement the VaR analysis.

Corporate Social Responsibility (CSR)

As a responsible corporate citizen, it has been the vision of the Bank to empower the community through socio-economic development of underprivileged and weaker sections. In its continued efforts to make a difference to the society at large, the Bank further intensified its efforts in this direction in FY10. The Bank has established **Baroda Swarozgar Vikas Sansthan (Baroda R-SETI)** for imparting training to unemployed youth, free of cost for gainful self employment and entrepreneurship skill development which help them improve their family economic status and also gives a boost to the local economy in those locations. So far 25 such Sansthans have been established by the Bank in which more than 37,000 youth have been trained and around 22,000 have been gainfully self employed.



Opening of first Financial Literacy & Credit Counseling Centre (FLCC) at Ajmer.

Most of the Bank's social activities are linked to rural masses. The Bank has established 52 **Baroda Gramin Paramarsh Kendra** for knowledge sharing, problem solving and credit counseling for rural masses across the country. In order to spread awareness among the rural mass on various financial and banking services and to speed up the process of financial inclusion, the Bank has also established four **Financial literacy and Credit counseling Centres (FLCC)** at Ajmer, Amethi, Baroda and Raebareli.

The Bank has adopted 101 villages across India for their all-around development and providing financial assistance for development of infrastructure facilities like setting up village libraries, community hall and solar lighting systems in villages. The Bank has also adopted Dungarpur District in Rajasthan for total integrated rural development and 100.00% financial inclusion. Under the project, the Bank has also provided scholarships to 50 tribal girls to promote education among tribal community.

Asset Quality Management

The Bank has continued to maintain its outstanding performance in asset quality/NPA Management during FY10 also. In spite of huge slippages experienced by the banking industry due to economic downturn, the Bank could restrict its Gross NPA level to Rs 2,400 crore i.e. 1.36% of Gross Advances as on 31st March 2010 as against 1.27% as on 31st March 2009.

It is worth mentioning here that, despite the Reserve Bank of India permitting to treat accounts falling under "ADWRS" as 'STANDARD' (due to the extension of repayment period by Government of India), the Bank has continued to treat such advances amounting to Rs 205.39 crore as NPA/Loss assets as a prudent measure. If the same are netted out, Gross NPA Ratio improves to 1.23% as at the end of FY10 as against 1.27% last year. The Net NPA has slightly increased to 0.34% as on 31st March 2010 as against 0.31% as on 31st March 2009.

The Incremental Delinquency Ratio during FY10 was contained at 1.13% as against 0.95% during FY09. This ratio is arrived at by taking the share of fresh slippages during the year in the opening balance of standard accounts at the beginning of the year.

This was made possible by the Bank's two-fold strategy of NPA management i.e. preventing slippages by adopting strict control measures, and by pursuing aggressive and rigorous recovery effort. Various novel steps undertaken by the Bank during FY10 are well reflected in the increased standard advances portfolio as under.

(Rs crore)

Asset Category (Gross)	31st March 2010	31st March, 2009
Standard	1,74,736.43	1,43,001.94
Gross NPA	2,400.69	1,842.92
Total	1,77,137.12	1,44,844.86
Gross NPA is comprising of:		
Sub-Standard	894.83	665.26
Doubtful	743.23	832.32
Loss	762.63	345.34
Total Gross NPA	2,400.69	1,842.92

The Bank's NPA coverage ratio at 74.90% as on 31st March, 2010 was comfortably above the new norm of 70.0% set by the Reserve Bank of India during FY10.

The Bank's strategy of rigorous follow up of all NPA accounts has yielded cash recovery of over Rs 383 crore, besides upgrading of accounts of over Rs 194 crore into standard

category during the year under review. Over and above this, the cash recovery in prudentially written off accounts amounted to over Rs 300 crore during FY10.

The Bank has launched a special drive viz **Sankalp-2** for recovery in non-performing loans with small outstanding balances up to Rs 10 lakh. The scheme was highly successful and yielded cash recovery of over Rs 128 crore during the campaign period. Pursuant to the RBI directive, the Bank also formulated one-time-settlement scheme (or OTS scheme) for non performing loans in the MSE sector with outstanding up to Rs 10 crore and recovered a sum of over Rs 28 crore.

Technology Environment

The Bank has been continuously implementing a total end-to-end business and IT strategy project covering the Bank's domestic, overseas and subsidiary operations. Some of the major IT initiatives/technological achievements of the Bank during FY10 are mentioned below.

- The Bank has achieved **100.0% CBS for all its domestic branches** during September, 2009.
- The Bank's **Internet Banking, viz., Baroda Connect**, is an important delivery channel, both for its retail and corporate customers, providing facility to transfer funds, query account status, pay both Direct and Indirect Taxes online, certain State Taxes, make payment of utility bill and book rail tickets, online interbank payment using NEFT/RTGS. Online bill presentation and payment and shopping for selected portal and donation to selected temples



WHY BE IN LINE WHEN YOU CAN BE ONLINE?

Internet Banking Any branch Banking Phone Banking

BARODA next
STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART

SO HOW DO YOU WANT TO BANK TODAY?

SMS Alert facility are provided to eBanking customers To protect our customers from phishing attempts, beneficiary registration for third party fund transfer activities has been introduced. The Bank has also launched School Fee Collection Module.

- The Bank has implemented the **ATM Switch application** to meet the Bank's objective of integrating with a wide variety of front-end delivery channels including ATM, POS, Payment Gateway, Debit Card Management System and providing online authorization services by connecting to Bank's Core Banking Solution. BASE 24 is fully operational for all domestic ATMs and for ATMs in 7 overseas territories. The Bank has launched School Fee Collection Module in

August 2009 which enables payment of School / Institution fees through Bank's ATM. The Bank has also implemented multiple accounts being linked to a single Debit Card. Debit Card is also enabled for online shopping on the merchant website.

- The Bank has launched **Phone Banking** facility to customers, which enables them to get the Bank's products information, enquire balances in their account, status of cheques, order statement of account through fax or email.
- All CBS branches of The Bank are enabled for inter bank remittances through **RTGS and NEFT**.
- The Bank has activated a **Rapid Funds2India – an online money transfer service** in its overseas branches located within UAE, Oman, UK, Mauritius, Seychelles, Botswana, HongKong, Fiji, Ghana, Kenya, Guyana, S.Africa, Tanzania, Uganda, Trinidad & Tobago, US and Zambia. The non-resident Indians or NRIs in these territories can avail of this service which facilitates almost instant credit to their accounts in any CBS branch in India. In case, they are maintaining accounts with other banks, same day or next day credit is facilitated through RTGS / NEFT.
- The Bank has completed a 3D Secure Implementation under the **Internet Payment Gateway Project (IPG)**. The IPG facilitates direct customer merchant transactions and settlement through the Bank's central ATM Switch.
- The Bank has launched **Corporate Cash Management** services, which enable its corporate customers to manage their funds efficiently through bulk payment services, local /outstation fund collection (paper based or electronic) and liquidity through fund pooling facility.
- The Bank has also launched Institutional Trading under the **Online Trading Project** on 17th October 2009.
- It has also made **Retail Depository Services** available to its customers With a centralized depository application, its branches are equipped to provide depository services for both National Securities Depositories Lt. (NSDL) as well as Central Depository Securities Ltd. (CDSL). The depository customers can now avail of these services from any of the designated branches.
- The Bank has implemented **Global Treasury Solution** in UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hong kong. The Global Treasury for India too went live on 14th December 2009.
- The Bank's **Back office functions** have been centralized at the branch level to relieve the operational staff from the load of cumbersome back-office functions and enable them to focus more on sales and services.
- The Bank has set up three **Regional Back Offices**, at Baroda, Jaipur and Coimbatore, for the process of centralized account opening and issuance of personalized cheque book. The Centralized Pension Payment Cell was also rolled out in Baroda on 7th October 2009.
- The Bank has implemented **Payment Messaging Solution (PMS)** in 126 of its domestic branches (B category branches) and 13 overseas territories. The PMS facilitates Straight through Processing (STP) of SWIFT messages

generated from the CBS, and also goes through the AML (anti-money laundering) check.

- The Bank has fully implemented **Enterprise wide General Ledger** in India and in 19 overseas territories.
- The Bank is also in the process of implementation of **Data Warehouse Project (DWH)**. The DWH systems will enable the Bank to use their data in making strategic decisions and forecasting future business trends.
- The Bank has operationalised its **Risk Management Project**. This Project provides desired risk scoring models (for individual proposal) to the Bank, enabling workflow automation of the rating process and estimation of capital requirements for credit portfolio of the Bank.
- The Bank has already implemented **Anti-Money Laundering system (AML)** in 14 overseas territories, viz., Oman, UAE, Fiji, Mauritius, Seychelles, Tanzania, Bahamas, Kenya, Uganda, Guyana, Hongkong, Botswana, U.K., S. Africa. The AML has also been implemented in India and 14 overseas territories through a Batch Process mode.
- The Bank has successfully implemented the **Human Resource Networking for Employees Service** with the main objective of creating a centralised database of its employees for facilitating decision-making, promotion and selection exercise as also for automating other HR processes. In **Payroll**, Salary module, e-TDS modules have been implemented for all domestic offices in India. The "Leave Module" has also been launched and the employees are provided with the functionality of self-service.
- The **Knowledge Management** Project is also being implemented by the Bank. This Project will help the Bank to manage information and knowledge through its lifecycle and ensure maximum utilization of its intellectual assets.
- The Bank has commenced implementation of **Customer Relationship Management** Project. This project will assist in getting greater customer insight, increased customer access, more effective interactions and integration through all customer channels.
- To ensure **Business Continuity** at all times, the Bank has implemented a state-of-the-art Data Centre and also a **Disaster Recovery (DR) Site**. The drills are being conducted at regular intervals and the operations are transferred to the DR site seamlessly to ensure continuity of operations at all times.
- Under the **Green Initiative**, the Bank has adopted environment-friendly systems and technologies in the design of the new Data Center.
- The Bank has also implemented **Solar Power Generation System (SPGS)** in 19 branches and further roll out for 79 branches is under process. The SPGS will provide an alternate source of energy through UPS at branches that face acute power shortage or suffer from large load shedding.

Technology Initiatives under Progress

Given below is the information on some select projects, which

are at the implementation stage in the technology department of Bank of Baroda.

- Mobile Banking
- Various customer centric customization/facilities on ATM
- Online Trading – Retail
- Upgrading SMS delivery system
- Implementation of Fraud Management Solution
- Card Management
- Upgrading IT setup for NEFT Straight Through Processing
- Implementation of CBS in the Regional Rural Banks (RRBs).

The Bank's objective is to reorient itself as a technology-enabled Bank and the Bank of the first choice for its customers. Towards this goal, the Bank's technology department is looking at newer ways to make a customer's banking experience more convenient, efficient and effective. In collaboration with various operating units, the Bank's IT department has been continuously developing new tech-based, tailor-made products for the Bank's retail as well as corporate customers.

E-business

The Bank's dedicated cell to e-Business operations provides different types of Alternate Delivery Channels such as ATMs, Internet Banking (Baroda Connect), RTGS/NEFT, Phone Banking, Internet Payment Gateway etc. In addition to this, the e-business cell looks after Depository Services, Cash Management Services and the non-resident Indian (NRI) Services.

Following are the achievements under various segments of e-Business of the Bank during FY10.

ATM/Debit Card Operations

	31/03/2009	31/03/2010
No. of ATMs operationalised	1,179	1,315
No. of Debit Cards issued	32.60 lakh	45.95 lakh

New Initiatives during FY10

- Payment of school fees through ATMs (tie up with four schools)
- Fund Transfer within self-linked accounts through ATM.

BARODA CONNECT (Internet Banking)

	31/03/2009	31/03/2010
No. of Users	2,21,963	3,66,605
No. of A/cs Linked	7,18,075	12,91,847

- The Bank launched a system for an online donation to Temples/Trusts (at present, this facility is available for three Temples).
- The Bank implemented Beneficiary registration for second factor of authentication to prevent "Phishing" incidents.

Baroda RTGS/NEFT

Particulars	2008-09		2009-10	
	RTGS	NEFT	RTGS	NEFT
No. of Inward Transactions	3,42,145	6,12,701	8,85,527	15,83,158
No. of Outward Transactions	4,43,353	1,50,081	12,93,970	6,61,923
Avg Transactions per day (Inward)	1,133	2,029	2,951	5,277
Avg Transactions per day (Outward)	1,468	497	4,303	2,206

Phone Banking

- This facility was launched 19th March, 2009.
- Number of Users Registered as on 31st March, 2010 was – 2,42,770.
- The Bank is experiencing per day average hits of about 450.

Non-Resident Indian (NRI) Services

- Total NRI Deposits increased to Rs 16,792 crore as on 31st March, 2010 from the level of Rs 15,066 crore as on 31st March, 2009, representing a growth of 11.46% during FY10.
- The Bank participated in 'Pravasi Bhartiya Divas-2010' in January 2010 at New Delhi.



A view of Bank's stall at "Pravasi Bharatiya Diwas" at New Delhi.

Baroda Cash Management Services (BCMS)

- During FY10, these services were started at ten centres within India.
- There are four modules under the BCMS, out of which three modules have been made operational, i.e., Payment Module, Collection Module & Clearing Module. The fourth module i.e. Invoice Module is yet to be started.
- During FY10, the total number of transactions in BCMS were 9,30,000 with total turnover of Rs 5,000 crore.
- It is proposed to extend these services to 100 more centres in a phased manner.

Depository Services

- The number of identified branches for providing depository services has been increased from 280 to 1,007 during FY10.

Sale of Gold Coins

- The Bank started selling Gold Coins in October, 2007. The Gold Coins in denomination of 2 gm, 4 gm, 5 gm, 8 gm & 10 gm are being sold. These coins are imported from Switzerland and purity of the coins is 99.99%.

New Services to be Started during FY11

- Internet Payment Gateway (Baroda e-Gateway).
- Mobile Banking.

Human Resources

Human Resource strategies have been a key component of the Bank's overall efforts for business transformation and augmenting performance of its operational units. The prime objective of the HR function is to harness the employee potential for serving the customers better. The Bank is endowed with a competent and highly motivated employee base of around 38,000 who are engaged in handling the mammoth business operations of the Bank.

Some of the major HR initiatives taken by the Bank during FY10 were as follows.

Implementation of HR Technology

The Bank implemented an Oracle e-business suite covering HRM and Training under the name of Human Resource network for Employee services (HRNes). Another product from M/s Fluus has been implemented for Payroll, and leave modules. All the Indian employees have been covered in these packages and HRNes has been rolled out to cover even the overseas branches of the Bank. Various modules of the Web enabled Enterprise-wide HR Solution – HRnes were made operational during the year, which enables automation of various functionalities pertaining to core employee data, Roster, pay fixation, seniority, Industrial relations, Disciplinary action, self-service, intimations and permissions, generating alerts, transfer requests, separation, manpower planning, grievance redressal, confirmations, selections, promotions, etc. An E-Learning module was also rolled out on a pilot basis during the year, which takes care of scheduling of training programmes, training enrolments and nomination, monitoring of training budget and training cost, post-training utilization besides linkage to E-learning

HR Initiatives in Capability Building

Substantial training and development activities were carried out during FY10, which included comprehensive grooming programmes in the area of Credit, Forex, Dealing, Branch Management, Planning, Risk Management, etc. besides all-round development and grooming of young officers and new recruits.

The Bank conducted 1,194 training programmes in-house (through its network of 12 Training Centres across the country, two IT training centres and an Apex Training College at Ahmedabad) and thereby trained 26,830 people during the

year. Besides, the Bank also sent around 768 employees for undergoing training in various reputed external training institutes of the country and even abroad.

Recruitment Drive

Various recruitment exercises were undertaken by the Bank during the year. **The Bank significantly increased its intake of people from Campuses of various reputed Business Schools which increased from around 75 in the year FY09 to almost 330 officers in the year FY10.** The Bank, for the first time, visited some of the Top Business Schools of the country like IIM, Ahmedabad, Lucknow, Kolkata, etc. and other Tier I Business schools, from where people were taken directly in Middle Management Grade. In the current year, the Bank has recruited almost 650 people from the Campus recruitment mode and they would be joining the Bank in and around June 2010.

Apart from the Campus Recruitment channel, the Bank also recruited almost 530 Probationary Officers, 63 Agricultural Officers and 214 Specialist Officers, besides 1,720 Clerical Staff. The recruitment process continues in the current year also with various recruitment projects underway for filling up almost 1,850 posts of officers and 2,000 posts of clerks.

Framework for Career Progression

Special efforts were made during the year to fulfill the growing aspirations of the employees for faster career progression thereby motivating employees for higher productivity. Keeping this in view, a large number of promotions were released during the year as shown below.

Clerk to Officer	509
JM-I to MM-II (Officer to Manager)	892
MM-II to MM-III (Manager to Sr. Manager)	1190
MM-III to SM-IV (Sr. Manager to Chief Manager)	220
SM-IV to SM-V (Chief Manager to Asstt. Gen. Manager)	60
SM-V to TEG-VI (Asstt. Gen. Manager to Dy. Gen. Manager)	36
TEG-VI to TEG-VII (Dy. Gen. Manager to General Manager)	12

Review of HR Policies and Systems

A focused review of all major HR policies and schemes was undertaken during the year in order to bring about more employee friendly rules, ease of processes and more transparency. Key among the policies that were reviewed, framed and put in place during the year included a transparent Transfer Policy for officers, Promotion Policy for Officers, Overseas Selection Policy, HR Resourcing Policy, a revised Employee Performance Management System, etc.

Special Thrust on Development of SC/ ST/ Other Backward Communities

The Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for development and welfare of persons belonging to SCs, STs and other backward classes in society. Our Bank is one of those banks in the entire banking industry

that have the highest number of employees belonging to SCs and STs, which itself shows the commitment of the Bank towards their development and upliftment. Some of the highlights of the Bank's efforts for development and welfare of people belonging to SCs and STs are enumerated as under.

Reservation in Employment: The Bank observes all guidelines stipulated by the Government of India for reservation of posts in employment in All India recruitment and local recruitment. Around 15.0% posts are reserved for SCs and 7.5% posts are reserved for STs in all India recruitments. For other recruitments made on Regional basis, appropriate percentage prescribed for various States are being observed.

Special efforts are made like offering pre-recruitment orientation training to SC / ST applicants for recruitment in the Bank. Relaxation in age limit and qualifications are given and interviews of SC / ST candidates are done on relaxed standards in order to ensure that appointment of candidates to the reserved posts happen. In the Interview Panel for recruitment, a member belonging to SC / ST is invariably associated. Candidates belonging to SC / ST, who are called for interview, are reimbursed traveling expenses. In addition to providing reservation in employment, the Bank is also providing reservation and other enabling mechanisms in career growth and promotions for SC and ST employees as per guidelines in vogue.

Pre-promotion training before participating in promotion exercises is also provided. 10% of the available residential accommodation of the Bank is also reserved for SC / ST candidates.

The staff strength and representation of SCs and STs as of 31st March 2010 is as under.

Cadre	Total	SC	SC %	ST	ST%
Officers	14,427	2,611	18.10	957	6.63
Clerks	15,376	2,260	14.70	828	5.39
Substaff	8,268	2,934	35.49	730	8.83
Total	38,071	7,805	20.5	2,515	6.60

SC/ST Cell: An exclusive SC/ST Cell in the Bank has been set up to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST employees in the Bank. An Executive in the rank of General Manager is appointed as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC / ST employees. A Liaison Officer for SC/ST has been appointed in each Zone of the Bank who takes care of all matters and grievance redressal of SC/ST employees of that Zone.

Meeting with SC/ST Welfare Association: With a view to have direct dialogue and review of reservation and other special provisions for SC and ST, the Bank holds quarterly meetings with the representatives of SC/ST Welfare Association of our employees in the Bank. Chairman and Managing Director and Senior Executives including Chief Liaison Officer for SC/ST attend the meeting.

Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust: The

Bank established the "Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust" in 1991 for promoting welfare activities for the benefit of SC/ST employees and their family members Apart from scholarships to children of employees belonging to SC/ST, the Trust also provides scholarship to needy students belonging to SC/ST community, in general in major centres of the country.

Visit of National Commission for Scheduled Castes: The National Commission for Scheduled Castes visited the Bank on 30th December, 2009, had discussions and interactions and examined the level of implementation of policies and programs. The suggestions and guidance of the Commission are being scrupulously observed by the Bank.

Marketing

During FY10, the Bank decided to adopt a balanced approach in marketing and sales by giving due focus to both brand building and business development. While the focus has been on effective utilization of print/electronic/online and OOH media, the emphasis has also been given to direct sales through branch network, Retail Loan/SME Loan Factory and City Sales Offices.



We are wherever your work takes you.

BARODA next
State-of-the-Art. Straight from the Heart.
 Toll Free No. 1-800-22-4447
www.bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Brand Building Campaign

In FY09, the Bank had launched its sub-brand 'Baroda Next - State of the Art - Straight from the Heart'. Encouraged by a good response to this campaign and resultant improvement in brand recall, the Bank conducted a follow-up corporate campaign to reinforce the brand 'Baroda Next' in July-August 2009 with an aim to emphasize that the Bank is committed to deliver tomorrow's technology today with a human touch and, thereby, improve Bank's ability to compete effectively. The main focus was to create interest in the Bank's alternate delivery channels. All media vehicles viz. print, electronic, OOH, in-branch publicity were used effectively during this campaign. The messages were direct and well-received by the target audience.

A 1000 MILES AWAY FROM HOME. CAN YOU STILL MAKE A DEPOSIT?

Internet Banking Any branch Banking Phone Banking

BARODA next
STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.

Product Promotions

During FY10, a number of product promotion campaigns were conducted to promote Retail Loans, Current Deposits, Saving Deposits, SME products, Agriculture schemes, e-service delivery channels and gold coin. A combination of all media vehicles [print, electronic and OOH media] was used to support the sales effort of field level units. Their efforts were also aided by suitable in-branch publicity through display of banners, posters and leaflets and promotional events at ground level.

Focus on Sales

In FY10, the Bank introduced a new outfit called 'City Sales Office' to focus specifically on out-bound sales. The concept of City Sales Office (CSO) is to establish a dedicated sales unit putting all its effort on out-bound sales for asset, liability and investment products. The CSO units, along with Retail Loan Factory and SME Loan Factory, are envisaged to support the efforts of the branches in improving sales performance under various product categories.

As on 31st March, 2010, nine City Sales Offices have been established at eight locations in the country. The CSO units have been successful and have resulted in improving sales lead generation activities.

Other Initiatives in Marketing

In order to spread awareness on alternative delivery channels like ATMs/Baroda Connect/RTGS/ NEFT/ASBA etc., the Bank has conducted various Customer Education Workshops and has also created a pool of 1500 + trainers at the grass root level for these workshops.

Awards and Industry Recognition for Bank of Baroda

The Bank's consistent performance accompanied with various marketing efforts has helped improve the Bank's Brand Ranking in the Indian banking industry. It is evident from the results of various independent media surveys as given below.

- 'Bank of the Year Award' in India Leadership Conclave at Delhi by Wockhardt Foundation - 14th Sep. 2009.

- SKOCH Challenger Award for 'Bank of the Year' - 18th March 2010.
- Second Rank as 'Best Nationalized Bank' in 'India's Best Bank Survey 2009-10' by Financial Express Group.
- Rank 34 [up from Rank 39 last year] - India's Most Valuable Brand 2009 (Brand Finance, UK)
- Rank 33 [up from Rank 36 last year] – ET 500 2009
- Rank 4 [up from Rank 17 last year] – Business Today KPMG Survey 2009

The Bank has also been awarded a 'Gold Trophy' for the Indian Language Publication, a 'Silver Trophy' for the Corporate Website and a 'Bronze Trophy' for Bilingual Internal Magazine and Chairman & Managing Director's message (in Corporate Communications category) by the Association of Business Communicators of India (ABCI).



CMD Shri M. D. Mallya receiving SKOCH Challenger Award - "Bank of the Year".

Premises Re-Engineering & Ambience Enhancement

The following construction projects have been in progress and are expected to be completed within the reasonable time limit.

1. Administrative building at Gomtinagar, Lucknow
2. Administrative building at Jamshedpur, Jharkhand.
3. Commercial-cum- Residential complex at Ghod Dod Road, Surat.
4. Commercial building for Branch and Zonal/ Regional office at Mylapore, Chennai.
5. 17 Residential flats at Alwarpet, Chennai
6. Residential flats on plot at East of Kailash, New Delhi.
7. Construction of Bank of Baroda Centenary year (2007-2008) Sir Sayajirao Auditorium at Baroda for handing over to the Vadodara Municipal Corporation as an appreciation to the city of Baroda on completion of 100 years of Bank of Baroda.

Also, construction of residential building at Janakpuri, New Delhi is initiated and tenders will be issued shortly. It is the endeavour of our Bank to make use of all the landed property purchased by the Bank to put to use by constructing either commercial or residential premises.

The construction projects completed during the course of the year and in use/operation are -

- Baroda Sun Tower at C-34 , Bandra Kurla complex, Mumbai
- Building for Branch at Rajpipla.
- VKI, Jaipur.
- Pant Nagar, SIDCUL.



Baroda Sun Tower - New Building at BKC, Mumbai

The Bank has initiated steps for construction of premises for establishment of Baroda Swarojagar Vikas Sansthan (BSVS) at various locations such as Baroda, Bulsar, Jaipur, Ajmer, Rampur and Pantnagar SIDCUL. The Bank has taken a special initiative to increase awareness level to adhere to Green Building norms, energy saving measures and also to create barrier free environment for the handicapped.

Refurbishment

On implementation of CBS at all its branches, the Bank has made it a point to ensure that maximum number of branches are put under refurbishment, upgradation, face lifting, redesigning and improved ambience for facilitating convenient banking to customers. During FY10, 396 branches have been refurbished. The Bank has also initiated steps for standardization of the interior of branches and offices. Under Business Process Re-engineering, the Bank has initiated steps to establish Regional Back Offices (RBO) and City Back Offices (CBO) at different centres of the country. The RBOs at Jaipur and Baroda have already been furnished as per the requirement and made operational. The RBOs at Bhopal and Coimbatore are under refurbishment.

Increased Use of IT to Improve Efficiency

The Estate Management Department of the Bank has been extensively using Information Technology in its day to day functioning to improve efficiency. For instance, payments to contractors etc. are being made through the RTGS/NEFT mode.

Other Activities of Estate Management Division

As a part of the Bank's conscious efforts to reduce "rental burden", continued efforts are being made to ensure optimum use of existing premises and to surrender excess/surplus premises to the extent possible. As a result, the Bank could surrender as much as 85,631 sq.ft. leased area during FY10. It is the policy of the Bank to go in for surrendering maximum area every year. The Estate Management Department has released a revised Premises' Policy Guidelines for 2009-2012. It has also developed the Construction Work Manual and framed the Purchase Policy which will be released shortly for the benefit of all the functionaries at various levels. The detailed guidelines on refurbishment will also be released soon.

Branch Network

Given below is the information on the Bank's brick And mortar distribution channels as on 31st March, 2010, which are observed to be closer to customers as compared to the e-banking channels, which are generally preferred by the tech savvy urban masses.

Area Classification (India)	Number of Branches	% Share in Total
Metro	673	22
Urban	580	19
Semi-urban	721	23
Rural	1,126	36
Total	3,100	100
Overseas	48	--

Domestic Subsidiaries and Associates

The performance of "Subsidiaries & the Associates" of Bank of Baroda was satisfactory during FY10. The BOBCARDS Ltd. has successfully cleaned up its balance-sheet and is in the process of setting up a new business plan. The BOB Capital Markets Ltd. has been activated by appointing a professional CEO and recruiting a professional team. The Company has commenced an Institutional Broking business in October 2009 and will be commencing retail broking shortly. The Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. is in its second year of operation and has witnessed significant growth in their Asset Under Management (AUM). This Company also has plans to launch various new schemes shortly. As stated earlier, the IndiaFirst has received an overwhelming response from the Bank's customers across the country making it the fastest ever insurance company to reach Rs 100 crore premium collections in the first 100 days of its operations.

Given below are the audited performance figures of the Bank's subsidiaries and Associates.

(Rs lakh)

Entity (with date of registration)	Country	Owned Funds	Total Assets	Net Profit	Offices	Staff
BOB Capital Markets Ltd. 11 March, 1996	India	11,851.05	11,852.96	645.27	1	23
BOBCARDS Ltd. 29 September, 1994	India	10,316.75	18,808.80	-(1062.74)	36	139
Associate Baroda Pioneer Asset Mgmt. Co. Ltd. 5 November, 1992	India	6,906.67	7,355.73	-(909.61)	1	31
IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. 19 June, 2008	India	27,840.13	45,314.14	-(4,479.21)	1	893
Nainital Bank Ltd. 31 July 1922	India	23,979.10	2,87,712.24	4,337.49	103	734

Implementation of Official Language (OL) Policy

During the year FY10, the Bank made significant progress in promoting and propagating the use of Official Language and ensured compliance of various other statutory requirements besides recommendations of Parliament Committee on Official Language. The Bank could achieve all major targets set by the Government of India. In recognition of the Bank's outstanding performance, the Bank was appreciated at various levels.

The Town Official Language Implementation Committees functioning at Jaipur and Baroda under the convenorship of the Bank have discharged their responsibilities excellently and provided suitable guidance to their member Banks. The Bank's Jaipur committee was awarded first prize by Government of India for its outstanding performance/functioning. Besides, its Staff College, Ahmedabad and Zonal office, Jaipur were also awarded by the respective Regional O.L. Implementation offices, Ministry of Home affairs for implementation of O.L. Policy of Government of India in their area of operations.

day banking. During the year FY10, more than 450 employees were trained at the Bank's Corporate Office apart from the training imparted by various other administrative offices across the Bank.

The Third Sub-committee of Parliament on Official Language visited Regional Office, Goa and Allahabad of our Bank and appreciated the efforts/work done by the Bank in the area of Official Language Implementation.

Two of our Bank employees have written books on burning issues/topics of banking under Reserve Bank of India's 'original book writing in Hindi' scheme.

The Bank's in-house Hindi magazine "Akshayam" was awarded by the Reserve Bank of India under Hindi magazine category. The magazine was also awarded by the ABCI, Mumbai with Gold (First) prize under Indian Language Publication category. Besides, the Bank's House Journal "BOBMAITRI" was awarded with bronze prize by the ABCI, Mumbai under bilingual House Journal category.



The Bank has successfully completed one year of computer training programme on use of Hindi based Unicode fonts for their employees with a view to promote use of Hindi in day-to-

Board of Directors

Shri N. S. Srinath, was appointed by the Central Government as Whole time Director, designated as Executive Director on 07th December 2009, under section 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the position till 31st May 2012 or until further orders, whichever is earlier. He was appointed consequent upon Shri V Santhanaraman, ceasing to be a Director on his attaining superannuation on 31st August 2009.

Shri Alok Nigam, IAS was nominated by the Central Government as a Director on 09th December 2009 under section 9(3) (b) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing the Central Government vice Shri Amitabh Verma, IAS who ceased to be a Director on the nomination of Shri Nigam. Shri Nigam shall hold office until further orders from the Central Government.

Dr. (Smt.) Masarrat Shahid was nominated by the Central Government, as a part time non-official Director on 29th

October, 2009 under section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. Dr. Shahid was nominated for a second term of three years from 29th October, 2009 to 28th October 2012 or until further orders, whichever is earlier.

Shri Amarjit Chopra, who was nominated as Director for a period of three years on 13th October 2006, by the Central Government under section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be a Director on 12th October 2009, on the expiry of his term of appointment.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2010:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2010;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India;

and

- The accounts have been prepared on a going concern basis.


Acknowledgement

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their valuable guidance and support.

The Directors acknowledge with appreciation the assistance and cooperation extended by all stakeholders of the Bank like customers, shareholders and well wishers in India and abroad.

The Directors place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the members of the staff at different levels, which enabled the Bank to record high quality, consistent growth even during the turbulent times and consolidate its position as one of the leading banks in the country.

For and on behalf of the Board of Directors,



M. D. Mallya

Chairman and Managing Director

Mumbai
25th May, 2010



सतत

कार्यनिष्पादन

की ओर अग्रसर...

एम.डी.मल्या

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रिय हितधारक,

मुझे 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा की वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक का व्यवसाय तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन अनिश्चित आर्थिक परिवेश के बावजूद सुदृढ़ एवं स्थिर रहा है।

आर्थिक समीक्षा :

वर्ष 2009-10 (वित्तीय वर्ष 10) के दौरान भारतीय आर्थिक परिवेश मिश्रित परिणाम वाला तथा अनिश्चित रहा। वर्ष की प्रथम छः माही (अर्थात वित्तीय वर्ष 10 की प्रथम छमाही) के दौरान प्रतिकूल मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी, उपभोक्ता व्यय क्षमता में निरन्तर गिरावट, बैंक ऋणों की कम मांग तथा निर्यात एवं आयात दोनों में नकारात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही।

तथापि वर्ष 2009-10 की दूसरी छः माही (अर्थात वित्तीय वर्ष 10, की दूसरी छमाही) में सुधारात्मक नीतियों, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार तथा पूंजी आगमन स्थितियों में सुधार के चलते भारत को विपरीत मानसून से उत्पन्न परिस्थितियों पर काबू पाने में सफलता मिली तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ। निर्यात एवं आयात दोनों में पिछले 12-13 महीनों के दौरान निरन्तर हो रही गिरावट में नवम्बर-दिसम्बर में सकारात्मक संकेत दिखाई दिए।

वित्तीय वर्ष 10 की प्रथम छः माही के दौरान मुद्रास्फीति (थोक मूल्य सूचकांक) में हो रही गिरावट में वित्तीय वर्ष 10 की द्वितीय छः माही में तेजी से वृद्धि हुई तथा मार्च 2010 में यह लगभग 10% (वर्ष दर वर्ष) रही। इसी समय विनिर्माण एवं खनन क्षेत्र में सुधार के चलते औद्योगिक उत्पाद अप्रैल 2009 के 1.1% (वर्ष दर वर्ष) की तुलना में फरवरी, 2010 में बढ़कर 15.1% (वर्ष दर वर्ष) हो गया। मुद्रास्फीति तथा औद्योगिक उत्पादन दोनों में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक को अपनी

मौद्रिक नीति को बेहतर बनाने में मदद मिली तथा उसने अपना ध्यान "संकट प्रबन्धन" से हटाकर 'रिकवरी प्रबन्धन' पर केन्द्रित किया।

जहां समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ऋणों की मांग अपेक्षाकृत कम एवं प्रतिकूल रही, वहीं कई बैंकों की ऋण लागतें पुनर्निर्धारित ऋणों की परिपक्व होने के कारण बढ़ गईं। इसके अलावा, सरकारी मार्केट उधारियों के उच्च स्तर तथा बांड से होने वाली आय में अस्थिरता के कारण बैंकिंग उद्योग के ट्रेजरी परिचालनों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विपरीत परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना

यद्यपि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अवरोधों का सामना करना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है, तथापि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने मजबूत व्यावसायिक आधार के कारण इन कठिनाइयों का वित्तीय वर्ष 2009 तथा वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान प्रभावी ढंग से सामना करने में सफल रहा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण आय, बैंकिंग उद्योग की तुलना में उच्च प्रावधान कवरेज एवं न्यूनतम ब्याज दर जोखिम युक्त गुणवत्तापरक आस्तियों के माध्यम से बैंक बेहतर एवं सतत कार्यनिष्पादन देने में सफल रहा। बैंक धीरे धीरे अपने मार्केट शेयर में भी सुधार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने अपने वैश्विक व्यावसायिक स्तर में 24% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज करते हुए इसे 4,16,080 करोड़ रु. कर लिया।

निरन्तर वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों ने बैंक की उपलब्धियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक के कुल कारोबार में 24% तथा परिचालन लाभ में 20% का योगदान दिया। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय, ऋणों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता किए बिना वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 31.0% (वर्ष दर वर्ष) की दर से बढ़ा। वित्तीय वर्ष 10 में अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों में बैंक का सकल एनपीए 0.47% तथा शुद्ध एनपीए केवल 0.11% रहा।

पिछले कुछ समय से बैंक की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है हमारे हितधारकों की "आस्था एवं विश्वास". वित्तीय वर्ष 2009 तथा वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व कठिनाइयों के बावजूद बैंक के हितधारक बैंक के व्यवसाय तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन के प्रति सकारात्मक रहे. मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बैंक ने भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान कार्यनिष्पादन, पारदर्शिता, कार्पोरेट नियन्त्रण तथा निष्ठा आदि के संदर्भ में हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा किया है.

नवोन्मेषी पहलें :

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने अपने आधार को और अधिक सुदृढ़ करने एवं देश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से नए व्यवसाय, नए ग्राहकों तथा प्रौद्योगिकी पहलों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा.

बैंक ने अपना नया व्यवसाय प्रोजेक्ट - रिडिजीनियरिंग एवं संगठनात्मक पुनर्गठन प्रोजेक्ट 'नवनिर्माण, बड़ौदा नेक्स्ट' 22 जून, 2009 को प्रारम्भ किया. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मौजूदा प्रोसेस एवं संरचना को बेहतर बनाते हुए पुनर्गठित करना एवं कारगर बनाना, बेहतर सेवा एवं बिक्री हेतु शाखाओं को नया स्वरूप प्रदान करना, राजस्व आय में वृद्धि तथा कार्यकुशलता में सुधार लाना है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त उपयोग करते हुए व्यवसाय एवं लाभ को बढ़ाना तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए आगामी प्रयास अर्थात 'बड़ौदा नेक्स्ट' का निर्माण करना है.

बैंक ने अपनी सभी देशीय शाखाओं में 100.0% कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) का लक्ष्य हासिल कर लिया है. भारतीय बैंकिंग उद्योग में इस प्रकार के सोल्यूशन को तीव्रतम गति से स्थापित करने की यह एक मिसाल है. बैंक की सीबीएस शाखाओं को आरटीजीएस तथा एनइएफटी के माध्यम से अन्तः शाखा रेमिटेंस के योग्य बनाया गया है. लगभग 94% ओवरसीज कारोबार सीबीएस के तहत आ गया है.

31 मार्च, 2010 को बैंक के एटीएम की संख्या 1,315 हो गई है. बैंक के सभी देशीय एटीएम तथा बैंक के सात ओवरसीज क्षेत्रों में स्थित सभी एटीएम में 'बेस24' पूर्णतया संचालित कर दिया गया है. आज बैंक के ग्राहकों को विविध सेवा चैनल यथा बड़ौदा कनेक्ट (इंटरनेट बैंकिंग), फोन बैंकिंग, बड़ौदा कैश मैनेजमेंट सेवाएं, एनआरआई सेवाएं, डिपॉजिटरी सेवाएं आदि प्राप्त हैं.

बैंक ने अपने मुख्य ओवरसीज क्षेत्रों में एकीकृत वैश्विक ट्रेजरी समाधान को कार्यान्वित किया है. बैंक ने अपने कार्पोरेट ग्राहकों को ऑनलाइन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है. वित्तीय वर्ष 10 के दौरान कालेधन पर रोक लगाना, प्रलेखन प्रबन्धन व्यवस्था, पेमेंट मेंसेजिंग सोल्यूशन आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पहलों की गई.

रिटेल व्यवसाय के तहत ऋण प्रवाह को और बेहतर बनाने तथा इस व्यवसाय को और सुदृढ़ करने के लिए बैंक ने अपने रिटेल उत्पादों को पुनर्गठित किया है. बैंक ने अपने आवास ऋण उत्पाद के अन्तर्गत एक नई सब्सिडी लिंकड आवास ऋण योजना 'शहरी निर्धनों के लिए आवास हेतु इंटररेस्ट सब्सिडी योजना' की शुरुआत की है.

कुछ वर्ष पूर्व बैंक ने अपने खुदरा ग्राहकों के फायदे के लिए फास्ट डिलीवरी चैनल के रूप में रिटेल लोन फैक्टरी मॉडल की शुरुआत की थी. इसकी

सफलता को देखते हुए बैंक ने वित्तीय वर्ष, 10 के दौरान 6 नई रिटेल लोन फैक्टरी खोली जिससे इनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई.

अपने नए और संतुलित प्रौद्योगिकी आधार के बल पर बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान 'होम लोन एवं एज्यूकेशन लोन एप्लीकेशन माड्यूलस' को ऑनलाइन कर दिया है.

बैंक ने सदैव समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने में विश्वास किया है. बैंक ने ग्रामीण एवं कृषि ऋणों की संभावनाओं को देखते हुए वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 'वित्तीय समावेशन' की दृष्टि से अनेक नए प्रयास किए हैं. कृषि अग्रिमों को बढ़ाने के लिए बैंक ने कृषि ऋणों तथा निवेश क्रेडिट हेतु विशेष अभियान संचालित किए. बैंक ने वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 2,857 ग्रामीण स्तरीय क्रेडिट कैम्प आयोजित किए तथा 1.9 लाख ऋणियों को 2,484 करोड़ रु. की राशि वितरित की. कृषि ऋण बढ़ाने हेतु बैंक ने देशभर में 450 थ्रस्ट शाखाओं को चयनित किया. बैंक ने गरीब किसानों के हित में ब्याजदर प्रभार आदि में छूट देते हुए विभिन्न क्षेत्र विशेष आधारित कृषि ऋण योजनाएं तैयार कीं.

ग्रामीण कृषि ऋणों हेतु प्रौद्योगिकी के प्रभावी इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी युक्त स्मार्ट कार्ड आधारित तकनीक की शुरुआत की है. वित्तीय वर्ष 10 के दौरान -9- अतिरिक्त बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आर-सेटी) केन्द्र खोले गए. इस प्रकार बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थानों की संख्या बढ़कर -25- हो गई. अभी तक 20 लाख से अधिक नो-फ्रिल बचत बैंक खाते खोले गए. वित्तीय समावेशन पहल के तहत बैंक ने '4' फाइनांशियल लिटररी एण्ड क्रेडिट काउंसिलिंग सेंटर खोले जिन्हें "सारथी" नाम दिया गया.

धन सम्पदा प्रबंधन उत्पादों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए बैंक ने वित्तीय वर्ष 10 में दो और प्रमुख आस्ति प्रबन्धन कम्पनियों के साथ म्यूचुअल फण्ड उत्पादों के वितरण हेतु व्यवस्था (टाईअप) की है. वर्ष के दौरान जीवन बीमा के क्षेत्र में बैंक के संयुक्त उपक्रम के रूप में आंध्र बैंक तथा एल एण्ड जी (यू.के.) के सहयोग से इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. ने परिचालन प्रारंभ किया. इण्डिया फर्स्ट को देश भर में बैंक के ग्राहकों का भरपूर रिस्पांस मिला और यह कम्पनी तीव्रतम व्यवसाय अर्जित करनेवाली कम्पनी बन गई है. कम्पनी ने अपने प्रारम्भिक -100- दिन में ही 100 करोड़ रु. का प्रीमियम संगृहीत कर लिया.

व्यवसाय एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन :

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार लाते हुए व्यवसाय एवं लाभप्रदता में वृद्धि दर्ज की है.

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, बैंक का वैश्विक व्यवसाय वित्तीय वर्ष 10 में 24% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज करते हुए 4,16,080 करोड़ रु. के नए स्तर तक पहुंच गया है. देशीय जमाओं तथा अग्रिमों में क्रमशः 22.4% तथा 21.3% की वृद्धि हुई. बैंक की देशीय कम लागत जमाओं अर्थात कासा जमाओं में 25.1% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई. फलतः वित्तीय वर्ष 10 में कासा जमाएं 35.63% हो गई जबकि वित्तीय वर्ष 09 में ये 34.87% थी. बैंक के सामाजिक क्षेत्र के अग्रिम अर्थात् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम अनिवार्य स्तर को पार करते हुए 24.0% (वर्ष दर वर्ष) की दर से बढ़े. बैंक के एसएमई सेक्टर में 44.0%, कृषि ऋणों में 27.0% तथा रिटेल क्रेडिट में 24.0% की वृद्धि हुई. इस प्रकार बैंक के विविध प्रकार के सभी ऋणों में वृद्धि दर्ज की गई.

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक के विदेशी कारोबार में जहां जमाओं में 36.0% (वर्ष दर वर्ष) वृद्धि हुई, वहीं अग्रिमों में 25.0% की वृद्धि हुई. कुल विदेशी जमाओं में ग्राहक जमाएं 33.7% की दर से बढ़ी. समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक के विदेशी परिचालनों में आस्तियां 33.6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 51,165 करोड़ रु. से बढ़कर 68,375 करोड़ रु. हो गई.

लाभप्रदता में यह वृद्धि, प्रमुख मानकों में वृद्धि, जमा लागतों के विवेक सम्मत प्रबन्धन तथा बेहतर परिचालन कौशल के फलस्वरूप संभव हो पायी. वित्तीय वर्ष 10 में बैंक का शुद्ध लाभ 3,058.33 करोड़ रु. वर्ष दर वर्ष 37.3% की उल्लेखनीय वृद्धि दर दर्शाता है.

चूंकि बैंक का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापरक वृद्धि है, अतः बैंक ने अनर्जक आस्तियों को यथासम्भव न्यूनतम स्तर पर रखने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है. जहां देशीय परिचालनों में सकल एनपीए मार्च, 2010 के अन्त में 1.64% रहा, वहीं विदेशी परिचालनों में यह 0.47% रहा. वित्तीय वर्ष 10 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग में बढ़ते स्लिपेज के बावजूद हमारा बैंक वित्तीय वर्ष मार्च 10 के अन्त तक वैश्विक सकल एनपीए को 1.36% तथा शुद्ध एनपीए को 0.34% रखने में कामयाब रहा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने जहां कृषि ऋण राहत खातों में वसूली की अवधि को जून, 2010 के अन्त तक बढ़ा दिया था, बैंक ने विवेक सम्मत उपाय के रूप में इन खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा. इसके बावजूद बैंक के सकल एवं शुद्ध एनपीए उद्योग में न्यूनतम अनुपात में हैं. बैंक का एनपीए कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2010 को 74.90% है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में निर्धारित स्तर 70.0% से पर्याप्त मात्रा में अधिक है.

बैंक का औसत आस्तियों पर प्रतिफल 1.21% प्रति शेयर आय 83.96 रु. प्रतिशेयर बही मूल्य 378.40 रु. तथा इक्विटी प्रतिफल 22.19% पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाते हैं. वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.36% के मजबूत स्तर तथा टियर पूंजी 9.20% के स्तर पर है. बैंक का लागत-आय अनुपात भी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 45.38% से कम होकर 43.57% हो गया है.

भावी सोच :

बैंक की दीर्घकालीन सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, दीर्घकालीन ग्राहक सम्बन्ध तथा कार्यनिष्ठ प्रबन्धन हमेशा की तरह आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. भविष्य में भी बैंक इसी प्रकार गुणवत्ता के साथ वृद्धि पर अपना ध्यान केन्द्रित करना जारी रखेगा. बैंक वित्तीय वर्ष 11 में मजबूत एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए औद्योगिक औसत से अधिक वृद्धि हेतु प्रयासरत रहेगा.

बैंक कम लागत जमा संग्रहण तथा शुल्क आधारित आय, जमाओं तथा ऋणों के प्रभावी कीमत निर्धारण, अधिक लागत अथवा कम आय वाले थोक व्यवसाय में कमी लाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए और बेहतर क्रेडिट आरिजिनेशन एवं प्रभावी क्रेडिट मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रमुख वित्तीय मानकों यथा औसत आस्तियों पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल, प्रतिशेयर बही मूल्य, आस्ति गुणवत्ता आदि में और सुधार लाने का प्रयास करेगा.

सभी प्रमुख परिचालनों में बैंक ने भावी चुनौतियों तथा निरन्तर वृद्धि हेतु अवसरों का भरपूर लाभ उठाने हेतु अपनी नीतियां तैयार की हैं ताकि बैंक के आधार को और सुदृढ़ किया जा सके. इन नीतियों को संतुलित, गुणात्मक वृद्धि, सेवा एवं उत्कृष्ट परिचालन और व्यक्ति प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए संचालित लिया जा रहा है.

वास्तव में बैंक पिछले कुछ वर्षों से देश के प्रमुख एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से यथा सम्भव बेहतरीन एवं प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती पर जोर दे रहा है. बैंक मैकेजि एण्ड कम्पनी के साथ परामर्श से व्यवसायगत प्रक्रिया एवं रिज्जीनियरिंग परियोजना पर कार्य कर रहा है ताकि प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग हो सके तथा अधिकतम ग्राहक सन्तुष्टि हेतु श्रम संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सके. वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए अनेक मार्केटिंग अभियान संचालित किए. आस्ति एवं देयता दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए बैंक के मार्केट शेयर को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये अभियान भविष्य में भी जारी रखे जाएंगे.

बैंक निरन्तर मार्केट सर्वेक्षण के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री तथा ब्रांड इक्विटी बढ़ाने हेतु अपनी नीतियां तैयार कर रहा है. बैंक ने अपनी ब्रांड इमेज को और बेहतर बनाने के लिए कारगर जनसम्पर्क अभियानों एवं कार्ययोजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है. इसके अलावा बैंक में प्रभावशाली ग्राहक सम्बंध प्रबन्धन प्रणाली विकसित करने के लिए ग्राहक शिक्षा हेतु कारगर प्रयास जारी रखे जाएंगे.

बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य एवं कार्यनीति :


वर्ष 2010-11 के लिए बैंक ने अपना आदर्श वाक्य 'व्यवसाय वृद्धि एवं लाभप्रदता के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग' निर्धारित किया है.

बैंक के उच्च प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य बैंक को और स्थायित्व प्रदान करते हुए विकास उन्मुख बनाना है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने एक व्यवसाय मॉडल अपनाया है जो स्थायी एवं निरन्तर वृद्धि को हासिल करने पर केन्द्रित है. इस मॉडल के चार स्तम्भ हैं - यथेष्ट कासा जमा संग्रहण, अग्रिम का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार, गैर ब्याज आय की मजबूत स्थिति तथा कठोर एवं युक्ति संगत एनपीए प्रबन्धन. बैंक इन सभी मापदंडों पर अपना उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने हेतु पूर्णतः तैयार है.

बैंक इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि बाजार में प्रमुख स्थान दूरदर्शिता, कुशल एवं कारगर कार्यनीति और व्यावसायिक प्रतिबद्धता के स्थायी मॉडल के रूप में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृतसंकल्प रहने से ही हासिल किया जा सकता है. सफलता इसी बात में निहित है कि हमारे हितधारकों को बैंक के मुख्य मूल्यों, ग्राहक सन्तुष्टि के प्रति हमारी लगन और हमारे मार्गदर्शकों एवं पथप्रदर्शकों की साख पर पूर्ण विश्वास हो. इसी के बल पर हम बैंकिंग उद्योग में प्रमुख स्थान हासिल कर सकते हैं. मार्केट में बड़ा शेयर हासिल करने के लिए हम वित्तीय स्थायित्व एवं ब्रांड वैल्यू, जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, पर निरन्तर कार्य करते रहेंगे.

वित्तीय वर्ष 2011 में हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम अपनी संस्थागत प्रक्रिया, प्रणाली एवं कार्यक्षमताओं को और बेहतर बनाते हुए ग्राहकोन्मुख कार्ययोजनाओं के लिए कार्य करें. विद्यमान आर्थिक परिवेश में चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए विवेक सम्मत निर्णय एवं स्वतः स्फूर्त सतर्कता का विशेष महत्व है. अतः हमारा ध्यान मुख्यतः जोखिम प्रबन्धन तथा गुणवत्तापूर्ण विकास पर केन्द्रित रहेगा.

बैंकिंग उद्योग में पुनः प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए मैं आपके सतत सहयोग एवं समर्थन की अपेक्षा रखता हूँ.



एम.डी.मल्या

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक गण बैंक की 102 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 10) के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- **कुल कारोबार** (जमा एवं अग्रिम) बढ़कर **₹.4,16,080 करोड़** हो गए. इस प्रकार इनमें 24.0% की वृद्धि हुई.
- **सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ** क्रमशः **₹.4,935 करोड़** एवं **₹.3,058 करोड़** रहे. शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 37.3% की वृद्धि हुई.
- **ऋण जमा अनुपात** पिछले वर्ष के 81.94% की तुलना में 84.55% रहा.
- **खुदरा ऋणों** में 23.5% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष '10 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों का 18.15% रहा.
- **वैश्विक परिचालन** में **शुद्ध ब्याज अंतर (एनआईएम)** ब्याज अर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 2.74% एवं घरेलू परिचालनों में 3.12% के स्तर पर रहा.
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध गैर निष्पादक आस्तियां 0.34% रहीं जबकि पिछले वर्ष यह 0.31% थी.
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)** बासेल I के अनुसार 12.84% रहा जबकि बासेल II के अनुसार यह 14.36% रहा.
- **शुद्ध मालियत** सुधर कर **₹.13,785.14 करोड़** हो गयी. इसमें 20.6% की वृद्धि दर्ज हुई.
- वर्ष के दौरान **बही मूल्य** ₹.313.82 से बढ़कर **₹.378.44** हो गया.
- वर्ष के दौरान **प्रति कर्मचारी कारोबार** ₹.911 लाख से बढ़कर **₹.1,068 लाख** हो गया.

खंडवार कार्य निष्पादन:

वर्ष 2009-10 के खंडवार परिणामों में राजकोषीय परिचालन (ट्रेजरी) का योगदान ₹.1,048 करोड़, होलसेल / कार्पोरेट बैंकिंग का ₹.1,585 करोड़, खुदरा बैंकिंग का ₹.779 करोड़ तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों का योगदान ₹.2,732 करोड़ रहा. बैंक ने ₹.1,906 करोड़ के गैर आबटित खर्च घटाने और ₹.1,180 करोड़ का करों के लिए प्रावधान करने के बाद 3058 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया.

लाभांश:

निदेशकों ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए ₹.15/- प्रति शेयर का (₹.10/- के अंकित मूल्य पर) लाभांश प्रस्तावित किया है. इसमें कर सहित लाभांश के रूप में कुल व्यय ₹.639.26 करोड़ होगा.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात काफी अच्छा है एवं 31 मार्च, 10 को यह बासेल II के अन्तर्गत 14.36% है. वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी आधार को ₹.1,000 करोड़ अप्रतिभूतित गौण बाण्डों के माध्यम से मजबूत किया है और ₹.900 करोड़ रुपए नवोन्मेषी बेमियादी बॉण्डस के माध्यम से जुटाए हैं.

31 मार्च, 10 को बैंक की शुद्ध मालियत ₹.13,785.14 करोड़ रही. इसमें चुकता पूंजी ₹.365.53 करोड़ और प्रारक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन निधि को छोड़कर) ₹.13,419.61 करोड़ शामिल है. ₹.2,419.07 करोड़ की राशि अर्जित लाभ में से प्रारक्षित निधि में अंतरित की गयी.

प्रमुख वित्तीय अनुपात

विवरण	2009-10	2008-09
औसत आस्तियों पर आय (आरओए) (%)	1.21	1.09
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹.करोड़ में)	2,15,886.21	1,71,666.55
निधियों की औसत लागत (%)	4.98	5.81
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹.करोड़ में)	2,16,735.54	1,75,818.59
औसत आय (%)	7.70	8.58
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.74	2.91
लागत-आय अनुपात (%)	43.57	45.38
प्रति शेयर बही मूल्य (₹.)	378.44	313.82
प्रति शेयर आय (₹.)	83.96	61.14

अन्य विवेकसम्मत उपाय:

विवेकसम्मत उपाय के रूप में बैंक ने उपदान में अंशदान के पेटे (रु.131.93 करोड़), पेंशन निधि के पेटे (रु.120.21 करोड़), अवकाश नकदीकरण के पेटे (रु.134.29 करोड़) और अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के पेटे (रु.16.28 करोड़) वास्तविक आधार पर प्रावधान किया है। इन चारों श्रेणियों में प्रावधान की कुल राशि वर्ष 2009-10 के दौरान रु.402.71 करोड़ रही, जब कि वर्ष 2008-09 के दौरान यह राशि रु.550.60 करोड़ थी। मार्च, 2010 के अंत में बैंक के पास इन शीर्षों के तहत उपलब्ध कुल आधारभूत निधि हैं - रु.948.54 करोड़ (उपदान), रु.2,835.10 करोड़ (पेंशन निधि) रु.488.31 करोड़ (अवकाश नकदीकरण) तथा रु.340.56 करोड़ (अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ)।

प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण

2009-10 में आर्थिक परिदृश्य:

विश्वव्यापी आर्थिक संकट के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्व के अधिकांश देशों को पीछे छोड़ते हुए उल्लेखनीय सुधार किया। यह भारतीय रिज़र्व बैंक एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमशः समय-समय पर किए गए मौद्रिक उपायों एवं सशक्त वित्तीय मदद के कारण संभव हो पाया। वित्तीय वर्ष '10 के दौरान आर्थिक सुधार के अन्य कारक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार, वित्तीय बाजार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति एवं बड़ी मात्रा में पूंजी अंतर्प्रवाह थे।

तथापि भारत इस आर्थिक संकट के केन्द्र में नहीं था एवं इसकी वृद्धि घरेलू संचालकों पर व्यापक रूप से निर्भर रही। इस कारण वैश्विक संकट ने देश की मध्यम अवधि की वृद्धि संभावना को प्रभावित नहीं किया।

सरकार के वार्षिक अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि वित्तीय वर्ष 10 में 7.2% रहने वाली है जो कि वर्ष '09 में रिकार्ड की गई 6.7% की तुलना में काफी अच्छी है। इस वृद्धि में विनिर्माण (8.9%), उत्खनन एवं खदान (8.7%) एवं सेवा क्षेत्र (8.8%) मुख्य योगदान करने वाले रहे। कृषि उपज, वित्तीय वर्ष '09 के 1.6% की वृद्धि की तुलना में खराब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 0.2% नीचे रही। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार अनाज एवं तेल के उत्पादन में वर्ष दर वर्ष के आधार पर क्रमशः 8.0% एवं 5.0% की कमी आईगी। तथापि लगभग औसत मानसून के नकारात्मक प्रभाव को वर्ष '10 के दौरान अप्रत्याशित रबी फसल ने सीमित कर दिया है।

विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आधारभूत संरचना, सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल, मशीनरी एवं उपकरण, यातायात उपकरण, रबड़, प्लास्टिक एवं रासायनिक उत्पाद इत्यादि से जुड़े उद्योगों में वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान काफी वृद्धि हुई है। तथापि गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, उर्जा जनरेशन, सघन श्रम आवश्यकता वाले निर्यातानुमुख उद्योग जैसे कपड़ा, रत्न एवं आभूषण इत्यादि कमजोर बने रहे।

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान सेवाक्षेत्र में 8.8% की अच्छी वृद्धि रही। तथापि यह सरकार द्वारा कर्मचारियों के मुआवजे के संबंध में कम खर्च के कारण कम हो गई।

निजी एवं सरकारी दोनों के अंतिम उपभोग खर्च में कमी के कारण वर्ष '10 के दौरान अंतिम उपभोग व्यय कम रहे। तथापि वर्ष के दौरान निवेश मांग, विशेषतया सकल नियत पूंजी निर्माण, में धीरे धीरे सुधार हुआ।

थोक मूल्य सूचकांक वित्तीय वर्ष 2010 की पहली छमाही के दौरान काफी कम रहने के बाद दूसरी छमाही में काफी तीव्र गति से बढ़ा एवं मार्च, 2010 तक 9.9% पहुंच गया। हालांकि मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादन में कमी, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में बढ़ोत्तरी के रूप में दिए जा सकते हैं, तथापि नवम्बर, 2009 से मुद्रास्फीति सामान्य रूप से व्याप्त होने के प्रबल संकेत मिलने लगे। गैर खाद्य निर्मित उत्पादों के संबंध में मुद्रास्फीति नवम्बर, 2009 के (-) 0.4% से बढ़कर मार्च, 2010 में 4.7% हो गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में सुधार एवं बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को ध्यान

में रखते हुए अक्टूबर, 2009 से आर्थिक संकट संबंधी नीति को छोड़ने के संकेत देने आरंभ कर दिए। इसके अंतर्गत एसएलआर को 25.0% एवं प्रोपर्टी ऋणों संबंधी प्रावधान आवश्यकताओं को कम कर दिया गया। तदुपरांत इसने जनवरी, 2010 के आखिरी दिनों में नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) को 75 आधारबिंदु बढ़ाकर 5.75% कर दिया। पुनः इसने 19 मार्च, 2010 को अप्रैल, 2010 में घोषित होनेवाली वार्षिक मौद्रिक नीति के पूर्व मुद्रास्फीति की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, रिपो एवं रिवर्स रिपो दर 25 आधारबिंदु से बढ़ा दिए। यह अप्रैल, 2009 के पश्चात् रिपो दरों में पहला बदलाव था।

13 महीनों की वर्ष दर वर्ष गिरावट के उपरांत वैश्विक मांग में जबरदस्त सुधार ने भारत की निर्यात संवृद्धि को सकारात्मक बना दिया। दिसंबर, 2009 में आयात में भी, 12 महीनों के वर्ष दर वर्ष संकुचन के उपरांत सकारात्मक वृद्धि देखी गई। तथापि संचयी आधार पर वित्तीय वर्ष 2010 के अप्रैल से फरवरी महीनों के दौरान निर्यातों में 11.3% (वर्ष दर वर्ष) की कमी आई, जबकि आयातों में 13.5% की कमी आई। वित्तीय वर्ष, 10 के पहले 11 महीनों के दौरान व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष '09 की संगत अवधि के 114.72 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में यूएस डॉलर 95.42 बिलियन रहा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अदृश्य प्राप्तियों में देखी गई तेज वृद्धि वित्तीय वर्ष '10 के दौरान विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के प्रभाव के कारण नगण्य हो गई। कम व्यापार घाटा होने के बावजूद अदृश्य अधिशेषों में कमी होने से वित्तीय वर्ष '10 के दौरान चालू खाता घाटा अपेक्षाकृत अधिक रहा। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कि अप्रैल-दिसंबर, 2009 के दौरान चालू खाता घाटा यूएस डॉलर 30.3 बिलियन रहा जो कि अप्रैल-दिसंबर, 2008 के यूएस डॉलर 27.5 बिलियन से ज्यादा था।

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार की महत्वपूर्ण विशेषता, एफआईआई एवं एफडीआई दोनों द्वारा बड़े पूंजी अंतर्प्रवाह आरंभ करना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत में वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान यूएस डॉलर 29 बिलियन का निवेश किया गया जबकि अप्रैल-फरवरी वित्तीय वर्ष '10 के दौरान यूएस डॉलर 33.1 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। पूंजी अंतर्प्रवाह में वृद्धि होने के कारण वित्तीय वर्ष '10 के दौरान रूपए के मूल्य में यूएस डॉलर की तुलना में 11.5% की वृद्धि हुई। तथापि वर्ष के दौरान भारत एवं इसके व्यापार सहयोगियों में मुद्रास्फीति भिन्नांकों में वृद्धि के कारण वास्तविक विनिमय दरों में अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2010, के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यूएस डॉलर 27.1 बिलियन बढ़कर मार्च, 2010 के अंत में यूएस डॉलर 279.1 बिलियन हो गया। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 नवम्बर, 2009 को आई.एम.एफ से भा.रि.बैंक एफईआर प्रबंधन परिचालन के अंतर्गत 200 मेट्रिक टन सोना खरीदा।

भारत का बाहरी ऋण दिसंबर, 2009 के अंत में यूएस डॉलर 251.4 बिलियन पहुंच गया जो कि मार्च, 2009 के स्तर से यूएस डॉलर 26.8 बिलियन ज्यादा था। यह मुख्यतः दीर्घावधि ऋणों में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप हुआ।

भारतीय इक्विटी बाजार में अंतिम दो तिमाहियों के दौरान दुबई वर्ड एवं यूनानी आर्थिक संकट के कारण आए आकस्मिक करेक्शन को छोड़कर वित्तीय वर्ष '10 के दौरान तेजी आई। बड़ी मात्रा में एफआईआई अंतर्प्रवाह के आधार पर समग्र रूप से बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स एवं निफ्टी में वर्ष दर वर्ष के आधार पर क्रमशः 81.0% एवं 74.0% की बढ़ोत्तरी हुई।

वित्तीय वर्ष '10 के दौरान केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य के 6.8% की सीमा में रहने की संभावना है। 3जी नीलामी से आय एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में होनेवाली कमी, यदि कोई हो, को विनिवेश प्राप्तियों एवं प्रत्यक्ष कर राजस्व से पूरा किया जा सकता है जबकि पेंशन एवं खाद्य वस्तुओं एवं उर्वरकों पर सब्सिडी को अन्य मदों से संबंधित बचत द्वारा पूरा किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष '10 के दौरान सरकार द्वारा बाजार से रेकार्ड उधार लेने की कार्रवाई अच्छी गति एवं बिना रुकावट के तथा बांड संबंधी आय पर सीमित प्रभाव के साथ जारी रही।

वर्ष '11 के केन्द्रीय बजट ने वित्तीय वर्ष '11 के दौरान राजकोषीय घाटे को कम कर जीडीपी के 5.5%, वर्ष '12 के दौरान 4.8%, वर्ष '13 के दौरान 4.1% का लक्ष्य रखा है। खर्च मदों में अपेक्षित गिरावट एवं राजस्व में बढ़ोत्तरी की अच्छी संभावना से इसे और गति मिलेगी।

वित्तीय वर्ष '11 के केन्द्रीय बजट ने संकट अवधि के दौरान लागू की गई ड्यूटी संबंधी रियायतों को आंशिक तौर पर वापस लेकर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति की समाप्ति का संकेत दिया। उत्पाद कर को 8.0% से बढ़ाकर 10.0% कर दिया। अन्य कर प्रस्तावों में शामिल हैं - आय कर स्लैब को व्यावहारिक बनाना, पेट्रोल एवं डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद कर एवं पेट्रोलियम उत्पादों जिसमें कच्चा तेल भी शामिल है पर 5.0% कस्टम ड्यूटी लगाना। सरकारी सब्सिडी के क्षेत्र में उर्वरकों के लिए पोषक आधार सब्सिडी आरंभ करना युगांतरकारी सुधार है। इस नीति से कृषि उत्पादकता में सुधार होगा, सब्सिडी बिलों में आने वाले समय में कटौती होगी एवं पर्यावरण संरक्षण भी होगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने वित्तीय वर्ष '11 से ईंधन, खाद्य सामग्री एवं उर्वरकों की सब्सिडी के लिए धन एकत्र करने के लिए विशेष अतिरिक्त बजट बांड फिर से नहीं जारी करने का निर्णय लिया है। वित्तीय क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रगति सरकार धारित एवं स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया पुनः शुरू करना है। वित्तीय वर्ष '10 के दौरान सरकार ने इस तरीके से रु.33,500 करोड़ का संग्रहण किया गया जबकि वित्तीय वर्ष '11 के बजट में विनिवेश द्वारा रु.40,000 करोड़ एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत का परिदृश्य, भविष्य के मद्देनजर, काफी सकारात्मक है। इसकी अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। बढ़ती हुई घरेलू एवं बाहरी मांगों के आधार पर उद्योग क्षेत्र में सुधार शीघ्र संभावित है। अक्टूबर-नवम्बर, 2009 से निर्यात एवं आयात में पुनः खासी बढ़ोत्तरी हुई है। बैंक एवं गैर-बैंक स्रोतों से वाणिज्यिक क्षेत्र को निधि प्रवाह में तेजी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य एजेंसियों द्वारा व्यवसाय परिदृश्य सर्वेक्षण से व्यावसायिक आशावादिता में सुधार का पता चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष '11 के लिए सामान्य मानसून एवं उद्योग तथा सेवा क्षेत्र द्वारा सतत अछा कार्यनिष्पादन मानते हुए सकल घरेलू उत्पाद में 8.0% की वृद्धि की संभावना बताई है।

वित्तीय वर्ष '10 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

1990 के दशक के मध्य सुधरी हुई उत्पादकता एवं सुदृढ़ विनियामक एवं पर्यवेक्षण प्रणाली के आधार पर भारतीय बैंकिंग उद्योग वैश्विक संकट के दौर में भी सुदृढ़ एवं सशक्त बना रहा। मार्च, 2009 के अंत में बैंकिंग उद्योग के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक औसत आस्तियों पर आय (आरओए) 1.13%, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 13.98% तथा शुद्ध एनपीए अनुपात 1.05% सुदृढ़ बने रहे।

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान अनेक चुनौतियों के बावजूद बैंकिंग उद्योग ने अछा व्यावसायिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन किया। उदाहरण स्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं में 17.1% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत सावधि जमाओं में 16.2% की वृद्धि हुई जो कि विभिन्न बैंकों द्वारा सावधि जमाओं पर दिए जा रहे ब्याज दर में बढ़ी गिरावट का परिणाम था। चूंकि नवम्बर 2009 तक ऋणों में वृद्धि काफी धीमी गति से हुई, इस कारण बैंकों ने जमाओं की लागत को कम करते हुए अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन को बचाने के प्रयास किए। सावधि जमाओं में धीमी वृद्धि का परिणाम वित्तीय वर्ष 10 के दौरान मुद्रा आपूर्ति अथवा एम3 में 16.8% (वर्ष दर वर्ष) की कम वृद्धि के रूप में आया। तथापि वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान बैंक की मांग जमाओं में 22.8% (वर्ष दर वर्ष) की अच्छी वृद्धि हुई जिससे बैंकिंग उद्योग द्वारा जमाओं की लागत को कम करने हेतु कम

लागत वाली जमाओं (कासा) को संगृहीत करने के संबंध में किए गए सघन प्रयासों का पता चलता है।

सरकार द्वारा अपनी अधिकांश बाजार संबंधी उधारी आवश्यकताओं को इस अवधि के दौरान पूरा करने के कारण मुद्रा आपूर्ति के स्रोतों में से एक सरकार को शुद्ध बैंक ऋण में खासी वृद्धि हुई। तथापि नवम्बर, 2009 के उपरांत इस संबंध में वृद्धि दर में काफी कमी आई। वर्ष दर वर्ष के आधार पर सरकार को शुद्ध बैंक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण को शामिल करते हुए) में वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान 30.6% की वृद्धि हुई।

वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा गैर खाद्य ऋणों की मांग में नवम्बर, 2009 महीने से वृद्धि आने लगी एवं मार्च, 2010 में अंततः 16.9% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्देशित लक्ष्य 16.0% था। वर्ष में अक्टूबर, 2009 तक गैर खाद्य ऋणों में कमी जारी रही एवं यह 10.3% के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई। उद्योग जगत में सुधार के धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में प्रसारित होने से नवम्बर, 2009 के अंत से गैर खाद्य ऋणों की मांग बढ़ने लगी एवं इसने वित्तीय वर्ष 2010 की दूसरी छःमाही के दौरान वर्धित ऋण जमा अनुपात को बढ़ा दिया। वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान हालांकि सरकारी बैंकों ने ऋण विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में भी पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार देखा गया। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010 में विदेशी बैंकों के ऋण संविभाग में और अधिक कमी आयी।

निजी क्षेत्र से ऋण की मांग में सुधार के परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में एक वर्ष पहले के 20.0% की तुलना में 26 मार्च, 2010 को निवेश वृद्धि 18.5% (वर्ष दर वर्ष) रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की एसएलआर प्रतिभूतियों में धारिता मार्च, 2010 की समाप्ति पर उनकी शुद्ध मांग एवं आवधिक देयताओं की 28.8% रही।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण संबंधी प्रकाशित आंकड़ों से सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवाएं एवं खुदरा ऋणों में नवम्बर, 2009 से सुधार का संकेत मिलता है।

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर, धातु, धातु उत्पाद जैसे क्षेत्रों में मांग वृद्धि अधिक रही। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत फरवरी, 2010 महीने में ट्रांसपोर्ट परिचालक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पर्यटन, होटल, रेस्तरां एवं व्यापार में ऋण वृद्धि अधिक तेजी से हुई। वित्तीय वर्ष 2010 में रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋणों में भारी गिरावट, मुख्यतः सितम्बर, 2009 में रियल एस्टेट की अवधारणा में बदलाव के कारण हुआ।

कुछ बैंकों को छोड़कर भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समग्र रूप से वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान स्थायी बनी रही। सुधरते आर्थिक परिदृश्य एवं पूंजी अंतर्प्रवाह के आरंभ की पृष्ठभूमि में आर्थिक अनियमितता के भय धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं।

भारतीय बैंकिंग उद्योग परिदृश्य वित्तीय वर्ष 2011 के लिए काफी सकारात्मक है। भारत में बढ़ती आर्थिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने हाल में भारतीय बैंकिंग उद्योग के संबंध में अपने नज़रिए को बदला है। उदाहरणस्वरूप मूडी रेटिंग एजेंसी ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए फंडामेंटल क्रेडिट आउटलुक को, पिछले कुछ महीनों के दौरान भारतीय आर्थिक संकेतकों के सकारात्मक रूख को ध्यान में रखते हुए, "नकारात्मक" से "स्थायी" कर दिया है। फिच रेटिंग एजेंसी ने भी एशियाई बैंकिंग उद्योग पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि जून-दिसम्बर, 2009 के दौरान एशिया (भारत को शामिल करते हुए) में बैंकिंग परिचालनात्मक माहौल में अप्रत्याशित तेजी के साथ सुदृढ़ता आई है, फलस्वरूप आर्थिक मंदी के कारण संभावित अशोध्य ऋणों से ध्यान हटकर आस्तियों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि पर चला गया है।

जोखिम प्रबंधन

विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिम उठाना बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न भाग है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास मजबूत एवं एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि अनुमानित जोखिम परिभाषित मानदंडों के अंदर हो तथा

पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित रहे. बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचों में, जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली शामिल हैं.

जोखिम प्रबंधन ढांचा

बैंक की जोखिम क्षमता और प्रभावी जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल और बैंक के शीर्ष प्रबंधन पर रहती है. निदेशक मंडल ने वित्तीय जोखिम से संबंधित मुद्दों पर सहायता देने हेतु जोखिम प्रबंधन और एएलएम (आस्ति देयता प्रबंधन) की उप समितियों का गठन किया है. बैंक के पास महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक पूरा जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जिसमें योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित स्टाफ सदस्यों को तैनात किया गया है. बैंक ने उच्च कार्यपालकों के नेतृत्व में अलग-अलग समितियों का गठन संबंधित जोखिम कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए किया है.

आस्ति, देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मूलतः मार्केट जोखिम एवं तुलन पत्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. इसके पास जमा राशियों की दरें, ऋण की दरें, स्प्रेड, अंतरण-मूल्य निर्धारण आदि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तय करने के प्रत्यायोजित अधिकार हैं. यह आस्ति देयता में असंतुलन को दूर करने के लिए कार्यनीति भी तैयार करती है.

ऋण नीति समिति (सीपीसी) के पास विभिन्न उद्यमवार ऋण जोखिम कार्ययोजना, ऋण नीति बनाने सहित योजनाएं तैयार करके उन्हें कार्यान्वित करने का अधिकार एवं जिम्मेदारी है तथा इसे नियमित आधार पर ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों की निगरानी भी करनी है.

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के पास परिचालनगत जोखिम को स्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया तैयार करने और उसका रखरखाव करने का अधिकार एवं जिम्मेदारी है.

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति एवं प्रक्रिया है जिससे बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों का आकलन, प्रबंधन एवं समापन किया जा सके. सुलभ संदर्भ के लिए तथा बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न कार्यप्रमुखों को सुलभ संदर्भ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन एवं ग्रुप जोखिम नीति, घरेलू ऋण नीति, मिड ऑफिस पॉलिसी, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर पॉलिसी, (घरेलू) बिज़नेस कान्टीन्यूटी प्लानिंग पॉलिसी, पिलर III, प्रकटीकरण नीति, स्ट्रेस टेस्ट पॉलिसी, स्ट्रेस टेस्ट फ्रेम वर्क, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी), ऋण जोखिम समापन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति हैं.

जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग प्रणाली

वित्तीय सेवा उद्योग में बैंक के सामने सबसे बड़ा जोखिम तरलता जोखिम, ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम और परिचालन जोखिम होता है.

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जब बैंक के पास अपनी देयताओं एवं वचन बद्धताओं को पूरा करने के लिए या तो वित्तीय साधन उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं, जब वे देय होते हैं अथवा बैंक को अधिक लागत पर उन्हें प्राप्त करना पड़ता है. समीक्षाधीन वर्ष में दौरान निगरानीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऋण वृद्धि एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण के संबंध में किए गए कुछ समायोजनों के कारण वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनी रही.

बैंक की आस्ति देयता समिति (एलको) की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह बैंक के तरलता जोखिम पर पूरी तरह से निगरानी रखे. प्रवाह दृष्टिकोण के अंतर्गत तरलता जोखिम को संगठनात्मक तरलता अंतराल रिपोर्टों द्वारा दैनिक आधार पर और अगले तीन मास पखवाड़े के आधार पर गतिशील अंतराल रिपोर्टों के माध्यम से, गतिशील आधार पर आंका जाता है. स्टॉक दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक ने दैनिक आधार पर उधार देने, दैनिक आधार पर उधार लेने एवं ग्राहक जमा राशियों के अनुपात और प्रमुख आस्ति

अनुपात की तुलना में शुद्ध ऋण आदि जैसी ऋण गतिविधियों के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं. जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत आस्ति देयताएं प्रबंधन (ALM) कक्ष दैनिक आधार पर तरलता स्थिति की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नकारात्मक तरलता अंतराल, संबंधित समय अवधि में छूट सीमा से अधिक नहीं हो. विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी निवेशों के संबंध में देशीय तरलता का मूल्यांकन स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा, मुंबई करती है. विदेशी परिचालन के संबंध में प्रत्येक टैरीटरी निर्धारित अवधि पर मुद्रावार तरलता स्थिति का मूल्यांकन करती है. नियमित अंतरालों पर आकस्मिकता के मामले में निधियों की आवश्यकताओं का भी आकलन किया जाता है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बैंक तैयार रह सके. बैंक ने अपनी तरलता स्थिति की व्यवस्था विवेकपूर्ण ढंग से जमा आधार के विविधीकरण, बड़ी जमा राशि के स्तर पर नियंत्रण और बाजार की सामान्य स्थितियों के अंतर्गत थोक निधियां प्राप्त करके की हैं. बैंक के पास भारी मात्रा में विपणन योग्य प्रतिभूतियां हैं जिन्हें जरूरत के समय बेचा जा सकता है, निवेश किया जा सकता है या आवश्यकता के समय संपार्श्विक सम्पत्ति के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है.

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जिसमें काउण्टर पार्टी वित्तीय लेन-देनों के अपने दायित्व को पूरा नहीं करती है, परिणामस्वरूप बैंक को वित्तीय हानि होती है. ऋण जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में पहचान, परिमाणन, अनुप्रवर्तन और ऋण निवेश पर नियंत्रण शामिल है.

परिचालन कार्यप्रमुखों को जानकारी देने के लिए बैंक के पास देशीय ऋण नीति, निवेश नीति, बैलेंस शीट में सम्मिलित न किए जाने वाली निवेश-मद संबंधी नीति आदि जैसी विभिन्न नीतियां हैं जिनमें बैंक ने ऋण जोखिमों के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण सुरक्षा उपाय किए हैं. बैंक ने औद्योगिक अध्ययन भी किए हैं ताकि उद्योगों के अंतर्गत, जहां बैंक ने भारी मात्रा में निवेश किया है, प्रचलित जोखिमों का पता लग सके और इससे उभरते हुए उद्योगों की पहचान भी हो सके. परिचालन कार्यप्रमुखों को इन औद्योगिक रिपोर्टों की सूचना भी दी गई है ताकि इन उद्योगों को उधार देते समय उन पर विचार किया जा सके.

बैंक ने विभिन्न ऋण रेटिंग मॉडल्स भी अपनाए हैं ताकि विशिष्ट ऋण लेनदेन से संबंधित ऋण जोखिम के स्तर को आंका जा सके. बैंक अधिकतर व्यावसायिक ऋणों (व्यक्तिगत ऋणों के अतिरिक्त) के ऋण जोखिम का पता लगाने के लिए विकसित रोबस्ट रेटिंग मॉडल का उपयोग करता है. ये रेटिंग मॉडल अनुमानित चूक (पीडी), संभावना चूक से होने वाली हानि (एलजीडी) और किसी विशेष परिसम्पत्ति से होने वाली अप्रत्याशित हानि का पता लगाने की क्षमता रखते हैं.

पीडी एवं एलजीडी का अनुमान लगाने के अलावा, ऋण क्रेडिट रेटिंग मॉडल बैंक की कुछ अन्य तरीकों से भी सहायता करेगा, जो इस प्रकार हैं -

जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए रेटिंग आधारित दृष्टिकोण को अपनाना.

निहित ऋण जोखिम को ध्यान में रखने हेतु विशेष मूल्य ऋण सुविधा.

समग्र ऋण जोखिम को मापना और उसका मूल्यांकन करना और अपेक्षित ऋण जोखिम संविभाग का मूल्यांकन करना.

काउण्टर पार्टी के स्तर पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त बैंक के पास संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया एवं पद्धति है. बैंक नियमित अंतरालों पर ऋण संविभाग की समीक्षा करता है ताकि ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार हो सके या निश्चित ऋणियों / क्षेत्रों / उद्योगों में ऋण संकेंद्रण के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके.

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम में जोखिम बाण्डो, इक्विटी, फोरेक्स करार इत्यादि जैसे वित्तीय लिखतों के मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण क्षति के रूप में होता है. बाजार

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बैंक की आय और इक्विटी के साथ तुलन-पत्र एवं संरचनात्मक स्थिति को क्षति पहुंचाने वाले अत्यधिक एक्सपोजर से बचना और वित्तीय लिखतों जैसे प्रतिभूतियों विदेश विनियम संविदाएं, इक्विटी तथा डेरीवेटिव लिखतों में निहित उतार-चढ़ाव में बैंक के एक्सपोजर को कम करना है। वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक के समक्ष मुख्य जोखिम ब्याज दर जोखिम हैं, जो कि बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन कार्यकलापों के कारण उत्पन्न होता है। बैंक के बाजार से सम्बद्ध अन्य जोखिमों में विदेशी मुद्रा स्थिति पर विदेशी मुद्रा जोखिम नकदी अथवा निधिगत जोखिम और ट्रेडिंग पोर्टफोलियों पर मूल्य जोखिम है।

बैंक ने बाजार जोखिम से बचने के लिए स्पष्ट समन्वित ट्रेजरी प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति बनाई है। इन नीतियों में प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं, विवेकसम्मत ऋण सीमाओं, समीक्षा प्रणाली और रिपोर्टिंग पद्धतियों का समावेश है। वित्तीय और बाजार स्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप इन नीतियों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का आकलन ब्याज दर अस्थिरता अन्तराल रिपोर्ट तथा जोखिम आय के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा बैंक मासिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, निवेश पोर्टफोलियों के जोखिम मूल्य, जिसमें स्थायी आय प्रतिभूतियां, इक्विटी तथा विदेशी मुद्रा पोजीशन शामिल है, गणना करता है। बैंक, अल्पावधि ब्याज दर जोखिम की मॉनिटरिंग, शुद्ध ब्याज आय (एनआरआई) तथा दीर्घ अवधि ब्याज जोखिम की मॉनिटरिंग इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) को ध्यान में रखते हुए करता है। ट्रेजरी के संदर्भ में वेल्यू एट रिस्क की गणना 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर 10 दिन की होल्डिंग अवधि के आधार पर की जाती है। अस्थिरता विश्लेषण तथा इक्विटीज के माध्यम से स्थिर ब्याज निवेश पोर्टफोलियों की स्ट्रेस जांच परिस्थितिगत विश्लेषण के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर बैंक, इक्विटी प्रभाव के आर्थिक मूल्य का तिमाही आधार पर आकलन कर रहा है।

परिचालन जोखिम

अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, मानव और पद्धति अथवा बाह्य तत्वों के कारण होने वाले हानि जोखिम को परिचालन जोखिम कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति के पास बैंक के परिचालन जोखिम पर नियंत्रण रखने का प्राधिकार एवं जिम्मेदारी है। बैंक, अपनी आंतरिक पद्धतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और इनके विधिवत अनुपालन द्वारा परिचालन जोखिम पर नियंत्रण रखता है। बैंक प्रति छमाही आधार पर परिचालन जोखिम संबंधी आंकड़ों का संग्रहण एवं विभिन्न अलग-अलग पैरामीटरों पर इनका विश्लेषण करता है और जहां कहीं जरूरी हो वहां सुधार के उपाय किए जाते हैं।

बासेल II का बैंक द्वारा अनुपालन

बैंक की, अन्य भारतीय बैंकों की तुलना में विदेशों में व्यापक उपस्थिति है और इसलिए 31 मार्च, 2008 से इसने बासेल II दिशानिर्देशों को कार्यान्वित कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और सीआरएआर की गणना हेतु बाजार जोखिम के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है। इस प्रकार बैंक, बासेल I तथा बासेल II दिशानिर्देशों के तहत समानान्तर आधार पर जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी की गणना कर रहा है। बैंक बासेल II दिशा-निर्देशों के तहत परिचालन जोखिम हेतु अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान कर रहा है। बैंक के सीआरएआर को निम्नानुसार सारांशिकृत किया गया है।

	बासेल I	बासेल II
31.03.2008	12.91%	12.94%
31.03.2009	12.88%	14.05%
31.03.2010	12.84%	14.36%

बासेल II के मानदंडों के तहत भारतीय रिज़र्व के पिलर II दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप बैंक ने सम्भावित विभिन्न जोखिमों के संबंध में आंतरिक पूंजी का आकलन करने के लिए अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया नीति (आईसीएएपी)

तैयार की है। तनाव परीक्षण और परिवेश विश्लेषण का बैंक की वित्तीय तथा प्रबंधन क्षमता का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताकि विशिष्ट किन्तु संभावित परिस्थितियों में प्रभावशाली ढंग से परिचालन जारी रखा जा सके। ऐसी परिस्थितियां आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक, पर्यावरणपरक और सामाजिक कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं।

बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव आकलन नीति है जिसमें संभाव्य संवेदनशीलताओं की पहचान करने की विभिन्न तकनीकों एवं बैंक द्वारा उनको वहन करने की क्षमता का वर्णन किया गया है। बैंक ने आईसीएएपी नीति के अनुसार अर्द्धवार्षिक आधार पर तनाव परीक्षण एवं आईसीएएपी परीक्षण कराया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बाजार नियंत्रण संबंधी पिलर III दिशानिर्देशों के अंतर्गत 30 सितंबर, 2009 तथा 31 मार्च, 2010 को प्रकटीकरण किए गए हैं। 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। 30 सितंबर, 2009 को समाप्त छमाही के लिए किया गया प्रकटीकरण भी बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

ऋण निगरानी कार्य

बैंक ने अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अपने ऋण पोर्टफोलियों की सतत निगरानी हेतु एक प्रणाली बनायी है। बैंक के पास विभिन्न स्तरों पर अग्रिम खातों की मासिक जांच के लिए व्यवस्थित पद्धति है जो आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार पर कदम उठाने का कार्य करती है।

ऋण निगरानी के लिए कार्पोरेट स्तर पर महाप्रबंधक की देखरेख में एक अलग से विभाग तथा अंचल व क्षेत्रीय स्तर पर ऋण निगरानी के लिए विभागों का गठन किया गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के कारण खराब हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान पर रखते हुए संबद्ध विभागों ने सितम्बर, 2008 से ऋण निगरानी गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यांभ कर दिया है। सभी अंचल / क्षेत्रीय कार्यालयों में स्लिपेज निवारक कार्य-दलों का गठन किया गया है। इसके अलावा बैंक ने आरंभिक चरण में ही स्लिपेज को रोकने के उद्देश्य से विद्यमान मानदंड एवं दिशानिर्देशों के अनुक्रम में उपयुक्त प्रावधान को शामिल कर बैंक की घरेलू ऋण नीति को अनुकूल बना दिया गया है। बैंक ने आस्तियों की गुणवत्ता, विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों / शाखाओं के निर्धारण, कार्यनीति तैयार करने और समयबद्ध रूप में उसे लागू करने पर विशेष ध्यान दिया है।

कार्पोरेट स्तर पर ऋण निगरानी विभाग के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं :

- आरंभिक अवस्था में ऋण खाते की कमियों / सम्भावित चूक / शुरुआती अस्वस्थता को पहचानना।
- जब कभी भी किसी खाते में ऋण गुणवत्ता की क्षति अर्थात ऋण रेटिंग में गिरावट, एलसी / गारंटी की देयताओं को पूरा करने में देरी करने और ब्याज / किस्तें आदि की अदायगी में विलम्ब होने के संकेत मिलते हैं तो उन्हें रोकने के लिए समय पर उपयुक्त एवं सुधारात्मक कदम उठाना।
- कठोर अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण रेटिंग में आने वाली गिरावट को रोकना।
- ऋण खातों की पुनः संरचना / पुनः समय निर्धारण / पुनः चरणबद्ध करने के लिए उपयुक्त मामलों तथा ऋणों के सहयोग प्रदान करने के आधार पर उपयुक्त एवं वास्तविक मामलों में आगे और वित्त प्रदान करने के मामलों की पहचान करना।
- खातों की समीक्षा एवं नियम तथा शर्तों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाकर / नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही करके बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- ऋण रेटिंग में सुधार करने के प्रयास करना।

अग्रिम खातों का पुनर्गठन

आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने की सतत व्यावसायिक कार्यनीति के तहत बैंक उद्योगवार एवं प्रत्येक ऋणकर्तावार अग्रिम पोर्टफोलियो की गुणवत्ता नियमित तौर पर मॉनीटर किए जाने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके तहत संभावित समस्याओं का विश्लेषण किया जाना तथा अग्रिम खातों में आरंभिक चरण में ही कमियों / संभावित चूक / शुरुआती अस्वस्थता का पता लगाना शामिल है ताकि ऋण गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

कार्पोरेट कार्यालय स्थित ऋण निगरानी विभाग ने अग्रिम खातों की रूग्णता / संभावित चूक / शुरुआती अस्वस्थता की पहचान करने के लिए अनेक पहल की हैं ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अंतर्गत भारतीय आर्थिक संकट के कारण अस्थायी नकदी प्रवाह की समस्या से ग्रस्त उद्यमकर्ताओं की मदद हेतु उपयुक्त मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुकूल खातों का पुनर्गठन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010 के अनुसार बैंक ने अनेक अग्रिम खातों का पुनर्गठन किया जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

अग्रिम खातों का पुनर्गठन (देशीय) 2009-10

(रुपये करोड़ में)

		सीडीआर मैकनिज्म	एसएमई पुनर्संरचना	अन्य	कुल
पुनर्गठित मानक अग्रिम	ऋणियों की संख्या	7	817	19,591	20,415
	बकाया राशि	355.76	402.37	1,662.31	2,420.44
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	ऋणियों की संख्या	0	4	305	309
	बकाया राशि	0.00	29.29	4.62	33.91
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	ऋणियों की संख्या	0	1	24	25
	बकाया राशि	0.00	0.53	0.17	0.70
कुल	ऋणियों की संख्या	7	822	19,920	20,749
	बकाया राशि	355.76	432.19	1,667.10	2,455.05

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान रु.1796.98 करोड़ की कुल बकाया राशि के 43 ऋण खातों का पुनर्गठन किया।

बैंक ने उच्च मूल्य वर्ग के अग्रिम खातों में बैंक संविभाग की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए खातों की शीघ्र समीक्षा, नियम एवं शर्तों का अनुपालन, ऋण रेटिंग आदि के उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही भी की है। इस सक्रिय पहल से बैंक को औद्योगिक स्तर पर बेहतर आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिली है।

आर्थिक आसूचना इकाई

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में कार्यरत विशेष आर्थिक आसूचना इकाई, नीतिपरक व्यवसाय आयोजना, निवेशक संबंध एवं ऋण तथा बाजार जोखिम प्रबंधन जैसे नाजुक क्षेत्रों में उच्च प्रबंधन वर्ग को सहयोग देती है। यह इकाई नियमित रूप से उच्च प्रबंधन वर्ग तथा बैंक की विभिन्न परिचालन इकाइयों को समय-समय पर प्रमुख क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक एवं संगठनात्मक विकास, मुद्रा-स्फीति, ब्याज दर, स्टॉक संचालन, ऋण विस्तार एवं बैंकिंग उद्योगों हेतु संसाधन जुटाना, तरलता एवं विनिमय दरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में आवधिक रूप से जानकारी प्रदान करती है।

व्यापक आर्थिक पहलुओं, कार्पोरेट क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र की नीतियों के संबंध में बेहतर समझ प्रदान कर यह विभाग व्यावसायिक अवसरों को अधिकतम फायदा उठाने हेतु बैंक के प्रयासों और बाजार के समीकरणों के हिसाब से अपने को अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करता है।

आर्थिक आसूचना इकाई द्वारा व्यापक आर्थिक पहलुओं, नीति, विनिमय संबंधी

प्रगति के संबंध में एक साप्ताहिक ई-प्रकाशन निकाला जाता है ताकि उच्च प्रबंधन, बाजार भागीदार एवं शीर्ष उद्योगों को संबद्ध परिप्रेक्ष्य उपलब्ध हो सके। यह इकाई आर्थिक गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत करते हुए बैंक की बौद्धिक शक्ति के रूप में काम करती है, जिनके आधार पर भविष्य में सम्यक कार्यनीतियां तैयार होती हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति

बैंक में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय निरीक्षण व लेखा परीक्षा प्रभाग है जो कि पद्धतियों, नीतियों और प्रणालियों के अनुपालन की जांच में बैंक की मदद करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न मामलों पर प्राप्त दिशा-निर्देश बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति का एक हिस्सा बन गए हैं। केन्द्रीय निरीक्षण व लेखा परीक्षा प्रभाग अपने 10 अंचल निरीक्षण केन्द्रों के माध्यम से निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुरूप शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण करता है। केवाईसी/एएमएल (अर्थात अपने ग्राहक को जानिए तथा धनशोधन निवारक इत्यादि विभिन्न

आयामों सहित) जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण की ऐसी पद्धतियों के पालन की जांच करता है।

नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट परिचालन स्तर पर बैंक के मानदंडों की अनुपालन स्थिति के संबंध में बैंक के उच्च प्रबंधन को विस्तृत फीडबैक प्रदान करती है एवं इस प्रकार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करती है। इसके अनुपालन की मॉनिटरिंग निरीक्षित इकाई द्वारा जारी एवं रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित सुधार प्रमाण-पत्र के माध्यम से की जाती है।

सभी शाखाएं जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के तहत कवर हैं। जोखिम तथा उनकी दिशा के स्तर का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार होता है, जो कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए अलग करने में प्रबंधन की मदद करता है। शाखाओं के जोखिम वर्गीकरण की स्थिति की समीक्षा एसीबी द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

शाखाओं के नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त, बैंक में कई अन्य निरीक्षण जैसे अनुषंगियों, सहायक इकाइयों, कार्पोरेट / प्रधान कार्यालय के विभागों, प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशासनिक कार्यालयों के निरीक्षण तथा बैंक के नियंत्रक कार्यालयों, इसकी अनुषंगियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है। विदेशी शाखाओं के निरीक्षण उन केन्द्रों पर नियुक्त बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान देशभर के अंचल निरीक्षण केन्द्रों के निरीक्षण अधिकारियों ने 2357 घरेलू शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा

की. विदेशों में तैनात आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा विदेशी शाखाओं के लगभग 438 निरीक्षण किए गए. इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ अंचल, उत्तरी अंचल, महाराष्ट्र एवं गोवा अंचल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर के प्रोजेक्ट एवं आईटी / अंतर्शाखा परिचालन / मानव संसाधन प्रबंधन / होलसेल बैंकिंग, नैनीताल बैंक (अनुषंगी) की प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई.

बैंक की 611 शाखाओं की समवर्ती लेखा परीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, जो बैंक की निधि एवं निवेशों तथा विदेशी मुद्रा डीलिंग परिचालनों का प्रबंधन करती है, की समवर्ती लेखा परीक्षा भी शामिल है. समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत घरेलू निवेशों तथा विदेशी मुद्रा डीलिंग परिचालन के शत प्रतिशत के अतिरिक्त, बैंक के कुल घरेलू अग्रिम का 79.0% एवं कुल घरेलू व्यवसाय का 69% कवर होते हैं.

केन्द्रीय निरीक्षण लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा ऋण लेखा परीक्षा कार्य संपन्न किया जाता है जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुकूल समय-समय पर बैंक द्वारा विद्यमान मंजूरी / मंजूरी उपरांत प्रक्रिया संबंधित निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा की जाती है. ऋण लेखा परीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं.

- ऋणों की गुणवत्ता में सुधार
- बड़े ऋणों की मंजूरी प्रक्रिया एवं अनुपालन स्थिति की समीक्षा
- विनियमों के अनुपालन के संबंध में फीडबैक
- ऋण जोखिम मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से समीक्षा
- पूर्व चेतावनी संकतों की पहचान करना एवं सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में सुझाव देना
- ऋण गुणवत्ता, ऋण प्रशासन एवं स्टाफ के ऋण कौशल इत्यादि में सुधार हेतु सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में सुझाव देना.

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 2,331 बड़े खातों की ऋण लेखा परीक्षा की गई जिसके अंतर्गत रु.1,09,680 करोड़ (निधि आधारित रु.85,666 करोड़ एवं गैर निधि आधारित रु.24,014 करोड़) की ऋण सीमा शामिल है. ऋण लेखा परीक्षा हेतु पात्र सभी खातों की रिपोर्टें पर कार्रवाई की जा चुकी है एवं इन्हें अनुपालन तथा संबद्ध अंचल को आवश्यक अनुदेश के उपरांत बंद किया जा चुका है.

केन्द्रीय निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा प्रभाग भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप तिमाही आधार पर रिस्क प्रोफाइल टेम्पलेट का संकलन करता है. इसे संबंधित कार्यकारी प्रमुख के अनुमोदन एवं निदेशक मंडल के अंतिम अनुमोदन के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक की रिस्क प्रोफाइल टेम्पलेट के अनुसार बैंक का समग्र जोखिम स्तर न्यून है तथा 31 मार्च, 2010 को उसकी दिशा स्थिर है.

केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रभाग द्वारा अपने सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण कक्षों के माध्यम से चयनित शाखाओं की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा की गई और कोर बैंकिंग समाधान (CBS) में शिफ्ट हो रही शाखाओं को डाटा माइग्रेशन आडिट भी किया गया.

बैंक अंचल निरीक्षण केन्द्रों में कार्यरत निरीक्षण अधिकारियों हेतु सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षण, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है. वर्ष के दौरान इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम समवर्ती लेखा परीक्षकों हेतु भी आयोजित किए गए ताकि उनका ज्ञान आधार अद्यतन हो सके.

बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति को समीक्षा हेतु प्रस्तुत कार्यसूची में बैंक के समग्र लेखा परीक्षण कार्य का समावेश है. बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति के निर्देशों का अनुपालन की गई कार्रवाई रिपोर्टें (एटीआर) प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती है.

परिचालन एवं सेवाएं

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 10 के दौरान उठाए गए ग्राहकोन्मुख कदम

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं ग्राहक संतुष्टि हमेशा से बैंक के दैनंदिन परिचालन के मूलोद्देश्य रहे हैं. बैंक ग्राहकों की जरूरतों एवं संतुष्टि के प्रति हमेशा से अतिसंवेदनशील रहा है एवं ग्राहकों को सतत आधार पर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं उत्पादों एवं कर्मचारी कौशल के अधिकतम इस्तेमाल के प्रति प्रतिबद्ध है.

हाल ही में, बैंक ने शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु अनेक उपाय किए हैं, साथ ही साथ इसने ग्राहक शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने हेतु ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ़ किया है.

शाखाओं के स्तर पर ग्राहक सेवा में सुधार के प्रयास

- शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों, जिसमें समाज के हरेक तबके के ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है, के माध्यम से ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जाता है. इन बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों / विचारों को समेकित कर शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा के सुधार के संबंध में इनके कार्यान्वित किए जाने की व्यवहार्यता की जांच की जाती है.
- शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु बैंक के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कौशल वृद्धि अथवा ज्ञान की कमी को पूरा करने के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं.

बेहतर ग्राहक सेवा के संबंध में नवीनतम प्रगति

- बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को "कहीं भी, कभी भी" बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए सितम्बर, 2009 में अपनी सभी शाखाओं में सीबीएस प्रणाली लागू की है. बैंक की सभी शाखाएं ग्राहकों को ई-बैंकिंग सेवाएं एवं आरटीजीएस एवं एनईएफटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाई गई हैं.

बैंक की बिज़नेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग परियोजना

- बैंक ने प्रौद्योगिकी के पूर्ण दोहन एवं ग्राहकों को बाधरहित सेवा प्रदान करने हेतु एक व्यापक बिज़नेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग परियोजना आरंभ की है जिसके लिए बैंक ने प्रख्यात परामर्शदाता मैकेंजी एण्ड कंपनी को नियुक्त किया है.



"नवनिर्माण - बड़ौदा नेक्स्ट" का शुभारंभ

- बैंक ने दो प्रकार के बैंक ऑफिस कार्यों - सिटी बैंक ऑफिस, क्षेत्रीय बैंक ऑफिस की अवधारणा आरंभ की है. सिटी बैंक ऑफिस का गठन शहर / केन्द्र की सभी शाखाओं हेतु केन्द्रीकृत आधार पर समाशोधन एवं संग्रहण

कार्यों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक समाधान प्रणाली भी शामिल है, के लिए किया गया है। सारी प्रक्रिया को केन्द्रीकृत करने का मकसद शाखाओं के स्टाफ सदस्य को थकाऊ बैंक ऑफिस कार्यों से मुक्ति दिलाना एवं उनका ध्यान बिक्री एवं सेवा पर केन्द्रित करवाना है। सीबीओ मॉडल पर अभी -21- सेवा शाखाएं एवं -47- मुख्य शाखाएं कार्य कर रही हैं। ये सीबीओ 1090 शाखाओं का कार्य करेंगी।

- अभी बड़ौदा, जयपुर एवं कोयंबतूर में 3 क्षेत्रीय बैंक ऑफिस कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 10 में जयपुर एवं कोयंबतूर में आरबीओ स्थापित किए गए। प्रत्येक आरबीओ को 350 से 400 शाखाओं के बैंक ऑफिस कार्यों को निपटाने के लिए निर्मित किया गया है। 31 मार्च, 2010 को -344- शाखाओं को केन्द्रीकृत रूप से खाता खोलने के संबंध में आरबीओ की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। 104 शाखाओं में निजीकृत चेक बुक केन्द्रीकृत रूप से जारी करना आरंभ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 11 के दौरान भोपाल एवं लखनऊ में दो और आरबीओ खोलने की योजना है।

अनुपालन

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है एवं बैंक ने बीसीएसबीआई द्वारा अगस्त, 2009 में संशोधित ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता संहिता तथा माइक्रो तथा लघु उद्यमों के प्रति वचनबद्धता संहिता को अंगीकृत कर लिया है। बैंक की वेबसाइट पर संहिता (कोड) प्रदर्शित की गई है और इसे शाखाओं में ग्राहकों को भी उपलब्ध करवाया गया है।

ग्राहक सेवा : संस्थागत ढांचा

निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक में ग्राहक सेवा के संबंध में निदेशक मंडल की एक उपसमिति कार्यरत है। 31.03.2010 को समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

(i)	श्री एम.डी.मल्या	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री राजीव कुमार बक्षी	कार्यकारी निदेशक
(iii)	श्री एन.एस.श्रीनाथ	कार्यकारी निदेशक
(iv)	श्री ए.सोमसुंदरम	निदेशक
(v)	डॉ. मसरत शाहिद	निदेशक

उप समिति द्वारा नीतियों का निर्माण एवं अनुपालन की समीक्षा की जाती है जिससे ग्राहक सेवा में सतत् सुधार सुनिश्चित होता है। समिति द्वारा जमाकर्ताओं / लॉकरधारकों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं संबंधी मृतक व्यक्तियों के 15 दिनों की अवधि से अधिक अवधि के निपटाने हेतु लंबित दावों की स्थिति की निगरानी भी की जाती है। यह बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है एवं ऐसे निर्णयों में दर्शाई गई बैंक की संस्थागत कमियों, यदि कोई हों, का भी विवरण प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति की बैठकें 22.06.2009, 29.08.2009, 05.12.2009 तथा 05.03.2010 को आयोजित की गईं जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार थी :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें भाग लिया
श्री एम.डी.मल्या	01.04.2009 से 31.03.2010	4	4
श्री वी.संतानरामन	01.04.2009 से 31.08.2009	2	2
श्री राजीव कुमार बक्षी	01.04.2009 से 31.03.2010	4	4
श्री एन.एस.श्रीनाथ	07.12.2009 से 31.03.2010	1	1
श्री ए.सोमसुंदरम	01.04.2009 से 31.03.2010	4	3
डॉ. मसरत शाहिद	24.11.2009 से 31.03.2010	2	1

ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप ग्राहक सेवा संबंधी प्रक्रिया एवं निष्पादन लेखा परीक्षा की स्थायी समिति गठित की है। बैंक के -4- महाप्रबंधक सहित सदस्यों के रूप में -3- प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। बैंक के कार्यकारी निदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

यह समिति ग्राहक सेवा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के समग्र पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित की गई है। साथ ही यह बैंक में प्रचलित व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करने एवं निरंतर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करते रहने का कार्य कर रही है।

स्थायी समिति के कार्यनिष्पादन पर संक्षिप्त रिपोर्ट आवधिक रूप से निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति को प्रस्तुत की जाती है।

केवाईसी / एएमएल

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारक (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना (सीएफटी) तथा पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंक के दायित्व

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित केवाईसी - एएमएल - सीएफटी नीति है। यह नीति, बैंक के केवाईसी मानकों तथा एएमएल तथा सीएफटी संबंधी उपायों का मूल आधार है।

बैंक में केवाईसी - एएमएल - सीएफटी कार्यान्वयन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं -

- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकदी लेन देन रिपोर्ट जनरेट करना और कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करना।
- प्रणाली आधारित संकेतों को जनरेट करने हेतु एएमएल सोल्यूशन का कार्यान्वयन
- संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टों का प्रणाली आधारित तरीके से पता लगाना और वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करना।
- बैंक ग्राहकों का प्रत्येक छमाही में प्रणाली आधारित जोखिम वर्गीकरण (एएमएल उपायों से) करना।
- जाली मुद्रा रिपोर्ट, वित्तीय आसूचना इकाई, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना।

केवाईसी के पूर्ण अनुपालन से स्टाफ के साथ-साथ ग्राहक शिक्षण जरूरी है जिसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर ग्राहकों के लाभ के लिए के.वाई.सी. दस्तावेजों की पूरी सूची प्रदर्शित है।
- बैंक के इंटरनेट पर केवाईसी-एएमएल पेज उपलब्ध कराया गया है जिस पर केवाईसी एएमएल शिक्षण से संबंधित संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
- बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवाईसी-एएमएल-सीएफटी दिशा-निर्देशों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों / कार्यपालकों हेतु बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- बैंक के प्रधान कार्यालय में कार्पोरेट दृष्टिकोण तथा शाखाओं के केवाईसी आडिट हेतु सधन प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकारी कारोबार

बैंक के परिचालन एवं सेवाएं विभाग ने सरकारी कारोबार के तहत वित्तीय वर्ष 10 के दौरान निम्नलिखित पहल की है।

- इसने केन्द्रीय सिविल पेंशनरों के लिए **सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर** स्थापित किया है। मुख्य महानियंत्रक (पेंशन) सीपीएओ, नई दिल्ली द्वारा इसे 1 जनवरी, 2010 से औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है। बैंक ने पेंशन प्रोसेसिंग एवं भुगतान को केन्द्रीकृत करने में सफलता हासिल कर ली है। सीपीपीसी में प्रति माह 17,000 से ज्यादा पेंशनरों के पेंशन की प्रोसेसिंग की जाती है। नए पीपीओ / संशोधित पीपीओ की प्रोसेसिंग एवं भुगतान, सेंट्रल सिविल पेंशनर्स के लिए मास्टर डाटा बेस, बैंक ऑफिस कार्यों तथा लिंक सेल, नागपुर इत्यादि के माध्यम से निधि के निपटारे आदि सीपीपीसी के मुख्य कार्य हैं, जिससे पेंशनरों को शीघ्रता से एवं चूकरहित पेंशन भुगतान होता है तथा बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से निधि का शीघ्र निपटारा मिलता है।
- एक **शिकायत निवारण प्रणाली** स्थापित की है। उदाहरण के तौर पर बैंक के सीपीपीसी ने पेंशनरों के लिए अलग से टोल फ्री हेल्प लाइन (1800 233 2656) स्थापित की है। इससे पेंशनरों को सूचनाएं प्रदान करने हेतु एक सक्षम मंच मिलता है एवं शिकायतों के प्रबंधन एवं निपटारे में सहायता मिलती है। बैंक ने अपनी वेबसाइट के होमपेज पर सीपीपीसी के लिए अलग से लिंक प्रदान किया है। इस लिंक के माध्यम से पेंशनर पेंशन भुगतान योजना पुस्तिका को देख सकते हैं एवं विभिन्न फॉर्म / प्रमाण पत्र डाउन लोड कर सकते हैं साथ ही अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं।
- **रक्षा एवं रेलवे पेंशन भुगतान** के लिए प्रणाली विकसित की है उदाहरणस्वरूप 40,000 से अधिक रक्षा एवं 50,000 से अधिक रेलवे पेंशनरों का पेंशन भुगतान बैंक में विभिन्न स्थानों पर फैला हुआ था। रक्षा एवं रेलवे पेंशनरों को समय पर एवं सही पेंशन भुगतान हेतु विभाग ने इस कार्य को बैंक की दस नोडल शाखाओं में केन्द्रित कर दिया है।
- **करों के भुगतान हेतु सेवाएं** प्रदान करनी आरंभ कर दी है। लेन देन पासवर्ड से युक्त बड़ौदा कनेक्ट का ग्राहक ई-मोड से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर अदा कर सकता है। इसके साथ बैंक अपनी 550 शाखाओं में प्रत्यक्ष कर तथा 365 शाखाओं में अप्रत्यक्ष कर भौतिक रूप से जमा करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

सतर्कता

सतर्कता कोई अवरोध नहीं है बल्कि अच्छे कार्पोरेट नियंत्रण का साधन है। बैंक के सतर्कता विभाग द्वारा बैंक के कर्मचारियों में यह आशवासन देकर कि निर्दोष कर्मचारियों का बचाव किया जाएगा एवं दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, आत्मविश्वास भर दिया है। इसके अलावा रिपोर्ट किए गए मामलों की प्रकृति के अनुसार समय समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इससे ईमानदार स्टाफ में सक्षमता बढ़ाने एवं सुरक्षा का माहौल निर्मित करने में काफी मदद मिली है।

इस कारण परिचालन स्टाफ ने अपनी भूमिका का निर्वाह आत्मविश्वास के साथ किया जिसका परिणाम वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक की व्यवसाय वृद्धि के रूप में आया। बैंक के व्यवसाय में अत्यधिक वृद्धि की तुलना में धोखाधड़ी के बहुत कम मामले बैंक द्वारा निर्मित अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली के परिचालक हैं।

तथापि तीव्र कंप्यूटरीकरण के कारण बैंक को नए तरह के धोखाधड़ी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। तथापि सतर्कता विभाग ने धोखाधड़ी के नए क्षेत्रों के अध्ययन किए हैं एवं इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंक ने कर्मचारियों में कार्य करने की प्रक्रिया में सतर्कता एवं चौकसी को बढ़ावा देने हेतु धोखाधड़ी के प्रयासों का पता करने अथवा विफल करने / धोखाधड़ी से बैंक को बचाने वाले कर्मचारियों के लिए पुरस्कार प्रदान करने की योजना आरंभ की है। यह उल्लेखनीय है कि परिचालन स्टाफ की जागरूकता, सतर्कता एवं निष्ठापूर्ण प्रयासों से अराजक तत्वों द्वारा वित्तीय वर्ष 10 के दौरान दिए गए -44-धोखाधड़ी के प्रयास विफल कर दिए गए जिसके फलस्वरूप बैंक बहुत बड़ी वित्तीय हानि से बच गया।



केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा "क्लेरीफिकेशन ऑन आईटी प्रोक्योरमेन्ट रिलेटेड इस्पूज" विषय पर पुस्तक का विमोचन

बैंक अचल संपत्तियों तथा कार्यों / स्टोर्स / खरीदों / संविदाओं में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है। इस संबंध में निवारक सतर्कता प्रशासन के प्रतीक के रूप में बैंक ने कार्पोरेट सेंटर में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा महाप्रबंधकों (सूचना प्रौद्योगिकी) ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण के संबंध में एक पुस्तिका बनाई गई एवं प्रतिभागी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संदर्भ हेतु भेजा गया।

बैंक का सतर्कता विभाग निरंतर चौकसी बरतने के साथ बैंक के प्रबंधन की कार्य-निष्पादन के उच्च स्तरों तक पहुंचने में मदद करता है।

कारोबार निष्पादन :

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान व्यवसाय विकास के क्षेत्र में बैंक की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

संसाधन संग्रहण तथा आस्ति विस्तार

31 मार्च 2010 को कुल संसाधनों की तुलना में बैंक की जमा राशियों की अंशधारिता 86.61% रही। कुल जमा राशियां ₹.1,92,396.95 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹. 2,41,044.26 करोड़ हो गईं जो कि पिछले वर्ष से 25.28% की वृद्धि दर्शाती हैं। कुल जमा राशियों में महत्वपूर्ण घटक बचत बैंक जमा राशियों में 23.67% की वृद्धि हुई और ये 42,487.28 करोड़ रूप से बढ़कर ₹.52,543.92 करोड़ हो गईं। कुल वैश्विक जमा राशियों में कम लागत वाली जमा राशियों (चालू एवं जमा) का अंश 29.65% रहा और घरेलू जमा राशियों में यह प्रतिशत 35.63% रहा। पिछले वर्ष के विपरीत बैंकिंग उद्योग में वर्ष 2009-10 के दौरान आवधिक जमाओं पर ब्याज दरों में अत्यधिक कमी के कारण लोगों की रुझान आवधिक जमाओं से हटकर कम लागत जमाओं की ओर रही।

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक के वैश्विक अग्रिमों में 22.19% की वृद्धि हुई। घरेलू अग्रिमों में 21.28% की वृद्धि तथा विदेशी अग्रिमों में 25.04% वृद्धि दर्ज की गई।

निधियों की संरचना - वैश्विक :

विवरण	मार्च 2009 को समाप्त (रु. करोड़)	मार्च, 2010 को समाप्त (रु.करोड़)	वृद्धि (%)
जमाराशियां	1,92,396.95	2,41,044.26	25.28
- घरेलू	1,51,408.99	1,85,282.59	22.37
- विदेशी	40,987.96	55,761.68	36.04
- उधार	12,767.91	13,350.09	4.56

वैश्विक अग्रिम :

विवरण	मार्च 2009 को समाप्त (रु. करोड़)	मार्च, 2010 को समाप्त (रु.करोड़)	वृद्धि (%)
अग्रिम	1,43,251.41	1,75,035.28	22.19
- घरेलू	1,08,548.51	1,31,643.62	21.28
- विदेशी	34,702.90	43,391.66	25.04

होलसेल बैंकिंग:

बैंक का होलसेल बैंकिंग प्रभाग सभी प्रकार के ऋण उत्पाद एवं सेवाएं यथा आवधिक ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधाएं, व्यापार वित्त उत्पाद, नकदी प्रबन्धन उत्पाद, ट्रेजरी उत्पाद, पूरक ऋण, सामूहिक ऋण संरचनात्मक ऋण, विदेशीमुद्रा, ब्याजदर स्वैप, विदेशी मुद्रा ऋण आदि अपने बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुसार प्रदान कर रहा है. ऋण उत्पाद ग्राहकों की जोखिम प्रोफाइल एवं निर्दिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. बेहतर उत्पाद डिलीवरी, सेवा उन्मुख व्यवहार तथा ग्राहकोन्मुख दृष्टिकोण रखते हुए बैंक ने अनेक बहुराष्ट्रीय, घरेलू ब्यापारिक केन्द्रों तथा प्रमुख सार्वजनिक कम्पनियों को अनेक होलसेल बैंकिंग उत्पाद मुहैया कराने की व्यवस्था की है.

वित्तीय वर्ष, 10 के दौरान होलसेल बैंकिंग परिचालनों का उद्देश्य नवोन्मेषी उत्पाद उपलब्ध कराना तथा नई सम्बन्ध प्रबन्धन व्यवस्था निर्मित करने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना था.

होलसेल बैंकिंग के तहत कार्पोरेट ग्राहकों को बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट के रूप में नामित किया जाता है. रु.500 करोड़ से अधिक वार्षिक बिक्री टर्नओवर वाली कम्पनियों को बड़े कार्पोरेट तथा रु.100 करोड़ से रु.500 करोड़ तक की वार्षिक बिक्री टर्नओवर वाली कम्पनियों को मध्यम कार्पोरेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान होलसेल बैंकिंग प्रभाग ने 660 खातों में विभिन्न ऋण सुविधाओं हेतु स्वीकृतियां प्रदान करते हुए कुल रु. 70,105.56 करोड़ स्वीकृत किए. इनमें नए एवं विद्यमान दोनों प्रकार के ऋण शामिल हैं. नई स्वीकृतियां मुख्यतः संरचनात्मक, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, एनबीएफसी, वाणिज्यिक भूस्मदा, लोहा एवं इस्पात, एल्यूमिनियम आदि क्षेत्रों में प्रदान की गईं.

होलसेल बैंकिंग में निपटान अवधि (टर्न अराउंड समय) में कमी :

इस आशय के भी प्रयास किए गए कि निर्णय शीघ्रता से लिए जाएं. वित्तीय वर्ष 10 के दौरान ऋण प्रस्ताव की स्वीकृति में लगने वाले औसत समय में पर्याप्त कमी लाते हुए इसे -30- दिन से कम कर दिया गया जबकि वित्तीय वर्ष 09 में यह समयावधि 45 दिन थी. बैंक का यह प्रयास है कि प्रभावी माध्यमों तथा ऋण प्रबन्धन की बेहतर व्यवस्था को अपनाते हुए टर्न अराउंड समय को स्वीकृति की आवश्यकताओं के अनुरूप और कम कर 20 से 25 दिन तक लाया जाए. वित्तीय वर्ष 10 के दौरान स्वीकृत फास्ट ट्रैक ऋण प्रस्तावों की संख्या 230 थी जिनमें रु. 32933.23 करोड़ स्वीकृत किए गए जबकि वित्तीय वर्ष 09 के दौरान ऐसे 122

ऋण प्रस्तावों में रु.16,525.99 करोड़ स्वीकृत किए गए थे. बड़े ऋणों की शीघ्र स्वीकृतियों से ऋण वितरण में गुणात्मक सुधार आया है.

परियोजना वित्त प्रभाग :

होलसेल बैंकिंग के एक भाग - परियोजना वित्त प्रभाग ने वित्तीय वर्ष, 10 के दौरान 110 तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययनों तथा परियोजनाओं के पुनरीक्षण के माध्यम से कुल रु.684.10 लाख की शुल्क आय अर्जित की जबकि पिछले वर्ष के दौरान कुल रु.327 लाख अर्जित किए गए थे. उक्त राशि में से रु.397.80 लाख -3- लोन सिंडिकेशन डील्स से अर्जित किए गए.

होलसेल बैंकिंग में मार्केटिंग प्रयास :

कार्पोरेट क्रेडिट कार्यप्रणाली को और विस्तृत करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2009 से एक क्रेडिट सिंडिकेशन सेल ने अपना कार्य प्रारम्भ किया. यह सेल भावी परियोजनाओं को चिह्नित करने के लिए नियमित आधार पर 'प्रोजेक्ट टुडे ' डाटाबेस एकत्र कर रहा है. सेल द्वारा महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसरों एवं सिंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए नई कम्पनियां चिह्नित की गई हैं.

अन्य पहलें :

- ऋण प्रस्तावों के प्रोसेसिंग कार्य को सरल बनाते हुए टर्नअराउंड समय में पर्याप्त कमी लाई गई है.
- सिद्धान्तरूप में करार की समयावधि कम कर 2-3 दिन कर दी गई है.
- बैंक के विद्यमान ग्राहकों के साथ सम्बन्धों को और मजबूत करने के उद्देश्य से बैंक की ओर से सम्पर्क किया जाता है.
- बैंक के कार्पोरेट कार्यालय तथा बैंक की परिचालन इकाइयों के बीच परस्पर तालमेल / सम्पर्क व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया गया है.
- नई कैम्पस भर्तियों सहित विभाग में कार्यरत अधिकारियों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

ऋण वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु होलसेल बैंकिंग विभाग की स्थापना की गई है तथा यह विभाग विस्तारित एवं बहुआयामी वृद्धि के प्रति कृतसंकल्प है.

खुदरा व्यवसाय :

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान व्यवसाय वृद्धि हेतु खुदरा व्यवसाय की भूमिका प्रमुख बनी रही. आस्तियों / देयताओं में सतत वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंक ने अनेक खुदरा ऋण उत्पादों में सुधार लाते हुए इन्हें व्यावहारिक बनाया है.

31 मार्च, 2010 को बैंक के बकाया खुदरा ऋण रु.24,247.71 करोड़ थे जबकि 31 मार्च, 2009 को ये ऋण रु.19,627.55 करोड़ के स्तर पर थे. वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान वृद्धि दर 23.54% (रु.4,620.16 करोड़) दर्ज की गई जबकि वित्तीय वर्ष 2009 के दौरान वृद्धि दर 16.19% (रु.2,723.35 करोड़) थी. पांच प्रमुख उत्पादों के अन्तर्गत (लाबोड / ओडीबीओडी आदि के अलावा) वृद्धि दर 22.65% (रु.3,507.36 करोड़) थी. जबकि मार्च, 2009 में यह रु.15,484.63 करोड़ के स्तर पर थे. वित्तीय वर्ष 2009 की इसी अवधि के दौरान पांच प्रमुख उत्पादों के अन्तर्गत वृद्धि दर 18.03% (रु.2,365.85 करोड़) थी. जबकि मार्च, 2008 के अन्त में यह रु.13,118.78 करोड़ के स्तर पर थे.

खुदरा ऋण के अन्तर्गत एनपीए :

31 मार्च, 2010 को खुदरा ऋणों के अन्तर्गत एनपीए की राशि रु. 511.77 करोड़ (2.11%) है जबकि 31 मार्च, 2009 को यह राशि रु.487.25 करोड़ (2.48%) तथा 31 मार्च, 2008 को रु.507.72 करोड़ (3.01%) थी.

बचत बैंक जमाएं :

31 मार्च, 2010 को बैंक की समग्र बचत बैंक जमाएं रु.51,257.53 करोड़ थी. बचत बैंक जमाओं में 31 मार्च, 2009 के स्तर 41,327.00 करोड़ की तुलना में 24.03% (रु.9,929.34 करोड़) की वृद्धि हुई. 31 मार्च 2010 को बैंक की चालू

एवं बचत (कासा) जमाओं में वृद्धि की दर 35.63% रही जबकि 31 मार्च, 2009 को यह दर 34.87% थी. इससे बैंक को जमा लागत में कमी लाने में मदद मिली.

खुदरा बैंकिंग में नवोन्मेषी प्रयास :

नए उत्पादों की शुरुआत :

- खुदरा आस्ति उत्पादों की संख्या कम करने के लिए 28 मार्च, 2009 को आस्तियों का पुनर्विन्यास किया गया तथा इनकी संख्या 26 से कम कर 9 की गई. यह 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है.
- वित्त मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर 10 अक्टूबर, 2009 को बैंक के आवास ऋण उत्पाद के अन्तर्गत एक नई सब्सिडीयुक्त आवास ऋण योजना 'शहरी निर्धनों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना (ISHUP)' प्रारम्भ की गई.

व्यवसाय सम्बन्धी नवोन्मेषी प्रयास :

- होम लोन खातों के टेकओवर पर जोर देते हुए 15.06.2009 से 14.08.2009 तक विशेष 'आवास ऋण अभियान' चलाया गया. आवास ऋणों तथा ऑटो ऋणों हेतु प्रलेखन एवं प्रोसेसिंग प्रभारों में 100.00% छूट का ऑफर दिया गया. अभियान अवधि बाद में 31.08.2009 तक बढ़ाई गई. इसके फलस्वरूप अभियान अवधि के दौरान ₹.1,156 करोड़ की नई ऋण स्वीकृतियां कर अतिरिक्त व्यवसाय अर्जित किया गया जबकि लक्ष्य ₹.750 करोड़ का था.
- सितम्बर एवं अक्टूबर, 2009 में त्योहारों के दौरान व्यावसायिक सम्भावनाओं का दोहन करने के लिए 01.09.2009 को एक और खुदरा ऋण उत्सव अभियान चलाया गया. अभियान अवधि के लिए ₹.2,000 करोड़ के व्यवसाय का लक्ष्य रखा गया जब कि इस दौरान ₹.1,680 करोड़ का नया व्यवसाय अर्जित किया गया. 15.01.2010 को एक और खुदरा ऋण अभियान का शुभारंभ करके ₹.772 करोड़ का अतिरिक्त व्यवसाय अर्जित किया गया.
- कम लागत जमाओं के संग्रहण हेतु 15.06.2009 को एक बचत बैंक जमा अभियान प्रारम्भ किया गया. अभियान अवधि के दौरान ₹.2,437.35 करोड़ बचत बैंक जमाओं के रूप में संगृहीत किए गए जबकि लक्ष्य ₹.2,000 करोड़ का था. जनवरी, 2010 में चलाए गए एक और बचत बैंक जमा अभियान में ₹.1,057.17 करोड़ की नई बचत बैंक जमाएं संगृहीत की गईं.
- ऑटो ऋण फोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए मै. होण्डा सियेल कार्स इण्डिया लि. तथा मै.टोयटा किलोस्कर मोटर्स लि. के साथ क्रमशः 11.06.2009 तथा 16.09.2009 को समझौता करारों पर हस्ताक्षर किए गए. यह बैंक द्वारा पिछले वर्ष प्रमुख कार कम्पनियों यथा मारुति सुजुकी लि., टाटा मोटर्स लि, हुण्डई मोटर्स लि. तथा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि. साथ हस्ताक्षरित समझौता करारों के अलावा है.
- वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान 6 नई रिटेल लोन फैक्टरियां (RLFS) चंडीगढ़, गामदेवी (MMSR) पटना, कोयम्बतूर, रांची तथा इलाहाबाद में खोली गईं. बैंक द्वारा संचालित रिटेल लोन फैक्टरियों की संख्या अब 30 हो गई है.
- युवा ग्राहकों विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी /टेक्नो सेवी युवाओं को उच्चस्तरीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने 'जेन-नेक्सट' शाखाओं की शुरुआत की है. वर्तमान में जेन-नेक्सट शाखाओं की संख्या -7- है.
- बैंक ने होम लोन तथा शिक्षा ऋण आवेदन ऑन लाइन प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर दी है. बैंक शीघ्र ही ऑटो लोन आवेदन ऑन लाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में है. इस सुविधा के बाद आवेदक अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जानने के लिए ऑन लाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

- बैंक ने आवास ऋण प्राप्त ऋणियों को ऋण की पूर्ण अवधि के दौरान कुल बकाया ऋण राशि का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक करार किया है. यह सुविधा ऋणी से ली जाने वाली इक्विटेड मासिक किस्तों में ही नाममात्र की प्रीमियम राशि प्राप्त कर उपलब्ध कराई जा सकेगी.

धन सम्पदा प्रबन्धन सेवाएं :

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने अपनी धन सम्पदा प्रबन्धन सेवाओं के अन्तर्गत अपने जीवन बीमा उत्पादों के विपणन के लिए जीवन बीमा के क्षेत्र में अपनी संयुक्त उपक्रमवाली कम्पनी इण्डिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. के साथ कार्पोरेट एजेंसी करार हस्ताक्षर किया. यह जीवन बीमा कम्पनी बैंक ऑफ बड़ौदा (44.0% अंश), आंध्र बैंक (30.0% अंश) तथा लीगल एण्ड जनरल यू.के.(26.0% अंश) का एक संयुक्त उपक्रम है.

ग्राहकोन्मुख उपायों के रूप में बैंक जून, 2004 से अपने उच्च मालियतवाले तथा समृद्ध एवं सम्पन्न ग्राहकों को एक ही स्थान पर सम्पूर्ण वित्तीय समाधान के रूप में धन सम्पदा प्रबन्धन सेवाएं प्रदान कर रहा है. वर्तमान में बैंक विभिन्न साझेदारों के साथ टाई-अप व्यवस्था तथा जीवनबीमा तथा म्यूचुअलफण्ड के क्षेत्र में बैंक के साथ 'संयुक्त उपक्रमों' के साथ अपनी शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा जिसमें स्वास्थ्य बीमा शामिल है, म्यूचुअल फण्ड इक्विटी ट्रेडिंग जैसी विभिन्न अन्य पक्ष उत्पाद / सेवाएं प्रदान कर रहा है. म्यूचुअल फण्ड सेगमेंट में बैंक का संयुक्त उपक्रम बड़ौदा पॉयनियर असेट मैनेजमेंट कम्पनी लि., पायनियर इनवेस्टमेंट ऑफ इटली की सहयोगी कम्पनी है.

इसके अलावा बैंक ने ग्राहकों की सुविधाओं के लिए वर्ष दौरान बैंक की 60 और शाखाओं में आइपीओ/ एमपीओ/ राइट इश्यू में आवेदन करने के लिए (ब्लॉक राशिवाले आवेदनों) (एसबीए) की पूरक प्रक्रिया प्रारम्भ की है. ये 60 शाखाएं कैपिटल मार्केट में निवेशकों के परम्परागत क्षेत्रों में स्थित हैं.

बैंक ने व्यवसाय की दृष्टि से 13 चयनित केन्द्रों पर स्थित शाखाओं में "बड़ौदा गोल्ड लांज" की भी स्थाना की है. ये शाखाएं बैंक के समृद्ध एवं सम्पन्न ग्राहकों को निवेश परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित सेवा स्थल हैं. धन सम्पदा प्रबन्धन सेवाओं के तहत बैंक के विभिन्न नवोन्मेषी प्रयासों से बैंक की गैर- ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा हाल ही के कुछ वर्षों में यह आय का प्रमुख जरिया बन गया है.

जीवन बीमा व्यवसाय में बैंक ऑफ बड़ौदा का संयुक्त उपक्रम :

बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र बैंक तथा लीगल एण्ड जनरल ग्रुप पीआईसी (यूके) का त्रिपक्षीय संयुक्त उपक्रम बनाते हुए जीवन बीमा व्यवसाय में प्रवेश किया है. कम्पनी की प्रारम्भिक अधिकृत पूंजी ₹.200 करोड़ है. जिसमें तीनों साझेदारों ने



इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लोगो का विमोचन

44.0%, 30.0% तथा 26.0% के अनुपात में अंशदान दिया है। कम्पनी को 'इण्डिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी' नाम दिया गया है। इण्डिया फस्ट को देशभर में बैंक के सम्भावित ग्राहकों का भरपूर समर्थन मिला तथा कम्पनी ने प्रारम्भिक 100 दिनों में ही रु.100 करोड़ का प्रीमियम संगृहीत किया। कम्पनी का ग्रामीण मार्केट में भी पहुंच बनाने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए बैंक की भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की व्यावहारिकताओं के अनुरूप उपयुक्त एवं किफायती तरीकों से अपने उत्पाद उन तक पहुंचाने की योजना है।

एमएसएमई व्यवसाय :

माइक्रो , लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह व्यवसाय भारत के विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40.0%, कुल औद्योगिक निर्यात का 34.0% , औद्योगिक इकाइयों का 95% तथा कुल रोजगार में 35.0% का योगदान देता है। एमएसएमई सेगमेंट में कुल औद्योगिक इकाइयों का 95% भाग असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा इसमें 65 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

एसएमई सेगमेंट में सेवा क्षेत्र का विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकीयुक्त सेवाएं, आतिथ्य सत्कार सेवाएं, पर्यटन, कूरियर, परिवहन आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। ये एसएमई रोजगार उत्पन्न करने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं।

भारत में उभरती एसएमई पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक रु.150 करोड़ तक टर्न ओवर वाली अन्य वाणिज्यिक इकाइयों को एसएमई के तुल्य मानते हुए इन पर विचार करता है।

एसएमई सेक्टर के विकास के लिए बैंक ने एक विशिष्ट एवं नूतन डिलीवरी मॉडल - एसएमई लोन फैक्टरी प्रारम्भ किया है। जो कि वर्तमान में बैंक के -36- केन्द्रों पर संचालित किया गया है तथा इसे बाजार का समर्थन भी मिल रहा है। एसएमई लोन फैक्टरी। एसएमई ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा समय पर ऋण स्वीकृतियों हेतु एक नवोन्मेषी मॉडल है यह नया मॉडल सेन्ट्रल प्रोसेसिंग सेल से युक्त है जो ऋण प्रस्तावों की नियत समयावधि में शीघ्र मूल्यांकन एवं स्वीकृतियों की देखरेख करता है।

31 मार्च, 2010 को कार्यरत 36 एसएमई लोन फैक्टरियों में से तीन इसी वर्ष स्थापित की गई है। बैंक की देशभर में सभी प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों यथा आगरा, अहमदाबाद, बेगलूर, बरेली, बड़ौदा, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर, बलसाड़, चंडीगढ़, चेन्नै, कोयम्बतूर, देहरादून, दिल्ली में दो फैक्टरिया, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जमशेदपुर, जामनगर, जोधपुर, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुम्बई में 3 फैक्टरियां, नागपुर, नासिक, पुणे, राजकोट, रायपुर, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टणम में एसएमई लोन फैक्टरियां कार्यरत हैं।

इन एसएमई लोन फैक्टरियों द्वारा वित्तीय वर्ष 10 के दौरान रु.11,071 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए जबकि पिछले वर्ष रु.8,508 करोड़ स्वीकृत किए गए थे।

व्यवसाय में वृद्धि :

31 मार्च 2010 को एमएसएमई सेक्टर में कुल बाकया रु.21,111 करोड़ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई सेक्टर में ऋण प्रदान करने सम्बन्धी स्थिति / वृद्धि दर निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

वित्तीय वर्ष	% वृद्धि
2007-08	31.11%
2008-09	24.18%
2009-10	43.98%

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान एमएसएमई ऋणों की प्रतिशत वृद्धि दर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर, 2009 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप खुदरा व्यापारियों को रु.20 लाख तक के अग्रिम अब माइक्रो एव लघु उद्योग क्षेत्र में वर्गीकृत किए गए हैं। बैंक ने समीक्षा वर्ष के

दौरान एसएमई व्यवसाय सेगमेंट में निम्नलिखित नवोन्मेषी प्रयास किए हैं।

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान एसएमई वित्तपोषण हेतु नवोन्मेषी प्रयास:

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान तीन नई एसएमई लोन फैक्टरियां स्थापित की।
- बैंक द्वारा एआईएमए के सहयोग से कोलकाता तथा बेंगलूरु में 'एसएमई द्वारा प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एवं स्रोत वित्त हेतु प्रबन्धकीय कौशल' विषय पर कार्यशाला प्रायोजित की गई।
- एसएमई ग्राहकों के साथ विभिन्न केन्द्रों पर एसएमई बैठकें एवं परस्पर बातचीत सत्र आयोजित किए गए।
- बैंक द्वारा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप एरिया विशेष को ध्यान में रखते हुए -7- नए ग्राहकोन्मुख विशिष्ट उत्पाद प्रारम्भ किए गए।
- बैंक द्वारा महाराष्ट्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास एसोसिएशन, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, भारतीय एसएमई प्रशिक्षण संस्थान तथा लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए वित्तीय सलाहकार परिषद एवं सीएफओ के साथ संयुक्तरूप में 'लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए वित्तीय सलाहकार सेवाओं एवं सीएफओ का महत्व' विषय पर एक पूर्ण दिवसीय सेमिनार प्रायोजित किया गया।
- बैंक द्वारा 1 दिसम्बर, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक एसएमई माह मनाया गया जिसे बाद में 15 जनवरी, 2010 तक बढ़ा दिया गया ताकि एसएमई अग्रिमों को बढ़ाया जा सके। उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों के लिए ब्याज दर तथा सेवा प्रभारों में छूट की घोषणा की गई।
- बैंक द्वारा माइक्रो एवं लघु उद्यमियों को बैंक ऋण तथा क्रेडिट गारंटी की भूमिका विषयों पर डीएण्डबी तथा सीजीटीएमएसई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में भाग लिया गया।



ग्राहक बैठक का दृश्य

ग्रामीण एवं कृषि ऋण :

बैंक हमेशा ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कृषि ऋणों के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा बैंक ने अपनी 1,126 ग्रामीण एवं 721 अर्धशहरी शाखाओं के विस्तृत नेट वर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की विस्तृत सम्भावनाओं का दोहन करने का प्रयास किया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में 97 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) का संयोजक है। बैंक 44 जिलों में, जिसमें गुजरात राज्य में 12, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 14, उत्तराखण्ड में 2, मध्य प्रदेश में 2 तथा बिहार में 2 में जिले शामिल हैं, अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है।

बैंक ने विभिन्न राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) प्रायोजित किए हैं जिनमें कुल 1209 शाखाएं हैं तथा मार्च, 2010 के अन्त तक कुल कारोबार 16,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

वित्तीय वर्ष 10 में प्राथमिकता प्राप्त ऋणों की स्थिति :

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम मार्च, 2009 के अन्त के स्तर रु.39,239.08 करोड़ से बढ़ कर मार्च, 2010 के अन्त में रु.48,552.36 करोड़ हो गए जो कि समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का 44.43% है जबकि अनिवार्यता लक्ष्य 40% है। बैंक के कृषि अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 27.43% की वृद्धि दर्ज

की गई तथा ये मार्च 2010 के अन्त तक बढ़कर ₹.21,617.30 करोड़ हो गए। वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने अपने प्रमुख कृषि ऋण उत्पाद ' बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड ' के माध्यम से कृषकों को ऋण प्रदान करने हेतु 1,85,419 क्रेडिट कार्ड जारी किए। वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने 1,93,816 **नए कृषकों** को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अपने माइक्रो वित्तपोषण की नवोन्मेषी पहल के प्रयास के रूप में बैंक ने 24,954 **स्वयं सहायता समूहों** को वित्तीय वर्ष 10 के दौरान ₹.187 करोड़ की राशि प्रदान की और इस प्रयास के फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह ऋण सहबद्धता की कुल संख्या बढ़कर 1,15,685 और राशि ₹ 793 करोड़ हो गई।



राजस्थान के लिए वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ

व्यवसाय एवं सामाजिक पहलें :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 10 के दौरान ग्रामीण एवं कृषि ऋणों हेतु उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनेक नवोन्मेषी पहलों / कार्यनीतियों की शुरुआत की। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।

कृषि अग्रिमों को बढ़ाने के लिए बैंक ने **विशेष अभियान** यथा फसली ऋणों के लिए खरीफ एवं रबी अभियान चलाए जिनमें क्रमशः ₹.1,888 करोड़ तथा ₹.818 करोड़ ऋण वितरित किए गए। निवेश क्रेडिट के लिए एक अन्य अभियान भी चलाया गया जिसके तहत ₹.742 करोड़ वितरित किए गए।

बैंक ने 2,857 **ग्रामीण स्तरीय क्रेडिट कैम्प** आयोजित किए तथा वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 1,90,534 ऋणियों को ₹.2,484 करोड़ वितरित किए गए।

बैंक ने पूरे देश में 450 **थ्रस्ट शाखाओं** का चयन किया है। जिसका प्रयोजन कृषि उधार में अभिवृद्धि करना है। बैंक ने मार्च, 2010 के अन्त तक कुल कृषि उधार में 34.0% का योगदान किया है।

बैंक ने स्थानीय जरूरतों को, विशेष रूप से ऐसे स्थानों जहां चावल मिल, शीतगृह, मुर्गीपालन इकाई आदि अधिक संख्या में हैं, पूरा करने के लिए **क्षेत्र विशेष** के अनुसार टेलर मेड **योजनाएं** बनाई। बैंक ने अधिकतम व्यवसाय प्राप्त करने के लिए इन योजनाओं के तहत ब्याज प्रभार में उपयुक्त छूट की अनुमति प्रदान की। कृषि उधार में वृद्धि करने के लिए -18- क्षेत्र - विशिष्ट योजनाओं का सूत्रपात किया गया।

ग्रामीण कृषि उधार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग की दिशा में बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सुविधायुक्त स्मार्ट कार्ड प्रारंभ किया है। वर्तमान में, स्मार्ट कार्ड आधारित वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में किया जा रहा है। मौजूदा समय में, बैंक के 309 एटीएम ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं और सभी ग्रामीण शाखाएं एवं अर्धशहरी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन अर्थात् सीबीएस के अन्तर्गत आ गई हैं।

बैंक ने डूंगरपुर जिला (राजस्थान) को संपूर्ण एकीकृत विकास और अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की दिशा में 100% वित्तीय समावेशन के लिए अंगीकार किया है जो मुख्यतः एक जनजातीय बहुल जिला है और देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। इस परियोजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर, 2007 को किया गया। हम सहर्ष सूचित करते हैं कि बैंक ने डूंगरपुर जिले में 100% वित्तीय समावेशन की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। अभी तक डेयरी विकास, उच्च लागत संबंधी फसलों की खेती, सब्जियों की खेती आदि हेतु 15440 ऋणियों को ₹.35.91 करोड़ की राशि संचित की गई है। इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण, महिला विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आदि जैसे अनेक अन्य कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। परियोजना के अन्तर्गत 30 जनजातीय छात्रों को ₹.8.76 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई।

बैंक ने 101 गांवों को **"बड़ौदा शताब्दी वर्ष गांव"** के रूप में अंगीकार किया है तथा आगामी तीन वर्षों में इनका सम्पूर्ण एकीकृत विकास एवं 100% वित्तीय समावेशन किया जाएगा। बैंक ने ₹.92.42 लाख की राशि स्वीकृत कर 73 गांवों में सोल लैम्प, बस स्टैंड शेल्टर, हैंड पम्प, सामुदायिक हाल आदि जैसी सामाजिक बुनियादी जरूरतों को भी उपलब्ध कराया है।

बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र (बीजीपीके) बैंक के अन्य नवोन्मेषी प्रयासों में से है जिसके माध्यम से बैंक ग्रामीण समुदाय को ऋण के संबंध में परामर्श, वित्तीय शिक्षा और कृषि संबंधी उत्पादों की कीमतों के बारे में जानकारी, वैज्ञानिक खेती आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बैंक ने 31.03.2010 तक -52- बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्रों (बीजीपीके) की स्थापना कर दी है।

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 9 और **बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बीएसवीएस) बड़ौदा आर सेटी केन्द्र** खोल दिए जाने के पश्चात, बड़ौदा स्वरोजगार संस्थानों (बीएसवीएस) की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। रायबरेली तथा अजमेर में खोले गए बीएसवीएस केन्द्र पूर्णतः महिला उद्यमियों के लिए हैं। बीएसवीएस ऐसे संस्थान हैं जिनका प्रयोजन स्वरोजगार उद्यम प्रारंभ करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं अपेक्षित कौशल के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष, 10 के दौरान



बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के लाभार्थी

16,191 युवा लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 10,135 युवाओं ने स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं। इन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित कुल 37,230 लाभार्थियों में से अब तक 21,704 लाभार्थियों ने अपने स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं।

व्यवसाय सुविधाप्रदाता मॉडल :

उपेक्षित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को गति प्रदान के साथ-साथ कृषि पोर्टफोलियो में और वृद्धि हेतु पूरे भारत में व्यवसाय सुविधा प्रदाता मॉडल को भी कार्यान्वित

किया गया है। व्यवसाय सुविधा प्रदाता मुख्यतः बैंक के लिए ऋण आवेदनों की कनवेंसिंग करेगा और उसे इस कार्य के लिए बैंक मेहनताने का भुगतान करेगा। ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हमारी पहुंच बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त बैंक एवं सरकारी स्टाफ, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) कृषक क्लबों और स्वयं सहायता समूहों (एसजीएस) से जुड़े व्यक्ति एजेंट के रूप में कार्य पर लगाए गए हैं।

बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में **माइक्रो लोन फैक्टरी** खोली है। बैंक की पहले ही रायबरेली में एक मोबाइल माइक्रो लोन फैक्टरी सेवारत है। माइक्रो फाइनेंस लोन फैक्टरी के पास मोबाइलवेन उपलब्ध है जिसमें स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण सम्बन्धी समस्त स्टेशनरी / दस्तावेज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस फैक्टरी में ऐसे स्टाफ सदस्य शामिल हैं जो स्वयं सहायता समूहों को यथा स्थल तथा उसके पास (घर पर ही) जाकर उन्हें ₹.25,000 तक के ऋण स्वीकृत एवं वितरित करने के लिए अधिकृत हैं।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन :

बैंक ने निम्नलिखित -5- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रायोजित किए हैं :

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, रायबरेली
- बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, अजमेर
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, भरूच
- नैनीताल- अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, हल्द्वानी
- झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, झाबुआ

इन -5- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का व्यवसाय मार्च, 2009 को ₹.14,278.28 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2010 को ₹.16,244.41 करोड़ हो गया और इस प्रकार इन्होंने व्यवसाय में 13.77% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की है।

इन -5- ग्रामीण बैंकों ने एक साथ मिलकर वर्ष 2008-09 के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ ₹.103.32 करोड़ के समक्ष मार्च, 2009-10 के दौरान 118.93 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 'शुद्ध मालियत' और 'प्रारक्षित एवं आधिक्य' एक साथ होने पर क्रमशः मार्च, 2009 के ₹.490.19 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में ₹.609.12 करोड़ और मार्च 2009 के ₹.272.35 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2010 को ₹.354.43 करोड़ हो गई।

वित्तीय समावेशन हेतु बैंक का अभियान :

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु अनेक नवोन्मेषी प्रयास किए हैं तथा अपने 44 अग्रणी जिलों में से 21 जिलों में 100.00% वित्तीय समावेशन की उपलब्धि हासिल कर ली है। बैंक ने अब तक 20 लाख से अधिक सीमित सुविधावाले (नो फ्रिल) बचत बैंक खाते खोले हैं।

अपने वित्तीय समावेशन प्रयासों के तहत बैंक ने वित्तीय ज्ञान एवं ऋण परामर्श केन्द्र (FLCCs), जिन्हें 'सारथी' नाम दिया गया है। अजमेर, रायबरेली, अमेठी तथा बड़ौदा में प्रारम्भ किए हैं। ये केन्द्र जरूरतमंद लोगों को वित्तीय ज्ञान तथा ऋण परामर्श की सुविधा प्रदान करेंगे। बैंक की अपने अग्रणी जिला केन्द्रों में ऐसे और केन्द्र खोलने की योजना है।

बैंक ने आगामी -3- वर्ष की अवधि में बैंक रहित / कम बैंकिंग सुविधा वाले 20,000 गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय समावेशन योजना को अनुमोदित कर दिया है। बैंक ने सम्बन्धित जिला परामर्शदाता समितियों के आंबंटन के अनुरूप वित्तीय वर्ष, 11 के दौरान 6,000 गांवों, जिनकी आबादी 2,000 से अधिक है, को इसमें शामिल करने की योजना बनाई है। शेष 14,000 गांवों को आगामी -2- वर्षों के दौरान अर्थात् वित्तीय वर्ष 12 एवं वित्तीय वर्ष 13 में 7,000 गांव प्रतिवर्ष शामिल करते हुए कवर किया जाएगा। इन गांवों को बैंकिंग सेवाएं सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर आधारित प्रतिमानों यथा स्मार्ट कार्ड, माइक्रो एटीएम, मोबाइल वेन तथा परम्परागत (ब्रिक एण्ड मोटार) शाखाओं के माध्यम से यथा सम्भव उपलब्ध कराई जाएगी।

सीमित सुविधावाले (नो फ्रिल) बचत बैंक खातों में, जिनमें ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की गई है, आवर्ती जमा, बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड (बीकेसीसी), बड़ौदा जनरल क्रेडिट कार्ड (BGCC) तथा गैर बैंकिंग उत्पाद, यथा कम राशि के धनप्रेषण, बीमा उत्पाद आदि बैंकिंग उत्पाद सेवाएं ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

बैंक को इस योजना के तहत 41 लाख नए सीमित सुविधावाले नो फ्रिल खाते खोलने तथा जमासंग्रहण, अग्रिम, धनप्रेषण, बीमा उत्पादों की बिक्री सम्बन्धी उत्पादों की बिक्री कर पर्याप्त व्यवसाय प्राप्त होने की आशा है।

वित्तीयवर्ष 10 के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों को अग्रिम :

बैंक द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिए जानेवाले अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इन लाभार्थियों को मार्च, 2009 के अन्त तक प्रदान की गई अग्रिम राशि ₹.2,799.33 मार्च, 2010 के अन्त तक बढ़ कर ₹.3,100 करोड़ हो गई है। वास्तव में समीक्षा अवधि के दौरान कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों में अनुसूचित जाति / जनजाति समुदायों



अनु जाति/अनु जनजाति लाभार्थियों के लिए बैंक द्वारा आयोजित क्रेडिट कैम्प

को दिए गए अग्रिमों का अंश 28.0% रहा। इसके अलावा बैंक द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं यथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) आदि के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के वित्तपोषण हेतु विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन करते समय बैंक द्वारा स्थापित 25 बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान अनुजाति/जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को पर्याप्त वरीयता प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि अभी तक इन केन्द्रों ने अनु.जाति/जनजाति के 7,501 युवाओं को प्रशिक्षित कर दिया है तथा इनमें से 3,568 ने अपने स्वयं के रोजगार स्थापित कर लिए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

आर्थिक मंदी के उपरांत बदलते वैश्विक नकदी परिवेशों में अपने विदेशी व्यवसाय को आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए बैंक को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तथापि वित्तीय वर्ष में बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचलनगत कारोबार ने सभी व्यवसायिक पेरामीटरों में अच्छी वृद्धि दर्शाई है, वित्त वर्ष 2009 में बनाए गए वर्गीकृत निवेश बाजारों के प्रावधानों को बदलने के फलस्वरूप लाभप्रदता में भी वृद्धि हुई। चूंकि बैंक के पास जमाराशियों के संग्रहण के लिए एक विस्तृत

ग्राहक आधार हैं। उसे वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के नकदी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। हों एक अच्छे पूंजीगत आधार के लिए बैंक ने प्रतिस्पर्धी दरों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश किया

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं 'एमएल' प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया। आक्रामक विपणन अभियान लॉच किए, दीर्घकालीन कारोबार विकास हेतु कई कदम उठाए तथा ग्राहक आधार विस्तृत किए। पूरे विश्व के कई देशों में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए बैंक ने अपनी शाखा विस्तार योजनाओं को जारी रखा।

विदेशी परिचालनों में व्यवसाय एवं लाभ कार्य निष्पादन

वर्ष 2010 के दौरान बैंक की विदेशी शाखाओं ने कुल व्यवसाय में (जमा राशि + अग्रिम) 30.92 % की वृद्धि दर्ज की। इसमें ग्राहक जमा राशि में 33.67% की वृद्धि हुई। कुल जमा राशि में 36.04% और अग्रिम में 24.90% की वृद्धि हुई हैं।

31 मार्च 2010 को बैंक के वैश्विक व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों ने 23.8% का योगदान दिया।

कुल आस्तियां

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की कुल आस्तियां रु 51,165 करोड़ से बढ़कर रु 68,375 करोड़ हुई हैं, वर्ष के दौरान इनमें 33.64% की वृद्धि दर्ज की गई।

शुद्ध लाभ

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010 में 108.08% बढ़ा है। पिछले वर्ष के दौरान मार्क टू मार्क निवेशों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के समायोजन तथा वैश्विक बाजार परिस्थितियों में हुए सुधार से यह वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान बैंक के वैश्विक शुद्ध लाभ में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का योगदान 28.65% रहा

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने स्लिपेज को रोकने के लिए आस्तियों की मानिट्रिंग बढ़ा दी और एन पी ए' खातों में वसूली संबंधी प्रयासों को और तेज किया। विनियामक मानदण्डों के अनुसार वित्तीय वर्ष 09 के दौरान पुनर्निर्धारित खातों पर वित्तीय वर्ष 10 के दौरान विशेष ध्यान दिया गया ताकि बढ़ती अनियमितताओं को रोका जा सके।

वास्तव में विदेशी आस्तियों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने में बैंक सक्षम हुआ। मार्च 2009 के अंत में कुल अग्रिमों में शुद्ध "एनपीए" के स्तर 0.51% को 2010 मार्च अंत तक 0.47% तक लाया गया।

शुद्ध "एनपीए" को 0.1% अर्थात् लगभग शून्य स्तर तक बनाए रखा।

अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति

विदेशों में बैंक की 25 देशों में 78 शाखाएं/कार्यालय कार्यरत हैं। उनका विवरण निम्नानुसार है

बैंक की विदेशी शाखाएं	48
बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय	03
बैंक की विदेशी अनुषंगियों की शाखाएं	27
कुल	78

उपरोक्त के अतिरिक्त जांबिया में बैंक के एसोसिएट की 12 शाखाएं हैं

विदेशी शाखा विस्तार

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक की अनुषंगियों की सेन फेरनाडो (ट्रिनिडाड एवं टोबागो), चगुअनास (ट्रिनिडाड एवं टोबागो), मुकोनो यूगांडा एवं लिरा (यूगांडा) में चार नई शाखाएं खोली गईं।



बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबागो) लिमिटेड की सेन फेरनाडो में नई शाखा का शुभारंभ

विस्तार की भावी योजनाएं

रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड की एक अनुषंगी को 1 सितंबर 2009 से एक बैंक के रूप में रजिस्टर किया है तथा ऑकलैंड में एक शाखा जल्द ही खोली जाएगी। लिफोर्ड, ससेक्स (यू के), में शाखा खोलने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं तथा यूएई में तीन बैंकिंग सेवा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है। सुरीनाम, मलेशिया में एक अनुषंगी खोलने के लिए मेज़बान देश को आवेदन भी दिया है। बैंक ने भारत के अन्य दो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम के रूप में एक अनुषंगी का गठन करने के लिए बैंक नेगारा मलेशिया को आवेदन दिया है।



इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) की स्थापना हेतु समझौता करार पर हस्ताक्षर

बैंक ने विदेशी नेटवर्क को और अधिक बढ़ाते हुए व्यवसाय विकास तथा लाभप्रदता बढ़ाने की नई शुरुआत की है। व्यवसाय प्रसार के लिए विश्व भर में मौजूद कार्पोरेट अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों का प्रभाव तथा विदेशी व्यवसाय व निवेश अनेक अवसर प्रदान कर रहे हैं।

बैंक ने केनाडा, रूस, कतर में नई शाखा/कार्यालय खोलने के लिए तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा के रूप में अपग्रेड करने के लिए कार्य प्रारंभ किया है। रूस, केनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कतर एवं मोजांबिक में नई शाखा खोलने हेतु मेज़बान देश को प्रस्तुत किए गए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए यू ए इ ओमान, यूके, यू एस ए, यूगांडा, केन्या, एवं बोत्सवाना आदि देशों में शाखा विस्तार हेतु बैंक ने योजना तैयार की हैं



मुकोनो यूगांडा में नई शाखा का उद्घाटन

समूहन केंद्र

अंतर्राष्ट्रीय बाजार के समूहन ऋण को ध्यान में रखते हुए बैंक ने लंदन एवं दुबई में वैश्विक समूहन केंद्रों का गठन किया है। सिंगापुर में स्थित अपतटीय बैंकिंग इकाई भी इस व्यवसाय अर्जन में बहुत सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नकद समाहरण संबंधी भारतीय कार्पोरेट्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय मर्चेन्ट बैंकिंग सेल नामक विशेषीकृत इकाई सहयोग प्रदान करती है, ऋण ओरिजनेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मर्चेन्ट बैंकिंग सेल को और मजबूत किया जा रहा है।

उत्पाद एवं सेवाएं

सी बी एस का लाभ उठाने के लिए बैंक नये उत्पाद एवं सेवाएं लॉच कर रहा है तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के स्तर एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मौजूदा उत्पादों को और बेहतर बना रहा है।

विपणन अभियानों के जरिए इन उत्पादों के प्रचार हेतु भी बैंक प्रयासरत है

प्रौद्योगिकी उन्नयन

- **अतिरिक्त ए टी एम लगाना** - विदेशों एवं अनुषंगियों में एटीएम की संख्या 31 मार्च 2009 के 45 से (31 ऑन्साईट एवं 14 ऑफसाईट) से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 55 हो गई है (36 ऑन्साईट एवं 19 ऑफसाईट)
- **वैश्विक ट्रेजरी समाधान** - यूके, यूई, बहमास, बहरीन, एवं हाँगकांग में कार्यान्वित किया गया है। जून 2010 तक बैंक का सिंगापुर कार्यक्षेत्र भी इस के अंतर्गत आ जाएगा।
- **स्विफ्ट केंद्रीकरण प्रक्रिया** बैंक के मुंबई मुख्य कार्यालय में प्रारंभ की गई है
- 'एस ए एम' चीन, मॉरीशस, सेशल्स, बहरीन, घाना, ट्रिनिदाद एन्ड टोबागो, फिजी, यू ए ई, एवं गुयाना में कार्यान्वित की गई है
- भुगतान संदेश समाधान कई विदेशी केंद्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कोर बैंकिंग सोल्यूशन (फिनेकल) एवं स्विफ्ट के बीच का एक इंटरफेस है, जिसके द्वारा काले धन की जांच के उपरांत आवक तथा जावक स्विफ्ट संदेशों की सीधे प्रोसेसिंग की जा सकती है। यूई, ओमान, फिजी, तंजानिया, बहमास, यूगांडा, गुयाना, हाँगकांग, बोत्सवाना, सेशल्स, मॉरीशस, दक्षिणी अफ्रीका, एवं केन्या में पी एम एस को कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्त

वर्ष 2011 तक घाना, ट्रिनिदाद एवं टोबेगो, चीन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, एवं बहरीन भी इसमें शामिल किया जाएगा,

काले धन की रोक का अनुपालन

- एएमएल आनलाइन तथा एएमएल इरेज समाधान 14 विदेशी कार्यक्षेत्रों/ अनुषंगियों में लागू किया गया है। मई 2010 तक ट्रिनिदाद एवं टोबेगो, घाना, सिंगापुर, एवं बहरीन में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
- **दृश्यता आधारित ई बैंकिंग** मॉरीशस, सेशल्स, फिजी, यू ए ई, ओमान, बोत्सवाना, तंजानिया में प्रारंभ की गई है बोत्सवाना, यूगांडा में लेन देन आधारित ई-बैंकिंग अभी कार्यान्वित की जा रही है, जिसका विस्तार समयबद्ध तरीके से अन्य कार्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा

विदेशी व्यवसाय में जोखिम प्रबंधन

बेसल II के मार्गनिर्देशों के अनुपालन में सभी विदेशी कार्यक्षेत्रों के आंकड़ों का एकीकरण व संसाधन बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विभाग से संबंधित है। ऋण वितरण, आस्ति गुणवत्ता, जोखिम भारित आस्तियों का प्रावधान व गणना आदि के नियामक मानदंडों की अनुपालन हेतु सभी विदेशी कार्यक्षेत्रों में समयबद्ध तरीके से बैंक एस्कॉम (परिसंपत्ति वर्गीकरण व ऋण निगरानी) प्रणाली प्रारंभ कर रहा है। बैंक की नीति के अनुसार जोखिम भारित खातों का मानक सारांश बनाने के लिए मेजबान या घरेलू देश में लागू मानदंडों पर आधारित क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुसार जोखिम भारित खातों की गणना के लिए यह समाधान लागू किया जाएगा। एस्कॉम का प्रारंभ अन्य एम आई एस प्रयोजनों व ऋण निगरानी के लिए भी सहायक होगा।

विनियामक अनुपालन

मेजबान देश के विनियमों का पालन निष्ठा से करने के फलस्वरूप बैंक की सभी देशों में अपने परिचालन के लिए विशिष्ट पहचान है। काले धन को रोकने से संबंधित मेजबान देश के सभी आवश्यक विनियामक मानदंडों का पालन बैंक करता है

ट्रेजरी परिचालन

वित्त वर्ष 2010 के दौरान सकारात्मक विकास एवं प्रगतिशील वृद्धि से बैंक की वैश्विक छवि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अल्पावधि ब्याज दरों को रिवर्स रिपो रेट के निकट रखते हुए घरेलू बाजार में ही पूरे वर्ष पर्याप्त तरलता बनी रही। फिर भी व्यावसायिक भरोसा दिलाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक धीरे धीरे विस्तारात्मक मौद्रिक नीतियों को समाप्त कर रहा है ताकि मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोका जा सके और वसूलियों में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। वर्ष के दौरान मध्यम तथा दीर्घ अवधि बांडों से आय काफी बढ़ी है।

भारत सरकार के बाँडों की आय वर्ष की समाप्ति तक 8.0% हो गयी। जबकि अप्रैल 2009 में यह 6.12% थी। भारत की आर्थिक शक्ति को देखते हुए तथा लंबे समय तक कम ब्याज दरें न बने रहने की आशंका को देखते हुए बैंक के ट्रेजरी विभाग ने बाँड की अवधि को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया तथा लंबी अवधि के बाँडों में निवेश न करते हुए वर्ष की पहली तिमाही में लाभ हासिल किया। इस नीति ने बाँड पोर्टफोलियों को अतिरिक्त मूल्यहास से बचाया तथा लाभ बढ़ने पर आगे चलकर लंबी अवधि के बाँडों में निवेश करने का अवसर खुला रखा। मुनाफे की अस्थिरता के कारण सक्रिय बाजार पर ध्यान केंद्रित रहा। व्यवसायगत आय को बढ़ाने में यह सहायक हुआ। इसके अलावा ट्रेजरी ने यूएसडी/आइएनआर स्वेप के माध्यम से मुद्रा बाजार, सीबीएलओ, जी सेक से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया। बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में ट्रेजरी शाखा सक्रिय रही एवं रुपया ब्याज दर स्वेप, ओवरनाईट इंडेक्स स्वेप एवं आई एन बी एम के स्वेप को समय-समय पर आस्तियों व देयताओं के बचाव में प्रयुक्त किया। बैंक की ट्रेजरी शाखा में एक सक्रिय डेरिवेटिव डेस्क है जो कार्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी ब्याज दरों तथा मुद्रा जोखिमों के हेजिंग संबंधी व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। वर्ष के दौरान बाजार में पुनः शुरू

किये गये एक्सचेंज ब्याज दर सौदा फ्यूचरों में ट्रेडिंग करने के लिए डेरिवेटिव डेस्क ने पहल की।

सरकारी प्रतिभूतियों एवं बॉन्ड बाजार में मंदी के फलस्वरूप प्राथमिक मार्केट में भारी निर्गमन हुआ। समीक्षा वर्ष में बैंक के लिए दीर्घ अवधि वाले संसाधन प्रदान करने में ट्रेजरी सक्रिय रही। इसने चार चरणों में अपर टियर II एवं नवोन्मेषी बेमियादी बॉन्डों के माध्यम से रु 1900 करोड़ एकत्रित किए। लगातार विकास के अच्छे आंकड़े इस अनुमान की पुष्टि करते हैं कि भारत एक व्यावसायिक सुदृढ़ एवं मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के अवसर को देखकर प्रबल विश्वास के साथ खुदरा बाजार में निवेश करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप बी एस ई सेंसेक्स में अप्रैल 2009 के स्तर 9,900 से बढ़कर मार्च 2010 में 17,700 तक पहुंच गया। बैंक के इक्विटी डेस्क में परिचालन सक्रिय और जीवंत रहा। इस अवसर को देखते हुए ट्रेजरी ने कम दरों में स्टॉक्स इक्विटी इंडेक्स कम होने पर अपनाई गई इस नीति से बैंक को अच्छा लाभ प्राप्त हुआ।

साल के दौरान विदेशी विनिमय बाज़ार में भारतीय रुपये का यू. एस. डॉलर की तुलना में सुधार हुआ। यह 31 मार्च 2010 तक 12.29% बढ़कर रु 44.90 रहा। जबकि मार्च 2009 में रु 51.19 के स्तर पर था। बैंक की एकीकृत ट्रेजरी यूएसडी/आई एन आर, ई यू आर/यू एस डी, एवं जी बी पी/यू एस डी में एक प्रमुख मार्केट मेकर रही। सभी वित्तीय क्षेत्रों में हुई मंदी के कारण विदेशी मुद्रा बाज़ार अस्थिर रहा। बैंक का विदेशी विनिमय कक्ष इस अस्थिरता का लाभ उठाने में सफल रहा। वर्ष के दौरान फोरेक्स डेस्क ने मुद्रा विनिमय बाज़ार में कारोबार प्रारंभ किया।

मुंबई स्थित बैंक का स्टेट ऑफ आर्ट डीलिंग कक्ष विदेशी विनिमय लेन देन एवं डेरिवेटिव उत्पादों के समस्त कार्य को संपादित करता है। प्रौन्नत प्रौद्योगिकी परिवेश को बैंक द्वारा और विकसित किया जा रहा है ताकि हेजिंग लिखितों तथा ब्याज दर स्वेप, करेंसी स्वेप जैसे विकल्पों के माध्यम से अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान किये जा सकें। स्वचालित डीलिंग प्रणाली के माध्यम से बैंक सभी प्राधिकृत शाखाओं में ग्राहकों को तात्कालिक दरें उपलब्ध कराता है और इस के द्वारा उन्हें तात्कालिक बाजार स्थितियों से अवगत कराता है।

व्यवसाय की पुनः संरचना के एक भाग के रूप में प्रमुख वित्तीय केंद्रों में वैश्विक ट्रेजरी सोल्यूशन का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। इसे पहले ही लंदन, दुबई, बहरीन, एवं बहमास में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान बैंक के मुंबई स्थित विशेषीकृत ट्रेजरी शाखा में वैश्विक ट्रेजरी प्लेटफार्म सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है। अन्य केंद्रों में भी इसे लागू करने का काम प्रक्रियाधीन है। इसके कार्यान्वयन के उपरांत बैंक के पास एक बेहतर जोखिम प्रबंधन संरचना उपलब्ध हो जाएगी और संसाधनों का बेहतर नियोजन सक्षम होगा।

प्रौन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए ट्रेजरी विभाग का सभी सुविधाओं से सज्जित मिड ऑफिस निदेशक मंडल द्वारा निश्चित किए गए विभिन्न जोखिमों एवं ऋण सीमाओं की तात्कालिक आधार पर निगरानी करता है। वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) जैसे उपाय सभी पोर्टफोलियों में बाज़ार जोखिम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन वीएआर संख्या की जांच की जाती है ताकि पूर्वानुमानित वैल्यू की सत्यता की पुष्टि की जा सके। वी ए आर विश्लेषण की पुष्टि करने के लिए सभी पोर्टफोलियों के स्ट्रेस का परीक्षण भी किया जाता है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर)

एक उत्तरदायी कार्पोरेट नागरिक होने के नाते गरीब और कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के ज़रिए सामाजिक सशक्तीकरण बैंक का लक्ष्य रहा है। समाज में व्यापक बदलाव के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 10 में इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। बैंक ने युवाओं को लाभदायक स्वरोजगार देने एवं उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण हेतु बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आर

एस ई टी आई) का गठन किया जिससे उन्हें अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। अभी तक ऐसी 25 संस्थाओं का गठन बैंक ने किया है जिसमें 37,000 युवा प्रशिक्षित हुए तथा लगभग 22,000 युवा लाभदायी स्वरोजगार कर रहे हैं।



प्रथम वित्तीय शिक्षा एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) का शुभारंभ

बैंक की ज्यादातर सामाजिक गतिविधियां ग्रामीण लोगों से संबंधित हैं। बैंक ने देश भर में ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने तथा ऋण सलाह देने के लिए 52 बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केंद्रों का गठन किया है। विभिन्न आर्थिक एवं बैंकिंग सेवाओं से ग्रामीण लोगों को परिचित कराने तथा वित्तीय समावेशन को तेज करने के लिए बैंक ने अजमेर, अमेठी, बड़ौदा एवं रायबरेली में चार वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों का गठन किया है।

बैंक ने पूरे भारत में 101 गावों को उनके संपूर्ण विकास तथा बुनियादी जरूरतों जैसे ग्रामीण पुस्तकालय बनाना, सोलर लाइटिंग सिस्टम निर्मित करना आदि से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए अंगीकार किया है। साथ ही बैंक ने राजस्थान के झुंरपुर जिले को संपूर्ण एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए तथा 100% वित्तीय समावेशन के लिए अंगीकार किया है। इस परियोजना के तहत आदिवासी समुदायों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 50 आदिवासी बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान भी बैंक ने परिसंपत्तियों की गुणवत्ता/एन पी ए प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखा। बैंकिंग व्यवसाय में आर्थिक मंदी के कारण हुए भारी स्लिपेजों के बावजूद एन पी ए स्तर रु 2400 करोड़ रहा अर्थात् सकल अग्रिमों में एनपीए 1.36% रहा जबकि 31 मार्च 2009 को ये 1.27% के स्तर पर था।

यहां यह बताना जरूरी होगा कि यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ए डी डब्ल्यू आर एस में आने वाले खातों को स्टैंडर्ड खातों में मानने की अनुमति देता है (भारत सरकार द्वारा चुकौती की अवधि बढ़ाने के कारण) तथापि बैंक ने विवेकी उपाय के रूप में रु 205.39 करोड़ की राशि के खातों को एन पी ए/हानि खाता ही माना। यदि इनको भी जोड़ा जाए तो 31 मार्च 2009 की तुलना में 31 मार्च 2010 में सकल एन पी ए अनुपात घटकर 1.27% से 1.23% रह गया है। 31 मार्च 2009 की तुलना में 31 मार्च 2010 को शुद्ध एन पी ए 0.31% से 0.34% हो गया अर्थात् इसमें मामूली वृद्धि हुई।

वृद्धिशील बकाया अनुपात वित्तीय वर्ष 09 (0.95%) की तुलना में वित्तीय वर्ष 10 को 1.13% हुआ है। साल की शुरुआत में स्टैंडर्ड खातों के प्रारंभिक शेष में नये स्लिपेजेस का शेयर शामिल करते हुए यह अनुपात निकाला गया है।

एन पी ए प्रबंधन से संबंधी बैंक की दोहरी नीति अर्थात् सख्त नियंत्रण उपायों को

अपनाते हुए स्लिपेजेस को रोकना, एवं कारगर व कड़े वसूली प्रयासों से यह संभव हो पाया है. वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक द्वारा कई नयी शुरुआतों की गई हैं जो स्टैंडर्ड अग्रिम पोर्टफोलियो में साफ दिखाई देती है जो कि इस प्रकार है.

(रु. करोड़ में)

परिसंपत्ति वर्ग (सकल)	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
स्टैंडर्ड	1,74,736.43	1,43,001.94
सकल एन पी ए	2,400.69	1,842.92
कुल	1,77,137.12	1,44,844.86
सकल एन पी ए में निम्नलिखित शामिल है		
सब स्टैंडर्ड	894.83	665.26
संदिग्ध	743.23	832.32
हानि	762.63	345.34
कुल सकल एन पी ए	2,400.69	1,842.92

बैंक का एन पी ए कवरेज अनुपात 31 मार्च 2010 में 74.90 % है जो कि वित्तीय वर्ष 10 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए 70.0% से अधिक ही है.

बैंक ने समीक्षा वर्ष में रु 194 करोड़ से अधिक राशि के खातों को स्टैंडर्ड खातों में अपग्रेड करने के साथ एन पी ए खातों की अनुवर्ती कार्रवाई में कड़ाई बरतते हुए रु. 383 करोड़ की नकद वसूली की. इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 10 के दौरान विवेकपूर्ण / बड़े खाते डाले गए खातों में 300 करोड़ तक की वसूली हुई.

बकाया शेष 10 लाख तक के छोटे अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए **संकल्प 2** नामक विशेष अभियान शुरू किया. यह योजना बेहद सफल रही तथा अभियान अवधि के दौरान रु 128 करोड़ की वसूली हुई. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ने एम एस ई क्षेत्र के बकाया शेष रु.10 करोड़ तक के अशोध्य ऋणों के लिए वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) प्रारंभ की तथा रु. 28 करोड़ से ज्यादा की वसूली की.

प्रौद्योगिकी परिवेश

बैंक अपने घरेलू, विदेशी तथा अनुषंगियों में संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन की नीति अपना रहा है वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की कुछ प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी पहलें/तकनीकी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं.



- बैंक ने 2009 सितंबर महीने के दौरान **सभी घरेलू शाखाओं को 100.0% सी बी एस** बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया.
- बैंक की **इंटरनेट बैंकिंग सुविधा बड़ौदा कनेक्ट** रिटेल व कार्पोरेट ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण डिलिवरी चैनल है जो फंड ट्रांसफर, अकाउंट स्टेटस

से संबंधित पूछताछ, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों का भुगतान, कुछ राज्य कर, यूटिलिटी बिल भुगतान एवं रेल टिकट बुक करना, एन ई एफ टी/आर टी जी एस के जरिए ऑनलाइन इंटर बैंक भुगतान करना, चुनिंदा पोर्टलों से खरीदारी, चुनिंदा मंदिरों में डोनेशन, एस एम एस अलर्ट सुविधा आदि हमारे बैंकिंग ग्राहकों को प्रदान की गई है. हमारे ग्राहकों को फिशिंग प्रयासों से सुरक्षित करने के लिए थर्ड पार्टी फंड अंतरणों में पंजीकरण व्यवस्था शुरू की गई है. बैंक ने स्कूल फीस संग्रहण मोड्यूल भी प्रारंभ किया है

- बैंक ने **ए टी एम स्विच एप्लिकेशन** प्रक्रिया शुरू की है ताकि ए टी एम, पी ओ एस, भुगतान गेटवे, डेबिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली एवं बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन से कनेक्ट करते हुए ऑनलाइन प्राधिकरण सुविधा जैसे फ्रंट एंड डेलिवेरी चेनेल्स को समेकित किया जा सके. सभी घरेलू एवं 7 विदेशी कार्य क्षेत्रों के ए टी एमों में बेस 24 पूर्णतः परिचालित किया गया. बैंक ने अगस्त 2009 में स्कूल फीस संग्रहण मोड्यूल प्रारंभ किया है जिससे ए टी एमों के जरिए स्कूल फीस भरी जा सकती है. बैंक ने एक से अधिक खातों को एक ही डेबिट कार्ड से लिंक करने की सुविधा कार्यान्वित की है. डेबिट कार्ड से मर्चेन्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदारी भी सम्भव हुई है.
- बैंक ने फोन बैंकिंग सुविधा शुरू की है जिससे ग्राहक बैंक के उत्पादों की जानकारी, खाते में शेष राशि संबंधी पूछताछ, चेकों का स्टेटस, खाता विवरणी फैक्स/ई मेल पर प्राप्त करना जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.
- बैंक की सभी शाखाएं **आर टी जी एस** तथा **एन ई एफ टी** द्वारा अंतर बैंक धन प्रेषण करने के लिए सक्षम हैं
- बैंक ने **रेपिड फंड्स टू इंडिया- एक ऑनलाइन धन अंतरण** सुविधा अपनी विदेशी शाखाओं में सक्रिय की है जो यू ए ई, ओमान, यूके, मॉरीशस, सीशेल्स, बोत्सवाना, हांगकांग, फिजी, घाना, केन्या, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, यूगांडा, ट्रिनिदाद एन्ड टोबेगो, यू एस, एवं जाम्बिया में है इन क्षेत्रों के अनिवासी भारतीय भारत की किसी भी सी बी एस शाखा में तत्काल धन अंतरण के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यदि उनका खाता किसी अन्य बैंक की शाखा में है तो उसी दिन या अगले दिन एन ई एफ टी/आर टी जी एस के जरिए धन उनके खाते में जमा हो जाएगा
- **इंटरनेट भुगतान गेटवे परियोजना (आई पी जी)** के तहत एक 3डी सिक्वोर कार्यान्वयन संपूर्ण किया है. आई पी जी सुविधा बैंक के केंद्रीय ए टी एम स्विच के जरिए ग्राहक तथा व्यापारी के बीच भुगतान व्यवस्था करता है.
- बैंक ने **कार्पोरेट धन प्रबंधन सेवा** प्रारंभ की है जो कार्पोरेट ग्राहकों को बल्क भुगतान सेवाओं, स्थानीय/बाहरी धन समाहरण(कागजी या इलेक्ट्रॉनिक), फंड पूलिंग सुविधा से लिक्विडिटी आदि के जरिए कुशलतापूर्वक धन प्रबंधन करने में सहायक होता है.
- बैंक ने 17 अक्टूबर 2009 को **ऑनलाइन ट्रेडिंग परियोजना** के तहत संस्थागत व्यापार भी प्रारंभ किया है
- बैंक ने ग्राहकों के लिए केंद्रीकृत डिपोजिटेरी प्रयोगों युक्त **रिटेल डिपोजिटेरी सेवाएं** उपलब्ध कराई है इसकी शाखाएं नेशनल सेक्यूरिटीज डिपोजिटेरी लिमिटेड (एन एस डी एल) एवं सेंट्रल सेक्यूरिटीज डिपोजिटेरी (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) को जमा सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं. डिपोजिटेरी ग्राहक किसी भी नामित शाखा से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं
- बैंक ने यूके, यूएई, बहमास, बेहरीन, हाँगकाँग में **ट्रेजरी सोल्यूशन** को कार्यान्वित किया है. भारत में वैश्विक ट्रेजरी सेवाएं 14 दिसंबर 2009 से प्रारंभ हो गई हैं.
- बैंक के **बैंक ऑफिस कार्य** शाखा स्तर पर केंद्रीकृत किए गए हैं ताकि शाखाओं के परिचालन स्टाफ को बैंक ऑफिस कार्यों से राहत मिले तथा वे सेल्स एवं सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
- बैंक ने केंद्रीकृत तरीके से खाता खोलने तथा चेक बुक जारी करने के लिए बड़ौदा, कोयंबतूर और जयपुर में तीन **क्षेत्रीय बैंक ऑफिस** खोले हैं.

7 अक्टूबर 2009 को बड़ौदा में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान सेल की शुरुआत की गई है।

- बैंक ने 126 घरेलू शाखाओं (ख वर्ग की शाखाएं) तथा 13 विदेशी शाखाओं में **भुगतान संदेश समाधान** (पी एम एस) प्रारंभ किया है। सी बी एस से निर्मित स्विफ्ट संदेशों को ए एमएल जांच करते हुए सीधे प्रोसेसिंग (एस टी पी) करने में यह सहायक होता है।
- बैंक ने **उद्यम आधारित सामान्य बही** को पूरी तरह भारत तथा अपने 19 विदेशी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया है।
- बैंक की **डाटा वेयरहाउजिंग परियोजना** (डी डब्ल्यू एच) प्रक्रियाधीन है। यह प्रणाली बैंक को उचित निर्णय लेने तथा भावी व्यावसायिक प्रवृत्तियों को पहले ही जानने में मदद करेगी।
- बैंक ने अपनी **जोरिखम प्रबंधन परियोजना** परिचालित की है। यह परियोजना जोरिखम प्रबंधन मॉडलों का आकलन (प्रत्येक प्रस्ताव का) करता है जिससे बैंक के ऋणों की रेटिंग प्रक्रिया तथा पूंजीगत आवश्यकताओं के आकलन संबंधी कार्रवाई में मदद मिलती है।
- बैंक ने **काले धन को रोकने की प्रक्रिया (ए एम एल)** 14 विदेशी क्षेत्रों अर्थात् ओमान, यूएई, फिजी, मॉरीशस, सीशेल्स, तनजानिया, बहामास, केन्या, यूगांडा, गुयाना, हांगकॉंग, बोत्सवाना, यूके, दक्षिणी अफ्रिका में कार्यान्वित की है। भारत तथा 14 विदेशी कार्य क्षेत्रों में बैंच प्रोसेस मोड में यह प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है।
- कर्मचारी सेवाओं के लिए बैंक ने मानव संसाधन नेटवर्किंग प्रक्रिया** सफलतापूर्वक कार्यान्वित की है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को निर्णय लेने, पदोन्नति एवं चयन तथा अन्य मानव संसाधन प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण करने में सहायता प्रदान करना है। 'पे-रोल सेलरी माइयूल' में भारत में सभी देशीय कार्यालयों में ईटीडीएस माइयूल कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा 'अवकाश माइयूल' भी प्रारंभ किया गया है तथा कर्मचारियों को स्वयं सेवा कार्यप्रणाली सुविधा प्रदान की गई है।
- बैंक द्वारा **ज्ञान प्रबंधन परियोजना** का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना से बैंक को सूचनाओं एवं ज्ञान प्रबंधन में सहूलित हासिल होगी एवं इससे बैंक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों के बौद्धिक ज्ञान का व्यापक इस्तेमाल कर पाएगा।
- बैंक ने **ग्राहक संबंध प्रबंधन परियोजना** का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है। इस परियोजना से विभिन्न ग्राहक चैनलों के माध्यम से ग्राहकों की बेहतर समझ विकसित करने, ग्राहक से अच्छे संबंध स्थापित करने एवं उनके साथ प्रभावी संव्यवहार बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- व्यवसाय की निरन्तरता** बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने अत्याधुनिक डाटा सेंटर एवं 'डिजास्टर रिकवरी साइट' स्थापित की है। नियमित अंतराल पर ड्रिल की जाती है एवं परिचालन डीआर साइट में बिना किसी बाधा के अंतरित हो जाते हैं ताकि सभी स्तरों पर परिचालनों की निरन्तरता को सुनिश्चित किया जा सके।
- 'हरित पहल' के रूप में बैंक ने नए डाटा सेंटर के तर्ज पर पर्यावरण के अनुकूल प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी को अपनाया है।
- बैंक ने 19 शाखाओं में **सौर ऊर्जा जनरेशन प्रणाली** स्थापित की है एवं अन्य 79 शाखाओं में इसे आरंभ करने की तैयारी जारी है। शाखाओं को सोलर पॉवर जनरेशन सिस्टम (एसपीजीएस) से यूपीएस हेतु उर्जा का वैकल्पिक स्रोत प्राप्त होगा एवं वे बिजली की कमी एवं लोड शेडिंग की समस्या से उबर पाएंगी।

प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रियाधीन पहलें

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रौद्योगिकी विभाग में कुछ परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिनसे संबंधित सूचना नीचे दी गई है।

- मोबाइल बैंकिंग
- एटीएम पर विभिन्न ग्राहक केन्द्रित कस्टमाइजेशन / सुविधाएं
- ऑनलाइन ट्रेडिंग - खुदरा
- एसएमएस प्रणाली का उन्नयन
- धोखाधड़ी प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयन
- कार्ड प्रबंधन
- सीधी प्रक्रिया के माध्यम से एनईएफटी की आईटी संरचना को अपग्रेड करना
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस का कार्यान्वयन

बैंक का उद्देश्य अपने आपको प्रौद्योगिकी युक्त बैंक के रूप में ढालना एवं इसे ग्राहकों की पहली पसंद बनाना है। इस उद्देश्य के तहत बैंक का प्रौद्योगिकी विभाग नए उपायों की तलाश कर रहा है जिससे कि ग्राहक बैंकिंग अनुभव को सहज, सक्षम एवं प्रभावी बनाया जा सके। विभिन्न परिचालन इकाइयों की संबद्धता में बैंक का आई.टी.विभाग, बैंक के रिटेल तथा कार्पोरेट ग्राहकों के लिए, नए-नए प्रौद्योगिकी आधारित आवश्यकतानुकूल टेलर मेड उत्पाद विकसित कर रहा है।

ई-बिज़नेस

बैंक का ई-बिज़नेस हेतु कार्यरत विशेष कक्ष विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक डिलीवरी चैनल जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट भुगतान गेटवे इत्यादि उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा ई-व्यवसाय कक्ष डिपोजिटरी सेवाओं, नकदी प्रबंधन सेवाओं एवं अनिवासी भारतीय सेवाओं की भी देख रेख करता है।

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान ई-बिज़नेस के अंतर्गत विभिन्न सेगमेंटों में निम्नलिखित उपलब्धियां रही हैं :

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन

	31/03/2009	31/03/2010
चालू किए गए एटीएम की संख्या	1,179	1,315
जारी डेबिट कार्ड की संख्या	32.60 लाख	45.95 लाख

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान नए पहल

- क) एटीएम के माध्यम से स्कूल फीस का भुगतान (चार स्कूलों के साथ समझौता)
- ख) एटीएम के माध्यम से स्वयं के संबद्ध खातों में निधि अंतरण

बड़ौदा कनेक्ट (इंटरनेट बैंकिंग)

	31/03/2009	31/03/2010
उपयोगकर्ताओं की संख्या	2,21,963	3,66,605
संबद्ध खातों की संख्या	7,18,075	12,91,847

- बैंक ने मंदिरों /ट्रस्टों को ऑनलाइन दान करने के संबंध में एक प्रणाली आरंभ की (वर्तमान में यह सुविधा 3 मंदिरों के लिए उपलब्ध है)
- बैंक ने **फिशिंग** को रोकने के लिए द्वितीय स्तर के अधिप्रमाणन के लिए लाभार्थी रजिस्ट्रेशन का कार्यान्वयन प्रारंभ किया।

बड़ौदा आरीटीजीएस / एनईएफटी

विवरण	2008-09		2009-10	
	आरटीजीएस	एनईएफटी	आरटीजीएस	एनईएफटी
आवक लेनदेनों की संख्या	3,42,145	6,12,701	8,85,527	15,83,158
जावक लेनदेनों की संख्या	4,43,353	1,50,081	12,93,970	6,61,923
प्रतिदिन औसत लेनदेन (आवक)	1,133	2,029	2,951	5,277
प्रतिदिन औसत लेनदेन (जावक)	1,468	497	4,303	2,206

फोन बैंकिंग

- यह सुविधा 19 मार्च, 2009 को आरंभ की गई
- 31 मार्च, 2010 को रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या 2,42,770 थी.
- बैंक को इस संबंध में प्रतिदिन 450 हिट प्राप्त हो रहे हैं.

अनिवासी भारतीय (NRI) सेवाएं

- कुल एनआरआई जमाएं 31 मार्च, 2010 को रु.16,792 करोड़ रही जबकि 31 मार्च, 2009 को ये रु.15,066 करोड़ के स्तर पर थी. इस प्रकार वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 11.46% की वृद्धि हुई.
- बैंक ने नई दिल्ली में जनवरी, 2010 के दौरान "प्रवासी भारतीय दिवस, 2010" में भाग लिया.



दिल्ली में "प्रवासी भारतीय दिवस" में बैंक का स्टाल

बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं (BCMS)

- वित्तीय वर्ष, 10 के दौरान ये सेवाएं भारत के 10 केन्द्रों में आरंभ की गई.
- बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवा के अंतर्गत चार मॉड्यूल हैं, इनमें से तीन मॉड्यूल - भुगतान मॉड्यूल, संग्रहण मॉड्यूल एवं समाशोधन मॉड्यूल को आरंभ कर दिया है. चौथा मॉड्यूल - इनवॉइस मॉड्यूल अभी आरंभ किया जाना है.
- वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बीसीएमएस के अंतर्गत कुल लेनदेनों की संख्या 9,30,000 एवं कुल टर्नओवर रु.5,000 करोड़ थी.
- इन सेवाओं को और 100 केन्द्रों पर चरणबद्ध रूप से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है.

डिपाजिटरी सेवाएं

- वित्तीय वर्ष 10 के दौरान डिपाजिटरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नामित शाखाओं की संख्या 280 से बढ़कर 1007 हो गई है.

स्वर्ण सिक्कों की बिक्री

- बैंक ने अक्टूबर, 2007 से स्वर्णसिक्कों की बिक्री आरंभ की. 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम एवं 10 ग्राम में स्वर्ण सिक्कों की बिक्री की जा रही है. ये सिक्के स्विज़रलैंड से आयात किए जाते हैं एवं इनकी शुद्धता 99.99% होती है.

वित्तीय वर्ष 11 के दौरान आरंभ ली जाने वाली नई सेवाएं

- इंटरनेट भुगतान गेटवे (बड़ौदा ई-गेटवे)
- मोबाइल बैंकिंग

मानव संसाधन

व्यवसाय रूपांतरण एवं परिचालन इकाइयों के कार्यनिष्पादन को उत्कृष्ट बनाने की दृष्टि से बैंक की मानव संसाधन कार्यनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है. मानव संसाधन कार्यों का लक्ष्य ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में कर्मचारियों

की क्षमताओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है. बैंक के पास लगभग 38,000 सक्षम एवं समर्पित कर्मचारी हैं, जो बैंक के वृहद व्यवसाय को संभाल रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक द्वारा उठायी गई महत्वपूर्ण एचआर पहलों का उल्लेख नीचे किया गया है.

मानव संसाधन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

बैंक ने मासंप्र एवं प्रशिक्षण के संबंध में ओरेकल ई-बिजनेस समाधान ह्यूमन रिसोर्स नेटवर्क फॉर इम्प्लाइज़ सर्विसेज़ (एचआरएनईएस) नाम से आरंभ किया. मैसर्स फ्लोअस के एक अन्य उत्पाद को पे-रोल एवं अवकाश मॉड्यूल के लिए कार्यान्वित किया गया है. सभी भारतीय कर्मचारी इस पैकेज के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं एवं एचआरएनईएस के तहत बैंक की विदेशी शाखाओं को भी कवर कर लिया गया है. वेब संचालित उद्यमवार एचआर समाधान को वर्ष के दौरान सक्रिय कर दिया गया है जिसके तहत कर्मचारी आंकड़े, रोस्टर, वेतन फिक्सेशन, वरिष्ठता, औद्योगिक संबंध, प्रशासनिक कार्रवाई, स्वयंसेवा, सूचना तथा अनुमति, अलर्ट जनरेट करने, स्थानान्तरण अनुरोध, संगठन छोड़ने, मानव संसाधन आयोजना, शिकायत निवारण, स्थायीकरण, चयन एवं पदोन्नति इत्यादि संबंधी विभिन्न युक्तियों का स्वतः नवीकरण हो जाता है. यह वर्ष के दौरान प्रायोगिक तौर पर ई-लर्निंग लिंकेज के अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाने, प्रशिक्षण पंजीकरण तथा नामांकन, प्रशिक्षण बजट की निगरानी एवं प्रशिक्षण लागत, प्रशिक्षण उपरांत उपयोग का ध्यान रखता है.

सक्षमता निर्माण के संबंध में एचआर पहल

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान प्रशिक्षण एवं विकास संबंधी अनेक गतिविधियां संपन्न की गई. इसके अंतर्गत युवा अधिकारियों एवं नए भर्ती हुए कर्मचारियों के सर्वोन्मुखी विकास हेतु प्रशिक्षण देने के अलावा क्रेडिट, विदेशी मुद्रा, डीलिंग, शाखा प्रबंधन, आयोजना, जोखिम प्रबंधन इत्यादि के संबंध में विस्तृत शिक्षण कार्यक्रम शामिल है.

बैंक ने वर्ष के दौरान 1194 संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम (देशभर में स्थित 12 प्रशिक्षण केन्द्रों, दो आइटी प्रशिक्षण केन्द्रों एवं शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय, अहमदाबाद के माध्यम से) संपन्न किए एवं 26,830 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया. इसके अलावा बैंक ने 768 कर्मचारियों को देश एवं विदेशों के विभिन्न प्रख्यात प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा.

भर्ती अभियान

वर्ष के दौरान अनेक भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न की गई. बैंक ने विभिन्न प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों से कैंपस भर्ती करने के कार्य को और आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 09 के दौरान लगभग भर्तियों 75 से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 10 के दौरान लगभग 330 भर्तियां की. बैंक ने पहली बार देश के बड़े बिजनेस स्कूलों जैसे आई आई एम, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता इत्यादि तथा अन्य टायर-1 बिजनेस स्कूलों का दौरा किया एवं वहां से लोगों को सीधे मध्य प्रबंधन श्रेणी में भर्ती किया. चालू वर्ष के दौरान बैंक ने 650 लोगों की कैंपस से भर्ती की है एवं ये लोग जून, 2010 के मध्य तक बैंक में कार्यदायित्व संभालेंगे.

कैंपस भर्ती चैनल के अलावा बैंक ने लगभग 530 प्रोबेशनरी अधिकारी, 63 कृषि अधिकारी तथा 214 विशेषज्ञ अधिकारियों एवं 1720 लिपिकीय स्टाफ की भर्ती की. भर्ती की यह प्रक्रिया चालू वर्ष के दौरान भी जारी है जिससे कि अधिकारियों के 1850 एवं लिपिकों के 2000 पदों को भरा जा सके.

कैरियर निर्माण संरचना

कैरियर में तीव्र विकास की कर्मचारियों की बढ़ती महत्वकांक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके. इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में पदोन्नतियों की गई जिसके विवरण

निम्नानुसार है :

लिपिक से अधिकारी	509
क.प्र.-I से म.प्र.-II (अधिकारी से प्रबंधक)	892
म.प्र.-II से म.प्र.-III (प्रबंधक से वरिष्ठ प्रबंधक)	1190
म.प्र.-III से व.प्र.-IV (वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक)	220
व.प्र.-IV से व.प्र.-V (मुख्य प्रबंधक से सहायक महाप्रबंधक)	60
व.प्र.-V से उ.का.श्रे.-VI (सहायक महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक)	36
उ.का.श्रे.-VI से उ.का.श्रे.-VII (उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक)	12

एचआर नीतियों एवं प्रणालियों की समीक्षा

सभी महत्वपूर्ण एचआर नीतियों एवं योजनाओं की वर्ष के दौरान समीक्षा की गई ताकि कर्मचारी अनुकूल नियम बनाए जा सकें एवं प्रक्रियाओं को आसान एवं अधिक पारदर्शी बनाया जा सके. वर्ष के दौरान समीक्षा की गई, बनाई गई एवं कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण नीतियों में शामिल हैं - अधिकारियों हेतु पारदर्शी स्थानांतरण नीति, विदेशों हेतु चयन की नीति, एचआर रिसोर्स नीति, संशोधित कर्मचारी कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली इत्यादि.

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विकास पर विशेष बल

बैंक समाज के एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े व्यक्तियों के विकास एवं कल्याण संबंधी संवैधानिक उपबंधों एवं सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है. हमारा बैंक पूरे बैंकिंग उद्योग में उन चुनिंदा बैंकों में से एक है जिसके पास एससी एवं एसटी संवर्ग से जुड़े अधिकतम कर्मचारी हैं जिससे बैंक की इस वर्ग के विकास एवं उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है. बैंक द्वारा एससी एवं एसटी लोगों के विकास एवं कल्याण के संबंध में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है:

नौकरियों में आरक्षण

बैंक अपनी अखिल भारतीय एवं स्थानीय भर्ती योजनाओं में भारत सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण के संबंध में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. अखिल भारतीय नियुक्तियों में 15% पद अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं. क्षेत्रीय आधार पर की गई अन्य भर्तियों में विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतिशत का अनुपालन किया जा रहा है.

बैंक में भर्ती के संबंध में एससी/एसटी आवेदकों के लिए भर्ती पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. आयु सीमा एवं योग्यता में उपयुक्त रियायत प्रदान की जाती है. एससी/एसटी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में भी रियायत बरती जाती है ताकि आरक्षित मर्दों पर नियुक्ति हो सके. भर्ती हेतु समीक्षा पैनल में अनिवार्य रूप से एक एससी/एसटी सदस्य शामिल किया जाता है. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए एससी/एसटी अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है. नौकरी में आरक्षण देने के अलावा बैंक विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप एससी/एसटी कर्मचारियों के कैरियर विकास एवं पदोन्नति के संबंध में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है.

पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं. बैंक के उपलब्ध आवासों में एससी/एसटी के लिए 10% का आरक्षण किया गया है :

31 मार्च, 2010 को स्टाफ शक्ति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहा :

	कुल	एससी	एससी%	एसटी	एसटी%
अधिकारी	14,427	2,611	18.10	957	6.63
लिपिक	15,376	2,260	14.70	828	5.39
सब स्टाफ	8,268	2,934	35.49	730	8.83
कुल	38,071	7,805	20.5	2,515	6.60

अनुसूचित जाति/जनजाति कक्ष:

बैंक में आरक्षण तथा एस सी/एसटी कर्मचारियों के लिए अन्य सम्बद्ध प्रावधानों की निगरानी के लिए एक विशेष एससी/एसटी कक्ष कार्यरत है . महाप्रबंधक स्तर का एक कार्यपालक एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी है जो एससी/एसटी कर्मचारी से संबंधित विविध दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं. बैंक के प्रत्येक अंचल में एससी/एसटी हेतु एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है जो अंचल के एससी/एसटी कर्मचारियों के सभी मसलों एवं शिकायत निपटारे की स्थिति की देखरेख करता है.

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संघ के साथ बैठक :

बैंक अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करता है ताकि उनके साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा सके एवं एससी/एसटी संबंधी आरक्षण तथा अन्य प्रावधानों की समीक्षा की जा सके. इन बैठकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालक, जिसमें एससी/एसटी हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी शामिल हैं, भाग लेते हैं.

भारत रत्न डॉ बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल ट्रस्ट

बैंक ने 1991 में भारत रत्न डॉ बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की जिससे कि एससी/एसटी कर्मचारियों एवं उनके परिवार जनों के लाभ हेतु कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके. एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के अलावा देश के महत्वपूर्ण केंद्रों पर ट्रस्ट द्वारा एससी/एसटी समुदाय के जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है.

अनुसूचित जाति/जनजाति राष्ट्रीय आयोग का दौरा

अनुसूचित जाति/जनजाति राष्ट्रीय आयोग ने 30 दिसंबर 2009 में बैंक का दौरा किया एवं नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन स्तर पर विचार विमर्श एवं उसकी समीक्षा की. आयोग के सुझाव एवं दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है.

मार्केटिंग

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने मार्केटिंग एवं सेल्स के संबंध में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जिसके तहत ब्रांड निर्माण एवं व्यवसाय विकास पर उचित ध्यान दिया गया. यद्यपि प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक / ऑनलाइन तथा बाह्य होर्डिंग (OOH) मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान रहा है तथापि नेटवर्क रिटेल लोन /एस एम ई लोन फैंक्ट्री तथा सिटी सेल्स ऑफिस के माध्यम से सीधी बिक्री पर भी बल दिया गया.



We are wherever your work takes you.

BARODA ne:it
ONLY ON THE NET STRAIGHT FROM THE HEART
 Toll Free No. 1-800-22-4447
 www.bankofbaroda.com

 **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**
Bank of Baroda
India's International Bank

ब्रांड निर्माण अभियान

वित्तीय वर्ष 09 के दौरान बैंक के एक उप ब्रांड 'बड़ौदा नेक्सट स्टेट ऑफ आर्ट स्ट्रेट फ्राम द हार्ट' का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अच्छे रेसॉन्स एवं ब्रांड पहचान में प्रभावी सुधार को ध्यान में रखते हुए बैंक ने जुलाई-अगस्त 09 में एक अनुवर्ती कॉर्पोरेट अभियान 'बड़ौदा नेक्सट' आरंभ किया जिसका उद्देश्य इस बात पर बल देना था कि बैंक कल की प्रौद्योगिकी को आज मानवीय संस्पर्श के साथ देने को तैयार है। इस अभियान ने बैंक को बाजार की प्रतिस्पर्धा को प्रभावी रूप से सामना करने के योग्य बनाया। इसका मुख्य मकसद बैंक के वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों में अभिरूचि पैदा करना था। अभियान के दौरान सभी मीडिया माध्यमों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउट ऑफ होम, शाखा के अंदर प्रचार का इस्तेमाल किया गया। अभियान के संदेश लक्ष्य समूह के पास प्रभावी ढंग से संप्रेषित हुए।



उत्पाद संवर्द्धन

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान रिटेल ऋणों, चालू जमाओं, बचत जमाओं, एसएमई उत्पादों, कृषि योजनाओं, ई सेवा डिलिवरी चैनलों तथा सोने के सिक्कों के संबंध में अनेक उत्पाद अभियान आरंभ किए गए। इस संबंध में सभी मीडिया माध्यमों (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउट ऑफ होम मीडिया) का परिचालन इकाइयों के बिक्री प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया। उनके प्रयासों को बैनरों, पोस्टरों एवं लीफलेटों के माध्यम से शाखा के अंदर प्रचार द्वारा तथा निचले स्तर पर विभिन्न प्रमोशनल गतिविधियों द्वारा संबल प्रदान किया गया।

बिक्री पर फोकस

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने एक नई इकाई सिटी सेल्स ऑफिस आरंभ की जिसका उद्देश्य मुख्यतः बैंक से बाहर जाकर बिक्री करने पर केंद्रित है। सिटी सेल्स ऑफिस की अवधारणा एक ऐसी समर्पित बिक्री इकाई बनाने की है जिसके सारे प्रयास आस्ति, देयता एवं निवेश उत्पादों की बिक्री पर केंद्रित हों। सीएसओ इकाई, तथा रिटेल लोन फ़ैक्ट्री, एस एम ई लोन फ़ैक्ट्री की परिकल्पना शाखाओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बिक्री संबंधी प्रयासों को बल प्रदान करने हेतु की गई है।

31 मार्च 2010 तक देश में आठ केंद्रों पर 9 सिटी सेल्स ऑफिस खोले जा चुके हैं। सी एस ओ इकाइयां सफल साबित हुई हैं एवं इनके कारण सेल्स एवं लीड जनरेशन में काफी वृद्धि हुई है।

मार्केटिंग के संबंध में अन्य पहल

वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों जैसे एटीएम/बड़ौदा कनेक्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी/एसबीएस इत्यादि हेतु बैंक ने अनेक ग्राहक शिक्षण कार्यशालाएं आरंभ की हैं तथा नीचे के स्तर पर ऐसी कार्यशालाओं के लिए 1500 + प्रशिक्षकों का एक पूल

तैयार किया है।



श्री एम. डी. मल्या स्कॉच चेलेंजर अवार्ड "बैंक ऑफ दि इयर" प्राप्त करते हुए

बैंक ऑफ बड़ौदा को पुरस्कार एवं उद्योग जगत में सम्मान

बैंक के सतत् कार्यनिष्ठा एवं विभिन्न मार्केटिंग पहलों से भारतीय बैंकिंग उद्योग में बैंक की ब्रांड छवि सुधरी है। यह विभिन्न स्वतंत्र मीडिया सर्वेक्षणों के परिणामों से, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, स्पष्ट है।

- वॉकहार्ट फाउंडेशन द्वारा "बैंक आफ द इयर अवार्ड"-14 सितम्बर 2009.
- "बैंक आफ द इयर अवार्ड" - स्कॉच चेलेंजर अवार्ड - 18 मार्च 2010
- दूसरा रैंक फायनेन्शियल एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा ' इंडियाज बेस्ट बैंक सर्वे 2009-10 ' के अनुसार 'बेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक'.
- 34वां रैंक भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रांड 2009 (ब्रांड फायनांस, यूके) (पिछले वर्ष के रैंक 39वें से)
- 33वां रैंक (पिछले साल के रैंक 36वें से) - ई.टी.500, 2009 .
- चौथा रैंक (पिछले साल के 17वें रैंक से) - बिजनेस टूडे केपीएमजी सर्वे 2009

बैंक को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेशन ऑफ इंडिया (एबीसीआई) से भारतीय भाषा प्रकाशन के अंतर्गत 'स्वर्ण ट्राफी', कार्पोरेट वेबसाइट के लिए 'रजत ट्राफी' द्विभाषिक आंतरिक पत्रिका तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के संदेश के लिए (कार्पोरेट कम्यूनिकेशन्स के अंतर्गत) 'कांस्य ट्राफी' प्राप्त हुई।

परिसर रि-इंजीनियरिंग एवं परिवेश सुधार

निम्नलिखित निर्माण परियोजनाएं प्रगति पर हैं एवं इन्हें निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूरा कर लिया जाएगा।

1. प्रशासनिक भवन, गोमती नगर, लखनऊ में
2. प्रशासनिक भवन, जमशेदपुर, झारखंड में
3. वाणिज्यिक एवं आवासीय कॉम्प्लेक्स, घोड दोड रोड, सूरत में
4. वाणिज्यिक भवन, शाखा तथा अंचल/क्षेत्रीय कार्यालय, मईलापुर, चेन्नै.
5. 17 आवासीय फ्लैट, अलवर पेट चेन्नै में
6. आवासीय फ्लैट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
7. बड़ौदा में बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-08) सर सयाजीराव ऑडिटोरियम का निर्माण एवं इसे वडोदरा नगर निगम को बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मान स्वरूप प्रदान करना।

जनकपुरी, नई दिल्ली में भी आवासीय भवन के निर्माण की कार्यवाही शुरू हो गई है एवं इस संबंध में शीघ्र टेंडर जारी किए जाएंगे। बैंक का यह प्रयास रहेगा कि अपने द्वारा खरीदी गई सभी संपत्तियों पर वाणिज्यिक अथवा आवासीय परिसर बनाया जाए।

वर्ष के दौरान पूरी की गई निर्माण परियोजनाओं एवं उपयोग में लिए जा रहे परिसर के विवरण नीचे दिए गए हैं :

- बड़ौदा सन टावर, सी-24, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई
- राजपीपला में शाखा हेतु भवन
- वीकेआई, जयपुर
- पंतनगर, एसआईडीसीयूएल



बड़ौदा सन टावर- बी के सी, मुंबई में नई बिल्डिंग

बैंक ने बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान हेतु विभिन्न स्थानों जैसे बड़ौदा, बलसाड, जयपुर, अजमेर, रामपुर तथा पंतनगर एसआईडीसीयूएल (सिडकुल) पर परिसर का निर्माण आरंभ किया है। बैंक ने हरित भवन मानदंड, ऊर्जा संरक्षण उपाय एवं विकलांगों हेतु बाधा रहित पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।

शाखाओं की साजसज्जा

सभी शाखाओं में सीबीएस लागू करने के बाद बैंक ग्राहकों को सुविधासम्पन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित कर रहा है कि अधिकाधिक शाखाओं में साजसज्जा, अपग्रेडेशन, सुन्दरता एवं व्यापक सुधार की व्यवस्था की जाए। वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 396 शाखाओं को सुसज्जित किया गया। बैंक ने शाखाओं एवं कार्यालयों की आन्तरिक साजसज्जा को मानक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयास किए हैं। बैंक ने व्यवसाय प्रणाली रिइंजिनियरिंग प्रक्रिया के तहत देश के विभिन्न केन्द्रों पर क्षेत्रीय बैंक ऑफिस (RBO) तथा सिटी बैंक ऑफिस (CBO) स्थापित करने हेतु प्रयास किए हैं। जयपुर तथा बड़ौदा में स्थापित क्षेत्रीय बैंक ऑफिस को सुसज्जित कर परिचालित कर दिया गया है, भोपाल तथा कोयम्बतूर में भी क्षेत्रीय बैंक ऑफिस स्थापित/सुसज्जित किए जाने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।

कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाना

कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक का संपदा प्रबन्धन विभाग दैनिक कार्यों में सूचना प्राद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरणतः ठेकेदारों आदि को भुगतान आरटीजीएस/एनइएफटी के माध्यम से किया जा रहा है।

संपदा प्रबन्धन विभाग की अन्य गतिविधियां

बैंक द्वारा 'किराए के भार' को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं कि विद्यमान परिसरों का अधिकतम उपयोग किया जाए तथा जहां तक सम्भव हो अतिरिक्त/अपेक्षाकृत अधिक परिसर को सरेंडर कर दिया जाए। इस के फलस्वरूप बैंक ने वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 85,631 वर्गफुट लीज़ एरिया सरेंडर किया। बैंक इस नीति पर कार्य कर रहा है कि प्रतिवर्ष अनापेक्षित अधिकतम एरिया सरेंडर कर दिया जाए। सम्पदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2009-2012

की संशोधित परिसर नीति जारी की है विभाग द्वारा निर्माण कार्य मैन्युअल जारी किया गया है तथा खरीद नीति तैयार की है जो कि विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे प्राधिकारियों की सुविधा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी। साजसज्जा सम्बन्धी विस्तृत दिशानिर्देश भी शीघ्र जारी किए जाएंगे।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2010 को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले परम्परागत चैनलों (केन्द्रों) का विवरण नीचे दिया गया है। ये केन्द्र शहरी टेक्नो सेवी लोगों द्वारा सामान्यतः अपनाए जाने वाले ई-बैंकिंग चैनलों की तुलना में ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

क्षेत्र वर्गीकरण (भारत)	शाखाओं की संख्या	कुल शाखाओं में प्रतिशत अंश
महानगरीय	673	22
शहरी	580	19
अर्धशहरी	721	23
ग्रामीण	1,126	36
कुल	3,100	100
विदेशी	48	--

घरेलू अनुषंगियां एवं सहयोगी कंपनियां

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा। बॉब कार्ड्स लि. ने अपने तुलन पत्र को सफलतापूर्वक सही (क्लीन अप) कर लिया है एवं एक नई व्यावसायिक योजना बनाने की प्रक्रिया में है। बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड को एक पेशेवर सी ई ओ की नियुक्ति तथा पेशेवर टीम की भर्ती के माध्यम से सक्रिय किया गया है। कंपनी ने अक्टूबर 2009 में संस्थागत ब्रोकिंग बिजनेस प्रारंभ किया है तथा यह शीघ्र ही रिटेल ब्रोकिंग बिजनेस भी प्रारंभ करेगी। बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने परिचालन के दूसरे वर्ष में है। एवं इसमें अपने प्रबंधनाधीन आस्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। जैसा कि पूर्व में बतलाया गया है कि इंडिया फर्स्ट को बैंक के ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिसाद मिला जिसके कारण यह पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अपनी शुरुआत के 100 दिन में ही रु. 100 करोड़ प्रीमियम एकत्र किया।

बैंक की अनुषंगियों एवं सहयोगी कंपनियों के लेखापरीक्षित कार्यनिष्पादन आंकड़े नीचे दिए गए हैं

संस्था (पंजीकरण तारीख के साथ)	देश	स्वाधिकृत निधियां	कुल आस्तियां	शुद्ध लाभ	अधिकारी	स्टाफ
बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 11 मार्च 1996	भारत	11,851.05	11,852.96	645.27	1	23
बॉब कार्ड्स लिमिटेड 29 सितंबर 1994	भारत	10,316.75	18,808.80	-(1062.74)	36	139
सहयोगी कंपनियां बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 5 नवंबर 1992	भारत	6,906.67	7,355.73	-(909.61)	1	31
इंडिया फर्स्ट इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड 19 जून 2008	भारत	27,840.13	45,314.14	-(4,479.21)	1	893
नैनिताल बैंक लिमिटेड 31 जुलाई 1922	भारत	23,979.10	2,87,712.24	4,337.49	103	734

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक ने राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार प्रसार को बढ़ाने तथा विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, बैंक ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को पूरा किया, इस दिशा में बैंक की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता देते हुए बैंक की विभिन्न स्तरों/मंचों पर सराहना की गई.

जयपुर तथा बड़ौदा में बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया तथा अपने सदस्य बैंकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया. बैंक की जयपुर समिति को श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अतिरिक्त, हमारे स्टाफ कॉलेज, अहमदाबाद तथा अंचल कार्यालय, जयपुर को भी उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा अपने परिचालन क्षेत्र में राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु पुरस्कृत किया गया.

बैंक ने दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों को युनिकोड फौन्ट्स पर आधारित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. भारत के अन्य प्रशासकीय कार्यालयों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा बैंक ने वित्तीय वर्ष 10 के दौरान बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में 450 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है.

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने हमारे क्षेत्रीय कार्यालय गोवा तथा इलाहाबाद का दौरा किया तथा बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की.



हिन्दी गृह पत्रिका "अक्षय्यम्" का विमोचन

हमारे बैंक के दो कर्मचारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक की हिंदी में मूल पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत ज्वलंत/अद्यतन विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं

हमारे बैंक की हिंदी पत्रिका 'अक्षय्यम्' को भारतीय रिजर्व बैंक की हिंदी पत्रिका श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है. पत्रिका को ए बी सी आई मुंबई द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रकाशन संवर्ग में भी स्वर्ण (प्रथम) पुरस्कार प्रदान किया है. इसके अलावा बैंक की गृह पत्रिका **बाँबमैत्री** को ए बी सी आई, मुंबई द्वारा द्विभाषी गृहपत्रिका संवर्ग में कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

निदेशक मंडल

केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री एन एस श्रीनाथ को 07 दिसम्बर 2009 से पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यकारी निदेशक के पद पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत नियुक्त किया गया है. वे 31 मई 2012 अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो इस पद पर बने रहेंगे। उन्हें श्री वी. सन्तानरामन के 31 अगस्त 2009 को अधिवाषिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप निदेशक न रहने के फलस्वरूप नियुक्त किया गया है.

श्री आलोक निगम आई ए एस को केन्द्रीय सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2009 को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि निदेशक के रूप में श्री अमिताभ वर्मा आई ए एस, जो श्री निगम के नामांकन के बाद निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर नामित किया गया है. श्री निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में आगामी आदेश जारी किए जाने तक इस पद पर रहेंगे।

डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद को केन्द्रीय सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2009 को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत अंश कालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है. डॉ शाहिद को 29 अक्टूबर 2009 से 28 अक्टूबर 2012 अथवा इस संबंध आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हों, के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है.

श्री अमरजीत चोपड़ा, जिन्हें 13 अक्टूबर 2006 को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत तीन वर्षों के लिए निदेशक के रूप में नामित किया गया था, दिनांक 12 अक्टूबर 2009 को नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के उपरांत अब बैंक के निदेशक नहीं रहे.

निदेशकों के दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशक इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय:

- महत्वपूर्ण विसंगतियों यदि कोई हो, के समुचित स्पष्टीकरण सहित लेखा मानकों का पूर्णतया पालन किया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया है.
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यकलापों की स्थिति तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने की दृष्टि से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए.
- भारत में बैंकों पर लागू नियमों संबंधी प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखांकन रिकार्ड रखने के लिए समुचित सावधानी बरती गई है ; तथा
- लेखों को उत्तरोत्तर कंसर्न आधार पर तैयार किया गया है.

आभार

निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा विदेशों एवं भारत स्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं.

निदेशकगण बैंक के सभी हितधारकों जैसे ग्राहक, शेयर धारक, एवं भारत तथा विदेशों में रहने वाले शुभचिंतकों द्वारा दी गई सहायता एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं

निदेशकगण विभिन्न स्तरों पर संबद्ध स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं जिसके कारण बैंक को विपरीत स्थितियों में भी उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय विकास करने में सफलता हासिल हुई तथा बैंक देश के एक अग्रणी बैंक के रूप में स्थापित हुआ.

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

एम. डी. मलया

एम डी मलया

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुंबई

25 मई, 2010

बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण

Basel II Pillar 3 disclosures

दिनांक 31.03.2010 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अनुसार पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण (सोलो आधार पर)

Disclosures (on solo basis) under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India as on 31.03.2010.

I. अनुप्रयोग का क्षेत्र

- क. प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ बड़ौदा पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है।
- ख. बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार की अनुषंगियां, सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उद्यम हैं :

I. Scope of application

- a. The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, which is the top bank in the group.
- b. The Bank has following Subsidiaries, Associates and Joint ventures -- both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	अनुषंगी का नाम	Name of the subsidiary	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	अनुषंगी (घरेलू)	SUBSIDIARY (DOMESTIC)	
i	नैनीताल बैंक लिमिटेड	Nainital Bank Limited	98.39%
ii.	बॉबकार्ड्स लिमिटेड	BOBCARDS Limited	100.00%
iii.	बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड	BOB Capital Market Limited	100.00%
	अनुषंगी (विदेशी)	SUBSIDIARY (FOREIGN)	
iv.	बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड	Bank of Baroda (U.K.) Ltd	100.00%
v.	बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगान्डा) लिमिटेड	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	80.00%
vi.	बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	86.70%
vii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) इंक.	Bank of Baroda (Guyana) Inc.	100.00%
viii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	100.00%
ix.	बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	100.00%
x.	बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो) लिमिटेड	Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.	100.00%
xi.	बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Ghana) Ltd	100.00%
xii.	बड़ौदा (न्यू जीलैंड) लिमिटेड	Baroda (New Zealand) Ltd.	100.00%

बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी सहायक इकाइयां भी हैं।

The Bank also has following Associates both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	सहायक इकाई का नाम	Name of the associate	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	सहायक इकाइयां (घरेलू)	ASSOCIATES (DOMESTIC)	
i	बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	Baroda Pioneer Asset Management Company Limited	49.00%
ii	झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Jhabua Dhar K G Bank	35.00%
iii	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Nainital Almora K G Bank	35.00%
iv	बड़ौदा गुजरात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Baroda Gujarat K G Bank	35.00%
v	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	Baroda Rajasthan Gramin Bank	35.00%
vi	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	Baroda U P Gramin Bank	35.00%
	सहायक इकाइयां (विदेशी)	ASSOCIATE (FOREIGN)	
vii	इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	Indo Zambia Bank Limited	20.00%

बैंक के निम्नलिखित घरेलू संयुक्त उद्यम हैं।

The Bank has following domestic Joint Venture.

क्रम संख्या Sr. No.	संयुक्त उद्यम का नाम	Name of the Joint Venture	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	संयुक्त उद्यम (घरेलू)	Joint Venture (DOMESTIC)	
i	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	IndiaFirst Life Insurance Company Limited	44.00%

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानदंड क्रमशः 21, 23 तथा 27 के अनुसार समेकित खाता विवरणी में अनुषंगियों, सहायक इकाइयों तथा संयुक्त उद्यम को पूर्णतः समेकित किया गया है।

- ग. किसी अनुषंगी के मामले में पूंजी की कोई कमी नहीं है।
- घ. बैंक का बीमा संस्थान में निम्न विवरणानुसार हित है।
- I. बीमा संस्थान में बैंक के कुल निवेश का चालू बही मूल्य - 88.00 करोड़. रुपये
 - II. नाम- इण्डिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड.
 - III. निगम का देश - भारत.
 - IV. स्वामित्व के हित का अनुपात - 44%.

बैंक ने इण्डिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में अपनी शेयर धारिता के संबंध में अपनी पूंजी से 88.00 करोड़ रुपये के निवेश में कटौती की है।

II. पूंजीगत ढांचा

- क. बैंक की टियर - I पूंजी में शेयर पूंजी, नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत तथा विभिन्न प्रकार की प्रारक्षित निधियां शामिल हैं. टियर - II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन निधियां (भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार डिस्काउण्टेड), सामान्य हानि निधि, मानक अस्तियों पर प्रावधान, उच्च टियर - II तथा निम्न टियर - II पूंजी शामिल हैं. उच्च टियर II पूंजी में विदेशी बाजार में जारी एमटीएन बॉण्ड भी शामिल हैं. बेजमानती प्रतिदेय ऋणों की अवधि इस प्रकार हैं :

उच्च टियर 2 पूंजी :

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि करोड़ रु. में Amount in Rs. Crs.
शृंखला VII	Series VII	9.30	28.12.2022	500.00
शृंखला VIII	Series VIII	9.30	04.01.2023	1000.00
शृंखला IX	Series IX	9.15	04.03.2024	1000.00
शृंखला XI	Series XI	8.38	08.06.2024	500.00
शृंखला XII	Series XII	8.54	08.07.2024	500.00
एमटीएन टियर II बॉण्ड (विदेशी)	MTN Tier II Bonds (Overseas)	6.625	25.05.2022 (25.5.2017 को कॉल ऑप्शन के साथ with call option on 25.05.2017)	1347.00
कुल TOTAL				4847.00

निम्न टियर 2 पूंजी

Lower Tier 2 Capital:

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि करोड़ रु. में Amount in Rs. Cr
शृंखला IV	Series IV	5.85	02.07.2014	300.00
शृंखला V	Series V	7.45	28.04.2015	770.00
शृंखला VI	Series VI	8.95	15.05.2016	920.00
शृंखला X	Series X	8.95	12.04.2018	500.00
कुल TOTAL				2490.00

The Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are consolidated in the Consolidated Statement of Accounts as per Accounting Standard 21, 23 and 27 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

- c. There is no deficiency of capital in respect of any subsidiary.
- d. The Bank has interest in the Insurance entity as per the details given below.
- I. The current Book value of Bank's total interest in the insurance entity – Rs.88.00 crores.
 - II. Name – IndiaFirst Life Insurance Company Limited.
 - III. Country of Incorporation – India
 - IV. The proportion of ownership interest – 44%
- The bank has deducted the investment of Rs.88.00 crores from its capital in respect of its equity holding in IndiaFirst Life Insurance Company Limited.

II . Capital structure

- a. The Tier-I capital of the Bank consists of equity capital, Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) and various types of reserves. The Tier-II capital consists of Revaluation Reserves (discounted as per provisions of RBI), General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier II Capital and Lower Tier II capital. Upper Tier II capital also consists of MTN Bonds issued in overseas market. The terms of unsecured redeemable debts are as under:

Upper Tier 2 Capital:

ख. बैंक की टियर - I पूंजी इस प्रकार है :

b. The Tier 1 capital of the bank is as under:

(राशि करोड़ रु. में Amount in Rs. Crore)

i	कुल टियर - I पूंजी जिसमें से	i	Total Tier I Capital Out of which:	14985.33
ii	प्रदत्त शेयर पूंजी	ii	Paid up share capital	365.53
iii	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों के अलावा निधियां	iii	Reserves excluding revaluation reserves	13419.61
iv	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	iv	Innovative Perpetual Debt Instrument	1200.20
v	कटौतियां	v	Deductions	628.45
vi	पात्र टियर I पूंजी	vi	Eligible Tier I Capital	14356.88

ग. बैंक की कुल टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में से शुद्ध कटौती) 8060.36 करोड़ रूपए है.

c. The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is Rs. 8060.36 Crore.

घ. उच्च टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं:

d. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(करोड़ रु. में Rs in Crores)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	4847.00
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	1000.00
पूंजी निधियों के रूप में गणना किये जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	4847.00

ङ. निम्न टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं :

e. Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

(करोड़ रु. में Rs in Crores)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	2490.00
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	0.00
पूंजी निधियों के रूप में गणना किये जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	2430.00

च. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए टियर I और टियर II पूंजी में से निम्नानुसार कटौती की गई है.

f. For computation of Capital Adequacy, deductions as under have been done from Tier I and Tier II capital:

(करोड़ रु. में Rs in Crores)

क्रम संख्या Sr. No.	कटौती का प्रकार	Nature of Deduction	टियर I से कटौती Deduction from Tier I	टियर II से कटौती Deduction from Tier II
1.	प्रतिभूतिकरण लेन देन के बारे में ऋण बढ़ोतरी गारंटी	Credit enhancement guarantee in respect of securitization transaction	20.72	20.72
2.	ट्रेडिंग बुक में तरलता में कमी की स्थिति के लिए पूंजी प्रभार	Capital charge for illiquid position in trading book	65.00	0.00
3.	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगी इकाइयों में निवेश	Investment in subsidiaries/ JV / Associates	542.73	542.73
4.	कुल	Total	628.45	563.45

छ. कुल पात्र पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं :

g. The total eligible capital comprises of:

(रु. करोड़ में Rs in Crores)

टियर - I पूंजी	Tier – I Capital	14356.88
टियर - II पूंजी	Tier – II Capital	8060.36
कुल	TOTAL	22417.24

III. पूंजी पर्याप्तता

क. बैंक जमाकर्ताओं तथा सामान्य ऋणदाताओं को हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचने के लिए पूंजी रखता है, बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एकीकृत जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से मूल्यांकित किया जा सके.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है.

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक ज़रूरतें तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है. बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है. पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता.
- कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ लक्षित तथा धारणीय पूंजी
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है.

पूंजीगत योजना को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है. बैंक की नीति आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 12% पूंजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूंजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूंजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके. अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - 1 या टियर - 2 में पूंजी उगाहता है. बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है. और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को भी भिजवाया जाता है.

ख) 31.03.2010 तक बैंक के जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए), न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता तथा वास्तविक पूंजी पर्याप्तता की स्थिति निम्नानुसार है.

III. Capital Adequacy

a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and to provide appropriate capital so as to evolve a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (minimum 12% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with due approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis and the same is submitted to RBI also.

b. The position of Bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2010 are as under:

			आरडब्ल्यूए (बासेल-II)/पूंजी RWA(Basel-II)/Capital (राशि करोड़ रु. में/ Amount in Rs. Crore)
(i) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता	(i) Capital requirements for credit risk:		
जोखिम के संबंध में संविभाग मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन	Portfolios subject to standardised approach in respect of credit risk		137110.98
प्रतिभूतिकरण एक्पोजर	Securitisation exposures		शून्य/NIL
ऋण जोखिम में कुल आरडब्ल्यूए	Total RWAs in Credit Risk		137110.98
आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से ऋण जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit Risk @9.00% of the RWAs		12339.99
(ii) निम्न के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता	(ii) Capital requirements for market risk in respect of :		
ब्याज दर जोखिम	Interest rate risk		4766.77
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	Foreign exchange risk (including gold)		225.00
इक्विटी जोखिम	Equity risk		4557.58
बाजार जोखिम के संबंध में कुल आरडब्ल्यूए	Total RWAs in respect of Market Risk		9549.35
आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Market Risk @9.00% of the RWAs		859.44
(iii) परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता	(iii) Capital requirements for operational risk:		
आधारभूत संकेतक पद्धति	Basic indicator approach		9431.08
आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Operational Risk @9.00% of the RWAs		848.80
(iv) कुल पूंजी एवं सीआरएआर	(iv) Total Capital & CRAR		
ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	Total RWAs in respect of Credit, Market & operational Risk		156091.41
आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit Market & Operational Risk @9.00% of the RWAs		14048.23
(v) वास्तविक स्थिति	(v) Actual Position		
पात्र टियर I पूंजी	Eligible Tier I Capital		14356.88
पात्र टियर II पूंजी	Eligible Tier II Capital		8060.36
कुल पात्र पूंजी	Total Eligible Capital		22417.24
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए कुल पूंजीगत अनुपात	Total capital ratio for Bank of Baroda:		
सीआरएआर	CRAR		14.36%
कुल आरडब्ल्यूए के लिए टियर I पूंजी	Tier I capital to Total RWA		9.20%
कुल आरडब्ल्यूए के लिए टियर II पूंजी	Tier II capital to Total RWA		5.16%

IV. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

क. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए मूलधन का ब्याज तथा / या किश्त. अतिदेय हो जाती है.
- ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी) के संबंध में खाता अनियमित रहा है.
- खरीदे गए तथा बड़े खाते डाले गए 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया अतिदेय बिल

IV. General disclosures in respect of Credit Risk

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

- iv) अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों के लिए मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है।
- v) लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम हेतु मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है।

किसी भी खाते को 'अनियमित' खाते के रूप में माना जाएगा यदि खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तर रूप से बकाया रहती हो। ऐसे मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर रूप से 90 दिनों के लिए अथवा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की वसूली हेतु जमा राशि शेष नहीं हो तो ऐसे खातों को 'खराब' खाते की श्रेणी में माना जायेगा।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को 'अतिदेय' माना जायेगा यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को अदा नहीं की जाती है।

गैर निष्पादक निवेश (एन पी आई)

प्रतिभूतियों के संबंध में जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए समुचित प्रावधान करता है।

गैर निष्पादक निवेश (एनपीआई) जो गैर निष्पादक अग्रिम (एनपीए) के समान ही है, उसे कहते हैं जहाँ :

- ब्याज / किश्त (परिपक्व प्राप्तियों सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदा रहता है।
- यह अधिमान शेयरों पर जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ किसी कंपनी के शेयरों के निवेश करने पर मूल्य प्रति कंपनी 1/- रुपये किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण उन इक्विटी शेयरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है।
- यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है तो उस जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा।
- डिबेंचर / बांड में निवेश जो कि अग्रिम के रूप में समझे जाते हैं, निवेश पर लागू होने वाले एनपीआई मानदंड के अध्वधीन हैं।

बैंक की गैर निष्पादक अस्तियों को आगे निम्नलिखित -3- श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

● अवमानक अस्तियां

अवमानक अस्ति से अभिप्राय, ऐसी अस्तियों से है जो कि 12 महीनों की अवधि से कम अथवा उस के समतुल्य अवधि के लिए गैर निष्पादक अस्ति रही हो।

● संदिग्ध अस्तियां

किसी भी अस्ति को 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

● हानि अस्तियां

हानि अस्ति से अभिप्राय ऐसी अस्ति से है जहाँ हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो। हानि अस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया शेष / देयों का 10% से अधिक नहीं होता है।

- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Investments (NPI):

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

● Sub standard Assets

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

● Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

● Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection. In loss assets realizable value of security available is less than 10% of balance outstanding/ dues.

ख. कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति हैं जो निम्नानुसार हैं :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर सीमाएं, ऋणियों के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता
- बैंक के अधिकारी के विभिन्न स्तरों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार
- ऋण वितरण स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली के संबंध में प्रक्रियाएं
- मूल्य निर्धारण

ग. ऋण जोखिम दर्शन, बैंक की संरचना और प्रणाली निम्नानुसार हैं :

ऋण जोखिम दर्शन :

- बैंक के संसाधनों की सुरक्षा के साथ कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ यह सुनिश्चित करना कि शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोत्तरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हो, इस दृष्टि से ऋण में वृद्धि करना तथा जोखिम न्यूनतम हो.
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके.
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें.
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टॉफ को सहयोग प्रदान करना.
- विभिन्न ऋण सेगमेंट को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना.
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए जैसी ऋण प्रबंधन की दक्षता को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके.
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं गति के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपातना अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना.
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, निवेश मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देश, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना.

बैंक की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है.
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, ऋण प्रदान करने संबंधी नीतियों और बैंक की उद्यमवार जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देखरेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है.

b. Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre-sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:**Credit Risk Philosophy:**

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.

- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना.
 - ऋण जोखिम प्रबंधन सेल निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है.
 - बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किए गए जोखिम मानदंड तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना.
 - जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान, कमी को पूरा करना.
 - संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था उपयोग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना.
 - तैयार किए गए नियमों और मार्ग निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना.
- Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
 - Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
 - Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
 - Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
 - Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
 - Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

घ. जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति.

बैंक अपने ऋण जोखिम के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली को शुरू करने जा रहा है. ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए कीमती आस्तियों में लोचनीयता बनाना शामिल हैं.

बैंक की कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों के बीच चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती हैं और इस प्रकार बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती हैं.

इ. ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक स्थिति निम्नानुसार है.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allow the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

31.03.2010 को As on 31.03.2010
(शेष राशि करोड़ों रु. में Balance Amount in Rs. Crores)

उद्योग	Industry	निधि आधारित Fund based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
(i) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर बकाया शेष (वैश्विक)	(i) Total gross credit risk outstanding balance (global)	177137.13	29118.20	206255.33
(ii) बकाया शेष का भौगोलिक वितरण	(ii) Geographic distribution of outstanding balance			
• ओवरसीज	• Overseas	43548.34	5446.25	48994.59
• घरेलू	• Domestic	133588.79	23671.95	157260.74
(iii) बकाया शेष का उद्योग के रूप में वितरण (घरेलू एक्सपोजर)	(iii) Industry type distribution of outstanding balance (Domestic exposure)			
उद्योग	Industry			
कोयला	COAL	50.75	104.40	155.15
खनन	MINING	646.11	175.08	821.19
लोहा एवं इस्पात	IRON & STEEL	6383.10	2547.93	8931.04
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	OTHER METALS & METAL PRODUCT	1282.83	482.80	1765.63
सभी इंजीनियरिंग	ALL ENGINEERING	3990.82	2829.84	6820.66

उद्योग	Industry	निधि आधारित Fund based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	OF WHICH : ELECTRONICS	1019.55	313.02	1352.57
इलेक्ट्रिसिटी (जेनरेशन एवं ट्रांसमिशन)	ELECTRICITY (GEN. & TRANS.)	7091.96	160.76	7252.72
कॉटन टेक्सटाइल्स	COTTON TEXTILES	2639.16	88.98	2728.14
जूट टेक्सटाइल्स	JUTE TEXTILES	89.40	39.42	128.82
अन्य टेक्सटाइल्स	OTHERS TEXTILES	4048.24	569.65	4617.89
चीनी	SUGAR	392.56	59.80	452.36
चाय	TEA	36.49	0.21	36.70
फूड प्रोसेसिंग	FOOD PROCESSING	1239.49	108.09	1347.58
खाने का तेल (वनस्पति सहित)	VEGETABLE OILS (INCL.VANASPA	376.33	347.16	723.49
तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	TOBACCO & TOBACCO PRODUCTS	20.72	3.05	23.77
कागज एवं कागज उत्पाद	PAPER & PAPER PRODUCTS	752.61	162.43	915.04
रबड़, एवं रबड़ उत्पाद	RUBBER & RUBBER PRODUCTS	231.17	73.94	305.11
केमिकल, डार्ई पेंट्स एवं फार्मा.	CHEMICALS,DYES,PAINTS & PHAR	3561.57	1535.61	5097.18
इनमें से	OF WHICH :			
फर्टिलाइजर्स	FERTILIZERS	302.45	716.39	1018.84
पेट्रो केमिकल्स	PETRO-CHEMICALS	242.05	216.60	458.65
ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स	DRUGS & PHARMACEUTI	1264.90	142.33	1407.23
सीमेंट	CEMENT	708.75	65.75	774.50
लेदर एवं लेदर उत्पाद	LEATHER & LEATHER PRODUCTS	246.03	37.24	283.27
जेम्स एवं ज्वेलरी	GEMS & JEWELLERY	655.85	35.19	691.04
निर्माण	CONSTRUCTION	2422.28	640.40	3062.68
पेट्रोलियम	PETROLEUM	2720.26	600.06	3320.32
ट्रक सहित ऑटोमोबाइल	AUTOMOBILES INCLUDING TRUCKS	1367.95	408.69	1776.64
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	COMPUTER SOFTWARE	127.66	22.48	150.14
आधारभूत सुविधाएँ	INFRASTRUCTURE	13548.82	2574.10	16122.92
इनमें से	OF WHICH:			
पॉवर	POWER	3541.12	579.02	4120.14
संचार	TELECOMMUNICATION	5706.36	669.90	6376.26
सड़क	ROADS	2318.27	979.35	3297.62
बंदरगाह	PORTS	680.86	97.87	778.73
अन्य आधारभूत सुविधाएँ	OTHER INFRASTRUCTURE	1302.21	530.95	1833.16
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों	NBFCs	7046.61	152.94	7199.55
ट्रेडिंग	TRADING	5703.58	3523.33	9226.91
अन्य उद्योग	OTHER INDUSTRIES	3260.32	1018.52	4278.84
जिसमें से : पेय पदार्थ	OF WHICH: BEVERAGES	240.79	5.24	246.03
लकड़ी	WOOD	200.00	40.08	240.08
ग्लास	GLASS	419.96	52.36	472.32
प्लास्टिक	PLASTIC	1520.04	312.59	1832.63
कुल	TOTAL	70641.44	18367.83	89009.27

“ऑयरन एवं स्टील” और “ट्रेडिंग” के क्षेत्र में कुल ऋण एक्सपोजर (बकाया) क्रमशः 8931.04 करोड़ रुपये, और 9226.91 करोड़ रुपये, जो बैंक के कुल घरेलू ऋण एक्सपोजर का 5.68% और 5.87% (अर्थात् 5% से अधिक) है।

Total credit exposure (O/s) to “Iron & Steel” and “Trading” sector is Rs.8931.04cr, and Rs.9226.91cr respectively constituting 5.68% and 5.87% correspondingly (i.e., more than 5%) of the total domestic credit exposure of the bank.

च. अस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का विश्लेषण
f. Residual maturity breakdown of assets

समयावधि	Time bucket	अग्रिम Advances				निवेश Investments			विदेश मुद्रा आस्तियाँ Other Foreign Currency Assets			कुल आस्तियाँ Total Assets (A+B+C)	प्रतिशत %age
		Domestic Rupee	Domestic Fgn Currency	Int'l	Total (A)	Domestic	Int'l	Total (B)	Domestic	Int'l	Total (C)		
1 दिन	1 Day	1982.41	17.94	414.02	2414.37	374.16	6.22	380.38	74.89	3788.37	3863.26	6658.01	2.50%
2-7 दिन	2-7 Days	4453.53	109.32	2169.51	6732.36	899.61	222.64	1122.25	99.34	3274.85	3374.19	11228.80	4.22%
8-14 दिन	8-14 Days	6408.31	37.18	840.72	7286.21	812.92	28.27	841.19	338.64	76.29	414.93	8542.33	3.21%
15-28 दिन	15-28 Days	2517.18	149.04	1570.66	4236.88	763.03	127.35	890.38	615.07	3583.88	4198.95	9326.21	3.51%
29 दिन -90 दिन	29-90 Days	11048.41	1191.30	6315.70	18555.41	2561.96	204.77	2766.73	153.51	9314.38	9467.89	30790.03	11.57%
3 महीने - 6 महीने	3 - 6 months	12985.64	951.12	7915.81	21852.57	1506.62	649.30	2155.92	6.81	3257.71	3264.52	27273.01	10.25%
6 महीने - 12 महीने	6 - 12 months	15748.08	694.91	7576.68	24019.67	776.05	537.37	1313.42	0.00	2308.25	2308.25	27641.34	10.39%
1 वर्ष - 3 वर्ष	1 - 3 years	34885.41	276.75	7641.45	42803.61	4213.48	1181.49	5394.97	887.33	1128.36	2015.69	50214.27	18.88%
3 वर्ष - 5 वर्ष	3 - 5 years	24982.06	50.95	6068.69	31101.70	13768.46	180.75	13949.21	0.00	23.01	23.01	45073.92	16.94%
5 वर्ष से अधिक	Over 5 years	13118.48	35.60	2878.42	16032.50	31885.35	482.57	32367.92	0.00	863.39	863.39	49263.81	18.52%
कुल	TOTAL	128129.51	3514.11	43391.66	175035.28	57561.64	3620.73	61182.37	2175.59	27618.49	29794.08	266011.73	100.00%

छ. गैर निष्पादक अग्रिमों एवं निवेशों के बारे में प्रकटीकरण
g. Disclosures in respect of Non Performing Advances and Investments:

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ रुपये में Amount in Rs. Crores
i	एनपीए (सकल)	i NPAs (Gross):	2400.69
	अवमानक	Substandard	894.83
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	436.27
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	238.27
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	68.68
	हानि	Loss	762.64
ii	शुद्ध एनपीए	ii Net NPAs	
	कुल	Total	602.32
iii	एनपीए अनुपात	iii NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	Gross NPAs to gross advances	1.36%
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	Net NPAs to net advances	0.34%

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ रुपये में Amount in Rs. Crores
iv	एनपीए (सकल) का मूवमेंट	iv Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	1842.92
	जोड़	Additions	1671.22
	घटाव	Reductions	1113.45
	अन्तिम शेष	Closing balance	2400.69
v	एनपीए के लिए प्रावधान का मूवमेंट	v Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	1373.16
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the year	648.96
	बढ़े खाते/अधिक प्रावधान का पुनरांकन	Write off/ Write back of excess provision	234.61
	अन्तिम शेष	Closing balance	1787.51
vi	गैर निष्पादक निवेश	vi Non Performing Investments	
	गैर निष्पादक निवेश राशि	Amount of Non-Performing Investments	256.50
	गैर निष्पादक निवेश के लिए रखे गये प्रावधान की राशि	Amount of provisions held for non-performing investment	253.63
vii	वर्ष के दौरान निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का मूवमेंट	vii Movement of provisions for depreciation on investments during the year	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	917.32
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	64.41
	पुनरांकन	Write-back	453.94
	अन्तिम शेष	Closing balance	527.79

V. ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिच (इंडिया), और आइसीआरए की घरेलू ऋण एक्सपोजर हेतु रेटिंग को स्वीकार करता है। विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टैण्डर्ड एवं पूअर, मूडी, तथा फिच की रेटिंग स्वीकार करता है।

बैंक कार्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान के उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और उसने जहाँ कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है। वहाँ जोखिम पर आस्तियों की गणना करने के लिए इन रेटिंगों का उपयोग किया है।

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत दृष्टिकोण (मूल्यांकित और गैर मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशियाँ इस प्रकार हैं।

V. Credit risk : Disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Under Standardized Approach the bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), and ICRA for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

जोखिम भार की श्रेणी	Category of Risk Weight	बकाया एक्सपोजर Outstanding Exposure
100% जोखिम भार से कम	Below 100 % risk weight	112466.62
100% जोखिम भार	100 % risk weight	75956.85
100% जोखिम भार से अधिक	More than 100 % risk weight	4588.42
कुल सीआरएम कटौती	Total CRM Deducted	13243.44
कुल	Total Exposure	206255.33

VI. अग्रिम जोखिम न्यूनीकरण

क. बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती हैं) प्राप्त करते हैं. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ अग्रिम जोखिम न्यून करने के बारे में एक्सपोजर में कमी को अपनाया है, जहां कहीं कार्पोरेट गारंटी अग्रिम जोखिम न्यून करने के रूप में उपलब्ध है, अग्रिम जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है. सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियाँ (मुख्य प्रतिभूतियाँ अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ) ली जाती हैं.

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ.
2. भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल अस्तियाँ.
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
4. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ.
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, एलआईसी पॉलिसियाँ, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ इत्यादि
6. ऋण प्रतिभूतियाँ - कतिपय शर्तों के साथ अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग प्राप्त
7. ऋण प्रतिभूतियाँ कतिपय शर्तों के साथ बैंक द्वारा जारी की गई- गैर-रेटिंग प्राप्त
8. म्यूचुअल फंडों की यूनितें
9. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन.
10. स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण

बैंक ने, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति तैयार की है.

बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण बासल-II के अन्तर्गत ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है.

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटियों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं :

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा-राशियों के पेटे ऋणों में और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध होंगे.

VI. Credit risk mitigation:

a. Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelry.

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants for on-balance sheet netting under Basel-II standardized approach for credit risk.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporates
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE

CRM collaterals available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

बैंक के एक्सपोजर्स के संबंध में सीआरएम के रूप में उपलब्ध पात्र गारंटियों (बासेल II के अनुसार) में केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएसआई, कंट्री पार्ट की अपेक्षा कम जोखिम भार वाले बैंक व प्राथमिक डीलर तथा अन्य संस्थाए (मुख्यतः पेरेंट, अनुषंगी तथा संबंध कंपनियों) जिन्हें एए (-) या बेहतर रेटिंग दी गई है, शामिल हैं।

ख. प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन को लगाने के पश्चात निम्नानुसार है:

Policies constitute a major percentile of total CRM.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel-II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGTSE, Banks & Primary Dealers with a lower risk weight than the counter party AND other entities (mainly parent, subsidiary and affiliate companies) rated AA(-) or better.

b. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under:

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

ऋण जोखिम संविभाग	Credit Risk Portfolio	वित्तीय संपार्श्विक (मार्जिन पश्चात्) Financial Collateral (post haircut)
देशी गारंटी	Domestic Sovereign	21.41
विदेशी गारंटी	Foreign Sovereign	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां	Public Sector Entities	582.00
बैंकों पर दावे	Claims on Banks	47.23
प्राथमिक डीलर्स	Primary Dealers	0.11
कॉर्पोरेट्स	Corporates	7474.35
क्षेत्रीय रिटेल संविभाग	Reg Retail Portfolio	5338.70
आवासीय संपत्ति	Residential Property	48.91
वाणिज्यिक रियल स्टेट	Commercial Real Estate	98.11
विशिष्ट श्रेणियां	Sepecified Categories	172.84
अन्य आस्तियां	Other Assets	863.47
कुल	TOTAL	14647.13

ग. एक्सपोजरों जोकि गारंटियों द्वारा कवर किए गए हैं, (आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त) उनका विवरण

c. Details of exposures that are covered by Guarantees (permitted by RBI)

आस्ति श्रेणी	Asset category	ईसीजीसी पर दावा Claims on ECGC	सीजीटीएमएसई पर दावा Claims on CGTMSE	एए और ऊपर रेटिंग Rated AA and above	राज्य सरकार द्वारा गारंटी Guarantee by State Govt	केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी Guarantee by Central Govt	अन्य बैंक द्वारा गारंटी Guarantee by other Bank
देशी गारंटियां	Domestic Sovereigns	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	10.20
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	Public Sector Entity	0.40	0.00	49.98	2777.95	2327.99	369.42
बैंकों पर दावे	Claims on Banks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राथमिक डीलर्स	Primary Dealers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कॉर्पोरेट्स	Corporates	2714.53	0.00	11.88	250.00	115.33	126.45
विनियामक रिटेल	Regulatory Retail	342.94	0.05	0.00	0.56	1.94	60.74
आवासीय संपत्ति	Residential Property	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वाणिज्यिक रियल स्टेट	Comm. Real Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विशिष्ट श्रेणियां	Specified Categories	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	Other Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	TOTAL	3057.87	0.05	61.86	3028.51	2491.40	566.81

VII. प्रतिभूतीकरण :

क. बैंक की एक प्रतिभूती नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा क्रेडिट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2010 तक बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है।

ख. प्रतिभूतीकरण की प्रक्रिया में बैंक ने दिनांक 31.3.2010 को रुपये 41.44 करोड़ की राशि के लिए 'ऋण संवर्धन प्रदाता' के रूप में कार्य किया है जिसे बैंक की पूंजी से काटा गया है।

ग. प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रतिधारित एक्सपोजर का कोई मामला नहीं है।

बैंक द्वारा खरीदे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की राशि निम्नानुसार है:

VII. Securitisation:

a. The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2010.

b. In the process of securitization bank has acted as "provider of credit enhancement" for an amount of Rs.41.44 crores as on 31.03.2010 which has been deducted for the capital of the Bank.

c. There is no case of retained exposure in respect of securitization.

Amount of securitization exposure purchased by the bank is as under:-

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

विदेशी ऋण रेटिंग के अनुसार जोखिम भार श्रेणी	Risk weight category as per external credit rating	बही मूल्य Book value	बैंकिंग बुक के अन्तर्गत रखी गयी राशि Amt held under banking book	जोखिम भार % RW %	जोखिम समायोजित मूल्य Risk adjusted value
एएए - क्रिसिल	AAA – CRISIL	87.97	87.97	100	87.97
एलएएए - आईसीआरए	LAAA – ICRA	2.96	2.96	100	2.96
कुल	Total	90.93	90.93	100	90.93

घ. बैंक की प्रत्येक टियर I और टियर II पूंजी से ऋण संवर्धन के 50% के रूप में रुपये 20.72 करोड़ राशि की कटौती की गयी है।

च. बैंक की वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी किसी भी मानक आस्तियों का प्रतिभूतीकरण करने की कोई योजना नहीं है।

d. An amount of Rs.20.72cr has been deducted from each of Tier I and Tier II capital of the bank as 50% of credit enhancement.

e. The bank does not presently plan to securitise any of its standard assets during the year 2010-11.

VIII. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

- ब्याज दर जोखिम
- करेंसी जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, क्षति रोध सीमाएं, और जोखिम सीमाओं पर मूल्य आदि। जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं। क्षति रोध हानि सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों के रूप में ली जाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है अर्थात मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण। इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-II के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

VIII. Market risk in trading book

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-II.

दिनांक 31 मार्च 2010 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार तथा जोखिम वाली आस्तियां निम्नानुसार हैं।

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March 2010 are as under: (₹. करोड़ में Rs. in Cr.)

		जोखिम भार आस्तियां RWAs	पूंजी प्रभार Capital Charge
ब्याज दर जोखिम	Interest Rate Risk	4766.77	429.01
इक्विटी स्थिति जोखिम	Equity Position Risk	4557.58	410.18
विदेशी मुद्रा जोखिम	Foreign Exchange Risk	225.00	20.25
कुल पूंजी प्रभार	Total Capital Charge	9549.35	859.44

IX. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आवलन करने की दृष्टि से आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपनाया है। मूल दृष्टिकोण के अन्तर्गत, गत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्तिक तक लाने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

X. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

क ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोणों के माध्यम से निर्धारित व मानीटर किया जाता है।

(i) जोखिम पर आय (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि)
ब्याज दरों में परिवर्तनों का बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर पड़ने वाले प्रभाव का दृष्टिकोण के तहत विश्लेषण किया गया है। जोखिम पर आय को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया गया है।

1. आय रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है।
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न आय परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं।
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है।

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)
यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके।

- यह दृष्टिकोण आय में दिए परिवर्तन हेतु आय रेखा में समान्तर शिफ्ट माना जाता है।
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है।
- संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार संबंध आय को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है।

बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है। घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य की माप तथा निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

ख. ब्याज-दरों में 100 आधार अंकीय मूवमेंट के पेटे बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर शुद्ध प्रभाव घरेलू परिचालनों के लिए रु. 125.60 करोड़ है तथा रु 52.80 करोड़ अन्तरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए है।

IX. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Asset.

X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

a. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analysed under this approach.

The Earning at Risk is analysed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

It is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to finally arrive at the modified duration of equity.

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI.
- Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the modified duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both the domestic as well as overseas operations. The Economic value of equity for domestic operations is measured and monitored on a quarterly basis.

b. The net impact on Net Interest Income (NII) of the bank against 100 bps increase in interest rates is increase of Rs. 125.60 Crore in the Domestic Operations (Rupee resources and deployment) and Rs. 52.80 Crore in International Operations and vice-versa.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

Key Financial Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण Particulars	प्रतिशत में (In Percentage)	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010
			1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	6.59%	7.22%	7.63%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	3.65%	4.35%	5.10%	5.14%	4.42%	
3	शुद्ध ब्याज मार्जिन Net Interest Margin (NIM)	3.20%	3.05%	2.90%	2.91%	2.74%	
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.93%	2.87%	2.53%	2.64%	2.44%	
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	1.12%	1.11%	1.32%	1.42%	1.15%	
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	2.25%	2.04%	1.96%	1.84%	1.56%	
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	55.43%	51.30%	50.89%	45.38%	43.57%	
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	1.81%	1.94%	1.89%	2.22%	2.03%	
9	शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	0.78%	0.82%	0.93%	1.15%	1.26%	
10	शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	10.85%	12.17%	15.07%	19.48%	22.19%	
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.73%	0.72%	0.80%	0.98%	1.10%	
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	0.79%	0.80%	0.89%	1.10%	1.21%	
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	7.43%	8.37%	9.53%	9.50%	8.55%	
14	जमा राशियों की लागत Cost of Deposits	4.15%	4.77%	5.69%	5.71%	4.90%	
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	25.11%	24.59%	23.75%	17.22%	20.90%	
16	ऋण - जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio	67.15%	74.35%	77.32%	81.94%	84.55%	
17	ऋण + नान एसएलआर निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) -- Deposit Ratio	74.94%	80.21%	82.78%	87.44%	88.83%	
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल I) Capital Adequacy Ratio (BASEL I)	13.65%	11.80%	12.91%	12.88%	12.84%	
	टीयर Tier - I	10.98%	8.74%	7.63%	7.79%	8.22%	
	टीयर Tier - II	2.67%	3.06%	5.28%	5.09%	4.62%	
19	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल II) Capital Adequacy Ratio (BASEL II)	-	-	12.94%	14.05%	14.36%	
	टीयर Tier - I	-	-	7.64%	8.49%	9.20%	
	टीयर Tier - II	-	-	5.30%	5.56%	5.16%	

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	प्रतिशत में (In Percentage)	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)		38774	38086	36774	36838	38960
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)		2743	2772	2899	2974	3148
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per employee (Rs. in crore)		3.96	5.48	7.04	9.11	10.68
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु.करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)		3.51	4.64	5.94	7.57	8.94
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु.लाखों में) Gross Profit per employee (Rs. in lakhs)		4.95	6.34	7.96	11.69	12.67
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाखों में) Net Profit per employee (Rs. in lakhs)		2.13	2.70	3.90	6.05	7.85
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per branch (Rs. in crore)		55.99	75.23	89.25	112.86	132.17
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु.करोड़ में) Gross Profit per branch (Rs. in crore)		0.70	0.87	1.01	1.45	1.57
9	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में) Net Profit per branch (Rs. in crore)		0.30	0.37	0.50	0.75	0.97
10	प्रति शेयर आय (रुपयों में) Earnings per share (Rupees)		27.10	28.18	39.40	61.14	83.96
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रुपयों में) Book Value per share (Rupees)		209.18	231.59	261.54	313.82	378.44

स्रोत : विविध वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उचित लगा, पिछले वर्षों के आकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है)

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)

शब्दावली / Glossary

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;	Average Working Funds (AWF)	: Fortnightly Average of Total Assets
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;	Average Deposits	: Fortnightly Average of Total Deposits
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	Average Advances	: Fortnightly Average of Total Advances
औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;	Average Business	: Total of Average Deposits Plus Average Advances
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत;	Average Investments	: Fortnightly Average of Total Investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	: कुल ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से विभाजन;	Interest Income/AWF	: Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Interest expenses/AWF	: Total Interest Expenses Divided by AWF
शुद्ध ब्याज मार्जिन	: (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) औसत ब्याज अर्जक आस्तियों से विभाजित करें;	Net Interest Margin	: Total interest earned minus total interest paid divided by average interest earning assets
ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ	: (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) एडब्ल्यूएफ से विभाजित करें;	Interest Spread/AWF	: (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	: कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्य निधि से;	Non-Interest Income/AWF	: Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	: कुल खर्च घटा ब्याज खर्च	Operating Expenses	: Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	Operating Expenses/AWF	: Operating Expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	: परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	Cost Income Ratio	: Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	: परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Gross (Operating) Profit/AWF	: Operating Profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ;	Net Profit/AWF	: Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर);	Return on Net Worth	: Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	Return on Assets	: Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Return on Average Assets	: Net Profit Divided by AWF
अग्रिमों पर प्रतिफल	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज भाग दें औसत अग्रिम;	Yield on Advances	: Interest Earned on Advances Divided by Average Advances
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज भाग दें औसत जमाराशियां;	Cost of Deposits	: Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)	: लाभांश कारपोरेट लाभांश कर सहित; भाग दें शुद्ध लाभ से;	Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	: Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
ऋण जमा अनुपात	: कुल अग्रिम भाग दें ग्राहकों की जमाराशियां (कुल जमाराशियां - घटायें अंतर बैंक जमा राशियां)	Credit - Deposit Ratio	: Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) जमाराशि - अनुपात;	: (कुल अग्रिम + नॉन एस एल आर निवेश - घटायें अनुषंगी इकाइयों में निवेश) भाग दें ग्राहकों की जमायें से;	Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	: (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	: कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम भाग दें, कुल कर्मचारियों की संख्या से	Business Per Employee	: Total Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियां औसत अग्रिम/भाग दें कुल कर्मचारी संख्या से	Average Business Per Employee	: Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को भाग दें, कुल कर्मचारी संख्या से;	Gross Profit Per Employee	: Gross Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ को भाग दें, कर्मचारियों की संख्या से;	Net Profit Per Employee	: Net Profit Divided by total No. of Employees
प्रति शाखा कारोबार	: कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को भाग दें, शाखाओं की संख्या से;	Business Per Branch	: Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ को भाग दें, शाखाओं की संख्या से;	Gross Profit per Branch	: Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ भाग दें शाखाओं की संख्या से;	Net Profit per Branch	: Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को भाग दें, इक्विटी से X दस;	Earnings Per Share	: Net Profit divided by Equity Multiplied by Ten
प्रति शेयर बही मूल्य	: शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर) को भाग दें, इक्विटी से X दस.	Book Value Per Share	: Net Worth (excluding Revaluation Reserves) divided by Equity Multiplied by Ten.

वित्तीय विवरणियां
FINANCIAL STATEMENTS

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

Balance Sheet as on 31st March, 2010

(000's अनंकित omitted)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2010 को As on 31 st Mar, 2010 रु. Rs.	31 मार्च 2009 को As on 31 st Mar, 2009 रु. Rs.
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	365,52,77	365,52,77
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	14740,85,50	12514,19,53
जमाराशियां	Deposits	241044,26,42	192396,95,17
उधार ली गई राशियां	Borrowings	13350,08,50	12767,90,64
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	8815,97,09	8627,65,66
जोड़	T O T A L	278316,70,28	226672,23,77
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and Balances with Reserve Bank of India	13539,96,91	10596,34,35
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	21927,08,85	13490,77,35
निवेश	Investments	61182,37,54	52445,87,58
अग्रिम	Advances	175035,28,59	143251,40,84
अचल आस्तियां	Fixed Assets	2284,76,48	2309,71,93
अन्य आस्तियां	Other Assets	4347,21,91	4578,11,72
जोड़	T O T A L	278316,70,28	226672,23,77
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	87836,07,99	73386,09,83
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	18185,57,81	13963,99,04
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

श्री एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर. के. बक्षी
कार्यकारी निदेशक
श्री एन. एस. श्रीनाथ
कार्यकारी निदेशक
श्री वि. एच. थत्ते
महाप्रबंधक
(कार्पो. खाते, कराधान एवं
अनुपालन अधिकारी-भा.रि.बैं.)
श्री वी.के. गुप्ता
उप महाप्रबंधक
(कार्पोरिट खाते एवं कराधान)
स्थान : मुंबई,
दिनांक : 28.04.2010

निदेशक
श्री आलोक निगम
श्री ए. सोमसुन्दरम
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
श्री रंजीत कुमार चटर्जी
डॉ. अतुल अगरवाल
डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी
डॉ. दीपक बी. फाटक
श्री मौलिन ए. वैष्णव

कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(के. जी. बंसल)
भागीदार
M.No.94274
कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(वी. बी. सिंह)
भागीदार
M.No.073124

लेखा परीक्षक
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(नन्दलाल अगरवाल)
भागीदार
M.No.091272
कृते एन.सी. बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(एम.सी. कोडाली)
भागीदार
M.No.056514

कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(संजीव नारायण)
भागीदार
M.No.084205
कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(राकेश राठी)
भागीदार
M.No.045228

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010

(000's अनंकित omitted)

		अनुसूची SCHED- ULE	31 मार्च 2010 को Year ended 31st March 2010 रु. Rs.	31 मार्च 2009 को Year ended 31st March 2009 रु. Rs.
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	16698,34,24	15091,57,74
अन्य आय	Other Income	14	2806,35,65	2757,65,80
जोड़	T O T A L		19504,69,89	17849,23,54
II. व्यय	EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	10758,85,66	9968,16,76
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	3810,58,13	3576,06,17
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		1876,93,00	2077,80,43
जोड़	T O T A L		16446,36,79	15622,03,36
III. लाभ	PROFIT			
अवधि का शुद्ध लाभ	Net Profit for the period		3058,33,10	2227,20,18
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		3058,33,10	2227,20,18
विनियोजन	Appropriations			
निम्नलिखित में अन्तरण :	Transfer to :			
क) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		764,58,28	556,80,05
ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		126,58,95	358,25,58
ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves			
I) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित	I) Investment Fluctuation Reserve		-	-
II) सामान्य प्रारक्षित निधि	II) General Reserve		1256,99,61	707,41,44
III) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित	III) Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		270,00,00	220,00,00
IV) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	IV) Statutory Reserve (Foreign)		90,22	1,17,48
घ) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	d) Proposed Dividend (including Dividend Tax)		639,26,04	383,55,63
जोड़	T O T A L		3058,33,10	2227,20,18
प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन (रु.)	Basic & Diluted Earnings per Share (Rs.)		83.96	61.14
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का ही एक भाग हैं.	The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.			

Shri M. D. Mallya
Chairman & Managing Director
Shri R. K. Bakshi
Executive Director
Shri N. S. Srinath
Executive Director
Shri V. H. Thatte
General Manager
Corporate A/cs. Taxation
& Compliance Officer - RBI
Shri V. K. Gupta
Dy. General Manager
Corporate A/cs. Taxation

DIRECTORS
Shri Alok Nigam
Shri A Somasundaram
Shri Miliind N Nadkarni
Shri Ranjit Kumar Chatterjee
Dr. Atul Agarwal
Dr. (Smt.) Masarrat Shahid
Dr. Dharmendra Bhandari
Dr. Deepak B. Phatak
Shri Maulin A Vaishnav

AUDITORS
As per our separate report of even date attached

For A. Sachdev & Co. Chartered Accountants (K. G. Bansal) Partner M.No.94274	For Gupta Nayar & Co. Chartered Accountants (Nandlal Agarwal) Partner M.No.091272	For Ashwani & Associates Chartered Accountants (Sanjeeva Narayan) Partner M.No.084205
For S.K. Kapoor & Co. Chartered Accountants (V. B. Singh) Partner M.No.073124	For N.C. Banerjee & Co. Chartered Accountants (M. C. Kodali) Partner M.No.056514	For Haribhakti & Co. Chartered Accountants (Rakesh Rathi) Partner M.No.045228

Place : Mumbai
Date : 28.04.2010

तुलन-पत्र की अनुसूचियां

Schedules to Balance Sheet

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची -1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL				
प्रति रु. 10/- के 300,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 150,00,00,000/- प्रति शेयर रु. 10/- के)	300,00,00,000 Shares of Rs.10/- each (previous year 150,00,00,000/- shares of Rs. 10/- each)		3000,00,00		1500,00,00
जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रति रु. 10/- के 36,70,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 36,70,00,000 इक्विटी शेयर प्रति रु. 10/- के)	36,70,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (previous year 36,70,00,000/- equity shares of Rs. 10/- each)		367,00,00		367,00,00
मांगी गई पूंजी	CALLED-UP CAPITAL				
19,60,00,000 इक्विटी शेयर सहित प्रति रु. 10/- के 36,42,66,500 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 36,42,66,500) जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रतिशेयर रु. 10/- के 19,60,00,000 इक्विटी शेयर, जिनकी राशि रु. 196 करोड़ है, शामिल है.	36,42,66,500 (Previous Year 36,42,66,500) Equity Shares of Rs.10 each including 19,60,00,000 Shares (Previous year 19,60,00,000 Equity Shares) amounting to Rs.196 crores held by Central Government		364,26,65		364,26,65
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर	Add : Forfeited Shares		1,26,12		1,26,12
जोड़	Total		365,52,77		365,52,77
अनुसूची-2	SCHEDULE - 2				
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS				
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	2787,17,15		2230,37,10	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	764,58,28	3551,75,43	556,80,05	2787,17,15
II प्रारक्षित पूंजी निधि (पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित)	II Capital Reserves (including Revaluation Reserve)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	2079,58,28		1789,93,47	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन *	Additions/ Adjustments during the Period *	128,21,49		362,05,56	
* (रुपये 162.42 लाख (गत वर्ष 379.98 लाख) के विनिमय उतार चढ़ाव के समायोजन के बाद)	* [After adjustment of Exchange fluctuation of Rs.162.54 Lacs (Previous year Rs.379.98 Lacs)]	2207,79,77		2151,99,03	
परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year on account of revaluation of properties				
कटौतियां :	Deductions:				
लाभ-हानि खाते में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्य हास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account	128,72,42	2079,07,35	72,40,75	2079,58,28

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)					
SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS (Contd.)					
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	2273,88,56		2273,88,53	
अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the period	-	2273,88,56	3	2273,88,56
IV राजस्व और अन्य प्रारक्षित / निधियां	IV Revenue & Other Reserves				
क) सांविधिक प्रारक्षित निधियां (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	92,35,13		74,60,02	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the Period	90,22		1,17,48	
अन्य समायोजन	Other Adjustments	(7,69,52)		16,57,63	
		85,55,83		92,35,13	
ख) आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	420,00,00		-	
जोड़े: सामान्य प्रारक्षित निधियों से अंतरित	Add: Transferred from General Reserve	-		200,00,00	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the period	270,00,00		220,00,00	
		690,00,00		420,00,00	
ग. विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां	c) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	44,18,18			
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/Adjustments during the Period	(57,61,69)		44,18,18	
		(13,43,51)		44,18,18	
घ. अन्य प्रारक्षित निधियां	d) Other Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	4817,02,23		4309,60,79	
वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधियों को अन्तरित	Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) for F.Y 2007-08	-		200,00,00	
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/Adjustments during the Period	1256,99,61		707,41,44	
		6074,01,84		4817,02,23	
जोड़ - IV (क, ख और ग)	TOTAL - IV (a, b & c)		6836,14,16		5373,55,54
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)		<u>14740,85,50</u>		<u>12514,19,53</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-3 जमा राशियां	SCHEDULE - 3 DEPOSITS				
क. I मांग-जमा राशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	1107,57,64		682,99,04	
ii) अन्य से	ii) From Others	17816,00,96	18923,58,60	13768,23,44	14451,22,48
II बचत बैंक जमा राशियां	II Savings Bank Deposits		52543,92,44		42487,27,78
III मीयादी जमा राशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	32928,34,46		16887,48,83	
ii) अन्य से	ii) From Others	136648,40,92	169576,75,38	118570,96,08	135458,44,91
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		<u>241044,26,42</u>		<u>192396,95,17</u>
ख. I भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां	B. I Deposits of branches in India	185282,58,59		151408,98,64	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां	II Deposits of branches outside India	55761,67,83		40987,96,53	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	<u>241044,26,42</u>		<u>192396,95,17</u>	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS				
भारत में उधार ली गयी राशियां	Borrowings in India				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India		-	2700,00,00	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	108,18,70		17,17,26	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	340,97,47		442,94,17	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1200,20,00		300,20,00	
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	5990,00,00		5310,00,00	
जोड़	TOTAL		7639,36,17		8770,31,43
भारत के बाहर उधार ली गयीं राशियां (रु. 1347.00 करोड़ के एमटीएन बांड सहित) (पिछले वर्ष रु. 1521.62 करोड़)	Borrowings outside India (includes MTN Bonds of Rs.1347.00 crs (previous year Rs.1521.62 crs))		5710,72,33		3997,59,21
जोड़ - उधार ली गई राशियां (I एवं II)	Total - Borrowings (I & II)		<u>13350,08,50</u>		<u>12767,90,64</u>
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in above		140,97,47		242,94,17

(000's अंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं और प्रावधान :	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable		1444,92,43		1203,41,49
II अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	II Inter Office Adjustments (Net)		62,11,92		1110,94,74
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued		1720,97,16		1458,42,48
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances		688,71,28		591,25,90
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)		4899,24,30		4263,61,05
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)		<u>8815,97,09</u>		<u>8627,65,66</u>
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6				
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		1173,06,57		998,98,49
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खातों में शेष रकम	II Balances with Reserve Bank of India in Current Account		12366,90,34		9597,35,86
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		<u>13539,96,91</u>		<u>10596,34,35</u>

		(000's अनंकित omitted)			
		31 मार्च, 2010 को		31 मार्च, 2009 को	
		As on 31 st Mar, 2010		As on 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7				
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष रकम	i) Balances with Banks				
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	372,68,84		321,72,90	
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	541,61,77	914,30,61	1081,68,56	1403,41,46
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	ii) Money at call and short notice with				
क) बैंकों के पास	a) Banks	240,00,00		-	
ख) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	-	240,00,00	-	-
जोड़ (i और ii)	TOTAL (i and ii)		1154,30,61		1403,41,46
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	1346,24,59		1097,24,03	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	9713,26,29		3803,07,70	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	9713,27,36		7187,04,16	
जोड़ (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)		20772,78,24		12087,35,89
कुल जोड़ (I और II)	GRAND TOTAL (I and II)		<u>21927,08,85</u>		<u>13490,77,35</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31 st Mar, 2009	
		₹. Rs.	₹. Rs.	₹. Rs.	₹. Rs.
अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS				
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	57911,71,40		49157,38,04	
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	350,07,08		555,59,98	
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India		57561,64,32		48601,78,06
अलग-अलग विवरण	BREAK - UP				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (क्विलयरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में लॉज किए गए ₹. 60 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹. 60.00 करोड़) के ₹. 61.01 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹. 57.88 करोड़)	i) Government Securities [includes Rs.61.01Crores (Previous year-Rs. 57.88 Crores) face value of Rs.60 Crores (Previous year-Rs.60 Crores) lodged with Clg. Corp. of India]	49442,45,06		40134,66,88	
[एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए ₹.5.30 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष शून्य) के ₹.5.46 करोड़ सहित (पिछले वर्ष - शून्य-)]	[includes Rs.5.46 Crores (Previous year NIL) face value of Rs.5.30 Crores (Previous year NIL) lodged with MCX]				
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	795,38,83		966,65,27	
iii) शेयर	iii) Shares	1231,91,69		606,09,26	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	2351,81,30		3014,04,00	
v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम (इसमें बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में शेयर पूंजी अंशदान पेंडिंग अलाटमेंट ₹. 101.27 करोड़) शामिल हैं. (पिछले वर्ष ₹. 101.27 करोड़)	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures [includes Bank's share of contribution as advance of Rs.101.27 Crores (Previous year Rs. 101.27 Crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	774,31,30		735,28,03	
vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों, यूटीआई यूनिटों, और अन्य म्यूचुअल फंड, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि में)	vi) Other Investments (Commercial Papers, I.V.P., KVP, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)	2965,76,14		3145,04,62	
		57561,64,32		48601,78,06	
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	3798,46,24		4205,82,60	
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	177,73,02		361,73,08	
भारत के बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments Outside India		3620,73,22		3844,09,52
अलग-अलग विवरण	BREAK - UP				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	1001,23,42		714,27,85	
ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	311,14,77		284,43,57	
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	2308,35,03		2845,38,10	
		3620,73,22		3844,09,52	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)		61182,37,54		52445,87,58

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES				
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		19265,93,26		13935,24,99
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकाती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		79631,46,89		66521,04,01
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		76137,88,44		62795,11,84
जोड़	TOTAL		<u>175035,28,59</u>		<u>143251,40,84</u>
ख. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूतित (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	109231,65,64		96880,70,57	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	23099,51,80		16143,47,59	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	42704,11,15		30227,22,68	
जोड़	TOTAL	<u>175035,28,59</u>		<u>143251,40,84</u>	
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	46121,88,55		38250,04,61	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	18542,45,32		22347,68,17	
iii बैंक	iii Banks	12,05,70		49,14,12	
iv अन्य	iv Others	<u>66967,22,81</u>	<u>131643,62,38</u>	<u>47901,64,16</u>	<u>108548,51,06</u>
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	192,07,73		176,00,20	
ii अन्य से प्राप्य	ii Due from Others				
क) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	16422,35,27		11346,72,05	
ख) सिंडिकेट ऋण	b) Syndicated Loans	7704,66,98		7734,38,85	
ग) अन्य	c) Others	19072,56,23	43391,66,21	15445,78,68	34702,89,78
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		<u>175035,28,59</u>		<u>143251,40,84</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-10 अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत/ मूल्यांकित राशि पर	At cost/revalued amount as on 31 st March of the preceding year	2415,03,75		2373,53,76	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the period	27,23,54		45,29,13	
		2442,27,29		2418,82,89	
अवधि के दौरान कटौतियां/समायोजन	Deductions/adjustments during the period	11,18		3,79,14	
		2442,16,11		2415,03,75	
आज की तारीख तक मूल्यहास/ परिशोधन (पुनर्मूल्यांकन राशि सहित)	Less: Depreciation/ Amortisation to date (including on revalued amount)	607,78,64	1834,37,47	460,23,26	1954,80,49
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर) पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत /मूल्यांकित राशि पर	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost/valued amount as on 31st March of the preceding year	1539,09,28		1413,60,71	
अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the period	311,47,60		162,53,47	
		1850,56,88		1576,14,18	
घटाएं : अवधि के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/adjustments during the period	40,08,83		37,04,90	
		1810,48,05		1539,09,28	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यहास	Less : Depreciation to date	1360,09,04	450,39,01	1184,17,84	354,91,44
III पट्टे पर दी गयी आस्तियां (अनुषंगी इकाई बंद करने पर अधिग्रहीत)	III Assets given on Lease (Acquired on winding up of a subsidiary)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत /मूल्यांकित राशि पर	At cost/valued amount as on 31 st March of the preceding year	13,95,89		13,95,89	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यहास	Less : Depreciation to date	13,95,89	-	13,95,89	-
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		2284,76,48		2309,71,93

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को		31 मार्च, 2009 को	
		As on 31 st Mar, 2010		As on 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची -11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I Inter-Office Adjustments (Net)		-		-
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		1650,66,83		1736,53,51
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों के निवल सहित)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)		1293,48,94		969,34,12
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प	IV Stationery & Stamps		6,97,44		6,95,09
V अन्य	V Others		1396,08,70		1865,29,00
जोड़	TOTAL		<u>4347,21,91</u>		<u>4578,11,72</u>
अनुसूची -12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts		251,54,73		1297,35,88
II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता	II Liability for partly paid Investments		75,04,43		19,63,09
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		56089,25,80		48186,85,96
IV ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :				
क) भारत में	a) In India	8561,01,12		6323,01,56	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	<u>4953,62,66</u>	13514,63,78	<u>3072,36,91</u>	9395,38,47
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		9764,02,56		8620,64,58
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं,	VI Other items for which the Bank is Contingently liable		8141,56,69		5866,21,85
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)		<u>87836,07,99</u>		<u>73386,09,83</u>

लाभ हानि लेखे की अनुसूचियां

Schedules to Profit & Loss Account

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को Year Ended 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को Year Ended 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-13	SCHEDULE - 13				
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest / Discount on Advances / Bills	12541,22,07		11197,35,64	
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	3655,87,77		3310,66,69	
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	422,14,97		401,45,94	
IV अन्य	IV Others	79,09,43		182,09,47	
जोड़ (I से IV)	TOTAL (I to IV)	<u>16698,34,24</u>		<u>15091,57,74</u>	
अनुसूची -14	SCHEDULE - 14				
अन्य आय	OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय और दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage	897,28,96		745,50,36	
II निवेशों के विक्रय पर लाभ	II Profit on sale of Investments	746,91,63		919,76,71	
घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	23,68,49	723,23,14	19,62,27	900,14,44
III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	1,26,50		13,168	
घटाएं : भूमि इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	1,21,21	5,29	1,36,07	(4,39)
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ	IV Profit on Exchange Transactions	386,27,56		375,54,22	
घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	31,01	385,96,55	3,15,32	372,38,90
V विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India	29,18,85		32,22,41	
VI विविध आय	VI Miscellaneous Income	770,62,86		707,44,08	
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)	<u>2806,35,65</u>		<u>2757,65,80</u>	

		31 मार्च, 2010 को Year Ended 31 st Mar, 2010		31 मार्च, 2009 को Year Ended 31 st Mar, 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-15	SCHEDULE - 15				
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED				
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits		9880,74,64		9187,50,48
II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings		174,93,20		292,33,83
III अन्य	III Others		703,17,82		488,32,45
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		<u>10758,85,66</u>		<u>9968,16,76</u>
अनुसूची-16	SCHEDULE - 16				
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees		2350,88,04		2348,13,33
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting		301,85,99		260,79,22
III छापाई और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery		28,02,32		26,66,49
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity		44,46,22		39,96,92
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	V Depreciation on Bank's Property	359,58,47		302,91,00	
घटायें : अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यहास	Less Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immoveable properties	128,72,42	230,86,05	72,40,75	230,50,25
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses		1,02,49		1,04,49
VII लेखा परीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		37,25,39		31,08,61
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges		17,69,41		13,48,56
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.		78,16,01		43,38,68
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance		118,02,17		104,81,32
XI बीमा	XI Insurance		179,59,76		139,82,88
XII अन्य खर्चे	XII Other Expenditure		422,74,28		336,35,42
जोड़ (I से XII)	TOTAL (I to XII)		<u>3810,58,13</u>		<u>3576,06,17</u>

अनुसूची-17 : वर्ष 2009-2010 की उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

Schedule - 17 : Significant accounting policies for the year 2009-2010

1. तैयारी का आधार :

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गई हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांत (जीएएपी)के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट हैं। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों का सहारा लेना पड़ा है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

2.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन के प्रभाव" से संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस) 11 के अनुरूप किया गया है।

2.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालनों एवं (ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफ़शोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रों में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में समझा जाता है।

2.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इसे तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

2.4 पृथक परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है।

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

2.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

2.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

2.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

a) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

- (ख) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है।
- (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

2.5 वायदा विनिमय करार

लेखामानक एस-11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशानुसार संविदा के अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तदनुरूपी वायदा दरों पर तुलन पत्र की तिथि को प्रत्येक मुद्रा में बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकित राशि तथा संविदा राशि के बीच के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में रखा गया है।

3. निवेश :

- 3.1 बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें
- (क) "परिपक्वता तक धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।
- 3.2 "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।
- "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बांड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेज़री बिल, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण-पत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है। संयुक्त उद्यमों तथा अनुबंधितियों में (भारत तथा विदेशों दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन हास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया गया है।
- 3.3 "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है तथा "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है।
- 3.4 "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेश बाज़ार स्क्रिप्टवर चिन्हित किया जाता है और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई हो, को "लाभ हानि

- b) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

2.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognised as profit or loss, as the case may be.

3. INVESTMENTS:

- 3.1 The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:
- a. "Held to Maturity" comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- b. "Held for Trading" comprising Investments acquired with the intention to trade.
- c. "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.
- 3.2 Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.
- Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances), Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.
- Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature
- 3.3 Profit / Loss on sale of Investments classified as "Held to Maturity" is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.
- 3.4 Investments classified as "Held for Trading" and "Available for Sale" are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet is

खाते" के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है।

- 3.5 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- 3.6 निवेश अधिग्रहण लागत प्राप्त प्रोत्साहनों तथा फ्रंट एंड फी और कमीशन का निवल है।
- 3.7 "व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :-

- क) सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां "परिपक्वता प्रतिफल" के आधार पर
- ख) इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर अद्यतन तुलन-पत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा रु. 1/- प्रति कंपनी.
- ग) अधिमान शेयर "परिपक्वता के प्रतिफल" के आधार पर
- घ) पीएसयू बांड समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर.
- इ) म्यूचुअल फंड की यूनिटें फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/एन.ए.वी. पर
- च) उद्यम पूंजी लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) - 1/- रु.
- 3.8 निवेश उधार दी गई प्रतिभूतियों का निवल है और उसमें रिपो व्यवस्था के अंतर्गत उधार ली गई प्रतिभूतियां शामिल हैं।
- 3.9 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हो, का पालन किया गया है। विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।
- 3.10 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 3.11 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद
 बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलविधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। तदनुसार, पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के

recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

- 3.5 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.
- 3.6 Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.
- 3.7 For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

- a Government / Approved securities on Yield to Maturity basis.
- b Equity Shares, PSU and Trustee shares at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
- c Preference Shares on Yield to Maturity basis.
- d PSU Bonds on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
- e Units of Mutual Funds at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
- f Venture Capital Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.

- 3.8 Investments are net of securities lent and include securities borrowed under Repo arrangements.
- 3.9 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.
- 3.10 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.11 REPO / REVERSE REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold / purchased under Repo / Reverse Repo are treated

रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खातों में लेखांकित किया जाता है तथा सारी प्रविष्टियां परिपक्वता तिथि को रिवर्स कर दी जाती है। यथास्थिति लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय के हिसाब से की गई। पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खाते में बैलेन्स को निवेश खाते में बैलेन्स के पेटे समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नाम/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं। खर्च किये ब्याज/उस पर अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

3.12 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वेप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स ठीक-ठीक आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्केट टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वैप्स का समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

4. ब्याज दर स्वैप्स :

4.1 हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वैप कारोबारों को उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है तथा व्यापार के लिए कारोबारों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाक्षिक अंतरालों पर मार्केट मूल्य पर अंकित किया गया है।

4.2 मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राय्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

5. अग्रिम :

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है।

5.2 अग्रिम, ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उच्चतम ब्याज, दावा दायर किए गए एवं विविध जमा एवं दावे खाते के संबंध में रखी गयी राशि का नेट है।

as outright sales / purchases and accounted for in the Repo / Reverse Repo Accounts and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/ sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/ earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.

3.12 DERIVATIVES

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

4. INTEREST RATE SWAPS:

4.1 The interest rate swap transactions for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market in line with the Reserve Bank of India guidelines.

4.2 For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising therefrom, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

5. ADVANCES:

5.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per the Prudential Norms of the Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made.

5.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filled Sundry Deposits and Claims Received.

- 5.3 पुनर्निधारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान को “अन्य देयतायें” शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 5.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है बल्कि इसे अन्य गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने पर कमी/हानि को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
- 6. अचल आस्तियां :**
- 6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई लागत पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान की, इसमें से कटौती की जाती है।
- 6.2 परिसर में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।
- 7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष :**
- राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।
- 8. राजस्व का निर्धारण :**
- 8.1 आय को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा अपेक्षित हो, लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय / व्यय की उस देश के कानून के अनुसार गणना की जाएगी, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।
- 8.2 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।
- 8.3 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अतिदेय बिलों अग्रिम, बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- 8.4 अनुबंधगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाएंगे।
- 9. कर्मचारियों को लाभ :**
- 9.1 भविष्य निधि खाते में किए गए अंशदान को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- 9.2 ग्रेच्युटि और पेंशन देयता के लिए प्रावधान संचित आधार पर किया जाता है और अनुमोदित ग्रेच्युटि और पेंशन फंड को इसका अंशदान किया जाता है। सेवा-निवृत्ति अथवा अन्यथा पर देय संचित अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान लेखांकन मानक 15 के अनुपालन स्वरूप वर्ष के अंत में संचित मूल्यांकन पर किया जाता है।
- 10. मूल्यहास :**
- 10.1 कंप्यूटर एवं ए टी एम को छोड़कर, भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित
- 5.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for demerit in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per Reserve Bank of India guidelines.
- 5.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall/loss on account of Sale of other non-performing financial assets.
- 6. FIXED ASSETS:**
- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except those premises, which have been revalued. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 6.2 Premises include building under construction and land.
- 7. RESERVES AND SURPLUS:**
- Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.
- 8. REVENUE RECOGNITION:**
- 8.1 Income / expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 8.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets / Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.
- 8.3 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage, Interest on Overdue Bills, Advance Bills and Interest earned on Tax refunds are accounted for on realisation basis.
- 8.4 Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on actual realisation basis.
- 9. EMPLOYEES BENEFITS:**
- 9.1 Contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss account.
- 9.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made on actuarial valuation at the year end, in compliance with Accounting Standard 15.
- 10. DEPRECIATION:**
- 10.1 Depreciation on Fixed Assets in India except Computers and ATMs, is provided on the written

दरों पर मूल्यहासित बही-मूल्य पद्धति के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

- 10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, कंप्यूटर के अलावा मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित परम्पराओं के अनुसार किया गया है।
- 10.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का पूर्ण मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।
- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% दर से प्रदान किया गया है।
- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है जबकि बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 10.6 पट्टे पर धारित जमीन की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

11. आस्तियों का अनर्जन :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर अनर्जक हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के अनर्जन के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का अनर्जन") के अनुसार मान्य किया गया है तथा इसे लाभ हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

12. आय पर कर :

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, फ्रिज बेनिफिट कर एवं आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर के लिए प्रावधान को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अध्यधीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 के अनुसार रिपोर्ट किया जाता है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की जाती है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों की संख्या में से गणना कर दी गई है।

down value basis at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

- 10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India except Computers is provided as per local laws or prevailing practices of the respective countries.
- 10.3 Depreciation on Computers is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of Reserve Bank of India. Computer software not forming an integral part of hardware is depreciated fully during the year of purchase.
- 10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20%.
- 10.5 Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 10.6 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with the Accounting Standard-28 ("Impairment of Assets") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and charged off to Profit and Loss Account.

12. TAXES ON INCOME:

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI, Accounting for taxes on Income. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

13. EARNINGS PER SHARE:

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 ("Earnings Per Share") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में हिसाब में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

14. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per Accounting Standard 29 ("Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां

Schedule -18 Notes on accounts

क. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

A. Disclosure in terms of RBI requirements

1. पूंजी

1. Capital

मद	Items	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बेसल I Basel I	बेसल II Basel II	(बेसल I) Basel I	बेसल II Basel II
i) सी आर ए आर (%)	CRAR (%)	12.84	14.36	12.88	14.05
ii) सी आर ए आर - टियर I पूंजी (%)	CRAR - Tier I Capital (%)	8.22	9.20	7.79	8.49
iii) सी आर ए आर - टियर II पूंजी (%)	CRAR - Tier II Capital (%)	4.62	5.16	5.09	5.56
iv) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India in bank	53.81%	53.81%	53.81%	53.81%
v) आईपीडीआई जारी कर प्राप्त राशि	Amount raised by issue of IPDI	Rs. 900.00 Crores		Rs. 300.20 Crores	
vi) अपर टियर II लिखतों को जारी कर प्राप्त राशि	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	Rs. 1000.00 Crores		Rs. 1000.00 Crores	

2. निवेश

2. Investments

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

मद	Items	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		Current Year	Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	57911.71	49157.38
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	3798.46	4205.83
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(क) भारत में	(a) In India	350.07	555.60
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	177.73	361.73
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	57561.64	48601.78
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India.	3620.73	3844.10
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) आरंभिक शेष	(i) Opening balance	917.33	439.08
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	64.41	611.02
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टाकरण/पुनरांकन	(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	453.94	132.77
(iv) अंतिम शेष	(iv) Closing balance	527.80	917.33

2.1 रिपो संव्यवहार		2.1 Repo Transactions			(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)
		वर्ष के दौरान न्यूनतम शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2010 को As on March 31, 2010
रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repos	5.00	1043.00	3.44	शून्य / NIL
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repos	150.00	5000.00	1530.47	शून्य / NIL

2.2 गैर - एस एल आर निवेश पोर्टफोलियो		2.2 Non-SLR Investment Portfolio			(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)
i) गैर - एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता घटक		i) Issuer composition of Non SLR investments			

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड के नीचे की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अनरेटेड प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) पीएसयू	PSUs	995.60	417.50	65.00	0.00	21.03
(ii) एफआई	FIs	785.04	540.88	78.47	5.00	83.46
(iii) बैंक	Banks	2245.37	1145.36	182.00	55.58	145.41
(iv) निजी निगम	Private Corporate	1338.39	815.71	373.52	111.97	170.07
(v) अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiaries / Joint Ventures	1085.46	1085.46	0.00	0.00	0.00
(vi) अन्य	Others	3988.41	235.27	0.00	794.83	1233.70
(vii) मूल्यहास संबंधित प्रावधान	Provision held towards depreciation	-474.71	0.00	-4.33	-100.38	-92.78
कुल	Total	9963.56	4240.18	694.66	867.00	1560.88

ii) नॉन-परफॉर्मिंग-नॉन-एस एल आर निवेश		ii) Non-performing Non-SLR investments			(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year		
आरंभिक शेष	Opening balance	157.80	174.78		
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year since 1st April	89.41	1.23		
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां	Reductions during the above period	15.63	18.21		
अंतिम शेष	Closing balance	231.58	157.80		
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	228.71	154.99		

2.3 डेरीवेटिव्स
2.3 Derivatives
2.3.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप
2.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap
(₹. करोड़ में / Rs. in Crores)

मदें	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
i) स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	7585.15	4135.42
ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	103.79	120.37
iii) स्वैप मानने पर बैंक द्वारा जरूरी कोलैटरल	Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	182.89	217.36
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	187.57	139.11

बाजार निर्माण, एफ सी एन आर (बी) डिपोजिट पोर्टफोलियो की, डिपोजिट्स तथा कॉल लेंडिंग तथा हेजिंग मार्केट मेकिंग एक्सपोजर तथा बैंक टियर II बॉण्ड्स की हेजिंग के लिए वायदा दर समझौता/ब्याज दर स्वैप लिए गए थे.

Forward rate Agreement/Interest Rate Swaps were undertaken for market making, hedging of FCNR (B) Deposit portfolio, deposits and call lending and hedging market making exposures and for hedging Bank's Tier II Bonds.

हेज संबंधित सभी वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप "रिसीव फिक्स्ड तथा पे फ्लोटिंग पर आधारित थे."

All the forward rate agreement/interest rate swaps undertaken to hedge were on the basis of "Receive fixed and pay floating".

2.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स :
2.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:
(₹. करोड़ में / Rs. in Crores)

सं. क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	53.04
(ii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि 31 मार्च 2010 के अनुसार (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2010 (instrument-wise)	शून्य NIL
(iii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि अत्यधिक प्रभावी नहीं (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL
(iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर की मार्क-टू-मार्केट कीमत डेरीवेटिव्स बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL

2.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण
2.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives-
गुणात्मक प्रकटीकरण
Qualitative Disclosure

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिव्स लेन देनों के कार्य के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी लिमिटें निर्धारित की गई हैं.

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transactions.

बैंक अपने ऑन और ऑफ बैलेन्स शीट एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए तथा मार्केट मेकिंग के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन देनों का उपयोग करता है, मूलतः ये उत्पाद, हेजिंग जोखिम लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने के एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

The Bank uses financial derivative transactions for hedging its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

बैंक को जिन जोखिमों का खतरा रहता है, वे हैं : बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम, वीएआर तथा पीवी01 के माध्यम से लेन देनों की वित्तीय जोखिमों को मापने तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं. इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

लेन देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत डील की जाती है. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम मापने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टु-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जहां बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित क्रेडिट कंनवर्जन के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रुपांतरण घटक

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract	विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	2.00%
एक वर्ष और अधिक	One year and above	1.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन देनों को अलग से दर्ज किया जाता है. हैजिंग डेरिवेटिव्स वास्तविक आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (एमटीएम) को मार्क की जाती है और परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में ली जाती है. लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है. ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित ब्याज और व्यय निपटान की तारीख पर मान्य किए जाते हैं. ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय /व्यय में दर्ज किए जाते हैं.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

सं. क्र. मर्दे Sr. No.	Particulars	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	401.07	7535.16
	क) हैजिंग के लिए	151.92	3069.97
	ख) ट्रेडिंग के लिए	249.15	4465.19

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk. The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, VaR and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk Management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

Quantitative Disclosures

(₹. करोड़ में / Rs. in Crores)

सं. क्र. मर्दे Sr. No.	Particulars	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	401.07	7535.16
	क) हैजिंग के लिए	151.92	3069.97
	ख) ट्रेडिंग के लिए	249.15	4465.19

सं. क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(ii)	मार्केड टू मार्केट पोजिशन (1)	Marked to Market Positions [1]	-43.52	205.88
	क) आस्तियां (+)	a) Asset (+)	1.01	205.88
	ख) देयताएं (-)	b) Liability (-)	-44.53	0.00
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर (2)	Credit Exposure [2]	15.73	188.14
(iv)	ब्याज दर में 1% होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	0.09	221.60
	क) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर	a) On hedging derivatives	0.08	117.38
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	b) On trading derivatives	0.01	104.22
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए (100*पीवी01) न्यूनतम तथा अधिकतम	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	1.61 & 0.11	207.36 & 142.10
	क) हैजिंग पर	a) On hedging	1.53 & 0.10	105.54 & 55.46
	ख) ट्रेडिंग पर	b) On trading	0.08 & 0.01	101.82 & 86.64

2.4 आस्ति गुणवत्ता

2.4 Asset Quality

2.4.1 अनर्जक आस्तियां

2.4.1 Non-Performing Asset

क. गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन

A. Movement of NPAs

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

मर्दे	Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल 2009 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 1st April 2009 (Opening Balance)	1842.92	1981.38
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)	Additions (Fresh NPAs) during the year	1671.22	1001.89
उप जोड़ (क)	Sub-Total (A)	3514.14	2983.27
घटाएं :	Less : -		
(i) अपग्रेडेशन *	(i) Upgradations *	215.37	168.20
(ii) वसूलियां (अपग्रेड खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	383.27	567.19
(iii) बट्टे खाते डाली गई राशि	(iii) Write-offs	514.81	404.96
उप जोड़ (ख)	Sub-total (B)	1113.45	1140.35
31 मार्च 2010 के सकल एनपीए अंतिम शेष (क - ख)	Gross NPAs as on 31st March 2010 (Closing balance) (A-B)	2400.69	1842.92

* इसमें विनिमय अन्तर राशि शामिल है

* includes amount of exchange difference.

ख) गैर निष्पादक आस्तियां		B) Non-Performing Assets	
(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)			
मदें	Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	0.34	0.31
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल)		
(क)	आरंभिक शेष	1842.92	1981.38
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़े गए	1671.22	1001.89
(ग)	वर्ष के दौरान घटाए गए	1113.45	1140.35
(घ)	अंतिम शेष	2400.69	1842.92
(iii)	शुद्ध एनपीए का संचलन (फ्लोटिंग प्रावधान का नेट)		
(क)	आरंभिक शेष	449.04	493.55
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़े गए	1085.95	680.47
(ग)	वर्ष के दौरान घटाए गए	932.67	724.98
(घ)	अंतिम शेष	602.32	449.04
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान और फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)		
(क)	आरंभिक शेष	1373.16	1458.43
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़े गए	648.96	395.97
(ग)	अधिक्य प्रावधानों का राइट ऑफ / राइट बैक	234.61	481.24
(घ)	अंतिम शेष	1787.51	1373.16
ग) क्षेत्रवार एनपीए		C) Sector-wise NPAs	
क्रमांक Sl. No.	क्षेत्र	Sector	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
			चालू वर्ष Current Year
			पिछला वर्ष Previous Year
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	Agriculture & allied activities	3.33
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry (Micro & small, Medium and Large)	1.06
3	सेवाएं	Services	0.82
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal Loans	3.68
4.85			
घ) विदेश आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व		D) Overseas Assets, NPAs and Revenue	
(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)			
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कुल आस्तियां	Total Assets	68375.49	51164.72
कुल एन पी ए	Total NPAs	204.63	178.65
कुल राजस्व	Total Revenue	2646.07	2670.13

2.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण
2.4.2 Particulars of Accounts Restructured.
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

			सीडीआर कार्यप्रणाली CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्निर्धारण SME Debt Restructuring	अन्य Others	कुल Total	
पुनर्गठित मानक अग्रिम	Standard advances restructured	ऋण कर्ताओं की संख्या	No. of Borrowers	7	817	19591	20415
		बकाया राशि	Amount outstanding	355.76	402.37	1662.31	2420.44
		छूट (उचित मूल्य में कमी)	Sacrifice (diminution in the fair value)	20.83	8.31	39.90	69.04
पुनर्गठित मानक अग्रिम	Sub standard advances restructured	ऋण कर्ताओं की संख्या	No. of Borrowers	-	4	305	309
		बकाया राशि	Amount outstanding	-	29.28	4.62	33.90
		छूट (उचित मूल्य में कमी)	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	0.03	0.23	0.26
पुनर्गठित मानक अग्रिम	Doubtful advances restructured	ऋण कर्ताओं की संख्या	No. of Borrowers	-	1	24	25
		बकाया राशि	Amount outstanding	-	0.53	0.17	0.70
		छूट (उचित मूल्य में कमी)	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	0.03	-	.03
जोड़	TOTAL	ऋण कर्ताओं की संख्या	No. of Borrowers	7	822	19920	20749
		बकाया राशि	Amount outstanding	355.76	432.18	1667.10	2455.04
		छूट (उचित मूल्य में कमी)	Sacrifice (diminution in the fair value)	20.83	8.37	40.13	69.33

2.4.3 क) प्रतिभूतीकरण/पुनर्गठन कम्पनी को आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों की जानकारी
2.4.3 A) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction
(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

मदें	Item	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	No. of accounts	33	33
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों की कुल कीमत (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / R C	-	-
(iii) कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	15.43	36.86
(iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) कुल लाभ/(हानि) शुद्ध बही कीमत पर	Aggregate gain / (loss) over net book value.	15.43	36.86

ख) आस्ति पुनर्गठन के लिए कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों की जानकारी

B) Details of financial assets sold to Banking Company for Asset Reconstruction Company

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

मदें	Item	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	No. of accounts	2	1
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों की कुल कीमत (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / R C	-	-
(iii) कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	6.11	5.00
(iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) कुल लाभ/(हानि) शुद्ध बही कीमत पर	Aggregate gain / (loss) over net book value.	6.11	5.00

2.4.4 खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

2.4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold

- क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण :
वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी गैर निष्पादक आस्ति की खरीद नहीं की।
- ख. बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

- A. Details of non-performing financial assets purchased:
During The financial year bank has not purchased any non-performing assets.
- B. Details of non-performing financial assets sold:

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खातों की संख्या	No. of accounts sold	35	34
2. सकल बकाया	Aggregate outstanding	67.31	207.60
3. सकल प्रतिफल प्राप्ति	Aggregate consideration received	21.54	41.86

2.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

2.4.5 Provisions on Standard Asset

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

मदें	Item	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	688.71	591.26
मानक आस्तियों के लिए अन्य आकस्मिक प्रावधान	Other contingent provision towards Standard Assets	6.07	122.95

2.5 व्यावसायिक अनुपात

2.5 Business Ratio

मदें	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	6.86	7.78
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a percentage to Average Working Funds	1.15	1.42
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	2.03	2.22
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	1.21	1.09
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा तथा अग्रिम) (रु. करोड़ में)	Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in Crores)	9.81	9.14
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में)	Profit per employee (Rs. in Crores)	0.08	0.06

2.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता आधार (प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुरूप)

2.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (As compiled by the Management and relied upon by the auditors)

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

		1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 महीनों से ज्यादा तथा 6 महीनों तक Over 3 months & up to 6 months	6 महीनों से ज्यादा तथा 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से ज्यादा तथा 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से ज्यादा तथा 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां	Deposits	2655.49	11651.49	9746.87	8935.37	27384.95	26009.25	60527.82	49668.99	7428.72	37035.31	241044.26
अग्रिम	Advances	2414.38	6732.35	7286.21	4236.88	18555.40	21852.56	24019.68	42803.62	31101.69	16032.51	175035.28
निवेश	Investments	380.38	1122.24	841.19	890.38	2766.73	2155.92	1313.42	5394.97	13949.21	32367.93	61182.37
उधार	Borrowings	26.10	11.57	0.00	236.56	168.97	903.07	1077.70	2287.00	400.99	8238.12	13350.08
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	4226.55	5776.31	982.46	5430.92	17026.15	12773.93	11117.21	10057.75	6493.71	4259.99	78144.98
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	3097.08	5982.43	3069.82	6385.87	16548.57	11748.63	12790.93	8351.76	6660.77	5761.57	80397.43

2.7 एक्सपोजर
2.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर
2.7 Exposure
2.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages -		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है/होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण सुरक्षित कर्ज देना.	Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	10601.48	8276.17
इनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों के लिए पात्र हैं	of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	7059.02	6662.86
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	ii) Commercial Real Estate -	4607.13	3869.23
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा सुरक्षित कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, मल्टी पर्पस कमर्शियल परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या चेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन, अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि) प्रकटीकरण में ऋणों में गैर निधि आधारित (एन एफ बी) सीमाएं शामिल हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits.		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों में निवेश (एम बी एस) तथा अन्य प्रतिभूतित प्रकटीकरण -	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
क. आवासीय	a. Residential,	50.64	13.99
ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate.	97.84	-
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b) Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण- नैशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी)	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) Housing Finance Companies (HFCs).	14.62	19.62
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to Real Estate Sector	22572.97	15812.08

2.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

2.7.2 Exposure to Capital Market

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

विवरण	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉर्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश	(i) Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	1219.72	875.11
(ii) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम	(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds;	5.68	-
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए ऋण जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	450.28	2.94
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक ऋण, जोकि शेयरों, परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपाश्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी रूप से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है।	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	2.74	6.01
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	140.69	168.88
(vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रोमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम	(vi) Loans sanctioned to corporates against security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	-	-
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/मुद्दों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा किए गए हामीदारी करार	(viii) Underwriting commitments taken up by banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds/debentures or units of EOMF	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	-	0.06
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत) का ऋण जोखिम इक्विटी के सममूल्य माना जायेगा और इस तरह पूंजीगत मार्केट ऋण जोखिम की सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपालन के लिए लिया जायेगा।	(x) All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	725.73	289.40
पूंजी बाजार में कुल ऋण जोखिम	Total Exposure to Capital Market		
(i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)	(i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)	2544.84	1342.40

पूंजी बाजार में रुपये 2544.84 करोड़ का ऋण जोखिम कुल ऋण जोखिम की सीमा राशि रुपये 5514.06 करोड़ के भीतर है। (अर्थात् बैंक की शुद्ध मालियत रुपये 13785.14 करोड़ का 40%)। पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष ऋण जोखिम रुपये 2401.41 करोड़ है और बैंक की निवल मालियत (रुपये 2757.03 करोड़) की 20% है।

The exposure to Capital Market Rs 2544.84 Crores is within the limit of Rs 5514.06 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth Rs 13785.14 Crores). The direct exposure to Capital Market is Rs 2401.41 Crores and is within 20% of the Bank's Net Worth (Rs 2757.03 Crores).

2.7.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोज़र
2.7.3 Risk Category wise Country Exposure
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

जोखिम श्रेणी	Risk Category	31 मार्च 2010 को एक्सपोज़र (नेट) Exposure (net) as at 31 st March 10	31 मार्च 2010 को प्रावधान Provision held as at 31 st March 10	31 मार्च 2009 को एक्सपोज़र (नेट) Exposure (net) as at 31 st March 09	31 मार्च 2009 को प्रावधान Provision held as at 31 st March 09
महत्वहीन	Insignificant	10678.11	4.03	10844.32	6.47
न्यून	Low	8843.90	11.31	6581.10	8.28
मध्य न्यून	Moderately Low	520.57	-	752.84	-
मध्य	Moderate	257.46	-	47.78	-
मध्य उच्च	Moderately High	1208.94	-	1204.31	-
उच्च	High	3.75	-	1.13	-
अधिक उच्च	Very High	-	-	4.25	-
कुल	Total	28913.00	15.34	19435.73	14.75

2.7.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसबीएल) समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) में आधिक्य की जानकारी
2.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL) and Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.
क. एकल ऋणी
A. Single borrower
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

कर्जदार का नाम	Name of the borrower	एकल कर्जदार एक्सपोज़र सीमा Single borrower exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit sanctioned	31.3.2010 को शेष Balance as on 31.3.2010
एच.डी.एफ.सी. लि.	HDFC Ltd	3032.06	3169.65	3085.30
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	Cotton Corporation of India	2414.22	2500.00	59.00
नेशनल एविएशन कं. ऑफ़ इंडिया लि.	National Aviation Co of India Ltd	2414.22	2654.91	2668.73

ख. समूह ऋणी शून्य
B. Group borrower NIL
2.7.5 गैरजमानती अग्रिम

ऐसे अग्रिमों जिनमें हकदारी, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार हेतु अमूर्त प्रतिभूतियां जमानत के रूप ली गई हैं, की राशि रु. 3731.01 करोड़ है तथा उन्हें गैर जमानती अग्रिमों के भाग के रूप में दर्शाया गया है जैसा कि तुलन पत्र की तालिका 9 में उल्लिखित है। कुल गैर जमानती अग्रिमों में ऐसे अग्रिमों का अंश 8.74% है।

2.7.5 Unsecured Advances

The amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licences, authority etc. have been taken as security is Rs.3731.01 crores and the same has been classified as unsecured, forming part of unsecured advances as reflected in schedule 9 of the balance sheet. Such advances to total unsecured advances is 8.74%.

2.7.5 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का केन्द्रीकरण
 क. जमाओं का केन्द्रीकरण

2.7.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs
a) Concentration of Deposits

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	Total Deposits of twenty largest depositors	16964.32	11083.99
बैंक की कुल जमाओं में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	7.04	5.76

ख. अग्रिमों का केन्द्रीकरण

b) Concentration of Advances

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण	Total Advances to twenty largest borrowers	34528.36	30739.38
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	19.73	21.35

ग. एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

c) Concentration of Exposures

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस बड़े ऋणियों / ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	35215.36	32511.23
ऋणियों / ग्राहकों के प्रति बैंक के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.48	15.43

ग. एनपीए का केन्द्रीकरण

d) Concentration of NPAs

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to top four NPA accounts	259.39	227.27

ङ. अग्रिमों के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात

e) Provision Coverage Ratio (PCR) for Advances

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
सकल एनपीए में प्रावधान कवरेज अनुपात	PCR to Gross NPAs	74.90%	75.63%

2.8 विविध
2.8 Miscellaneous
2.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधान की राशि
2.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
आयकर हेतु प्रावधान	Provision for Income Tax	1319.98	1150.34
घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित आयकर का रिवर्सल	Less reversal of Income Tax provisions relating to previous years	140.25	34.60
आयकर के लिए नेट प्रावधान	Net Provision for Income Tax	1179.73	1115.74

- 2.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण**
 वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक पर अधिनियम के किसी भी प्रावधानों की अवहेलना अथवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी भी अन्य अपेक्षा की अवहेलना पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम के अधीन विशेषीकृत किसी नियम अथवा स्थिति के लिए कोई दंड राशि नहीं लगायी गयी है।
- 2.8.2 प्रायोजित एसपीवी द्वारा ऑफ बैलेंस शीट (जिसे लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है)**

- 2.8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI**
 During the financial year 2009-10, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any rules or conditions specified by the Reserve Bank of India in accordance with the said Act.
- 2.8.3 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored

घरेलू Domestic	विदेशी Overseas
शून्य / NIL	शून्य / NIL

3. एसएलआर निवेश

3. SLR Investments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	31.3.2010 को		31.3.2009 को	
		बही मूल्य As on 31.3.2010 Book Value	मार्केट मूल्य Market Value	बही मूल्य As on 31.3.2009 Book Value	मार्केट मूल्य Market Value
सरकारी प्रतिभूतियां - एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)	Government Securities - SLR (CG, SG & TB)	49456.44	49422.55	40114.31	40114.26
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved Securities - SLR	800.61	857.15	972.45	966.65

4. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्रेक अप

4. Break up of Provisions and Contingencies

- 4.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विवरण इस प्रकार है:**

- 4.1 The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:**

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	-380.74	536.75
बड़ेखाते में डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	900.65	268.60
स्टैंडर्ड आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	106.63	75.47
कर हेतु प्रावधान (आस्थगित करों, अनुषंगी लाभ और संपदा कर सहित)	Provision for taxes (including deferred taxes, and Wealth tax)	1179.73	* 1115.74
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	Other Provision and Contingencies -		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सैक्रिफाइस हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	54.81	68.98
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management		
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान)	Provision for staff welfare expenses	15.00	15.00
अन्य	Others	0.85	-2.74
कुल	Total	1876.93	2077.80

* इस राशि में अनुषंगी लाभकर भी शामिल है।

* The amounts includes Fringe Benefit Tax also.

4.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

4.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	550.35	550.35
ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	-	-
ग. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	-	-
घ. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account.	550.35	550.35

4.3 आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)

4.3 Draw Down from Reserves

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट नहीं आई.

During the financial year 2009-10 there has been no draw down of the Reserves.

5 शिकायतों का प्रकटीकरण

5. Disclosure of complaints

क. ग्राहक शिकायत

A. Customer Complaints

(क)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	75
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	(b)	No. of complaints received during the year	3647
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	(c)	No. of complaints redressed during the year	3631
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(d)	No. of complaints pending at the end of the year	91
ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय		B. Awards passed by the Banking Ombudsman		
(क)	वर्ष के शुरू में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	18
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	(c)	No. of Awards implemented during the year	17
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	2

6. चुकौती आश्वासन पत्र

6. Status of Letters of Comfort

क. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

A. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year.

बैंक द्वारा चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना करने/शाखाओं को खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया.

During the current financial year Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas / domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.

ख. 31.3.2010 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

B. Cumulative position of LOC's outstanding on 31.03.2010.

वित्तीय वर्ष - 2008-09 के दौरान बैंक ने अनुषंगियों की स्थापना/शाखाएं खोलने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विदेशी/देशीय विनियामकों को अपेक्षाओं के अनुरूप केवल एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है. चुकौती आश्वासन पत्र रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड को, बैंक की इस देश में अनुषंगी के संदर्भ में जारी किया गया.

During the financial year 2008-09, Bank has issued only one Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas / domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches. The Letter of Comfort was issued to Reserve Bank of New Zealand for the Bank's subsidiary in that country.

बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. 01.09.2009 न्यूजीलैंड में बैंक के रूप में पंजीकृत हो गया है लेकिन यह अभी परिचालित नहीं हुआ है. अतः 31 मार्च 2010 को कोई राशि उल्लिखित नहीं की गई है.

The subsidiary Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. has been registered as a Bank in New Zealand on 01.09.2009 but is not yet operationalised. Therefore no amount is quantified as on 31st March 2010.

- ख. इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण
1. अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व मदें तथा एकाउंटिंग नीतियों में परिवर्तन (ए.एस.-5)

आस्तियों की मूल उपयोगी अवधि पर मूल्यहास प्रभारित करने की पूर्व पद्धति के स्थान पर मूल्यांकन कर्ता द्वारा निर्धारित आस्तियों की बाकी बची उपयोगी अवधि के आधार पर पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है। इसके कारण वर्ष के दौरान रु.67.22 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यहास हुआ है। परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित मूल ब्याज पर मूल्यहास रु.6.58 करोड़ बढ़ गया है और पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि रु.60.64 करोड़ अलग से कम हो गई है।

2. कर्मचारी लाभ (ए.एस.-15)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है और जो कि दिनांक 07.12.2006 से लागू हैं। ये मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किए गए हैं। ए.एस.-15 में दिए गए प्रावधानों के तहत बैंक 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने लाभ एवं हानि खाते में पारवहन देयता को चार्ज करने के लिए एक खर्च राशि के रूप में डालने के लिए विकल्प प्रदान करता है। बैंक ने इस विकल्प को अपनाया है तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से कर्मचारी के हितों में कुल अंतरीय देयताओं के 1/5 भाग तक नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ के लिए वृद्धिशील प्रावधान किए गए हैं जो कि रुपये 901.00 करोड़ के वास्तविक मूल्य के बराबर हैं।

ग्रेच्युटी :

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी को एकत्रित करने की एवज में एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है। ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और परिलक्षित इकाई ऋण वास्तविक पद्धति के अनुसार स्टॉफ की कमी के बारे में कुछ एक परिकल्पनाओं के आधार पर ग्रेच्युटी देयता की वास्तविक मूल्य की गणना की जाती है।

निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है।

पेंशन :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को अथवा उसके पश्चात् बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा आस्थगित सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है। यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर उन कर्मचारियों के वेतन तथा बैंक में उनकी सेवाकाल की अवधि वर्षों के आधार पर उनके बैंक को छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है।

पेंशन निधि का प्रबंधन बैंक के अंतरिम न्यासियों द्वारा किया जाता है।

भविष्य निधि :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप

- B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

1. Net Profit or Loss for the Period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

The depreciation on revalued assets has been provided during the year on the basis of remaining useful life of the assets as ascertained by the valuers as against the earlier practice of charging depreciation on original useful life of the assets. This has resulted into additional depreciation of Rs. 67.22 crores during the year. Resultantly the depreciation on original block charged to Profit & Loss account has increased by Rs. 6.58 crores and the Revaluation Reserve has reduced additionally by Rs. 60.64 crores.

2. Employee Benefits (AS-15)

Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI and effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007. The provisions contained in AS-15 gives option to the bank, to charge the transitional liability as an expense in its Profit and Loss Account spread over a period of 5 years. Bank has exercised this option and accordingly made an incremental provision for employee benefits such as pension, gratuity, leave encashment and other retirement benefits to the extent of 1/5th of the total transitional liability commencing from financial year 2007-08, which is crystallized on Actuarial valuation at Rs. 901.00 Crores.

GRATUITY:

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service. The Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity fund's rules, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of 3 different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

PENSION

Bank of Baroda pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from Bank's service based on the respective employee's salary and years of qualifying service with the Bank. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund.

Pension fund is managed by in-house trustees.

PROVIDENT FUND

Bank of Baroda is statutorily required to maintain a

में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

छुट्टी का नकदीकरण :

कोई भी कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु की तारीख पर उसके खाते में जमा हुई छुट्टियों में से अधिकतम 240 दिनों तक की अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

तथापि, सेवा त्याग की स्थिति में, कर्मचारी जमा अर्जित छुट्टियों में अधिकतम 120 दिनों तक छुट्टियों की 50% राशि का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है .

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु पर 6 महीनों की परिलब्धियां अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में पाने का हकदार होगा बशर्ते कि उसने बैंक में 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो .

ठीक इसी तरह, अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवा निवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ मृत्यु होने पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने के लिए हकदार होंगे बशर्ते उसने बैंक सेवा में 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो .

तथापि, बर्खास्तगी, सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और सेवा त्याग की स्थिति में सेवा काल के वर्षों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा..

provident fund as a part of its retirement benefits to its employees. This fund is managed by in-house trustees. Each employee contributes 10% of his or her basic salary and eligible allowances and Bank of Baroda contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

LEAVE ENCASHMENT

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

ADDITIONAL RETIREMENT BENEFIT

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on his Retirement/ Voluntary retirement/ death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed 25 years of service in the Bank.

In the same manner, award staff member on Retirement / Voluntary Retirement / Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he had completed –30- years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation additional retirement benefit shall not be payable, irrespective of any number of years of service.

मूल बीमाकिक अवधारणाएं

(वैटेज औसत के रूप में अभिव्यक्त)

Principal Actuarial Assumptions

[Expressed as Weighted Averages]

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
ह्रास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	0.00%	8.00%	0.00%

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान
RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCE OF LIABILITY

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN				अति. सेवा लाभ ARB
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY		
क)	1/4/2009 को पीवीओ	a) PVO as at 1/4/2009	2668.19	418.00	903.57	415.00
ख)	ब्याज की लागत	b) Interest Cost	197.01	31.75	68.41	31.07
ग)	चालू सेवा लागत	c) Current Service Cost	45.38	16.26	38.15	6.84
घ)	प्रदत्त लाभ	d) Benefits Paid	-173.53	-21.77	-59.29	-15.14
ङ)	दायित्व पर बीमांकिक हानि / लाभ (-)	e) Actuarial loss/gain(-) on obligation	124.05	64.51	72.90	-6.49
च)	31.03.2010 को पीवीओ	f) PVO as at 31.03.2010	2861.10	508.75	1023.74	431.28

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान
RECONCILIATION OF OPENING & CLOSING BALANCE OF FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN				अति. सेवा लाभ ARB
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY		
क)	1/4/2009 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	a) Fair Value of plan assets as on 1/4/2009	2629.19	0	790.77	0
ख)	योजनागत आस्तियों का संभावित रिटर्न	b) Expected Return on Plan Assets	203.39	0	60.89	0
ग)	अंशदान	c) Contributions	-	21.77	-	15.14
घ)	प्रदत्त लाभ	d) Benefits Paid	-173.53	-21.77	-59.29	-15.14
ङ)	बीमांकिक लाभ / (-) हानि	e) Actuarial gain/(-)loss	42.84	0	-13.36	0
च)	31.03.2010 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	f) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2010	2701.89	0	779.01	0

तुलन-पत्र में मान्य राशि
AMOUNT RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

		प्लान का प्रकार TYPE OF PLAN				अति. सेवा लाभ ARB
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY		
क)	दायित्व का पीवी	a) PV of obligation	2861.10	508.75	1023.74	431.28
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	2701.89	0	779.01	0
ग)	अन्तर	c) Difference	-159.21	-508.75	-244.73	-431.28
घ)	गैर मान्य संक्रमणशील देयता	d) Unrecognised transitional liability	26.00	39.20	75.00	45.40
ङ)	बीएस में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	-133.21	-469.55	-169.73	-385.88

लाभ-हानि खाते में मान्य राशि

AMOUNT RECOGNISED IN THE P&L ACCOUNT

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण ENCASHMENT	नकदीकरण LEAVE	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क)	चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	45.38	16.26	38.15	6.84
ख)	ब्याज लागत	b) Interest Cost	197.01	31.75	68.41	31.07
ग)	योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c) Expected Return on Plan Assets	-203.39		-60.89	
घ)	शुद्ध बीमाकिक हानि/लाभ (-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	81.12	39.20	86.26	45.40
ङ)	वर्ष के दौरान मानी गयी संक्रमणशील बीमाकिक देयता	e) Transitional liability recognised in the year	13.00	64.51	38.00	-6.49
लाभ हानि में मान्य खर्च		Expenses Recognised in P&L	133.21	151.72	169.93	76.82

3. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए.एस.-17) :
भाग - क : बिजनेस सेगमेंट3. Segment Reporting (AS-17)
Part A – Business Segments

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

बिजनेस सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
		चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year
राजस्व	Revenue	4599.16	4442.29	7324.24	5247.37	4956.91	5383.10	2624.39	2776.48	19504.70	17849.24
परिणाम	Result	1047.70	1019.57	1585.36	845.23	778.65	1406.50	2732.42	1769.39	6144.13	5040.69
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									1906.07	1697.74
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									4238.06	3342.95
आयकर	Income taxes									1179.73	1115.75
विशिष्ट लाभ/ हानि	Extra-ordinary Profit/loss										
शुद्ध लाभ	Net Profit									3058.33	2227.20
अन्य सूचना	Other Information										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	69474.04	61492.10	87163.85	57141.55	45007.87	49647.20	74311.52	56217.01	275957.28	224497.86
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									2359.42	2908.87
कुल आस्तियां	Total Assets									278316.70	227406.73
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	65703.15	58021.30	82432.80	53916.29	42564.94	46844.97	70278.06	53043.95	260978.96	211826.51
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									17337.74	15580.22
कुल देयताएं	Total Liabilities									278316.70	227406.73

भाग - ख : भौगोलिक सेगमेंट :
Part B – Geographic Segments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

सेगमेंट → विवरण ↓	Segments → Particulars ↓	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr
		31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
राजस्व	Revenue	17014.16	15465.20	2490.54	2384.04	19504.70	17849.24
आस्तियां	Assets	210329.67	177106.26	67987.03	50300.47	278316.70	227406.73

सेगमेंट रिपोर्टिंग पर टिप्पणी :

- लेखा मानकों की अनुपालना में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए.एस.-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य के लिए ट्रेजरी परिचालन थोक, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक बिजनेस सेगमेंट के रूप में तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीय/भौगोलिक सेगमेंट के रूप में ग्रहण किया है .
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है.
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक ने निधि अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया है.
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूंजी सेगमेंट की आस्तियों को अनुपातिक आधार पर आवंटित कर दी गयी है .
- संबंधित पार्टि प्रकटीकरण (एस-18)**
संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

क) अनुषंगियां :

- बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- बॉब कार्ड्स लिमिटेड
- नैनीताल बैंक लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.

(ख) सहयोगी इकाइयां :

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- नैनीताल – अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड
- बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि.

(ग) संयुक्त उपक्रम :

- इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

Notes on Segment Reporting:

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, Bank has adopted "Treasury Operations", Wholesale, Retail and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" and "International" as secondary / geographic segments.
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the bank has been used.
- Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the segment.
- Related Party disclosures (AS - 18)**
Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries:

- BOB Capital Markets Limited
- BOB Cards Limited
- The Nainital Bank Limited
- Bank of Baroda (Botswana) Limited
- Bank of Baroda (Kenya) Limited
- Bank of Baroda (Uganda) Limited
- Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- Bank of Baroda (UK) Limited
- Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- BOB Trinidad & Tobago Ltd.
- Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
- Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.

(b) Associates:

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
- Baroda Rajasthan Gramin Bank
- Baroda Gujarat Gramin Bank
- Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank
- Indo Zambia Bank Limited
- Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

(C) Joint Ventures:

- IndiaFirst Life Insurance Company Ltd

(घ) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी

(D) Key Management Personnel:

S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री. एम. डी मल्या Shri M.D.Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	* 23,30,494	6,07,401
2	श्री वी. सन्तानरामन Shri V.Santhanaraman	भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (दिनांक 31.08.2009 तक) Ex-Executive Director (Up to 31.08.2009)	* 18,74,019	6,12,977
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	* 13,93,184	2,44,827
4	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N.S.Srinath	कार्यकारी निदेशक (दिनांक 07.12.2009 से) Executive Director (w.e.f. 07.12.2009)	3,20,093	-

* इसमें छठे वेतन-आयोग की बकाया राशि तथा प्रोत्साहन राशि शामिल है।

* Amount includes arrears on account of VI pay commission and incentives.

संबंधित पार्टी डिस्क्लोजर के ए एस-18 के पैरा 9 के मद्देनजर अनुषंगियों और सहयोगी बैंकों के साथ संव्यवहार का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो राज्य नियन्त्रित उपक्रमों को अन्य संबंधित पार्टियों के साथ अपने लेन-देनों से संबंधित किसी प्रकार का प्रकटीकरण करने से रोकता है। यह भी राज्य नियन्त्रित है।

The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Parties Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

5. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

5. Earning Per Share (AS-20)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
शेयर धारकों हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	Net Profit after tax available for shareholders (Rs. in Crores)	3058.33	2227.20
शेयर्स की संख्या	Number of shares	364266500	364266500
प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & Diluted earning per share	83.96	61.14
प्रति शेयर अंकित कीमत	Nominal value per share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

6. आय कर की गणना (एस-22)

6. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

आईसीआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस-22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गई हैं। 31 मार्च, 2010 को आस्थगित कर का नेट बैलेंस रु.92.75 करोड़ था (पिछले साल रु.43.69 करोड़ का डीटीए) जिसमें निम्नांकित शामिल है।

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax liabilities as on 31st March 2010 amounting to Rs. 92.75 Crores (Previous Year DTA of Rs.43.69 Crores) consists of the following:

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

		31.03.2010		31.03.2009	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बुक मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets		26.02		47.78
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961		234.47		74.78
संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों (विदेशी) हेतु प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances (foreign)		-	51.00	-
आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowable U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	11.32		16.86	
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	156.42	-	98.39	-
जोड़	Total:	167.74	260.49	166.25	122.56
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	Net Deferred Tax Asset/Liabilities	-	92.75	43.69	-

7. परिचालन बंद करना (एस 24)

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक द्वारा अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

8. आस्तियों का अनर्जक बनना (एस-28)

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" को खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत मटेरिअल इंपेयरमेंट दृष्टिगोचर न होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के इंपेयरमेंट की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)

9.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्यों के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

7. Discontinuing operations (AS24)

During the financial year 2009-10 the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

8. Impairment of Assets (AS-28)

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

9.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण मुकदमें / आकस्मिकताएं	Particulars Legal Cases / contingencies	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल 2009 को शेष	Balance as on 1 st April 2009	13.43	13.43
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	-8.68	-
31 मार्च 2010 को शेष	Balance as on 31 st March 2010	4.75	13.43
आउटप्लो/अनिश्चितताएं का समय	Timing of outflow / uncertainties	सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटप्लो Outflow on settlement/ crystallization	सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटप्लो Outflow on settlement/ crystallization

बैंक ने एक नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

9.2 आकस्मिक देयताएं :

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 के क्र सं. (I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा, मांगी गई राशि, अनुबंधन दायित्वों के संबंध में, क्रमशः संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांगों पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

ग. लेखों पर अन्य टिप्पणियां

1. बहियों का मिलान एवं समाधान

- कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों /रजिस्ट्रों का नियंत्रक लेखों से मिलान /समाधान का कार्य अभी चल रहा है।
- अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2010 तक कर लिया गया है। आगे का कार्य चल रहा है।
- बैंकों के साथ खातों, नॉस्ट्रो, देय ड्राफ्ट/टीटी, उचन्त, लाभांश/ब्याज/अदा किए गए धन वापसी आदेश इंटर एसओएल इत्यादि से संबंधित लेखों के मिलान का कार्य अभी भी चल रहा है।
लाभ व हानि लेखे तथा तुलन-पत्र का प्रभाव, यदि कोई हो, जो प्रबंधन की राय में हालांकि निर्धारणीय नहीं है, नहीं लिया जाएगा।

The Bank has provided for claims against the bank which have not been acknowledged as debt as per the policy framed by it.

9.2 Contingent Liabilities:

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon, the outcome of court, arbitration, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

C. Other Notes to Accounts

1. Balancing of Books and Reconciliation

- The balancing / Reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers / registers is in progress in certain branches.
- Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2010, the reconciliation of which is in progress.
- Reconciliation of accounts with banks, Nostro, Drafts / TTs payable, Suspense, dividend / Interest / refund orders paid / payable etc. is in progress.
The impact, if any, on the Profit and Loss Account and the Balance Sheet, though not quantified, in the opinion of the management will not be material.

2. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

- 2.1 पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु /मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं /औद्योगिक निर्यात परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है।
- 2.2 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी एक विदेशी अचल परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन 3.10 करोड़ रुपये किया है। पुनर्मूल्यांकन की राशि अचल आस्तियों में वृद्धि के रूप में दर्शायी गयी है और इन्हे प्रारक्षित और अधिशेष के भाग रूप में पूंजीगत प्रारक्षित के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित खाते में जमा किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को "परिपक्वता धारित" श्रेणी में अंतरित कर दिया। 3.25 करोड़ रुपए (गत वर्ष 38.22 करोड़ रुपए) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया।
- 3.2 'परिपक्वता धारित' श्रेणी के तहत रखे गये निवेश की बिक्री पर लाभ राशि 255.43 करोड़ रु को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद रु 126.59 करोड़ को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में करों को शुद्ध में समायोजित किया गया है तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 के अन्तर्गत सांविधिक प्रारक्षित निधि को अंतरित किया गया है।

4. करों के लिए प्रावधान

- 4.1. आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है।
- 4.2. "अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी / स्रोत पर कर की कटौती राशि में विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई /विभाग द्वारा समायोजित राशि रु.1293.49 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1019.84 करोड़) शामिल है। आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है।
- 4.3 बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत पात्र व्यवसाय के संबंध में, जो उक्त धारा में विनिर्दिष्ट है, कटौती हेतु दावा किया है। तदनुसार 270 करोड़ रु विशेष प्रारक्षित निधि खाते में अन्तरित कर दिए हैं।

5. बैंक ने वर्ष के दौरान किसी भी इक्विटी शेयर को जब्त करके उन्हें अभिशून्य नहीं किया है (पिछले वर्ष 100 इक्विटी शेयर)।

6. परिसर

- 6.1 बैंक की कुल 65.30 करोड़ रु. (मूल लागत) - (पिछले वर्ष 79.72 करोड़ रु.) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।
- 6.2 बैंक की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत में परिसर शीर्षक के अंतर्गत कुल 1768.34 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1766.66 करोड़ रु.) पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है। शुद्ध मूल्यहास के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि 1321.25 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1448.34 करोड़ रु.) हैं।
- 6.3 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन /कब्जे में ली जानेवाली 96.87 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 74.79 करोड़ रु.) की संपत्तियां शामिल हैं।

2. Capital Reserves

- 2.1 Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.
- 2.2 During the current financial year, the Bank has revalued one foreign immovable property by an amount of Rs. 3.10 Crores. The amount of revaluation has been shown as an addition to Fixed Assets and credited to Revaluation Reserve Account under Capital Reserves as part of Reserves and Surplus.

3. Investments

- 3.1 In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category. The resultant depreciation of Rs.3.25 Crores (previous year Rs. 38.22 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.
- 3.2 Profit on sale of investments held under "Held to maturity" category amounting to Rs.255.43 Crores has been taken to the Profit and Loss Account and thereafter an amount of Rs.126.59 Crores has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949

4. Provision for Taxes.

- 4.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.
- 4.2 Tax paid in advance / tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to Rs. 1293.49 Crores (previous year Rs 1019.84 Crores) represents amounts adjusted by the department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands as in the bank's view, duly supported by counsels' opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.
- 4.3 The Bank has claimed deduction under section 36(1) (viii) of the Income-tax Act,1961 in respect of the eligible business as specified in the said section and has accordingly transferred a sum of Rs.270 Crores to the corresponding Special Reserve account.

5. During the year, the bank has not annulled the forfeiture of any equity shares (previous year 100 equity shares).-
 6. Premises-

- 6.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties aggregating to Rs 65.30 Crores (Previous year Rs.79.72 Crores) – (original cost).
- 6.2 Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year-end is Rs.1768.34 Crores (Previous Year Rs.1766.66 Crores) and net of depreciation the revaluation amounts to Rs. 1321.25 Crores (Previous year Rs.1448.34 Crores).
- 6.3 Premises include assets under construction / acquisition amounting to Rs.96.87 Crores (Previous year Rs.74.79 Crores).

7. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान 320.00 करोड़ रु. की राशि के टियर बॉन्ड II पुनःशोधित किए गए हैं तथा 900.00 करोड़ रु की राशि के टियर I बॉन्ड और 1000.00 करोड़ रु की राशि टीअर II बॉन्ड (पिछले वर्ष रु 1800.20 करोड़ रु. की राशि जुटाई गयी.
8. अन्य आरक्षित निधि में आयकर अधिनियम की आवश्यकताओं के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि के कारण 943.95 करोड़ रुपये (गत वर्ष 673.95 करोड़ रुपये) की राशि समाविष्ट है .
9. वर्ष के दौरान बैंक ने 1 नवम्बर, 2007 से देय अधिकारियों और अवाई स्टाफ के वेतन संशोधन के लिए अनुमानित आधार पर 300.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 325 करोड़ रु.) की राशि का प्रावधान किया है. 1 नवम्बर 2007 से देय इस संशोधन के स्थान पर इस मद पर दिनांक 31.3.2010 को किया गया संचित प्रावधान रु. 725 करोड़ है.
10. बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफ एस एल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी. बॉब एफ एस एल ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफ एस एल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को उसका पूर्ण व्यवसाय के समापन में एक चालू संस्था/बिक्री के रूप में स्थानांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफ एस एल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफ एस एल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेस लि. के सम्मेलन को बैंक की दिनांक 28.1.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल सम्मेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए बाब को प्राधिकृत किया. तदनुसार सम्मेलन के लिए कानूनी औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं और ऐसी लंबित औपचारिकताओं के कारण खातों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा.
11. वर्ष के दौरान बैंक ने यूटीआई एमसी लि. तथा यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. में अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेच दी जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों कंपनियों में बैंक की हिस्सेदारी 18.5% घट गई. तदनुसार इन कंपनियों को सहयोगियों के रूप में अमान्य कर दिया गया.
12. अन्य पक्षीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए अर्जित आय. (रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

क्र. सं. Sr. No	आय का स्वरूप	Nature of Income	राशि Amount
1	जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	4.88
2	गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling non life insurance policies	1.20
3	म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund products	1.13
4	लाइफ म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु	For selling of life mutual fund products	0.47
5	बैंक एश्युरेंस व्यवसाय	Bancassurance business	2.48

13. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी बीसी.82/21.04.048/2009-10 दिनांक 30.03.2010 के अनुसार अन्य किसानों के 75% अतिदेय अंश के भुगतान हेतु अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31.12.2009 से 30.6.2010 कर दिया गया है और बैंकों को इन खातों को मानक आस्तियां मानने की अनुमति दी गई है. तथापि, ऐसे खातों में निहित कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, विवेक सम्मत उपाय के रूप में बैंक ने ऐसे खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा.
14. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है.
13. As per the RBI circular DBOD.No.BP.BC.82/21.04.048/2009-10 dated 30-03-2010, the last date for payment of 75% of the overdue portion of the other farmers have been extended from 31-12-2009 to 30-06-2010 and the banks are allowed to treat such accounts as standard assets. However, keeping in view of the inherent weakness in such accounts, as a prudent measure, bank has continued to classify such accounts as NPA.
14. Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2010

		(000's अनंकित omitted)	
		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	4238,05,99	3342,94,47
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	230,86,05	232,60,44
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	(380,73,81)	536,74,56
बड़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण / गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	955,45,89	337,58,36
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	106,62,62	75,47,47
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	15,85,41	12,25,75
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल)	Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net)	(5,29)	4,39
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	559,31,58	466,86,88
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately)	(29,18,85)	(32,22,41)
उप-जोड़	Sub total	5696,19,59	4972,29,91
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in investments	(8290,01,68)	(9008,42,80)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in advances	(32739,33,64)	(37622,15,56)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(increase)/Decrease in other assets	432,56,60	(157,50,11)
उधार राशियों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	(823,20,12)	1709,03,79
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	48647,31,25	40362,82,45
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	(167,19,54)	2192,01,51
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1503,87,71)	(1322,62,48)
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	11252,44,75	1125,46,71

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(338,71,14)	(207,82,60)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	40,25,30	40,79,65
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(65,74,47)	(104,12,56)
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	29,18,85	32,22,41
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash used in investing activities (B)	(335,01,46)	(238,93,10)
ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूँजी	Share Capital	-	-
शेयर प्रीमियम	Share premium	-	3
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	1405,37,98	1709,10,15
लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	(383,55,63)	(340,93,88)
गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(559,31,58)	(466,86,88)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	462,50,77	901,29,42
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	11379,94,06	1787,83,03
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	24087,11,70	22299,28,67
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	35467,05,76	24087,11,70
टिप्पणी:	Notes:		
1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंक के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन समाविष्ट है.	1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2. Components of Cash & Cash Equivalents		
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैलेन्स	Cash & Balance with RBI	135399691	105963435
बैंकों के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	219270885	134907735
कुल	Total	354670576	240871170

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors' Report

सेवा में,
शेयरधारक,

हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 31 मार्च 2010 के तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे नकद प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2670 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 45 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 410 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है। ये अ-लेखापरीक्षित शाखाएं 4.19 प्रतिशत अग्रिम, 2.17 प्रतिशत जमाराशियां, 0.71 प्रतिशत ब्याज-आय और 1.60 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित हैं। ये वित्तीय विवरणियां बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने लेखा परीक्षा भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां किसी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है। लेखा परीक्षा में, प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्धारण और लेख सिद्धांतों का आकलन भी शामिल है। इसमें समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार है।

इसमें सूचित लेखा-परीक्षा और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के आधार पर और उनके अंतर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

1. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं।
2. अनुसूची 18 पर नोट सी 1 का संदर्भ लें। इसमें उल्लिखित बकाया मदों के समाधान, समाशोधन से उत्पन्न समायोजनों के संबंध में प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता।
3. अनुसूची 18 में प्रतिशेयर अर्जन (नोट बी 4) तथा पूंजी पर जोखिम आस्ति अनुपात (नोट ए 1) उपरोक्त पैरा (2) में दी गयी हमारी टिप्पणियों के अध्यक्षीन हैं।
4. उपरोक्त अनुच्छेद (2) और (3) की टिप्पणियों के अधीन और उल्लेखनीय लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के दृष्टिगत हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:-
 - अ) हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ब) बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

To,
The Shareholders,

We have audited the attached Balance Sheet of Bank of Baroda as at 31st March 2010 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of **20 branches** audited by us, **2670 branches** audited by other auditors and **45 foreign branches** audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from **410 branches** which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for **4.19 percent of advances, 2.17 percent of deposits, 0.71 percent of interest income and 1.60 percent of interest expenses**. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement(s). An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting to the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Subject to the limitations of the audit indicated herein above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
2. Reference is invited to Note C1 in Schedule 18 regarding adjustments arising from reconciliations/ clearance of outstanding items stated therein; the consequential effect of which is not ascertainable.
3. Earnings per share (Note B5) and Capital to Risk Assets Ratio (Note A1) in schedule 18 are subject to our observations in para '2' above.
4. Subject to our observations in Para 2 & 3 above and read with the Significant Accounting Policies and Notes On Accounts, we further report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

- स) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं, केवल कुछ मामलों में, प्राप्त विवरणियों में भरे गए विवरण अपूर्ण /अपर्याप्त थे. ऐसे मामलों में प्रबंध तंत्र द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण पर हमने भरोसा किया है.
- द) हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की लेखाबहियों में दर्शाए गए अनुसार :
- नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ समरूपता में नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2010 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके.
 - लाभ-हानि लेखा दी गई टिप्पणियों के साथ पठित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ समरूपता में कवर खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही लाभ शेष को दर्शाता है.
 - नकदी प्रवाह-विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण देता है.
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit and the management has provided us information and explanations, on which we have placed reliance, where the particulars, in the returns received, were incomplete/ inadequate.
- d) In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2010 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(के. जी. बंसल)
For A. Sachdev & Co.
Chartered Accountants
(K. G. Bansal)
Partner
M. No.94274

कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(नन्दलाल अगरवाल)
For Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants
(Nandlal Agarwal)
Partner
M. No.091272

कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(संजीव नारायण)
For Ashwani & Associates
Chartered Accountants
(Sanjeeva Narayan)
Partner
M. No. 084205

कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(वी. बी. सिंह)
For S. K. Kapoor & Co.
Chartered Accountants
(V. B. Singh)
Partner
M. No. 073124

कृते एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(एम.सी. कोडाली)
For N. C. Banerjee & Co.
Chartered Accountants
(M. C. Kodali)
Partner
M. No. 056514

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(राकेश राठी)
For Haribhakti & Co.
Chartered Accountants
(Rakesh Rathi)
Partner
M. No. 045228

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 28.04.2010

समेकित वित्तीय विवरणियां
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 मार्च 2010 का समेकित तुलन-पत्र

Consolidated Balance Sheet as on 31st March 2010

(000' अनंकित omitted)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2010 को As on 31st Mar, 2010 रु. Rs.	31 मार्च 2009 को As on 31st Mar, 2009 रु. Rs.
पूंजी और देयताएं		CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	1	365,52,77	365,52,77
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	15349,06,23	12959,17,13
मायनोरिटी इन्टरेस्ट	Minority Interest	2A	59,42,00	46,42,54
जमाराशियां	Deposits	3	245951,14,55	196608,43,67
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	13404,27,07	12776,66,96
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	5	9143,14,96	8820,48,07
जोड़	TOTAL		<u>284272,57,58</u>	<u>231576,71,14</u>
आस्तियां		ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	14076,06,77	10901,20,65
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	22493,41,15	14301,41,14
निवेश	Investments	8	63163,27,03	53626,57,95
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	177711,89,75	145559,49,71
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	2369,38,69	2375,50,64
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	4458,54,19	4628,38,89
समेकन साख	Goodwill on Consolidation		-	184,12,16
जोड़	TOTAL		<u>284272,57,58</u>	<u>231576,71,14</u>
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	88221,17,28	73730,70,57
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		18267,18,04	14047,38,50
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.				

श्री एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर. के. बक्षी
कार्यकारी निदेशक
श्री एन. एस. श्रीनाथ
कार्यकारी निदेशक
श्री वि. एच. थत्ते
महाप्रबंधक
(कार्पो. खाते, कराधान एवं
अनुपालन अधिकारी-भा.रि.बैं.)
श्री वी.के.गुप्ता
उप महाप्रबंधक
(कार्पो. खाते एवं कराधान)

स्थान : मुंबई,
दिनांक : 25.05.2010

निदेशक
श्री आलोक निगम
श्री ए. सोमसुन्दरम
श्री रंजीत कुमार चटर्जी
श्री अजय माथुर
डॉ. अतुल अगरवाल
डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी
डॉ. दीपक बी. फाटक
श्री मौलिन ए. वैष्णव

लेखा परीक्षक
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(के. जी. बंसल)
भागीदार
M.No.94274
कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(वी. बी. सिंह)
भागीदार
M.No.073124
कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(सत्यभामा गुप्ता)
भागीदार
M.No.073295
कृते एन.सी. बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(एम.सी. कोडाली)
भागीदार
M.No.056514
कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(आदित्य कुमार)
भागीदार
M.No.506955
कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(राकेश राठी)
भागीदार
M.No.045228

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2010

(000' अनंकित omitted)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st Mar 2010 रु. Rs.	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st Mar 2009 रु. Rs.
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	17234,81,86	15547,56,10
अन्य आय	Other Income	14	2965,29,65	2845,36,05
जोड़	TOTAL		20200,11,51	18392,92,15
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
ब्याज व्यय	Interest Expended	15	11023,33,76	10167,34,91
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	3981,60,83	3712,35,72
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		2045,37,64	2181,94,95
जोड़	TOTAL		17050,32,23	16061,65,58
माइनरिटी ब्याज से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates		3149,79,28	2331,26,57
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Share of earnings in Associates	17	42,64,52	63,65,64
माइनरिटी ब्याज काटने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ	Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest		3192,43,80	2394,92,21
घटाएं : माइनरिटी ब्याज	Less : Minority Interest		13,13,88	10,84,32
वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ	Consolidated Profit for the year attributable to the group		3179,29,92	2384,07,89
आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		70,57,36	61,79,31
विनियोग हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		3249,87,28	2445,87,20
III. विनियोग	III. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधि में अन्तरण	Transfer to Statutory Reserve		777,70,58	566,58,22
पूंजी आरक्षित निधियों में अन्तरण	Transfer to Capital Reserves		126,58,95	220,00,00
धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1)(viii)		270,00,00	358,25,58
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		1345,23,81	846,90,41
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		648,13,60	383,55,63
समेकित बैलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		82,20,34	70,57,36
जोड़	TOTAL		3249,87,28	2445,87,20
प्रतिशेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड) रु. में	Earnings per Share (Basic & Diluted)		87.28	65.45
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		

उपर दर्शाई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे का ही एक भाग हैं

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

Shri M. D. Mallya
Chairman & Managing Director
Shri R. K. Bakshi
Executive Director
Shri N. S. Srinath
Executive Director
Shri V. H. Thatte
General Manager
Corporate A/cs. Taxation
& Compliance Officer - RBI
Shri V. K. Gupta
Dy. General Manager
Corporate A/cs. Taxation

DIRECTORS
Shri Alok Nigam
Shri A Somasundaram
Shri Ranjit Kumar Chatterjee
Shri Ajay Mathur
Dr. Atul Agarwal
Dr. (Smt.) Masarrat Shahid
Dr. Dharmendra Bhandari
Dr. Deepak B. Phatak
Shri Maulin A Vaishnav

AUDITORS
As per our separate report of even date attached

For A. Sachdev & Co. Chartered Accountants (K. G. Bansal) Partner M.No.94274	For Gupta Nayar & Co. Chartered Accountants (Satyabhama Gupta) Partner M.No.073295	For Ashwani & Associates Chartered Accountants (Aditya Kumar) Partner M.No.506955
For S.K. Kapoor & Co. Chartered Accountants (V. B. Singh) Partner M.No.073124	For N.C. Banerjee & Co. Chartered Accountants (M. C. Kodali) Partner M.No.056514	For Haribhakti & Co. Chartered Accountants (Rakesh Rathi) Partner M.No.045228

Place : Mumbai
Date : 25.05.2010

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां

Schedules to Consolidated Balance Sheet

(000' अनंकित omitted)

	31 मार्च, 2010 को As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL			
प्राधिकृत पूंजी (प्रत्येक रु. 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 10/- के 150,00,00,000/- शेयर)	AUTHORISED CAPITAL (300,00,00,000 Shares of Rs.10/- each) (Previous year 150,00,00,000/- shares of Rs. 10/- each)		3000,00,00	1500,00,00
जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी (प्रत्येक रु. 10/- के 36,70,00,000 इक्विटी शेयर) -	ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL (36,70,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each)		367,00,00	367,00,00
मांगी गई पूंजी प्रत्येक रु. 10/- के 36,42,66,500 (पिछले वर्ष 36,42,66,500) इक्विटी शेयर) जिसमें प्रत्येक रु. 10/- के 1960,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1960,00,000) शामिल है, जिसकी कुल राशि रु.196 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा धारित है.	CALLED UP CAPITAL 36,42,66,500 (previous year 36,42,66,500) Equity shares of Rs.10/- each including 1960,00,000 shares (previous year 1960,00,000 shares) of Rs.10/- each amounting to Rs.196 crores held by Central Government.		364,26,65	364,26,65
जोड़ें : जब्त शेयर	Add: Forfeited Shares	1,26,12	365,52,77	1,26,12
जोड़ें	TOTAL		<u>365,52,77</u>	<u>365,52,77</u>
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2			
प्रारिक्त निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS			
i सांविधिक प्रारिक्त निधियां	i Statutory Reserves			
आरंभिक शेष	Opening Balance	2831,52,56		2268,33,53
जोड़ें : लाभ एवं हानि से अंतरित	Add: Transfer from P&L	777,70,58		566,58,22
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add : Adjustments during the year	44,63		78,19
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	17,23	3609,50,54	4,17,38
ii क) पूंजीगत प्रारिक्त निधियां	ii a) Capital Reserves			
आरंभिक शेष	Opening Balance	2092,99,56		1803,19,77
जोड़ें : लाभ एवं हानि से अंतरित	Add: Transfer from P&L	126,58,95		358,25,58
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustments during the year	16,47,34		4,14,79
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	129,15,05	2106,90,80	72,60,58
ख) समेकन पर पूंजीगत प्रारिक्त निधियां	b) Capital Reserve on Consolidation			
आरंभिक शेष	Opening Balance	37,38,23		9,36,81
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	7,43,37		28,01,42
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	-	44,81,60	-
iii शेयर प्रीमियम	iii Share Premium			
आरंभिक शेष	Opening Balance	2273,88,56		2273,88,53
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	572000		3
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	-	2331,08,56	-
				2273,88,56

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
iv राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	iv Revenue & Other Reserves				
क. धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियां	a. Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	420,00,00		-	
जोड़े: सामान्य प्रारक्षित निधियों से अंतरण	Add: Trf from General Reserves	-		200,00,00	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	270,00,00	690,00,00	220,00,00	420,00,00
ख. रूपांतरण प्रारक्षित निधियां	b. Translation Reserves		(16,81,23)		44,18,18
ग. राजस्व प्रारक्षित निधियां	c. Revenue Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	5188,62,68		4576,43,45	
जोड़े : लाभ और हानि से अंतरण	Add: Transfer from P&L	1345,23,81		846,90,41	
घटाएं: विशेष प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Less: Trf to Special Reserve	-		200,00,00	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/Adjustments during the year	32,50,87	6501,35,62	34,71,18	5188,62,68
v लाभ/हानि खाते में शेष	v Balance in P&L A/c		82,20,34		70,57,36
कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v)	Total Reserves & Surplus (I to v)		15349,06,23		12959,17,13
अनुसूची - 2 ए- माइनारिटी ब्याज	SCHEDULE - 2A- Minority Interest				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	46,42,54		36,28,93	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions / Adj. during the year	12,99,46	59,42,00	10,13,61	46,42,54
कुल माइनारिटी ब्याज	Total Minorities Interest		59,42,00		46,42,54
अनुसूची - 3 जमा राशियां	SCHEDULE - 3 DEPOSITS				
क. I मांग जमा राशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	1034,65,68		647,76,20	
ii) अन्यो से	ii) From Others	18330,70,59	19365,36,27	14607,07,21	15254,83,41
II बचत बैंक जमा राशियां	II Savings Bank Deposits		539,72,01,17		436,93,31,62
III मीयादी जमा राशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	32764,61,49		16918,94,79	
ii) अन्यो से	ii) From Others	139849,15,62	172613,77,11	120741,33,85	137660,28,64
जोड़ (I, II एवं III)	TOTAL (I,II and III)		245951,14,55		196608,43,67
ख. I भारत में शाखाओं की जमा राशियां	B. I Deposits of branches in India	187294,39,52		153310,05,48	
II भारत से बाहर शाखाओं की जमा राशियां	II Deposits of branches outside India	58656,75,03		43298,38,19	
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I & II)	245951,14,55		196608,43,67	

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 4 उधार राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS				
I भारत में उधार राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		2700,00,00	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	108,62,43		17,17,26	
iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	348,99,23		431,02,43	
iii) आईपीडीआई	iv) IPDI	1200,20,00		300,20,00	
v) गौण ऋण	v) Subordinate debt	5990,00,00	7647,81,66	5310,00,00	8758,39,69
II भारत से बाहर उधार राशियां (इसमें 1347.00 करोड़ रु. एमटीएन बाण्ड शामिल हैं (पिछले वर्ष 1521.62 करोड़ रुपये))	II Borrowings outside India (includes MTN Bonds of Rs.1347.00 crs (previous year Rs.1521.62 crs))				
				5756,45,41	4018,27,27
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I & II)			13404,27,07	12776,66,96
ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in I & II above			140,97,47	256,03,05
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable			1494,03,22	1254,28,42
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued			1753,76,54	1469,85,37
III अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	III Inter office Adjustments (Net)			53,60,59	1088,89,09
IV आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	IV Defferred Tax Liabilities (Net)			93,44,42	-
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)			5748,30,19	5007,45,19
जोड़ (I एवं V)	Total (I to V)			9143,14,96	8820,48,07
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6				
नकदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)			1220,27,94	1042,94,53
II भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	II Balances with Reserve Bank of India :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	12554,82,81		9775,50,45	
ii) अन्य खातों में	ii) in Other Accounts	300,96,02	12855,78,83	82,75,67	9858,26,12
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)			14076,06,77	10901,20,65
अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7				
बैंक के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष रकम	i) Balances with Banks				
(क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	364,21,36		355,50,25	
(ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	851,72,81	1215,94,17	1474,79,55	1830,29,80
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय	ii) Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास	a) with Banks	240,00,00		32,84,00	
(ख) अन्य संस्थानों के पास	b) with Other Institutions	-	240,00,00	-	32,84,00
जोड़ (i एवं ii)	Total (i and ii)			1455,94,17	1863,13,80
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	1564,05,90		1120,65,06	
ii) अन्य जमा-राशि खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	9728,48,97		4011,74,86	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	9744,92,11		7305,87,42	
जोड़ (i,ii एवं iii)	Total (i, ii and iii)			21037,46,98	12438,27,34
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I and II)			22493,41,15	14301,41,14

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS				
I भारत में निवेश	I Investments in India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	50068,23,33		40580,66,70	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	866,33,95		968,14,15	
iii) शेयर	iii) Shares	1279,30,39		606,13,45	
iv) डिबेंचर एवं बांड	iv) Debentures and Bonds	2448,82,13		3045,87,92	
v) सहयोगी इकाइयों में निवेश (इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी के रूप में बैंक के अग्रिम अंशदान, जो आबंटन हेतु लम्बित हैं, रु. 101.27 करोड़ शामिल हैं. (पिछले वर्ष रु. 101.27 करोड़)	v) Investment in Associates [includes Bank's share of contribution as advance of Rs.101.27 crores (Previous Year Rs. 101.27 crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	247,91,32		376,41,81	
vi) अन्य	vi) Others	3283,56,35		3229,35,07	
जोड़ (i से vi)	Total (i to vi)		58194,17,47		48806,59,10
II भारत से बाहर निवेश	II Investments Outside India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	2611,91,70		1876,61,35	
ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश	ii) Investment in Associates	34,82,51		30,85,46	
iii) अन्य	iii) Others	2322,35,35		2912,52,04	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		4969,09,56		4819,98,85
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I & II)		63163,27,03		53626,57,95
III भारत में निवेश	III Investments in India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	58545,59,46		49363,71,39	
घटाएँ: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	351,41,99		557,12,29	
शुद्ध निवेश	Net Investments	58194,17,47		48806,59,10	
IV भारत से बाहर निवेश	IV Investments outside India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	5146,83,18		5181,71,93	
घटाएँ: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	177,73,62		361,73,08	
शुद्ध निवेश	Net Investments	4969,09,56	63163,27,03	4819,98,85	53626,57,95

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES				
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		19287,74,91		13947,14,41
ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		81096,04,69		67586,16,18
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		77328,10,15		64026,19,12
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		<u>177711,89,75</u>		<u>145559,49,71</u>
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts)	111760,05,22		99026,68,03	
ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	23106,12,66		16145,80,85	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	42845,71,87		30387,00,83	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)	<u>177711,89,75</u>		<u>145559,49,71</u>	
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	46792,30,72		38878,53,43	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	18543,24,20		22291,50,30	
iii बैंक	iii Banks	12,05,70		52,99,37	
iv अन्य	iv Others	67654,51,77	133002,12,39	48506,05,70	109729,08,80
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	150,98,34		172,60,23	
ii अन्यो से प्राप्य	ii Due from Others				
क. खरीदे गए और भुनाए गए बिल	a) Bills purchased & Discounted	16433,91,79		11352,42,51	
ख. समूह ऋण	b) Syndicated Loans	7727,83,20		7744,64,87	
ग. अन्य	c) Others	20397,04,03	44709,77,36	16560,73,30	35830,40,91
जोड़ (ग I + ग II)	Total (C.I +C.II)	<u>177711,89,75</u>		<u>145559,49,71</u>	

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-10	SCHEDULE - 10				
अचल आस्तियां	FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
विगत वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	2459,25,46		2412,95,13	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	28,47,29		50,50,68	
		2487,72,75		2463,45,81	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	Less : Deductions during the year	1,02,79		37,914	
		2486,69,96		2459,66,67	
आज की तारीख को मूल्य ह्रास	Depreciation to date	617,65,41	1869,04,55	468,30,66	1991,36,01
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :				
विगत वर्ष की 31 मार्च को लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	1611,65,90		1478,15,22	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	338,15,41		171,28,10	
		1949,81,31		1649,43,32	
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	41,94,08		38,28,40	
		1907,87,23		1611,14,92	
तारीख तक मूल्यह्रास	Depreciation to date	1411,26,20	496,61,03	1227,00,29	384,14,63
II क. पट्टे पर दी गई आस्तियां	II A Leased Assets				
लागत पर	At cost	13,95,89		13,95,89	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	3,78,02		-	
		17,73,91		13,95,89	
तुलन-पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास	Depreciation to date	14,00,80	3,73,11	13,95,89	-
जोड़ (I, I क, II एवं II क)	Total (I, II and IIA)		2369,38,69		2375,50,64

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued		1692,32,63		1767,75,97
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती	II Tax paid in advance/tax deducted at source		1318,96,94		995,37,91
III स्टेशनरी एवं स्टैम्प	III Stationery and Stamps		7,58,41		7,30,57
IV आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	IV Deferred Tax assets (Net)		-		44,59,26
V अन्य	V Others		1439,66,21		1813,35,18
जोड़ (I से V)	Total (I to V)		<u>4458,54,19</u>		<u>4628,38,89</u>
अनुसूची - 12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts		258,22,57		1313,47,59
II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		75,04,43		19,63,09
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts		56110,35,49		48186,85,96
IV ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :				
क) भारत में	a) In India	8767,73,80		6338,74,76	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	4953,62,66	13721,36,46	3253,00,34	9591,75,10
V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		9804,60,16		8752,76,98
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability		8251,58,17		5866,21,85
जोड़ (I से VI)	Total (I to VI)		<u>88221,17,28</u>		<u>73730,70,57</u>

समेकित लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां

Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष As on 31st March 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज एवं लाभांश	SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest/Discount on Advances/ Bills		12838,11,24		11480,86,74
II निवेश पर आय	II Income on Investments		3841,18,52		3416,69,57
III भारतीय रिजर्व बैंक शेष और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर शेष पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds		474,73,57		468,38,36
IV अन्य	IV Others		80,78,53		181,61,43
जोड़ (I से IV)	TOTAL Total (I to IV)		<u>17234,81,86</u>		<u>15547,56,10</u>
अनुसूची - 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage		946,83,10		796,82,42
II भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	II Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)		8,27		(2,99)
III विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)	III Profit on Exchange Transactions (Net)		371,51,26		376,72,46
IV निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	IV Profit on sale of Investments(Net)		731,04,96		901,39,10
V निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (शुद्ध)	V Profit on revaluation of Investments (Net)		(1,16,97)		(31,03)
V विविध आय	V Miscellaneous Income		916,99,03		770,76,09
जोड़ (I से V)	TOTAL Total (I to V)		<u>2965,29,65</u>		<u>2845,36,05</u>
अनुसूची - 15 ब्याज व्यय	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED				
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits		10157,64,00		9405,94,09
II भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings		176,05,24		292,32,57
III अन्य	III Others		689,64,52		469,08,25
जोड़ (I से III)	TOTAL Total (I to III)		<u>11023,33,76</u>		<u>10167,34,91</u>

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष As on 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष As on 31st March 2009	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16				
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	2426,34,43		2408,85,70	
II किराया, कर एवं विद्युत	II Rent, Taxes and Lighting	320,26,25		274,49,13	
III मुद्रण एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery	30,93,30		28,90,48	
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	57,93,65		42,73,82	
V क) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	241,56,82		239,01,35	
ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	b) Depreciation on Leased Assets	1,17,73	242,74,55	42,43	239,43,78
VI निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	2,15,82		2,04,28	
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	38,48,24		31,84,37	
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	18,78,13		14,28,46	
IX डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	81,28,97		47,06,73	
X मरम्मत एवं रख रखाव	X Repairs and Maintenance	123,89,20		108,83,32	
XI बीमा	XI Insurance	184,53,30		144,21,59	
XII अन्य व्यय	XII Other Expenditure	454,24,99		369,64,06	
जोड़ (I से XII)	TOTAL (I to XII)	<u>3981,60,83</u>		<u>3712,35,72</u>	
अनुसूची - 17	SCHEDULE - 17				
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES				
I आरआरबी	I RRB's	43,26,66		47,39,93	
II अन्य	II Others	(62,14)		16,25,71	
जोड़ (I और II)	Total (I & II)	<u>42,64,52</u>		<u>63,65,64</u>	

अनुसूची 18: 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां: **Schedule 18 : Significant Accounting Policies on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2010**

1. समेकित वित्तीय विवरणियां और तैयार करने का आधार :

- 1.1 बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों और सहयोगी इकाइयों की समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाई गई हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत में भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में प्रचालित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप हैं, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित है।

2. समेकन प्रक्रिया :

- 2.1 समूह की समेकित वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित के आधार पर तैयार की गई हैं :
- ख) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल) के लेखा-परीक्षित खाते
- ख) अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ लाइन-टू-लाइन एकत्रीकरण किया गया है : उक्त समेकित वित्तीय विवरणियां आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस-21) के अनुसार सभी इन्ट्रा ग्रुप शेषों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए किया गया है।
- 2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों एवं सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियों को, जहां कहीं आवश्यक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।
- 2.3 सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी "अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" ए एस 23 इक्विटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है।
- 2.4 संयुक्त उद्यमों में निवेश, आईसीएआई द्वारा जारी एस-27 "फायनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ़ इन्टरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर" में निर्धारित "समानुपातिक आधार" पर समेकित किया गया है।
- 2.5 समेकित वित्तीय विवरणियों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित है।
- 2.6 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को गुडविल/प्रारक्षित पूंजी के रूप में माना गया है।

1. Basis Of Preparation Of Consolidated Financial Statements:

- 1.1 Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Consolidation Procedure:

- 2.1 Consolidated Financial Statements of the group have been prepared on the basis of :
- a. Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).
- b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per Accounting Standard (AS)-21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.
- 2.2 In case of difference in accounting policies, the Financial Statements of Subsidiaries and Associates are adjusted, wherever necessary, to conform to the Accounting Policies of the Parent.
- 2.3 Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) -23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- 2.4 Investments in Joint Venture are consolidated on 'Proportionate basis' as prescribed in AS - 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Venture" issued by ICAI.
- 2.5 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
- 2.6 The difference between cost to the Parent of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

- 3.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखाकरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव पर जारी लेखा मानक 11 के अनुरूप किया गया है।
- 3.2 लेखा मानक एस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है।
- 3.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में संव्यवहार
- (क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया है।
- (ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते के द्वारा लेखांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।
- 3.4 पृथक परिचालनों के संबंध में संव्यवहार
- (क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (ख) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा रूपांतरण प्रारक्षित निधि " में रखा गया है।
- 3.5 वायदा विनिमय संविदाएं
- भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों तथा एस-11 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक मुद्रा की बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता हेतु तदनुसारी वायदा दरों पर तुलनपत्र की दिनांक का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन राशि तथा संविदा राशि में अंतर को यथा स्थिति लाभ या हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

4. निवेश

- 4.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया

3. Foreign Currency Transactions:

- 3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- 3.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 3.3 Translation in respect of Integral Operations:
- a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
- b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.
- 3.4 Translation in respect of Non Integral Operations:
- a) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.
- 3.5 Forward Exchange Contracts
- In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are re-valued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between re-valued amount and the contracted amount is recognised as profit or loss, as the case may be.

4. Investments:

- 4.1 The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve

गया है :

- (क) “परिपक्वता तक धारित” निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।
- (ख) “व्यापार हेतु धारित” में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) “बिक्री हेतु उपलब्ध” में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त “क” तथा “ख” में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

4.2 “परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारत और अर्जित लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हों, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाएगा तथा जिनके लिए अग्रिमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण पत्र, जो संबद्ध राशि पर मूल्यांकित किए जाते हैं, में निवेशों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।

अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (भारत तथा विदेश में) में निवेश को अधिग्रहण लागत में से मूल्यहास (अस्थायी प्रकृति के अलावा) राशि को कम कर मूल्यांकित किया जाता है।

- 4.3 “परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारत और अर्जित लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया जाता है एवं “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ (शुद्ध कर एवं सांविधिक निधि) को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।
- 4.4 “व्यापार के लिए धारित” एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिपवार चिह्नित किया गया है तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई है, को लाभ हानि खाते में स्थान दिया गया है। जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।
- 4.5 गैर निष्पादित प्रतिभूतियों के सम्बंध में आय को मान्य नहीं किया जाता है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में हास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- 4.6 निवेश की अधिग्रहण लागत, प्राप्त प्रोत्साहन राशि तथा फ्रंट एंड फी कमीशन, दलाली, स्टाम्प ड्यूटी के बाद की लागत है।
- 4.7 “व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (पीडीएआई) फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया

Bank of India guidelines into:

- (a) “Held to Maturity” comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- (b) “Held for Trading” comprising investments acquired with the intention to trade.
- (c) “Available for Sale” comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

4.2 Investments classified as “Held to Maturity” are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as “Held to Maturity” includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances, for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances, and Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

- 4.3 Profit / Loss on sale of investments classified as “Held to Maturity” is recognized in the Profit & Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit (Net of taxes and statutory reserve) on sale of investments in “Held to Maturity” classification is appropriated to Capital Reserve Account.
- 4.4 Investments classified as “Held for Trading” and “Available for Sale” are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.
- 4.5 In respect of non-performing securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.
- 4.6 Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.
- 4.7 For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve

गया है जो निम्नानुसार हैं :-

- क. सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां - परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- ख. इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर - अद्यतन तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा रु.1 प्रति कंपनी
- ग. अधिमान शेयर - परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- घ. पीएसयू बॉन्ड - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- ङ. म्यूचुअल फंड की यूनिटें - फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य एनएवी पर
- च. उद्यम पूंजी - लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी जोकि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीएसएफ) रु. 1/-

4.8 “निवेश” प्रतिभूतियों के रूप में उधार दी गई राशियों का निवल भाग है और इसमें रेपो व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार दी गई प्रतिभूतियां शामिल हैं।

4.9 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक कठोर हों का अनुपालन किया जाता है। ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

4.10 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है।

4.11 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। रेपो / रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को निवेश खाते में शेष राशि की एवज में समायोजित की गई है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चल निधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर). तदनुसार, पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खातों में लेखांकित किया जाता है तथा सारी प्रविष्टियां परिपक्वता तिथि को रिवर्स कर दी जाती हैं। यथास्थिति अनुसार लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय के हिसाब से की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत खरीदी / बिक्री की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे / जमा की जाती हैं तथा इन्हें संव्यवहार की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया जाता है। इन पर व्यय / अर्जित किया गया ब्याज को व्यय / लागत के रूप में लेखांकित किया जाता है।

4.12 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर

Bank of India, which are as under :-

- a Government / Approved securities - On Yield to Maturity basis.
- b Equity Shares, PSU and Trustee shares - At book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
- c Preference Shares - On Yield to Maturity basis.
- d PSU Bonds - On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
- e Units of Mutual Funds - At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
- f Venture Capital - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.

4.8 Investments are net of securities lent and include securities borrowed under repo arrangements.

4.9 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

4.10 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.11 Repo / Reverse Repo

The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold / purchased under Repo / Reverse Repo are treated as outright sales / purchases and accounted for in the Repo / Reverse Repo Accounts and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/ sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/ earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.

4.12 Derivatives

The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign

स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स ठीक-ठीक आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्क डू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। किसी भी प्रकार का लाभ दर्ज नहीं होता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वेप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि, समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

5. ब्याज दर स्वैप

- 5.1 हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वैप कारोबारों को उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है तथा व्यापार के लिए लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पाक्षिक अंतरालों पर मार्केट मूल्य पर अंकित किया गया है।
- 5.2 मूल्यांकन के लिए, स्वैप की वास्तविक मूल्य की उस राशि पर गणना की जाती है जो तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के लेनदेन के समाप्त होने पर प्राप्त या देय होंगे, कुल होने वाली हानियों, यदि कोई है, की समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

6. अग्रिम

- 6.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों अथवा मेजबान देश जिसमें अग्रिम दिया गया है, जहां कही लागू हो, के स्थानीय नियमों में से जो अधिक कठोर हों, के अनुरूप किया गया है।
- 6.2 अग्रिम राशि, उच्चत ख़ाते के ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा ख़ातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त क्लेम और गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान के बाद की राशि है।
- 6.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित ख़ातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान को "अन्य देयतायें" शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 6.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/जांच कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबी वी) (अर्थात बही मूल्य घटाएं धारित प्रावधान) से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है। अपितु इसका उपयोग दूसरी गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप कमी / घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है।

Currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

5. Interest Rate Swaps:

- 5.1 The interest rate swap transactions for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market at fortnightly intervals in line with the Reserve Bank of India guidelines.
- 5.2 For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising therefrom, if any are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

6. Advances:

- 6.1 Advances of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made.
- 6.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.
- 6.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision is made for the sacrifice of interest measured in present value terms as per Reserve Bank of India guidelines. The said provision is included under the head 'Other Liabilities'.
- 6.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall /loss on account of Sale of other non-performing financial assets.

7. अचल आस्तियां

- 7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर ली गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई राशि पर मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया जाता है।
- 7.2 "परिसर" में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

8. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

9. राजस्व का निर्धारण :

- 9.1 जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया जाता है।
- 9.2 गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है।
- 9.3 शुल्कों के माध्यम से प्राप्त आय सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, विनिमय, दलाली, खरीदे गये बिलों पर बट्टा तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।

10. कर्मचारी लाभ :

- 10.1 भविष्य निधि खाते में किए गए योगदान को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- 10.2 ग्रेच्युटि और पेंशन देयता के लिए प्रावधान बीमार्किक आधार पर किया जाता है और अनुमोदित ग्रेच्युटि एवं पेंशन निधि में जमा किया जाता है। सेवा-निवृत्ति अथवा अन्यथा पर देय संचित छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान लेखांकन मानक 15 के अनुपालन स्वरूप वर्ष की समाप्ति पर बीमार्किक आधार पर किया जाता है।

11. मूल्यहास :

- 11.1 भारत में, कम्प्यूटर तथा एटीएम को छोड़कर, अचल आस्तियों पर मूल्यहास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।
- 11.2 कंप्यूटरों को छोड़कर भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास मेजबान देश की मौजूदा पद्धति एवं स्थानीय कानूनों के अनुसार प्रदान किया गया है।
- 11.3 कम्प्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर साफ्टवेयर जोकि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।
- 11.4 एटीएम पर मूल्यहास 20% की दर से स्टेट लाइन विधि से प्रदान किया जाता है।
- 11.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। जब

7. Fixed Assets:

- 7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except those premises, which have been re-valued. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 7.2 Premises include building under construction and land.

8. Reserves and Surplus:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves are created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

9. Revenue Recognition:

- 9.1 Income / expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 9.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of RBI guidelines.
- 9.3 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage and interest on Overdue Bills, Advance Bills and Interest earned on Tax refunds are accounted for on realisation basis.

10. Employees Benefits:

- 10.1 Contribution to the Provident Fund is charged to Profit & Loss Account.
- 10.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made on actuarial valuation at the year end, in compliance with Accounting Standard 15.

11. Depreciation:

- 11.1 Depreciation on Fixed Assets in India except Computers and ATMs, is provided under the written down value basis, at the rates prescribed in Schedule-XIV of the Companies Act, 1956.
- 11.2 Depreciation on Fixed Assets outside India except Computers is provided as per local laws or prevailing practices of the respective countries.
- 11.3 Depreciation on Computers is provided on Straight-Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of Reserve Bank of India. Computer software not forming an integral part of hardware is depreciated fully during the year of purchase.
- 11.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20%.
- 11.5 While depreciation on additions is provided for full year,

कि बेचे गए/निस्तारित किए गए वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11.6 पट्टा भूमि का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।

12 आस्तियों की हानि :

अचल आस्तियों पर हानि, यदि कोई हो (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है और लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

13 आय पर कर :

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, फ्रिज बेनिफिट कर और आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर के लिए प्रावधान को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती हैं और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं पर विवेकपूर्ण नीति के अध्यधीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

आयकर के लिए प्रावधान आस्थगत करों के समायोजन के बाद सम्बद्ध देश की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

14 प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित इक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है।

15 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में हिसाब में नहीं लिया गया है, क्योंकि इस तरह की आय की वसूली कभी भी संभव नहीं हो सकती है।

no depreciation is provided in the year of sale / disposal.

11.6 Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

12. Impairment of Assets:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India and charged off to Profit and Loss Account.

13. Taxes on Income:

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

Provision for income tax is made in accordance with statutory requirements of the respective countries after adjustment for deferred taxes.

14. Earnings Per Share:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 ("Earnings Per Share") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29 ("Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट

Schedule-19 - Notes on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2010

1. समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में बैंक (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगी इकाइयों/संयुक्त उपक्रमों के परिणाम शामिल हैं.

1.1 अनुषंगियों के नाम देश, जहां विद्यमान है 31.3.10 को स्वामित्व का अनुपात

1.1.1 देशीय अनुषंगियां

क) बैंकिंग

1) नैनीताल बैंक लि. भारत 98.39%

ख) गैर बैंकिंग

i) बॉब कैपिटल मार्केट लि. भारत 100.00%

ii) बॉब कार्ड्स लि. भारत 100.00%

1.1.2 विदेशी अनुषंगियां :

क) बैंकिंग

i) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. बोत्सवाना 100.00%

ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि. केन्या 86.70%

iii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. यूगांडा 80.00%

iv) बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आइएनसी गुयाना 100.00%

v) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. तंजानिया 100.00%

vi) बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनीदाद एवं टोबेगो लिमिटेड त्रिनीदाद एवं टोबेगो 100.00%

vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. घाना 100.00%

ख) गैर बैंकिंग

i) बॉब (यू के) लि. युनाइटेड किंगडम 100.00%

ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. न्यूजीलैंड 100.00%

1.2 सहयोगी इकाइयां :

समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/Associates/Joint Ventures:

1.1 Subsidiaries Country of Incorporation Proportion of Ownership as on 31.03.10

1.1.1 Domestic Subsidiaries

a) Banking:

i) The Nainital Bank Ltd. India 98.39%

b) Non Banking:

i) BOB Capital Markets Ltd. India 100.00%

ii) BOB Cards Ltd. India 100.00%

1.1.2 Overseas Subsidiaries:

a) Banking:

i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. Botswana 100.00%

ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd. Kenya 86.70%

iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd. Uganda 80.00%

iv) Bank of Baroda (Guyana) Inc. Guyana 100.00%

v) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd Tanzania 100.00%

vi) Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd. Trinidad & Tobago 100.00%

vii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. Ghana 100.00%

b) Non Banking:

i) BOB (UK) Ltd. United Kingdom 100.00%

ii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. New Zealand 100.00%

1.2 Associates:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

नाम	Name	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%)
(क) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	(a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया /Zambia	20%
(ख) बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेन्ट कंपनी लि.	(b) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.	भारत/India	49%
(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:-	(c) Regional Rural Banks:-		
i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	भारत/India	35%
ii) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ii) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	भारत/India	35%
iii) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	iii) Baroda Rajasthan Gramin Bank	भारत/India	35%
iv) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	iv) Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत/India	35%
v) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	v) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank	भारत/India	35%

1.3 संयुक्त उपक्रम

	नाम / Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा Parents's Ownership Interest
क)	इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	भारत	44%
a)	IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	India	

1.3 Joint Ventures:

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण :

क्र. सं	विवरण	Sr. No.	Particulars	(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)	
				31.03.2010 को As at 31.03.2010	31.03.2009 को As at 31.03.2009
(क)	सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	141.39	453.15
(ख)	उपरोक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	-	184.12
(ग)	उपरोक्त (क) में अधिग्रहण पर आरक्षित पूंजी	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	25.27	25.27
(घ)	पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि और एफसी संव्यवहार आरक्षित निधि के खातों में परिवर्धन	d.	Additions on account of revaluation reserve & FC translation reserve	3.79	2.22
(ङ)	अधिग्रहण उपरान्त गुड विल/आरक्षित पूंजी के लाभ (शुद्ध) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/Capital Reserve	162.83	161.29
(च)	31 मार्च को निवेश (क-ख-ग + घ + ङ)	f.	Investment as at 31 st March (a -b-c+d+e)	282.74	407.27
(छ)	भारत में निवेश	g.	Investment in India	247.91	376.42
(ज)	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	34.83	30.85
(झ)	कुल (ङ + च)	i.	Total (g + h)	282.74	407.27

2. Particulars of the Investment in Associates:

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां :

- 3.1 अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. को छोड़कर उसी रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार तैयार की गई हैं जिस तारीख को (अर्थात् 31 मार्च, 2010) मूल संस्था की विवरणी तैयार की गई है. उक्त अनुषंगियों की विवरणियां 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुरूप तैयार की गई हैं. प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी, 2010 से 31 मार्च, 2010 के बीच अपेक्षित समायोजनों हेतु कोई उल्लेखनीय संव्यवहार नहीं हुआ है.
- 3.2 समेकित वित्तीय विवरणी वर्ष 2009-10 में बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, बड़ौदा कैपिटल मार्केट (यूगांडा) लि. का भी समावेश है जो कि बैंक की अनुषंगी है.
- 3.3 बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं.लि. की अचल आस्तियों और मूल्यहास सॉफ्टवेयर के परिशोधन की लेखांकन नीतियां बैंक (मूल संस्था) से भिन्न हैं. इसके प्रभाव के प्रमाण का उल्लेख समेकित वित्तीय विवरण में नहीं दिया गया है. क्योंकि इसका पता नहीं लगाया जा सकता.
- 3.4 बैंक के वर्ष 2009-10 के सीएफएस में अनुषंगियों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा बोत्सवाना लि. और बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनीदाद एवं टोबेगो) लि. एवं इण्डो जाम्बिया बैंक लि. तथा संयुक्त उपक्रम इण्डियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. के अलेखापरिहित वित्तीय विवरणों का भी समावेश है.

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

- 3.1 The financial statements of the subsidiaries and associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2010 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd., Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., which have been drawn up to 31st December 2009. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January 2010 to 31st March 2010 requiring adjustment therein.
- 3.2 CFS for the year 2009-10 also includes audited accounts of Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd, a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (Uganda) Ltd, which is a subsidiary of parent.
- 3.3 The accounting policies of Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. on Investments and Provision for Depreciation on Fixed Assets are different from the Parent. Impact of the same is not given in the Consolidated Financial Statement, as the same is not ascertainable.
- 3.4 CFS for the year 2009-10 of the group also includes unaudited financial statements of subsidiaries viz Bank of Baroda (New Zealand) Ltd., Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd., and that of Joint venture IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

- 3.5 वर्ष के दौरान बैंक ने यूटीआई आस्ति-प्रबन्धन कं.लि. तथा यूटीआई न्यासी कं.प्रा.लि. की 6.5% हिस्सेदारी बेच दी, फलस्वरूप दोनों कम्पनियों में बैंक की हिस्सेदारी कम हो कर 18.5% रह गई। तदनुसार इन कम्पनियों की सहयोगी इकाइयों के रूप में मान्यता समाप्त हो गई।
4. 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अध्यधीन है :
- 1) बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.
 - 2) बॉब कार्ड्स लि.
5. मूल संस्था (बैंक) एवं अनुषंगी इकाइयों की बहियों का मिलान एवं समाधान:
- 5.1 कुछ शाखाओं / कार्यालयों में नियंत्रण खाते का सब्सिडियरी लेजर / रजिस्ट्रों के साथ बैलेसिंग /समाधान का कार्य प्रगति पर है.
 - 5.2 'ग्रुप इंटर-से' अनुषंगियों के खाते और अंतः कार्यालय समायोजन में शामिल खाते के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के समाधान का कार्य प्रगति पर है.
 - 5.3 बैंकों के साथ नोस्ट्रो, ड्राफ्ट्स /टीटी देय, सस्पेंस, लाभांश खाते/लाभांश/ ब्याज/रिफंड ऑर्डर प्रदत्त /देय आदि खातों के समाधान का कार्य प्रगति पर है.
समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर उपरोक्त का प्रभाव, यदि कोई है जो यद्यपि गणना योग्य नहीं है, का प्रभाव प्रबंधन की राय में, महत्वपूर्ण नहीं होगा.
6. पूंजीगत प्रारक्षित निधि
- 6.1 पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं /औद्योगिक निर्यातों परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं.
 - 6.2 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल संस्था (बैंक) ने अपनी एक विदेशी अचल परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन रुपये 3.10 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.59 करोड़) किया है. पुनर्मूल्यांकित राशि प्रारक्षित एवं अधिशेष के भाग के रूप में अचल परिसम्पत्तियों में जोड़ कर आरक्षित पूंजी के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते दर्शायी गयी है.
7. करों के लिए प्रावधान
- 7.1 आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के नियमों को ध्यान में रखते हुए तथा परामर्शदाता के परामर्श से किया गया है.
 - 7.2 अन्य आस्तियों के अन्तर्गत दर्शायी गई अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती राशि रु.1318.97 करोड़ में बैंक की रु.1293.49 करोड़ की राशि शामिल है. इस राशि में विभाग द्वारा समायोजित बैंक द्वारा प्रदत्त विवादित कर मांग राशि समाहित है. इन मांगों के सम्बंध में किसी प्रकार
- 3.5 During the year Bank has sold 6.5% stake in UTI AMC Ltd. and UTI Trustee Co Pvt Ltd resulting, there by Bank's stake has reduced to 18.5% in both the companies. Accordingly these companies have been derecognized as associates.
4. The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31.3.2010 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956:
- 1) BOB Capital Markets Ltd.
 - 2) BOB Cards Ltd.
5. Balancing of Books & Reconciliation of Parent and it's subsidiaries:
- 5.1 Balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers / registers, is in progress in certain branches / offices.
 - 5.2 Reconciliation of outstanding entries in subsidiaries' accounts in the group inter-se and in various heads of accounts included in Inter Office Adjustments is in progress.
 - 5.3 Reconciliation of accounts with banks, Nostro, Drafts / TTs Payable, Suspense, Dividend / Interest / Refund Orders paid / payable etc., is in progress.
The impact of the above, if any, on the Profit & Loss and Balance Sheet of Consolidated Financial Statements though not quantified, in the opinion of the management, will not be material.
6. Capital Reserves
- 6.1 Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.
 - 6.2 During the current financial year, the Parent has revalued one foreign immovable property by an amount of Rs. 3.10 Crores (previous year Rs. 0.59 crores). The amount of revaluation has been shown as an addition to Fixed Assets and credited to Revaluation Reserve Account under Capital Reserves as part of Reserves and Surplus.
7. Provisions for Taxes
- 7.1 Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advice of consultant.
 - 7.2 Tax paid in advance / tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to Rs.1318.97 Crores, includes Rs.1293.49 Crores of the parent representing amounts adjusted by the department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary

के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। चूंकि बैंक की राय में परामर्शदाताओं की सलाह तथा / और न्यायिक निर्णयों, कर निर्धारण अधिकारी की अस्वीकृतियां / परिवर्धन टिप्पणियां स्थायी नहीं हैं।

8. वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा किसी भी जब्त इक्विटी शेयर को रद्द कर (पिछले वर्ष 100 इक्विटी शेयर) वार्षिक लेखे में नहीं लिया गया।
9. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान 320.00 करोड़ रुपये के टीयर II बांड पुनः शोधित किए गए तथा 900.00 करोड़ रुपये के टीयर I बांड और 1000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 1800.20 करोड़) के टीयर II बांड राशि जुटाई गई।
10. मूल संस्था (बैंक) की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत में परिसर शीर्ष के अंतर्गत कुल रु.1768.34 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1766.66 करोड़) पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है। शुद्ध अवमूल्यन के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि रु.1321.75 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1448.34 करोड़) है।

11. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण

लाभ हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	Particulars	(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)	
		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बड़ेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	934.74	324.33
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सेक्रीफाइज हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	54.77	69.23
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-	-
करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision for taxes (including deferred Taxes)	1236.09	1164.23
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	-380.91	535.71
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	106.81	77.11
कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	15.00	15.00
अन्य	Others	78.88	-3.66
कुल	Total	2045.38	2181.95

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए एस-17)

लेखा मानक - 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण

भाग क : प्राथमिक सेगमेंट

12. Segment Reporting (AS – 17):

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting

Part A: Primary Segments

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

बिजनेस सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
राजस्व	Revenue	4695.35	4517.37	7354.94	5276.81	5136.75	5558.97	3013.08	3039.77	20200.12	18392.92
परिणाम	Result	1080.59	1045.96	1595.28	855.03	806.63	1431.53	2856.10	1933.15	6338.60	5265.67
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									1923.21	1717.36

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

बिजनेस सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									4415.39	3548.31
आयकर	Income taxes									1236.09	1164.23
विशिष्ट लाभ / हानि	Extra-ordinary Profit/loss									---	---
शुद्ध लाभ	Net Profit									3179.30	2384.08
अन्य सूचना	Other Information		----		----		----		----		----
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	70849.94	62603.80	87499.37	57139.64	46280.92	50559.90	77273.96	58356.85	281904.19	228660.19
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									2368.39	2916.52
कुल आस्तियां	Total Assets									284272.58	231576.71
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	66925.27	59029.19	82751.72	54187.30	43780.75	47971.45	73240.50	55360.76	266698.24	216548.70
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									17574.34	15028.01
कुल देयताएं	Total Liabilities									284272.58	231576.71

भाग-ख - गौण सेगमेंट / Part B : Secondary Segments

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन Domestic Operations		अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल / Total	
		2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
राजस्व	Revenue	17370.11	15710.24	2830.00	2682.68	20200.12	18392.92
आस्तियां	Assets	212555.61	178178.54	71716.97	53398.17	284272.58	231576.71

टिप्पणी :

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार लेखांकन मानकों के अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
- 1क. बैंकिंग तथा अन्य परिचालनों में अन्य बैंकिंग परिचालन तथा गैर बैंकिंग परिचालन शामिल है।
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक द्वारा अपनाई गई अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को प्रयोग में लाया गया है।

Notes:

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and Banking & Other Operations as Primary business segments and Domestic and International as secondary / Geographic segments.
- 1.a. Banking & Other operations includes other banking operations and non-banking operations
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the Parent has been used.

13. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)

13. Related Party Disclosures (AS-18)

क्र. सं. S. No	नाम / Name	पदनाम / Designation	पारिश्रमिक / Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year रु. Rs.	विगत वर्ष Previous Year रु. Rs.
1	श्री एम.डी.मल्या Shri M.D.Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	* 23,30,494	6,07,401
2	श्री वी. सन्तानरामन Shri V.Santhanaraman	पूर्व-कार्यकारी निदेशक (31.08.2009 तक) Ex-Executive Director (Up to 31.08.2009)	* 18,74,019	6,12,977
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	* 13,93,184	2,44,827
4	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N.S.Srinath	कार्यकारी निदेशक (07.12.2009 से) Executive Director (w.e.f. 07.12.2009)	3,20,093	-

* इस राशि में छोटे वेतन आयोग के अनुरूप एरियर राशि तथा प्रोत्साहन राशि शामिल है।

* Amount includes arrears on account of VI pay commission and incentives.

14. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

14. Earnings per Share (AS-20)

			चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i.	इक्विटी शेयर धारक हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	Net Profit after tax available for Equity shareholders (Rs. in crores)	3179.30	2384.08
ii.	इक्विटी शेयरों की संख्या	Number of Equity Shares	364266500	364266500
iii.	प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन रु.10 प्रत्येक के	Basic and diluted earnings per share of Rs.10/- each (Rs.)	87.28	65.45
iv.	प्रति इक्विटी अंकित शेयर मूल्य	Nominal Value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

15. आय पर कर की गणना (एस-22)

15. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस 22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गईं।

The Parent and its subsidiaries have complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized.

(रु. करोड़ों में / Rs. in crores)

विवरण	Particulars	31.03.2010		31.03.2009	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	0.16	30.67	0.19	51.33
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	-	234.47	-	74.78
अन्य	Others	1.44	0.21	2.10	0.36
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	0.06	-	51.01	-
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	11.32	-	16.86	-
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment	158.95	-	100.92	-
जोड़	Total:	171.93	265.35	171.08	126.47
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	Net Deferred Liability / Tax Asset	-	93.42	44.61	-

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29) से संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधानों का संचालन (अन्यों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

16. Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others) in terms of AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(रु. करोड़ में / Rs. in crores)

विवरण	Particulars	कानूनी मामले / आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies		नेगोशिएशन के तहत बकाया वेतन Salary arrears under negotiation	
		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
1 अप्रैल को शेष	Balance as on 1st April	13.48	13.49	425.00	100.00
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	0.07	-	300.00	325.00
वर्ष के दौरान खर्च राशि	Amount used during the year	8.68	0.01	-	-
31 मार्च को शेष	Balance as at 31st March	4.87	13.48	725.00	425.00
आउटफ्लो/अनसर्टेनटीज का समय	Timing of Outflow / uncertainties	निपटान क्रिस्टलीकरण पर आउटफ्लो Outflow on settlement / crystallization		निपटान क्रिस्टलीकरण पर आउटफ्लो Outflow on settlement / crystallization	

17. अतिरिक्त प्रकटीकरण :

मूल संस्था (बैंक) एवं अनुषंगियों की अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंध नहीं है, ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकट नहीं किया गया है।

17. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

18. पिछले वर्ष के आंकड़े :

समूह संस्थाओं के पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां जहां आवश्यक समझा गया, पुनः व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / पुनःसमूहीकृत किया गया है।

18. Previous Year Figures:

Previous year's figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary.

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण

Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2010

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities :		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	4415,38,61	3548,31,08
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	242,74,55	239,43,78
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	(380,73,81)	536,78,08
बूट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	989,50,98	324,07,92
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	106,80,94	77,10,73
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other items	93,88,25	80,81,70
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)	Profit/(loss) on sale of fixed assets	(8,27)	299
गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	559,31,58	466,86,88
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	(29,18,85)	(32,22,41)
उप जोड़	Sub total	5997,63,98	5241,20,75
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(9155,95,27)	(9505,60,13)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(33141,91,02)	(38039,08,97)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(increase)/Decrease in other assets	169,84,70	(230,89,33)
उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	(777,77,87)	1682,67,84
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	49342,70,88	41313,36,11
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	261,67,48	2194,96,32
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1554,68,81)	(1377,89,57)
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	11141,54,07	1278,73,02
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(366,62,70)	(221,78,78)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	43,05,14	42,04,55
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/others	29,18,85	32,22,41
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash from investing activities (B)	(294,38,71)	(147,51,82)

		(000' अनंकित omitted)	
		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009
ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूंजी	Share Capital	-	-
शेयर प्रीमियम	Share premium	57,20,00	3
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	1405,37,98	1709,10,15
लाभांश	Dividend	(383,55,63)	(340,93,88)
गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त /देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds	(559,31,58)	(466,86,88)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	519,70,77	901,29,42
नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग) में शुद्ध वृद्धि	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	11366,86,13	2032,50,62
वर्ष के प्रारंभ में क्रमशः नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	25202,61,79	23170,11,17
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	36569,47,92	25202,61,79
टिप्पणी	Notes:		
1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा शामिल हैं.	Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2 नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	Components of Cash & Cash Equivalents	31/3/2010	31/3/2009
भा.रि.बैं. के साथ नकदी एवं शेष	Cash & Balance with RBI	14076,06,77	10901,20,65
बैंकों के साथ शेष तथा मांग एवं अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	22493,41,15	14301,41,14
जोड़	Total	36569,47,92	25202,61,79

बैंक ऑफ बड़ौदा की समेकित विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ('ग्रुप') के 31 मार्च, 2010 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि लेखे और उक्त तारीख को समाप्त समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की लेखा परीक्षा की है। इनमें निम्नलिखित के खाते शामिल किए गए हैं;

- हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक ऑफ बड़ौदा (द बैंक) के लेखा परीक्षित खाते,
- अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित -9- अनुषंगियों तथा -7- सहयोगी इकाइयों के लेखा परीक्षित खाते,
- 3 अनुषंगियों तथा 1 संयुक्त उपक्रम के अलेखापरीक्षित खाते

ये वित्तीय विवरणियां वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों तथा संयुक्त उपक्रमों की अलग वित्तीय विवरणियों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।

2. बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों को लेखा-मानक (एसएस)-21 - 'समेकित वित्तीय विवरणियां' और लेखा मानक (एसएस)-23 "वित्तीय विवरणी में अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन" तथा लेखा मानक (एसएस) 27 "संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

3. हमने समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों संबंधित प्रमाण और वित्तीय विवरणियों का प्रकटीकरण शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन शामिल है। इसमें समग्र वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा हमारी राय का तर्क संगत आधार है।

4. (क) हमने 12 अनुषंगियों तथा 1 संयुक्त उपक्रम की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2010 को रु.7181.64 करोड़ की कुल आस्तियां तथा समाप्त वर्ष की अवधि के लिए रु.752.42 करोड़ का कुल राजस्व तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए रु.252.95 करोड़ का नकदी प्रवाह दर्शाया गया है तथा -7- सहयोगी इकाइयों जिन्होंने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए रु.42.65 करोड़ का शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है।

To

The Board of Directors, Bank of Baroda

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of BANK OF BARODA (the "Group") as on 31st March 2010, the Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto, in which are incorporated the accounts of;

- Audited Accounts of the Bank of Baroda (The Bank), audited by us,
- Audited Accounts of -9- Subsidiaries and -7- Associates, audited by other Auditors,
- Unaudited Accounts of -3- Subsidiaries and -1- Joint Venture.

These Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries, associates & Joint ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Financial Statements based on our audit.

2. These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard (AS) 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Venture" - issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

3. We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with Generally Accepted Auditing Standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. (a) We have not audited the Financial Statements of -12- Subsidiaries and -1- Joint Venture, whose Financial Statements reflect Total Assets of Rs. 7181.64 crores as on 31st March 2010, Total Revenue of Rs. 752.42 crores and net cash flows amounting to Rs. 252.95 crores for the year ended on that date and -7- 'Associates' reflecting Net Profit of Rs 42.65 crores for the year ended on that date.

(ख) उक्त में से, 3 अनुषंगियों - बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लिमिटेड तथा -1- संयुक्त उपक्रम इण्डिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कं. लि. के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आंकड़े दिए गए हैं जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31.03.2010 को कुल आस्तियां रु. 1270.12 करोड़ का उल्लेख है. उक्त वर्ष की समाप्ति दिनांक को कुल राजस्व रु. 140.82 करोड़ तथा शुद्ध नकदी प्रवाह रु. 35.74 करोड़ था.

5. कृपया अनुसूची-19 में नोट नं.5 का संदर्भ लें जो इसमें उल्लिखित बकाया मदों के समाधान/क्लिअरेंस से उत्पन्न समायोजन के बारे में है. उपरोक्त के परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है.
6. अनुसूची-19 में प्रति शेयर अर्जन (नोट सं.14) उपरोक्त पैरा 5 में दिए गए हमारे अभिमतों के अध्वधीन है.
7. हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा-परीक्षकों की अलग वित्तीय विवरणियों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं.
 - (i) 31 मार्च 2010 को बैंक, बैंक की अनुषंगियों के कार्य व्यवहारों तथा बैंक की सहयोगी कम्पनियों / संयुक्त उपक्रमों के हितों से सम्बंधित समेकित तुलनपत्र के सम्बंध में.
 - (ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ग्रुप के लाभ सम्बन्धी समेकित लाभहानि खाते के सम्बंध में.
 - (iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ग्रुप के नकदी प्रवाह सम्बन्धी समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के सम्बंध में.

(b) Out of the above, figures have been taken on the basis of unaudited financial statements in respect of -3- Subsidiaries, namely Baroda (New Zealand) Limited, Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd. and -1- Joint Venture, namely India First Life Insurance Co. Ltd., whose financial statements reflect total assets of Rs. 1270.12 crores as on 31.03.2010, Total Revenue of Rs. 140.82 crores and net cash flow amounting to Rs. 35.74 crores for the year ended on that date.

5. Attention is drawn to the note no.5 in Schedule-19 regarding adjustments arising from reconciliation / clearance of outstanding items stated therein. The consequential effect of the same has not been ascertained.
6. Earnings per share (Note No.14) in Schedule 19 are subject to our observations in paragraph 5 above.
7. Based on our audit consideration of reports of other auditors on separate financial statements, considerations of unaudited financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us. we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates/ Joint ventures(Group) as on 31st March 2010;
 - (ii) in the case of the Consolidated Profit & Loss Account, of the consolidated Profit of the Group for the year ended on that date, and
 - (iii) in the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the group for the year ended on that date.

कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(के. जी. बंसल)
For A. Sachdev & Co.
Chartered Accountants
(K. G. Bansal)
Partner
M. No.94274

कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(सत्यभामा गुप्ता)
For Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants
(Satyabhama Gupta)
Partner
M. No.073295

कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(आदित्य कुमार)
For Ashwani & Associates
Chartered Accountants
(Aditya Kumar)
Partner
M. No. 506955

कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(वी. बी. सिंह)
For S. K. Kapoor & Co.
Chartered Accountants
(V. B. Singh)
Partner
M. No. 073124

कृते एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(एम.सी. कोडाली)
For N. C. Banerjee & Co.
Chartered Accountants
(M. C. Kodali)
Partner
M. No. 056514

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(राकेश राठी)
For Haribhakti & Co.
Chartered Accountants
(Rakesh Rathi)
Partner
M. No. 045228

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 25.05.2010

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2009-10

Report on Corporate Governance 2009-10

1. गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन :

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा. बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा. बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है. बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है. बैंक अपने सभी साझेदारों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा.

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 अर्थात् बैंककारी कम्पनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखण्ड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कम्पनी उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है.

2. निदेशक मंडल :

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है.

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है.

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2010 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2010	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	टिप्पणियां (बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री एम. डी. मल्ल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	शून्य Nil	5	9	5	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 07.05.2008 से नियुक्त. वे 30.11.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षित की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं : (i) भारतीय निर्यात आयात बैंक (ii) द न्यू इंडिया अश्युरेंस कंपनी लिमिटेड

1. Bank's Philosophy on Code of Governance:

The Bank shall continue its endeavour to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best international practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. Board of Directors:

2.1 Composition of the Board

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2010 is as under:

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2010 को धारित बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2010	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of member ship in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	टिप्पणियां (बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
							<p>(iii) कृषि वित्त निगम लिमिटेड (iv) बड़ौदा पायनियर आस्ति प्रबंधन कं.लि. (v) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. - अध्यक्ष (vi) बॉबकार्ड्स लि. (vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि. (viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. (ix) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा लि.)</p> <p>वे दि न्यू इंडिया अश्योरेंस कं. लि. की लेखा परीक्षा समिति एवं निवेश समिति के भी सदस्य हैं. साथ ही वे भारतीय निर्यात-आयात बैंक की लेखा-परीक्षा एवं प्रबंधन समिती के सदस्य हैं.</p> <p>वे निम्नलिखित गवर्निंग कॉर्पोरेशंस के भी सदस्य हैं :-</p> <p>(i) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) (iii) भारतीय बैंकिंग एवम वित्त संस्थान (iv) उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)</p> <p>Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 07.05.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post till 30.11.2012 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also Director on the Board of :</p> <p>(i) Export Import Bank of India (ii) The New India Assurance Co. Ltd. (iii) Agricultural Finance Corpn. Ltd. (iv) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (v) IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. - (Chairman) (vi) BOBCARDS Ltd. (vii) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (viii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. (ix) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.</p> <p>He is also a member in the Audit Committee, Investment Committee and Remuneration Committee of The New India Assurance Co. Ltd., and a member in the Audit Committee and Management Committee of the Board of Export-Import Bank of India.</p> <p>He is also a member of the Governing Council of :</p> <p>(i) National Institute of Bank Management (NIBM) (ii) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) (iii) Indian Institute of Banking & Finance (iv) Deputy Chairman, Indian Banks' Association (IBA)</p>

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2010 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2010	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	टिप्पणियां (बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
2	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य Nil	5	5	2	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 06.11.2008 की प्रभावी तारीख से नियुक्त. वे 31.10.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं :</p> <p>(i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि. (ii) इंडो जाम्बिया बैंक लि. (iii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कीनिया) लि. (iv) इंडिया फर्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कं. लि. (v) बॉब कैपिटल मार्केट लि.</p> <p>वे इंडो जाम्बिया बैंक लि. की ऋण समीक्षा समिति एवम् लेखा परीक्षा समिति के सदस्य भी हैं</p> <p>Appointed as a whole time director (designated as Executive Director) w.e.f. 06.11.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post up to 31.10.2012 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also a Director on the Board of :</p> <p>(i) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. (ii) Indo Zambia Bank Ltd. (iii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd. (iv) IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. (v) BOB Capital Markets Ltd.</p> <p>He is also a member of Loan Review Committee and Audit Committee of Indo Zambia Bank Ltd.</p>
3	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य Nil	5	1	शून्य Nil	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 7.12.2009 की प्रभावी तारीख से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में) नियुक्त. वे 31.5.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के माह की अन्तिम तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं :</p> <p>(i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबागो) लि.</p> <p>Appointed as a whole time director (designated as Executive Director) w.e.f. 07.12.2009 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post up to 31.05.2012 i.e. the last day of the month in which he would attain the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also a Director on the Board of :</p> <p>(i) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.</p>

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2010 को धारित बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2010	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	टिप्पणियां (बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
4	श्री अलोक निगम, आईएसएस Shri Alok Nigam, IAS	निदेशक (गैर कार्यपालक) कार्यकारी केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Central Government	शून्य Nil	5	2	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 9.12.2009 की प्रभावी तारीख से नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं : (i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) (ii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) Nominated as a Director w.e.f. 09.12.2009 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders. He is also a Director on the Board of : (i) National Housing Bank (NHB) (ii) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
5	श्री ए. सोमसुंदरम Shri A. Somasundaram	निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संस्तुत Director (Non Executive) Recommended by RBI	शून्य Nil	7	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 27.02.2007 की प्रभावी तारीख से नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे. Nominated as a Director w.e.f. 27.02.2007 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.
6	श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी Shri Milind N. Nadkarni	निदेशक (गैर कार्यपालक) वर्कमैन स्टाफ के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Workmen	100	2	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत भारत सरकार द्वारा 01.05.2007 की प्रभावी तारीख से नामित. वे तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा में कामगार कर्मचारी रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 01.05.2007 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be workmen employee of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2010 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2010	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	टिप्पणियां (बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
7	श्री रंजीत कुमार चटर्जी Shri Ranjit Kumar Chatterjee	निदेशक (गैर कार्यपालक) गैर वर्कमैन स्टाफ के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Non-Workmen	710	1	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 20.12.2007 की प्रभावी तारीख से नामित. वे तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कामगार कर्मचारी रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Nominated as Officer Employee Director w.e.f. 20.12.2007 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be officer of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.
8	डॉ. अतुल अगरवाल Dr. Atul Agarwal	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	200	4	1	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 23.11.2007 की प्रभावी तारीख से अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित. वे तीन वर्षों तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. वे मे.स्पेसटेक एडवाइजर्स (प्रा.) लि. के निदेशक मंडल के निदेशक भी हैं. वे मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना, सनदी लेखाकार कानपुर में साझेदार भी हैं. Nominated as part time non-official director w.e.f. 23.11.2007 by the Central Government u/s 9 (3) (h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier. He is also a Director on the Board of M/s Spacetechn Advisors (P) Limited. He is a partner in M/s. Agarwal & Saxena, Chartered Accountants, Kanpur.
9	डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद Dr.(Smt.) Masarrat Shahid	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य Nil	3	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत भारत सरकार द्वारा 29.10.2009 से दूसरी बार तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तथा जो भी पहले हो अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित. वे पूर्व में 15.09.2005 से 14.09.2008 तक भी इसी पद पर रही. Nominated as a part time non-official director w.e.f. 29.10.2009 by the Government of India u/s 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 for a second term of three years or until further orders, whichever is earlier. She held the same position earlier also w.e.f. 15.09.2005 to 14.09.2008.

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2010 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2010	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	टिप्पणियां (बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
10	डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी Dr. Dharmendra Bhandari	निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	600	3	3	1	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 23.12.2011 तक 3 वर्ष के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं :</p> <p>(i) मेसर्स जे.पी.मॉर्गन म्यूचुअल फंड इंडिया प्रा.लि. (ii) मेसर्स हारमोनी फार सिल्वर फाउंडेशन (iii) मेसर्स डिजिटल ब्रिज फाउंडेशन</p> <p>वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. की सदस्यता अनुमोदन समिति के भी सदस्य हैं.</p> <p>वे मे.जे.पी.मॉर्गन म्यूचुअल फंड इंडिया प्रा. लि. की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं.</p> <p>वे मे. अंजलि सुभाष एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में एक पार्टनर भी हैं.</p> <p>वे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक मंडल के निदेशक 16.11.1999 से 15.11.2002 और 16.11.2005 से 15.11.2008 तक रहे हैं.</p> <p>Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011.</p> <p>He is also a Director on the Board of:</p> <p>(i) M/s J P Morgan Mutual Fund India Pvt. Ltd. (ii) M/s Harmony For Silver Foundation (iii) M/s Digital Bridge Foundation</p> <p>He is also a member of Approval Committee of National Stock Exchange of India Limited.</p> <p>He is also a member of Audit Committee of M/s J.P. Morgan Mutual Fund India Pvt. Ltd.</p> <p>He is a Partner in M/s Anjali Subhash Associates, Chartered Accountants.</p> <p>He has held the position of a Director of the Bank elected by Shareholders other than Central Government w.e.f. 16.11.1999 to 15.11.2002 and w.e.f.16.11.2005 to 15.11.2008.</p>
11	डॉ. दीपक बी. फाटक Dr. Deepak B. Phatak	निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित	100	1	1	2	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 23.12.2011 तक 3 वर्ष के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित.</p> <p>वे एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं.</p> <p>वे मे.एचडीएफसी आस्ति प्रबंधन कं.लि. की ग्राहक सेवा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं.</p>

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2010 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2010	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	टिप्पणियां (बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
		Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government					<p>वे निम्नलिखित गवर्निंग कौंसिल के भी सदस्य हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) नेशनल इन्स्योरेंस अकादमी (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) (iii) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) <p>वे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित होने पर बैंक 16.11.2005 से 15.11.2008 तक बैंक के निदेशक रहे हैं.</p> <p>Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 ((3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011.</p> <p>He is also a Director on the Board of M/s HDFC Asset Management Co. Ltd.</p> <p>He is also a member of Customer Service Committee and Risk Management Committee of M/s HDFC Asset Management Co. Ltd.</p> <p>He is also a member of Governing Council of:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) National Insurance Academy (ii) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) (iii) National Institute of Bank Management (NIBM) <p>He also held the position of a Director of the Bank elected by Shareholders other than Central Government w.e.f. 16.11.2005 to 15.11.2008.</p>
12	श्री मौलिन ए. वैष्णव Shri Maulin A. Vaishnav	निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	125	3	शून्य Nil	शून्य Nil	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 23.12.2011 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित.</p> <p>निर्वाचित होने से पहले, वे बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए गए और त्याग-पत्र देने के कारण 28.11.2008 से निदेशक नहीं रहे.</p> <p>Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011.</p> <p>Prior to his election, he was holding the position as a Director nominated by the Central Government under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, which he ceased to hold w.e.f. 28.11.2008 consequent upon his resignation.</p>

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति :

श्री एन.एस.श्रीनाथ को बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा (9) (3) ए के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 7 दिसम्बर, 2009 से 31 मई, 2012 तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित किया गया. उन्हें श्री वी सन्तानरामन की 31 अगस्त, 2009 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात बैंक के निदेशक के रूप में कार्यसमाप्ति के पश्चात् नियुक्त किया गया.

श्री आलोक निगम, आईएएस को 9 दिसम्बर 2009 को बैंक कारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा (9)(3) बी के तहत केन्द्र सरकार द्वारा श्री अमिताभ वर्मा, आईएएस के स्थान पर जो कि श्री निगम के निदेशक के रूप में नामित होने के बाद निदेशक नहीं रहे केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि, निदेशक के रूप में नामित किया गया. श्री निगम केन्द्र सरकार के आगामी आदेशों तक इस पद पर बने रहेंगे.

डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद को 29 अक्टूबर 2009 को बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 29 अक्टूबर, 2009 से 28 अक्टूबर, 2012 तक अंश कालिक अशासकीय निदेशक के रूप में दूसरी बार तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस पद पर नामित किया गया है.

श्री अमरजीत चोपड़ा, जिन्हे बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) जी के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2006 को तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नामित किया गया था. नियुक्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात 12 अक्टूबर, 2009 से अब बैंक के निदेशक नहीं रहे हैं.

2.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान निदेशक मंडल की 15 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 की धारा-12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है.

27.04.2009	28.04.2009	26.05.2009	02.07.2009	20.07.2009
27.07.2009	28.08.2009	29.09.2009	27.10.2009	28.10.2009
24.11.2009	06.01.2010	27.01.2010	05.03.2010	19.03.2010

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है :

2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year :

Shri N. S. Srinath, was appointed by the Central Government as whole time Director, designated as Executive Director on 07th December 2009, under section 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the position till 31st May, 2012 or until further orders, whichever is earlier. He was appointed consequent upon Shri V. Santhanaraman, ceasing to be a Director on his attaining superannuation on 31st August 2009.

Shri Alok Nigam, IAS was nominated by the Central Government as a Director on 09th December 2009 under section 9(3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing the Central Government vice Shri Amitabh Verma, IAS who ceased to be a Director on the nomination of Shri Nigam. Shri Nigam shall hold office until further orders from the Central Government.

Dr. (Smt.) Masarrat Shahid was nominated by the Central Government, as a part time non-official Director on 29th October, 2009 under section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Dr. Shahid was nominated for a second term of three years from 29th October, 2009 to 28th October 2012 or until further orders, whichever is earlier.

Shri Amarjit Chopra, who was nominated as Director for a period of three years on 13th October 2006, by the Central Government under section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be a Director on 12th October 2009, on the expiry of his term of appointment.

2.3 Board Meetings:

During the Financial Year 2009-10, total 15 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
डॉ. एम. डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2009 to 31.03.2010	15	15
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2009 to 31.08.2009	7	7
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2009 to 31.03.2010	15	15

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	07.12.2009 to 31.03.2010	4	4
श्री अमिताभ वर्मा	Shri Amitabh Verma	01.04.2009 to 08.12.2009	11	2
श्री अलोक निगम	Shri Alok Nigam	09.12.2009 to 31.03.2010	4	3
श्री ए. सोमसुंदरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2009 to 31.03.2010	15	14
श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	01.04.2009 to 31.03.2010	15	13
श्री रंजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	01.04.2009 to 31.03.2010	15	15
श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.04.2009 to 12.10.2009	8	6
डॉ. अतुल अगरवाल	Dr. Atul Agarwal	01.04.2009 to 31.03.2010	15	12
डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	29.10.2009 to 31.03.2010	5	4
डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	01.04.2009 to 31.03.2010	15	11
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	01.04.2009 to 31.03.2010	15	10
श्री. मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	01.04.2009 to 31.03.2010	15	14

2.4 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अर्थात् कोर प्रबंधन टीम, जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार की खण्ड 49 की अनुपालना में, आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी देखी जा सकती है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. वार्षिक सामान्य बैठक:

शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक वड़ोदरा में दि. 2 जुलाई, 2009 को हुई थी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1	श्री एम. डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Chairman and Managing Director
2	श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	कार्यकारी निदेशक	Executive Director
3	श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक	Executive Director
4	श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	निदेशक	Director
5	श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	निदेशक (कामगार)	Director (Workmen)
6	श्री रंजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	निदेशक (गैर कामगार)	Director (Non-workmen)
7	श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	निदेशक (अध्यक्ष - एसीबी)	Director (Chairman-ACB)
8	डॉ. अतुल अगरवाल	Dr. Atul Agarwal	निदेशक	Director
9	श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	निदेशक (अध्यक्ष - शेयर धारक / निवेशक शिकायत समाधान समिति)	Director - Representing Shareholders, other than Central Government

4. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति:

बैंक के निदेशक मंडल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशा- निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

2.4 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.bankofbaroda.com. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the Code. .

3 Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Thursday, 2nd July, 2009 at Vadodara, where the following Directors were present.

4. Committee of Directors / Executives:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India/SEBI/Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
- शेयर अंतरण समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- निदेशकों की समिति
- बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खंड -13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (गण) और धारा 9(3)सी एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तर्गण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31.03.2010 को समिति की संरचना इस प्रकार है।

- (i) श्री एम.डी. मल्ल्या
- (ii) श्री राजीव कुमार बक्षी
- (iii) श्री एन. एस. श्रीनाथ
- (iv) श्री ए. सोमसुन्दरम
- (v) श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
- (vi) डॉ. अतुल अग्रवाल
- (vii) डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) की निम्नांकित तारीखों को 25 बैठकें आयोजित हुईं।

16.04.2009	28.04.2009	26.05.2009	06.06.2009	22.06.2009	02.07.2009
18.07.2009	07.08.2009	20.08.2009	28.08.2009	11.09.2009	29.09.2009
12.10.2009	27.10.2009	13.11.2009	24.11.2009	04.12.2009	23.12.2009
05.01.2010	21.01.2010	05.02.2010	19.02.2010	04.03.2010	18.03.2010
25.03.2010					

- Management Committee of the Board
- Audit Committee of Board (ACB)
- Shareholders' / Investors' Grievances Committee
- Share Transfer Committee
- Asset Liability Management & Risk Management Committee
- Customer Service Committees
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Committee of Directors
- Committee on High Value Frauds

4.1 Management Committee of the Board :

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The composition of the committee as on 31st March 2010 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Rajiv Kumar Bakshi
- (iii) Shri N. S. Srinath
- (iv) Shri A. Somasundaram
- (v) Shri Milind N. Nadkarni
- (vi) Dr. Atul Agarwal
- (vii) Dr. (Smt.) Masarrat Shahid

During the Financial Year 2009-10, the Management Committee of the Board (MCB) met on 25 occasions on the following dates:

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
डॉ. एम. डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2009 to 31.03.2010	25	25
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2009 to 31.08.2009	10	10
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2009 to 31.03.2010	25	24
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	07.12.2009 to 31.03.2010	8	8
श्री ए. सोमसुंदरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2009 to 31.03.2010	25	24
श्री रंजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	29.07.2009 to 28.01.2010	13	11
श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.04.2009 to 12.10.2009	13	11
डॉ. अतुल अगरवाल	Dr. Atul Agarwal	01.04.2009 to 28.07.2009	7	6
-वही-	-do-	24.11..2009 to 31.03.2010	10	10
डॉ.(श्रीमती) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	29.01.2010 to 31.03.2010	5	5
डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	29.07.2009 to 28.01.2010	13	9
श्री. मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	16.05.2009 to 15.11.2009	13	11
श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	01.04.2009 to 13.05.2009	2	2
-वही-	-do-	16.11.2009 to 31.03.2010	10	9
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	01.04.2009 to 28.07.2009	7	2

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति:(एसीबी)

बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा- निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 6 निदेशक हैं. एक गैर कार्यकारी निदेशक, जो कि सनदी लेखाकार हैं, समिति के अध्यक्ष हैं.

31.03.2010 को समिति की संरचना इस प्रकार है.

(i) डॉ. अतुल अगरवाल	अध्यक्ष
(ii) श्री राजीव कुमार बक्षी	सदस्य
(iii) श्री एन. एस. श्रीनाथ	सदस्य
(iv) श्री आलोक निगम	सदस्य
(v) श्री ए.सोमसुन्दरम	सदस्य
(vi) श्री मौलिन ए. वैष्णव	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान एसीबी में निम्नलिखित निदेशक उनके समक्ष उल्लिखित तारीखों से सदस्य नहीं रहे.

(i) श्री वी. सन्तानरामन	31.08.2009
(ii) श्री अमरजीत चोपड़ा	12.10.2009
(iii) श्री अमिताभ वर्मा	09.12.2009

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising Six Directors. A Non-Executive Director who is a Chartered Accountant is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2010 is as under:

(i) Dr Atul Agarwal	Chairman
(ii) Shri Rajiv Kumar Bakshi	Member
(iii) Shri N. S. Srinath	Member
(iv) Shri Alok Nigam	Member
(v) Shri A. Somasundaram	Member
(vi) Shri Maulin A. Vaishnav	Member

The following Directors ceased to be members of ACB during the Financial Year 2009-10 on the dates shown against their respective names:

(i) Shri V. Santhanaraman	31.08.2009
(ii) Shri Amarjit Chopra	12.10.2009
(iii) Shri Amitabh Verma	09.12.2009

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड की एसीबी की 12 बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं.

During the Financial Year 2009-10, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 12 occasions on the dates given below:

16.04.2009	27.04.2009	26.05.2009	06.06.2009	27.07.2009	07.08.2009
11.09.2009	28.10.2009	13.11.2009	24.11.2009	27.01.2010	05.03.2010

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.04.2009 to 12.10.2009	7	7
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2009 to 31.08.2009	6	6
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2009 to 31.03.2010	12	11
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	07.12.2009 to 31.03.2010	2	2
श्री अमिताभ वर्मा	Shri Amitabh Verma	01.04.2009 to 09.12.2009	10	3
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	09.12.2009 to 31.03.2010	2	1
श्री ए. सोमसुंदरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2009 to 31.03.2010	12	11
डॉ. अतुल अगरवाल	Dr Atul Agarwal	01.04.2009 to 31.03.2010	12	11
श्री. मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A . Vaishnav	28.10.2009 to 31.03.2010	5	5

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं. यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा- निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक /बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/ निरीक्षकों के साथ विचार- विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों के अंतिम रूप देने से पूर्व केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है. यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत निवारण समिति:

बैंक ने शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है.

4.3 Shareholders' / Investors' Grievances Committee:

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

इस समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं:

- (i) कार्यकारी निदेशकगण एवं
- (ii) चार अन्य गैर कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य और एक गैर - कार्यकारी निदेशक इसके अध्यक्ष हैं.

31.3.2010 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i)	श्री मौलिन ए. वैष्णव	अध्यक्ष
(ii)	श्री राजीव कुमार बक्षी	सदस्य
(ii)	श्री एन. एस. श्रीनाथ	सदस्य
(iv)	श्री मिलिंद नाडकर्णी	सदस्य
(v)	श्री रंजीत कुमार चटर्जी	सदस्य
(vi)	डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर 04 बैठकें आयोजित की गईं :

26.05.2009	29.08.2009	05.12.2009	05.03.2010
------------	------------	------------	------------

समिति की उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री मौलिन ए. वैष्णव (समिति के अध्यक्ष)	Shri Maulin A. Vaishnav Chairman of the Committee	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2009 to 31.08.2009	2	2
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	07.12.2009 to 31.03.2010	1	1
श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
श्री रंजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	01.04.2009 to 31.03.2010	4	3

समिति यह सुनिश्चित करती है कि अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति-तारीख से एक माह के भीतर सभी प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है.

01.04.2009 को बकाया Pending as on 01.04.2009	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year	31.03.2010 को बकाया Pending as on 31.03.2010
13	8786	8775	24

The Committee includes following members:

- (i) Executive Director (s) and
- (ii) Four Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The composition of the Committee as on 31st March 2010 is as under:

(i)	Shri Maulin A . Vaishnav	Chairman
(ii)	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Member
(iii)	Shri N. S. Srinath	Member
(iv)	Shri Milind N. Nadkarni	Member
(v)	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	Member
(vi)	Dr. Dharmendra Bhandari	Member

The Committee met four times during the Financial Year 2009-10 on the following dates:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

The Committee ensures that all share certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

वर्ष के दौरान बकाया सभी आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित अनुरोध पत्र थे तथा इनके संबंध में अपेक्षित प्रक्रिया/कार्रवाई की जा रही है।

श्री एम.एल. जैन, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.4 शेयर अंतरण समिति :

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण से संबंधित समिति के अतिरिक्त, बैंक ने कार्यपालकों की एक शेयर अंतरण समिति गठित की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, 2 महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक (विधि) इसके सदस्य हैं। 15 दिन में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होती है जिसका प्रयोजन शेयरों/बॉन्डों के अंतरण की प्रक्रिया को तेज करना होता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की 37 बैठकें हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :

15.04.2009	21.04.2009	06.05.2009	08.05.2009	26.05.2009	03.06.2009
06.06.2009	22.06.2009	27.06.2009	29.06.2009	15.07.2009	25.07.2009
30.07.2009	08.08.2009	12.08.2009	25.08.2009	04.09.2009	22.09.2009
25.09.2009	15.10.2009	31.10.2009	09.11.2009	16.11.2009	23.11.2009
01.12.2009	12.12.2009	21.12.2009	04.01.2010	15.01.2010	28.01.2010
10.02.2010	16.02.2010	18.02.2010	03.03.2010	12.03.2010	19.03.2010
31.03.2010					

4.5 आस्ति देयता प्रबंधन समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जो "आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की उपसमिति" के रूप में जानी जाती है तथा बैंक द्वारा पूर्वानुमानित संपूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है।

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं तथा 31.03.2010 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

(i)	श्री एम.डी. मल्या	अध्यक्ष
(ii)	श्री राजीव कुमार बक्षी	सदस्य
(iii)	श्री एन. एस. श्रीनाथ	सदस्य
(iv)	श्री ए. सोमसुन्दरम	सदस्य
(v)	डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2009-10 समिति की निम्नलिखित तारीखों को -4- बैठकें हुईं।

02.07.2009	29.08.2009	05.12.2009	05.03.2010
------------	------------	------------	------------

समिति की उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति इस प्रकार रही :

All the pending cases as at the end of the year were pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, in respect of which the necessary formalities were in process.

Shri M.L.Jain, Assistant General Manager & Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.4 Share Transfer Committee:

Besides the Shareholders' / Investors' Grievances Committee, the Bank has constituted a Share Transfer Committee comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors, -2- General Managers and Deputy General Manager (Legal) as members. The Committee meets at least once in 15 days to effect transfer of Shares / Bonds. The Committee met 37 times during the Financial Year 2009-10, on the following dates:

4.5 Asset Liability Management and Risk Management Committee :

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee known as 'Asset Liability Management and Risk Management Committee' to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee is headed by Chairman and Managing Director and its composition as on 31st March, 2010 is as under:

(i)	Shri M. D. Mallya	Chairman
(ii)	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Member
(iii)	Shri N. S. Srinath	Member
(iv)	Shri A. Somasundaram	Member
(v)	Dr. Dharmendra Bhandari	Member

The Committee met 4 times during the Financial Year 2009-10 on the following dates:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2009 to 31.08.2009	2	2
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	07.12.2009 to 31.03.2010	1	1
श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2009 to 31.03.2010	4	3
डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	Dr Dharmendra Bhandari	01.04.2009 to 31.03.2010	4	2

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने, प्रबंधन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन लेखा परीक्षा शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है और बैंक संरक्षा पर ध्यान देना है।

4.6 ग्राहक सेवा समितियां :

(क) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का गठन किया है जो 'ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31.03.2010 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं।

(i)	श्री एम.डी. मल्या	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री राजीव कुमार बक्षी	कार्यकारी निदेशक
(iii)	श्री एन. एस. श्रीनाथ	कार्यकारी निदेशक
(iv)	श्री ए. सोमसुन्दरम	सदस्य
(v)	डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद	सदस्य

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है :

- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि बीत जाने पर भी लागू न किये गये बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किरायेदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक के बकाया दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना.

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally and to look after the safety of the Bank.

4.6 Customer Service Committees :

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee'. The Committee has the following members as on 31st March, 2010:

(i)	Shri M. D. Mallya	Chairman and Managing Director
(ii)	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Executive Director
(iii)	Shri N. S. Srinath	Executive Director
(iv)	Shri A. Somasundaram	Member
(v)	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	Member

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors/ locker hirers/depositor of safe custody articles.

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों की चार बैठकें हुईं :

During the Financial Year 2009-10, the Committee met four times on the following dates:

22.06.2009

29.08.2009

05.12.2009

05.03.2010

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

The details of attendance of the Directors are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी.मल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2009 to 31.08.2009	2	2
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2009 to 31.03.2010	4	4
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	07.12.2009 to 31.03.2010	1	1
श्री ए.सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2009 to 31.03.2010	4	3
डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	24.11.2009 to 31.03.2010	2	1

(ख) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उपसमिति के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसमें बैंक के 4 महाप्रबंधक एवं 3 अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

इस समिति का गठन विशेष रूप से जनसामान्य को प्राप्त बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बेंचमार्क (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने (v) परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप समुचित प्रोत्साहन हेतु सुझाव देने की आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु किया गया है।

4.7 पारिश्रमिक समिति :

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एफ नं.20/1/2005 बीओ.आई दिनांक 09 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन की घोषणा की। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता और मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय/अवार्ड की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

समिति की 31.03.2010 की संरचना इस प्रकार है :

- श्री आलोक निगम
- श्री ए.सोमसुन्दरम
- डा. धर्मेंद्र भंडारी

(b) Standing Committee on Customer Service:

Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services having four General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members, as per the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timeliness and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate incentives to facilitate change on an ongoing basis.

4.7 Remuneration Committee :

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/paid during the year.

The composition of the Committee as on 31st March, 2010 is as under :

- Shri Alok Nigam
- Shri A. Somasundaram
- Dr. Dharmendra Bhandari

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की 11 मई 2009 को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे. ऊपर उल्लिखित अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप समिति ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित निदेशकों को प्रोत्साहनों का भुगतान करने का निर्णय लिया.

During the Financial Year 2009-10, the Committee met once on 11th May, 2009 wherein all members were present. In terms of the aforesaid notification, the Committee decided to pay incentives for the Financial Year 2008-09 to the following Directors as per details given below:

क्र. सं Sr. No	नाम / Name	पद / Designation	Performance Linked Incentives for the Financial Year 2008- 09 (Rs.)
1	श्री एम.डी.मल्या * अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Shri M. D. Mallya * Chairman and Managing Director	7,21,096
2	श्री वी. सन्तानरामन कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman Executive Director	6,50,000
3	श्री सतीश सी. गुप्ता * कार्यकारी निदेशक	Shri Satish C. Gupta * Executive Director	3,90,000
4	श्री राजीव कुमार बक्षी * कार्यकारी निदेशक	Shri Rajiv Kumar Bakshi * Executive Director	2,60,000

* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनके कार्यकाल के अनुपात में किया गया.

* Incentive payment made in proportion to his respective tenure in the Bank.

4.8 नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदण्ड निर्धारित किए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतन्त्र / गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों. उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया है.

31.03.2010 की स्थिति के अनुरूप समिति की संरचना इस प्रकार है :

- श्री श्री आलोक निगम
- श्री ए.सोमसुन्दरम
- डॉ. अतुल अगरवाल
- डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की दिनांक 26 मई 2009 को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे. बैठक का आयोजन बैंक के चयनित शेयर धारक-3- निदेशकों (i) डॉ. धर्मेंद्र भंडारी (ii) डॉ. दीपक बी. फाटक तथा (iii) श्री मौलिन ए. वैष्णव का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप समुचित अर्थात् फिट एण्ड प्रॉपर स्टेटस सुनिश्चित करना था. समिति ने सभी को "फिट एंड प्रॉपर" पाया.

4.9 निदेशकों की समिति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति गठित की गई है जो वरिष्ठ स्तर की पदोन्नति संबंधी कार्य करती है. यह समिति सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य भी करती है.

4.8 Nomination Committee :

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" has been constituted.

The composition of the Committee as on 31st March 2010 is as under:

- Shri Alok Nigam
- Shri A. Somasundaram
- Dr. Atul Agarwal
- Dr. (Smt.) Masarrat Shahid

During the Financial Year 2009-10, the Committee met once on 26th May, 2009, wherein all the members were present. The meeting was convened to ascertain Fit and Proper status of the elected Shareholder Directors as per RBI guidelines in respect of 3 directors under this category namely (i) Dr. Dharmendra Bhandari, (ii) Dr. Deepak B. Phatak and (iii) Shri Maulin A. Vaishnav. The Committee found all of them "Fit and Proper".

4.9 Committee of Directors :

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. This Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

31 मार्च 2010 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री एम.डी. मल्या
- (ii) श्री आलोक निगम
- (iii) श्री ए. सोमसुन्दरम

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की निम्नलिखित विवरण अनुसार 7 बैठकें हुईं.

The composition of the Committee as on 31st March 2010 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Alok Nigam
- (iii) Shri A. Somasundaram

The Committee met 7 times during the Financial Year 2009-10 on the following dates:

26.05.2009	07.08.2009	29.08.2009	05.09.2009	06.01.2010	27.01.2010	20.02.2010
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

The details of attendance of directors are as under:

सदस्य का नाम	Name	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री एम.डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	7	7
श्री अमिताभ वर्मा	Shri Amitabh Verma	4	4
श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	7	7
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	3	3

4.10 बड़ी राशि की धोखाधड़ी के बारे में समिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संख्या आरबीआई/2004.5. डीबीएस एफजीवी(एफ) स./1004/23.04.01 ए/2003-4 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्यवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के बारे में सूचित किया था. अतः, यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी.

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा शामिल है ताकि(क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किये जा सकें (ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग (ग) सीबीआई/पुलिस जाँच - पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति (घ) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, अविलंब हो (च) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और (छ) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना.

निदेशक मंडल के 5 सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के नामित को शामिल नहीं करते हुए 2 अन्य सदस्यों का समावेश है.

4.10 Committee on High Value Frauds :

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS. FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to: (a) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position (d) ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and (f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Special Committee constituted with five members of the Board of Directors consists of: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.

31 मार्च 2010 को समिति की संरचना निम्नानुसार है।

- (i) श्री एम.डी.मल्या
- (ii) श्री आलोक निगम
- (iii) डॉ.अतुल अग्रवाल
- (iv) डॉ. दीपक बी. फाटक
- (v) श्री मौलिन ए. वैष्णव

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।
विवरण इस प्रकार है:

The composition of the Committee as on 31st March, 2010 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Alok Nigam
- (iii) Dr. Atul Agarwal
- (iv) Dr. Deepak B. Phatak
- (v) Shri Maulin A. Vaishnav

The Committee met 4 times during the Financial Year 2009-10 as per the details below:

26.05.2009	29.08.2009	05.12.2009	05.03.2010
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

The details of attendance of directors are as under:

सदस्य का नाम	Name	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री एम.डी.मल्या	Shri M. D. Mallya	4	4
श्री अमिताभ वर्मा	Shri Amitabh Verma	3	2
डॉ अतुल अग्रवाल	Dr. Atul Agarwal	4	4
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	4	2
श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	4	4
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	1	0

5 निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुरूप किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वेतन एवं एरियर्स का भुगतान

5. Remuneration of Directors:

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2009-10:

क्र. सं. Sr. No	नाम / Name	पदनाम / Designation	Amount (Rs.)
1	श्री एम.डी.मल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	16,09,398
2	श्री वी. सन्तानरामन (31.08.2009 तक) Shri V. Santhanaraman (Up to 31.08.2009)	कार्यकारी निदेशक Executive Director	12,24,019
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	11,33,184
4	श्री एन. एस. श्रीनाथ (07.12.2009 से) Shri N. S. Srinath (From 07.12.2009)	कार्यकारी निदेशक Executive Director	3,20,093

ख. वर्ष 2009-10 के लिए दिये गए कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन:

B. Performance Linked Incentives paid during 2009-10:

क्र. सं. Sr. No	नाम / Name	पदनाम / Designation	कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन राशि Performance Linked Incentives for the Financial Year 2008-09 (Rs.)
1	श्री एम.डी. मल्या* Shri M. D. Mallya*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	7,21,096
2	श्री वी. सन्तानरामन Shri V. Santhanaraman	कार्यकारी निदेशक Executive Director	6,50,000
3	श्री सतीश सी. गुप्ता* Shri Satish C. Gupta*	कार्यकारी निदेशक Executive Director	3,90,000
4	श्री राजीव कुमार बक्षी* Shri Rajiv Kumar Bakshi *	कार्यकारी निदेशक Executive Director	2,60,000
5	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यकारी निदेशक Executive Director	NIL

* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनके कार्यकाल की अवधि के अनुपात में किया गया।

* Incentive payments made in proportion to his respective tenure in the Bank.

वर्ष 2009-10 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क विवरण निम्नलिखित अनुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2009-10 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government. of India) :

क्र. सं. Sr. No.	निदेशक का नाम	Name of the Director	भुगतान की गई राशि (रु.) Amount Paid in Rs.
1	श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	1,95,000
2	श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	1,02,500
3	श्री रंजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	1,12,500
4	श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	80,000
5	डॉ. अतुल अग्रवाल	Dr. Atul Agarwal	1,40,000
6	डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	35,000
7	डॉ. धर्मन्द्र भण्डारी	Dr. Dharmendra Bhandari	95,000
8	डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	82,500
9	श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	1,30,000

6. सामान्य सभा की बैठकें :

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

6. General Body Meetings :

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 11th Annual General Meeting	04 जुलाई, 2007 को प्रातः 10.00 बजे 04th July, 2007 at 10.00 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara 390 002	बैंक के 31 मार्च, 2007 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं अंगीकरण तथा वर्ष 2006-07 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31st March 2007, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2007, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Final Dividend for the year 2006-07.
बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 12th Annual General Meeting	28 जुलाई, 2008 को प्रातः 10.30 बजे 28th July, 2008 at 10.30 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara 390 002	बैंक के 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं अंगीकरण तथा वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31st March 2008, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2008, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2007-08.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	23 दिसंबर, 2008 को प्रातः 10.00 बजे 23rd December, 2008 at 10.00 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara 390 002	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमोंका अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के अनुपालन में केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से -3- निदेशकों का निर्वाचन. Election of three Directors from amongst Shareholders other than Central Government in pursuance of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998.
तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 13th Annual General Meeting	2 जुलाई, 2009 को प्रातः 10.30 बजे 2nd July, 2009 At 10.30 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002 Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara 390 002	बैंक के 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं अंगीकरण तथा वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2009, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2009, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2008 – 09.

7. प्रकटीकरण :

- (क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिनके कारण बैंक के व्यापक हितों से टकराव की संभावना बनती हो।
- (ख) सरकारी कारोबार के अलावा अन्य मदों से प्राप्त शुक्ल, कमीशन, गारंटियों साखपत्रों पर कमीशन, विनिमय, दलाली, अतिदेय बिलों पर ब्याज तथा कम-धन वापसी की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
- (ग) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसियेट के शेयरों पर लाभांश की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
- (घ) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- (ङ) वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' पूर्णतया परिचालित है।
- (च) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31.03.2010 तक निदेशकों के बीच किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं है।

8. अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं :

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	अध्यक्ष के कार्यालय का रख-रखाव, गैर कार्यपालक अध्यक्ष, कंपनी के खर्च पर करेंगे. Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है. Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की पारिश्रमिक नीति तैयार करेगी. Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	लागू नहीं, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति परिचालन में है. Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.
3	गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा शेयरधारकों को भेजना. Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	30.09.2009 को समाप्त छमाही के लिए बैंक ने गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन का छमाही परिणाम प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिया है। इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर डाले जाते हैं. The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2009 including summary of significant developments during last six months to each shareholder. Besides the financial results are posted on Bank's website.

7. Disclosures:

- a) There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b) Income by way of Fees, Commission other than on Government Business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage, Interest on overdue Bills, Advance Bills and Interest earned on Tax Refunds are accounted for on realization basis.
- c) Dividend on Shares in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates is accounted on actual realization basis.
- d) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- e) As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy in toto is in place.
- f) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31st March 2010.

8. Mandatory and Non-Mandatory Requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
4	कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए. Company may move towards regime of unqualified financial statements.	बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने के लिए कई कदम उठाये हैं. The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.
5	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन और उनका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यावसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ कंपनी के व्यावसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के बारे में प्रशिक्षित करे. Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है. बैंक एडवांस्ड फाइनेंशियल लर्निंग हेतु निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु नामित करता है. A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board. The Bank nominates Directors for training at Centre for Advanced Financial Learning of RBI, Mumbai.
6	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर- कार्यपालक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेना. The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया है तथा चयनित/नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन फिट एण्ड प्रॉपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं. A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of fit & proper status.
7	कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखा-धड़ी आदि के सदर्थ में प्रबंधन की चिंताओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (बिसल ब्लोअर) नीति बनाए. The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता कमीशन की पूर्व संकेत (बिसल ब्लोअर) नीति पूर्णतया परिचरित है. As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy in toto is in place.

9. संप्रेषण के साधन :

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को, निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक ऐसा समाचार पत्र होता है जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार गुजरात राज्य में हो, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है. बैंक छाहरी आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है. बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही / इयर टू डेट / वार्षिक परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दिए गए प्रेजेंटेशन की प्रति बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.com> पर उपलब्ध रहती हैं.

9. Means of Communication:

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences, etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts are posted on the Bank's Website – <http://www.bankofbaroda.com>

10. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना :

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

1	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टावर्स 25 वां तल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुंबई 400 001 बीएसई कोड : 532134	1	Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स. बांद्रा (पूर्व). मुंबई 400 051. एनएसई कोड : BANKBARODA	2	National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra, (East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सम्बंध में अब तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

10.1 प्रतिभूतियों का अ-भौतिकीकरण :

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयर अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च 2010 को बैंक के पास 364266500 इक्विटी शेयर थे जिनमें से 354905345 शेयर अ-भौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है।

10.1: Dematerialization of Securities :

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2010 the Bank has 364266500 Number of Equity Shares of which 354905345 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

धारिता का स्वरूप	Nature of Holding	शेयरों की संख्या / Number of shares	प्रतिशत / Percentage
भौतिक	Physical	9361155	2.57
अ-भौतिक	Dematerialized	354905345	97.43
कुल	Total	364266500	100.00

बैंक द्वारा वर्ष 2003 में 27,38,300 इक्विटी शेयर जब्त किए गए जिनमें से 31.03.2010 तक 4,800 इक्विटी शेयर (एनल्लड) अभिशून्य किए गए।

The Bank had forfeited 27,38,300 equity share in the year 2003 and out of the same 4800 equity shares were annulled up to 31st March 2010.

10.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) :

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) भुगतान का एक आधुनिक तरीका है जिसमें लाभांश / ब्याज इत्यादि की राशियां संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में सीधे ही जमा कर दी जाती हैं। बैंक ने अपने शेयरधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक की नेशनल ईसीएस / ईसीएस सुविधा के तहत कवर सभी केंद्रों पर उपलब्ध इस सुविधा का इस्तेमाल करने के विकल्प के साथ सेवाएं पेश की हैं।

ईसीएस मेंडेट प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10.2: Electronic Clearing Services (ECS):

Electronic Clearing Services (ECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS/ ECS facility.

The ECS mandate form is appended with the Annual Report.

10.3 शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों का अन्तरण सम्बंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत् रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों और बांडों के अंतरण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति और

10.3: Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances.

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and

शेयर अंतरण समिति गठित की है। ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

बैंक ने मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बांड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रॉसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियां सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतें निम्न पते पर रजिस्ट्रार को भिजवा सकते हैं :

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.

(इकाई : बैंक ऑफ बड़ौदा)

प्लॉट सं. 17 से 24, इमेज अस्पताल के पास

विठ्ठलराव नगर, माधापुर

हैदराबाद - 500 081

फोन : (040) 23420815 से 820 तक, फैक्स : (040) 23420814

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

बैंक ने निवेशक सेवा विभाग की स्थापना कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में भी की है, जिसके प्रभारी कम्पनी सचिव हैं। जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, वड़ोदरा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

<p>बैंक ऑफ बड़ौदा निवेशक सेवा विभाग प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी - 26, जी - ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 टेलीफोन : (022) 66985000, 6698 5846 फैक्स : (022) 2652 6660 ई - मेल : investorservices@bankofbaroda.com (उक्त ई-मेल आईडी विशेषरूप से स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध होने के करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसरण में निवेशकों की शिकायतों हेतु बनाया गया है)</p>	<p>बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक ग्राहक सेवा आठवां तल, सूरज प्लाजा -1, सयाजीगंज, वड़ोदरा 390 005. टेलीफोन : 0265 - 2361724 फैक्स नं. : 0265 - 2361824 ई - मेल : customerservice@bankofbaroda.com</p>
---	---

11. कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग :

बैंक ऑफ बड़ौदा पहला ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसे रेटिंग एजेन्सी आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है। आईसीआरए द्वारा पहली बार जुलाई, 2004 में सीजीआर2 (CGR2 रेटिंग) प्रदान की गई। बैंक को यही रेटिंग अर्थात् CGR2 रेटिंग पुनः फरवरी, 2006, सितम्बर, 2007 तथा अप्रैल 2010 में भी प्रदान की गई। उक्त रेटिंग स्केल CGR1 से CGR 6 में CGR1 सर्वोच्च रेटिंग कहलाती है। CGR-2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेन्सी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन उद्धृतियों, परम्पराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबन्धक संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबन्धन पद्धतियों, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबन्धन की नियुक्तियों में परदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतन्त्र लेखा कर्मों द्वारा अपनायी जाती है, को दर्शाती है।

investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Private Limited as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/S Karvy Computershare Private Limited

(Unit: Bank of Baroda)

Plot No.17 to 24, Near Image Hospital

Vittalrao Nagar, Madhapur

Hyderabad - 500 081

Phone: (040) 23420815 to 820, Fax : (040) 23420814

E Mail: einward.ris@karvy.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/ requests at the address given below at Head Office, Vadodara :

<p>Bank of Baroda Investors' Services Department 1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051. Telephone : (022) 66985000, 6698 5846 Fax : (022) 2652 6660 E-mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)</p>	<p>Bank of Baroda Chief Manager, Customer Service, 8th Floor, Suraj Plaza - I, Sayajiganj, Vadodara - 390 005 Telephone : 0265 - 2361724 Fax No. : 0265 - 2361824 E-mail : customerservice@bankofbaroda.com</p>
---	---

11. Corporate Governance Rating:

Bank of Baroda is the first Public Sector Bank having been assigned a rating to its Corporate Governance Practices by ICRA Limited. The ICRA has first assigned the rating of 'CGR2' (pronounced as CGR 2) in July 2004, which has been reaffirmed at the same level i.e. CGR2 in February 2006, September 2007 and April 2010. This is on a rating scale of CGR1 to CGR6 where CGR1 denotes the highest rating. The CGR2 rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The rating reflects Bank's transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

12. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010

12. Financial Calendar

Financial Year 1st April, 2009 to 31st March, 2010

खातों (एकल) एवं लाभांश संबंधी सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	28 अप्रैल 2010	Board Meeting for considering of Accounts (Standalone) and recommendation of dividend.	28th April 2010
खातों (समेकित) पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	25 मई, 2010	Board Meeting for considering of Accounts (Consolidated).	25th May 2010
भारतीय रिजर्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी की प्रस्तुति	29 मई, 2010	Submission of audited statement of accounts to RBI.	29th May 2010
14वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान	05 जुलाई, 2010 प्रातः 10:30 बजे प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेंटर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा - 390 002	Date, Time & Venue of the 14th AGM	5th July 2010 at 10.30 a.m. Prof. C.C.Mehta Auditorium, General Education Centre, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara - 390002
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	5 से 8 जून 2010	Posting of Annual Report	5th to 8th June 2010
बहियां बंद करने की तारीख	26 जून से 5 जुलाई 2010 (दोनों दिन शामिल)	Book Closure dates	26th June to 5th July 2010 (Both days inclusive)
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	30 जून, 2010	Last Date for receipt of Proxy Forms	30th June 2010
लाभांश के लिए वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख	12 जुलाई 2010 से पूर्व	Probable date of dispatch of warrants for Dividend	Before 12th July 2010
लाभांश भुगतान की तारीख	12 जुलाई 2010	Payment date - Dividend	12th July 2010

13. 31 मार्च 2010 को शेयरधारिता पैटर्न
13. Shareholding Pattern as on 31st March 2010

क्रम सं. Sr. No.	विवरण	Description	शेयरधारकों की संख्या No. of Share Holders	शेयर Shares	इक्विटी का प्रतिशत % to Equity
1	भारत सरकार	Govt. of India (Promoters)	1	196000000	53.81
2	म्यूच्युअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds/UTI	117	33048589	9.07
3	वित्तीय संस्थाएं / बैंक	Financial Institutions / Banks	18	23292	0.01
4	बीमा कंपनियां	Insurance Companies	18	33037295	9.07
5	विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	284	60212405	16.53
6	बॉडी कॉर्पोरेट	Bodies Corporate	1503	17749814	4.87
7	निवासी वैयक्तिक	Resident Individuals	158910	21688947	5.95
8	अ-निवासी भारतीय	Non Resident Indians	3168	2105294	0.58
9	विदेशी कार्पोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	4	22100	0.01
10	न्यास	Trusts	19	31105	0.01
11	समाशोधन सदस्य	Clearing Members	186	347659	0.09
	कुल	Total	164228	364266500	100.00

14. 31 मार्च 2010 को एस्करो / उंचंत खातों में पड़े हुए शेयरों की स्थिति

14. Status Of Shares Lying In Escrow/Suspense Account as on 31st March 2010

01.04.2009 को ओपनिंग बैलंस Opening Balance as on 01.04.2009		वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2009-10		वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2009-10		31 मार्च 2010 को अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2010	
मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	मामले / Cases	Shares	मामले / Cases	शेयर / Shares	
319	34810	97	51	4609	268	30201*	

*ऐसे शेयरों के सही धारकों द्वारा दावा नहीं किए जाने तक इन शेयरों से संबंधित वोट देने का अधिकार रोका रखा जाए.

*The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

15. 31 मार्च 2010 को शेयर धारकों का श्रेणी-वार वितरण

15. Distribution of Shareholders - Categorywise as on 31st March 2010

संवर्ग Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का % % of Cases	कुल शेयर Total Shares	राशि (अंकित मूल्य) Amount (Face Value)	राशि का % % of Amount
1 - 5000	160654	97.82%	18052035	180520350	4.96
5001 - 10000	2080	1.27%	1687514	16875140	0.46
10001 - 20000	630	0.38%	976445	9764450	0.27
20001 - 30000	165	0.10%	429066	4290660	0.12
30001 - 40000	95	0.06%	345291	3452910	0.09
40001 - 50000	64	0.04%	310726	3107260	0.09
50001 - 100000	112	0.07%	866199	8661990	0.24
100001 & Above	428	0.26%	341599224	3415992240	93.78
Total	164228	100%	364266500	3642665000	100

16. 31 मार्च 2010 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्य-वार) वितरण

16. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2010

क्रम सं. Sr. No.	राज्य	State	मामले Cases	शेयर Shares	शेयरों की संख्या % (No. of Shares)
1	आंध्र प्रदेश	ANDHRA PRADESH	6428	918450	0.25
2	अरुणाचल प्रदेश	ARUNACHAL PRADESH	14	1774	0.00
3	असम	ASSAM	445	55897	0.02
4	बिहार	BIHAR	2502	288732	0.08
5	चंडीगढ़	CHANDIGARH	418	74280	0.02
6	दिल्ली	DELHI	7385	197166186	54.13
7	गोवा	GOA	1388	201032	0.06
8	गुजरात	GUJARAT	42021	5505354	1.51
9	हरियाणा	HARYANA	1880	233720	0.06
10	हिमाचल प्रदेश	HIMACHAL PRADESH	246	26051	0.01

क्रम सं. Sr. No.	राज्य	State	मामले Cases	शेयर Shares	शेयरों की संख्या % (No. of Shares)
11	जम्मू एंड कश्मीर	JAMMU & KASHMIR	197	24982	0.01
12	कर्नाटक	KARNATAKA	6861	2180168	0.60
13	केरल	KERALA	2707	418856	0.11
14	मध्यप्रदेश	MADHYA PRADESH	4779	695876	0.19
15	महाराष्ट्र	MAHARASHTRA	41331	148563258	40.78
16	मेघालय	MEGHALAYA	95	13623	0.00
17	नागालैंड	NAGALAND	111	24722	0.01
18	उड़ीसा	ORISSA	989	107418	0.03
19	पंजाब	PUNJAB	1547	208377	0.06
20	राजस्थान	RAJASTHAN	10845	1334620	0.37
21	तमिलनाडु	TAMIL NADU	10979	1902801	0.52
22	त्रिपुरा	TRIPURA	122	16967	0.00
23	उत्तरप्रदेश	UTTAR PRADESH	12521	1707874	0.47
24	पश्चिम बंगाल	WEST BENGAL	5070	1009944	0.28
25	अन्य	OTHERS	3347	1585538	0.43
	कुल	Total	164228	364266500	100.00

17. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत
(01.04.2009 से 31.03.2010 तक)

17. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges

(From 01.04.2009 to 31.03.2010)

माह	Month	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
		उच्चतम (रु.) Highest (Rs.)	न्यूनतम (रु.) Lowest (Rs.)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (रु.) Highest (Rs.)	न्यूनतम (रु.) Lowest (Rs.)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)
अप्रैल 2009	APR 2009	334.70	226.00	29115650	334.80	227.10	6194430
मई 2009	MAY 2009	475.00	314.00	28435165	464.30	314.00	7081233
जून 2009	JUN 2009	485.00	400.00	20355878	463.00	400.00	4252091
जुलाई 2009	JUL 2009	462.00	360.00	14646676	454.00	371.10	3191359
अगस्त 2009	AUG 2009	448.00	402.75	10299893	445.00	406.40	1741414
सितंबर 2009	SEP 2009	495.95	424.00	13066090	496.00	381.00	2458227
अक्टूबर 2009	OCT 2009	549.90	455.25	14535374	548.00	461.00	3586767
नवंबर 2009	NOV 2009	563.50	490.20	17016249	563.00	498.20	3237065
दिसंबर 2009	DEC 2009	541.80	489.05	15002263	540.85	488.50	2636695
जनवरी 2010	JAN 2010	589.90	505.55	15829297	589.00	508.00	1763342
फरवरी 2010	FEB 2010	606.80	537.70	15982025	605.00	546.40	2326137
मार्च 2010	MAR 2010	654.70	586.15	15492065	653.00	585.00	2225977

18. वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय :
18.1 श्री एन.एस.श्रीनाथ

नाम	श्री एन. एस. श्रीनाथ
पता	बैंक ऑफ़ बड़ौदा सी-26, "जी" ब्लाक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
जन्मतिथि	10.05.1952
आयु	57 वर्ष
योग्यता	1. बीएससी 2. एलएलबी 3. सीएआईआईबी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा (9) (3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 7.12.2009 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) नियुक्त किए जाए. वे इस पद पर 31.05.2012 तक अर्थात् सेवा की अधिकर्षिता आयु प्राप्त करने के माह की अंतिम तारीख अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो बने रहेंगे.
अनुभव	श्री एन.एस.श्रीनाथ ने 7 दिसम्बर, 2009 को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में बैंक में कार्यभार ग्रहण किया. वे विधि की डिग्री प्राप्त विज्ञानस्नातक हैं. वे सीए आईबी सहित पेशेवर योग्यता प्राप्त बैंकर हैं. उन्हें बैंकिंग परिचालन के अलावा केनरा बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट्स, मानव संसाधन विकास जैसे विभागों का व्यापक अनुभव प्राप्त है. उन्होंने केनरा बैंक में उद्यम संसाधन आयोजना (ERP) समाधान, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा मानव संसाधन प्रबन्धक जैसे कार्यान्वयनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यभार सम्भालने से पूर्व वे केनरा बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) के पद पर कार्यरत थे.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लि. के निदेशकमण्डल में निदेशक भी हैं.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य

18. Profile of Directors Appointed During the Financial Year 2009-10
18.1 Shri N. S. Srinath

Name	Shri N. S. Srinath
Address	Bank of Baroda, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI - 400 051
Date of Birth	10.05.1952
Age	57 Years
Qualifications	1) B. Sc. 2) LL. B. 3) CAIIB
Nature of appointment as Director	Appointed as a whole time director (designated as Executive Director) w.e.f. 07.12.2009 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post up to 31.05.2012 i.e. the last date of the month in which he would attain the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
Experience	Shri N. S. Srinath, has joined as Executive Director of the Bank on 7th December, 2009. He is a Science Graduate with a Law degree. He is a professionally qualified banker with CAIIB. He brings with him rich experience from Canara Bank in the areas of Information Technology, Projects, Human Resource Development, besides Banking Operations. He has been instrumental in implementing ERP solutions in Canara Bank and has deep insight into leveraging technology and optimization of Human Resource Management. Before joining Bank of Baroda, he was General Manager (HR) in Canara Bank at Corporate Office.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	He is also a Director on the Board of Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Limited.
No. of Shares held in Bank of Baroda	NIL

18.2 श्री आलोक निगम, आईएएस
18.2 Shri Alok Nigam, I.A.S.

नाम	श्री आलोक निगम, आई.ए.एस.	Name	Shri Alok Nigam, I.A.S.
पता	संयुक्त सचिव (बैंकिंग परिचालन), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001.	Address	Joint Secretary (BO) Government of India Ministry of Finance, Department of Financial Services Jeewan Deep Building 3rd Floor, Sansad Marg New Delhi - 110 001
जन्मतिथि	18.11.1961	Date of Birth	18.11.1961
आयु	48 वर्ष	Age	48 Years
योग्यता	एम. ए. (गणित)	Qualifications	M. A. (Mathematics)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा (9) (3) (बी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 09.12.2009 से निदेशक के रूप नामित. वे आगामी आदेशों तक इस पद पर बने रहेंगे.	Nature of appointment as Director	Nominated as a Director w.e.f. 9.12.2009 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.
अनुभव	वर्ष 1986 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अलोक निगम वर्तमान में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव (बीओ) के पद पर कार्यरत हैं. वे गणित में स्नातक होने के साथ साथ गणित, सांख्यिकी तथा मनोविज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त भी हैं. वे बैंक के निदेशक मण्डल में 9 दिसम्बर, 2009 से निदेशक के रूप में नियुक्त हुए. उन्हें राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है.	Experience	Shri Alok Nigam, I A S Officer of 1986 batch is at present Joint Secretary (BO) in the Ministry of Finance, Department of Financial Services. He is a graduate in Mathematics and also holds a post-graduate degree in Mathematics, Statistics & Psychology. He is appointed on the Board of our Bank from 9th December, 2009. He brings with him rich experience having worked in various departments of State and Central Government.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	निदेशक : 1. राष्ट्रीय आवास बैंक 2. नाबार्ड समिति पद शून्य	Directorship or Committee Positions held in other Companies	Directorship: 1. National Housing Bank 2. NABARD Committee Positions: NIL
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of Shares held in Bank of Baroda	NIL

18.3 डॉ.(श्रीमती) मसररत शाहिद

18.3 Dr. (Smt.) Masarrat Shahid

नाम	डॉ.(श्रीमती) मसररत शाहिद	Name	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid
पता	एबी 54, एन आर आई कालोनी रोड को-हे-फिजा अहमदाबाद पैलेस, भोपाल- 462 004	Address	AB-54, NRI Colony Road Koh – E – Fiza, Ahmdabad Palace, Bhopal - 462 001
जन्मतिथि	06.03.1955	Date of Birth	06.03.1955
आयु	55 वर्ष	Age	55 Years
योग्यता	1) एम एस सी (वनस्पति विज्ञान) 2) बी, एड. 3) एम बी इ एच.	Qualifications	1) M. Sc. (Botany) 2) B. Ed. 3) M.B.E.H.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा (9) (3) (एच) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 29.10.2009 से दूसरी बार तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित.	Nature of appointment as Director	Nominated as a part time non- official director w.e.f. 29.10.2009 by the Government of India u/s 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 for a second term of three years or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद को 29 अक्टूबर, 2009 से दूसरी बार तीन वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में बैंक के निदेशक मण्डल में नियुक्त किया गया है. एमएससी (वनस्पति विज्ञान), बीएड तथा एमबीइएच के साथ उनकी उत्कृष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि है. वे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता तथा जननेता हैं. वे समाजकल्याण के कार्यों में कार्यरत रहती हैं तथा उन्हें राजनीतिक जीवन का भी व्यापक अनुभव है. उन्हे राज्य की विभिन्न समितियों / निगमों का व्यापक प्रशासनिक अनुभव है. उन्होंने प्रदेश के भीतरी भागों में माइक्रो क्रेडिट बढ़ाने हेतु भी कार्य किया है. उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए कार्यरत अनेक समितियों की अध्यक्षता की है तथा समाज कल्याण बोर्ड के प्रमुख पदों पर कार्यरत है.	Experience	Dr. (Smt.) Shahid has been appointed on the Board of the Bank, as a part-time non-official Director, for a second term of 3 years from 29th October, 2009. She has a strong academic background with M.Sc. (Botany), B.Ed. and M.B.E.H. She is an active Social Worker and is a public leader. She works for the welfare of the Community and has rich experience in the political life. She brings with her rich and varied administrative experience of having led various committees / corporations of the State. She also worked for increasing micro credit in the hinterland. She has headed many Committees working for the development of women and has also been holding key positions in social welfare board.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	शून्य	Directorship or Committee Positions held in other Companies	NIL
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of Shares held in Bank of Baroda	NIL

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

बैंक ऑफ बड़ौदा के सदस्यों के लिए

हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के, स्टॉक एक्सचेंजो अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

To : The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended on 31st March 2010, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges. i.e. National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(के. जी. बंसल)
For A. Sachdev & Co.
Chartered Accountants
(K. G. Bansal)
Partner
M. No.94274
FRN : 001307C

कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(सत्यभामा गुप्ता)
For Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants
(Satyabhama Gupta)
Partner
M. No.073295
FRN : 008376N

कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(आदित्य कुमार)
For Ashwani & Associates
Chartered Accountants
(Aditya Kumar)
Partner
M. No. 506955
FRN : 000497N

कृते एस. के. कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(वी. बी. सिंह)
For S. K. Kapoor & Co.
Chartered Accountants
(V. B. Singh)
Partner
M. No. 073124
FRN : 000745C

कृते एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(एम.सी. कोडाली)
For N. C. Banerjee & Co.
Chartered Accountants
(M. C. Kodali)
Partner
M. No. 056514
FRN : 302081E

कृते हरिभक्ति एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(राकेश राठी)
For Haribhakti & Co.
Chartered Accountants
(Rakesh Rathi)
Partner
M. No. 045228
FRN : 103523W


स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 25.05.2010

घोषणा-पत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार की धारा 49(I) (डी) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से घोषणा

घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 (I) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



(एम. डी. मल्ल्या)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant to clause 49 (I) (D) of Listing Agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2010 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda



(M. D. Mallya)

Chairman and Managing Director

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2010


Place : Mumbai
Date : 25th May, 2010

नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA
प्रधान कार्यालय : मांडवी, वडोदरा- 390 006
Head Office : Mandvi, Vadodara – 390 006
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, 'जी' ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, (पूर्व), मुम्बई - 400 051.
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, 'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051
(Website: www.bankofbaroda.com)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एज्यूकेशन सेन्टर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा - 390 002 में **सोमवार 5 जुलाई, 2010 को प्रातः 10:30 बजे** आयोजित होगी. इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे.

1. बैंक का 31 मार्च 2010 के तुलन-पत्र, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण.
2. वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश की घोषणा.



स्थान: मुंबई
तारीख: 2 जून 2010

(एम. डी. मल्ल्या)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NOTICE is hereby given that the 14th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of BANK OF BARODA will be held on Monday, 05th July 2010 at 10.30 a.m. at Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara – 390 002 to transact the following business: -

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2010, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the year 2009-10.



Place : Mumbai
Date : 02nd June 2010


M. D. Mallya
Chairman and Managing Director

टिप्पणियां / NOTES

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैंक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैंक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु पात्र होगा / होगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से भिन्न) और प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी का कोई विलेख तभी वैध नहीं माना जाएगा। जब वह वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजे गए फार्म "बी" में हो। प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत इस पर हस्ताक्षर किया गया है अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र की एक प्रति जिसे नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट ने एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया हो, जब तक कि उस प्रकार का मुख्तारनामा अथवा कोई अन्य प्राधिकार पत्र पहले बैंक में न जमा और न ही पंजीकृत कराया गया हो, के साथ बैंक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दिनांक 30 जून, 2010 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक ऑफ बड़ौदा, केवाईसी एंड एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वड़ोदरा - 390 005 में स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैंक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति जिसे उस बैंक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, बैंक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 30 जून, 2010 को सायं 5.00 बजे या इससे पहले उक्त अनुसार स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया हो।

3. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भरकर और उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसे बैंक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए।

4. शेयरधारक - रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार 26 जून, 2010 से सोमवार 5 जुलाई, 2010 तक (दोनों दिनों सहित) वर्ष 2009-10 की वार्षिक सामान्य बैंक तथा लाभांश भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेगा।

5. लाभांश का भुगतान :

बैंक के निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु.10/- के प्रति इक्विटी शेयर के लिए रु.15/- (रुपये पन्द्रह) की दर से लाभांश संस्तुत किया। निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

1. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 30th June 2010, together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. Appointment of Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 30th June 2010

3. Attendance Slip-Cum Entry Pass:

For convenience of the Shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein so as to save time and hand over the same at the venue of the Meeting. Proxy / Representative of the shareholder should state on the attendance slip as "Proxy" or "Representative", as the case may be.

4. Closure of Register of Shareholders:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, 26th June 2010 to Monday, 05th July 2010 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend for the year 2009-10.

5. Payment of Dividend :

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 28th April 2010 has recommended dividend @ Rs.15/- (Rupees Fifteen) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2010. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 14th Annual General Meeting will be paid as under:

- क) शुक्रवार, 25 जून, 2010 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्क्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामियों को.
- ख) शुक्रवार, 25 जून, 2010 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद (आरटीए) के पास दर्ज शेयर हस्तान्तरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तान्तरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को.
- ग) 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिन के अन्दर पात्र शेयर धारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा.

6. डाक पता / लाभांश अधिदेश में परिवर्तन :

- क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते के पेटे पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा. बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मंडेट से संबंधित होंगे. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए.
- ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए. बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.
- ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तान्तरण एजेन्ट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नम्बर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नम्बर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का अवश्य ही उल्लेख करें.

7. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सकें. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण-पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

8. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकरण

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकरण कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां वे अपना डीमेट खाता रखते हैं.

- a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on Friday, 25th June, 2010.
- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on Friday, 25th June, 2010.
- c) The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 14th Annual General Meeting.

6. Change of Address / Dividend Mandate :

- a) Members holding shares in electronic form are hereby informed that bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

7. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

8. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.

9. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण :

शेयर प्रमाण-पत्रों को अंतरण विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:
 मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.
 (इकाई : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
 प्लॉट सं. 17-24, विठ्ठलराव नगर,
 इमेजहॉस्पिटल के निकट,
 माधापुर, हैदराबाद - 500 081
 टेलीफोन : 040 2342 0815 से 820
 फैक्स : 040 2342 0814
 ई-मेल : einward.ris@karvy.com

10. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हों :

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट से हैदराबाद में अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें.
 निवेशक सेवाएं विभाग
 बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रथम मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर
 सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
 बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
 ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने पर भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अन्तरित करें.

"अप्रदत्त लाभांश खाते" में अन्तरित राशि और अन्तरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि हेतु बचे अदावाकृत/अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) की उप धारा (I) के अन्तर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है. इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अन्तर्गत उल्लिखित उद्देश्य तथा रूप में किया जाएगा और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

11. सदस्यों से अनुरोध :

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी. अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आए.

9. Lodgments for Transfers:

Share Certificate along with transfer deed should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.
 M/s Karvy Computershare Private Ltd.,
 (Unit :- BANK OF BARODA)
 Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar,
 Near Image Hospital, Madhapur,
 Hyderabad – 500 081
 Phone No. 040 2342 0815 to 820
 Fax No. 040 2342 0814
 E- mail : einward.ris@karvy.com

10. Unclaimed Dividend, if any:

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Deptt. at Mumbai at the following address :

Investors' Services Deptt
 Bank of Baroda, 1st Floor, Baroda Corporate Centre,
 C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,
 Bandra (E)
 MUMBAI - 400 051.
 E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund established under sub-section (I) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

11. Request to Members:

Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण / CEO / CFO CERTIFICATION

निदेशक मण्डल

बैंक ऑफ बड़ौदा

मुम्बई

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2009-10 के लिए सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण-समेकित

सूचीबद्धता करार की धारा 49 की अनुपालना हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने वर्ष 2009-10 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संवीक्षा की है तथ्य हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.
- ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियन्त्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन / आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियन्त्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स / टिप्पणियों में कर दिया गया है
- हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग भी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो




वि. एच. थत्ते

महाप्रबन्धक

(कार्पोरेट खाते, कराधान एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी - भारतीय रिज़र्व बैंक)

दिनांक : 25 मई 2010

स्थान : मुंबई



एम. डी. मल्या

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Board of Directors,

Bank of Baroda

Mumbai

Dear Sirs,

Re: CEO/CFO certification for the year 2009-10 - Consolidated.

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we here by certify that:

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2009-10 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the Auditors and the Audit committee:
 - significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



V. H. Thatte

General Manager

(Corporate Accounts, Taxation & CCO - RBI)

Date : 25th May 2010

Place : Mumbai



M.D.Mallya

Chairman and Managing Director



बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

फार्म बी
प्रॉक्सी - फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)
14वीं वार्षिक सामान्य बैठक
सोमवार, 5 जुलाई, 2010

पंजीकृत फोलियो क्र. _____ डीपी आईडी क्र.* _____ ग्राहक आईडी क्र.* _____
(इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू)

मैं/हम _____ निवासी _____

_____ जिला _____

राज्य _____ बैंक ऑफ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा

श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को सोमवार, 5 जुलाई, 2010 को प्रातः 10.30 बजे प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एज्यूकेशन सेंटर, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा-390002 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी/हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

तारीख _____ माह _____ 2010 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता : _____

कृपया
15 पैसे
का राजस्व
टिकट यहां
लगायें

प्रथम शेयरधारक / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि :
(क) यह वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(ख) संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(ग) निकाय कार्पोरेट के मामले में, विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं और उसके अंगुठे का निशान वहां लगा है, तो इसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक इस पर विधिवत राजस्व टिकट न लगी हो और इसे बैंक के प्रधान कार्यालय, केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवां तल, सूरज प्लाजा -1, सयाजीगंज, वडोदरा 390 005 में **बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले** अर्थात् बुधवार, 30 जून, 2010 को सायं 5:00 बजे बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.
- प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक वह फार्म - बी में न हो.
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी.
- विकल्प के तौर पर दो स्वीकृत व्यक्तियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी की लिखत को निष्पादित करने वाला शेयरधारक संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.
- प्रॉक्सी फार्म में किये गए सभी परिवर्तन निष्पादनकर्ता द्वारा यथाविधि आधाक्षरित होने चाहिए.

Form B

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)
14th Annual General Meeting
Monday 05th July 2010

Regd.Folio No. _____ DP.ID No* . _____ Client ID No.* _____
(* Applicable for members holding shares in electronic form)

I / We _____ resident of _____
_____ in the district of _____

in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Bank of Baroda, hereby appoint

Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 14th ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of BANK OF BARODA to be held on the Monday, 05th July 2010, at 10.30 A.M. at Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara – 390 002 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2010

Signature of Proxy _____

Name _____
(In Block Letters)

Address _____

Affix
(15 paise)
Revenue
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless:
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing or
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing or
 - In the case of the body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark / thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government gazetted officer or an officer of Bank of Baroda.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, **not less than –4- days before the date fixed for the meeting** i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 30th June 2010, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
- All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

उपस्थिति पर्ची
14वीं वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांक	सोमवार, जुलाई 5, 2010
स्थान	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एज्युकेशन सेन्टर, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा, वड़ोदरा - 390 002
नाम	
शेयरों की संख्या	
फोलियो सं. (भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु)	
डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी. संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में होल्डिंग हेतु)	
उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य/प्रॉक्सी धारक अपने साथ अवश्य ही उपस्थिति पर्ची लेकर आएँ और इसे विधिवत रूप से भरकर तथा हस्ताक्षर करके प्रवेश द्वार पर सुपुर्द कर दें.
2. बैठक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य / प्रॉक्सी धारक को बैठक में संदर्भ हेतु अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आनी चाहिए.

प्रवेश पत्र
(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

फोलियो सं. (भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु)	
डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी. (इलेक्ट्रॉनिक रूप में होल्डिंग हेतु)	
पूरा नाम	
शेयरों की संख्या	

टिप्पणी :

1. शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक / आरटीए में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर जैसी यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें.
2. तथापि, प्रवेश, सत्यापन / जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा.
3. किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

ATTENDANCE SLIP

14th Annual General Meeting

Date	Monday, 5 th July 2010
Place	Prof. C. C. Mehta Auditorium, General Education Centre, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara – 390 002
Name (In Block Letters)	
No of Shares	
Folio No. (for holding in physical form)	
DP ID / Client ID No. (for holding in electronic form)	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	

Notes:

1. Member / proxy holder wishing to attend the meeting must bring the attendance slip to the meeting and hand it over at the entrance duly filled-in and signed.
2. Member / proxy holder wishing to attend the meeting should bring his/her copy of the Annual Report for reference at the meeting.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Folio No. (for holding in physical form)	
DP ID / Client ID No. (for holding in electronic form)	
Full Name (In Block Letters)	
No. of Shares	

Notes:

1. Shareholders / proxy or representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly filled in and signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank/RTA, along with the entry pass, for admission to the venue.
2. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary.
3. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निवेशक सेवाएं विभाग
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ईसीएस अधिदेश

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु) :
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में होल्डिंग हेतु) :
4. बैंक खाते का विवरण :
 - क. बैंक का नाम :
 - ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :
 - ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :
 - घ. खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद उधार
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-ऋण खाता)
 - ड. बैंक खाते की लेजर फोलियो संख्या :
(यदि चेक बुक पर अंकित किया जा रहा हो)
 - च. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित बैंक और शाखा का 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी या कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अधूरी जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान : प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही हैं.

स्थान :

दिनांक :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

बैंक खाता विवरण

पंजीकृत फोलियो क्र. _____ डीपी आईडी क्र.* _____ ग्राहक आईडी क्र.* _____
(इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू)

धारित शेयरों की संख्या : _____

मैं/हम.....

इसके द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने/हमारे लाभांश-पत्र पर निम्नलिखित विवरण मुद्रित करने के लिए अधिकृत करता/ती हूँ/करते हैं।

● बैंक का नाम : शाखा का नाम :

● खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद ऋण

● खाता संख्या :

स्थान :

दिनांक :

सदस्य के हस्ताक्षर.....

टिप्पणी : कृपया इस फार्म को भरकर एवं हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. 17-24, विट्टलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500 08 अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रथम तल, बड़ौदा कारपोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के पते पर भेजें.

BANK OF BARODA

Electronic Clearing Service (Credit Clearing) ECS Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form)
D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form) :
4. Particulars of Bank Account :
 - A. Bank Name
 - B. Branch Name & City Pin Code :
 - C. Account No.
(as appearing on the cheque book) :
 - D. Account Type (please Tick) : SB Current Cash Credit
(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c) :
 - E. Ledger Folio number of Bank Account
(if appearing on the cheque book) :
 - F. 9 Digit Code No. of the Bank &
Branch appearing on the MICR
Cheque issued by the Bank :
5. Please attach a photocopy of a cheque leaf or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place:

Date:

Signature of the First Holder

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :

Date :

Signature of the Manager of the Bank concerned

BANK OF BARODA

(Bank Account Particulars)

Regd.Folio No. _____ DP.ID No* _____ Client ID No.* _____
 (* Applicable for members holding shares in electronic form)

No. of Shares Held : _____

I / We

do hereby authorize Bank of Baroda to print the following details on my/ our Dividend Warrant.

- Bank Name : Branch Name:
- Account type (please tick) : SB Current Cash Credit
- Account Number :

Place :

Date :

Signature of the Member

Note : Please complete the form, sign and mail at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Deptt. 1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

यादगार क्षण / Memorable Moments



बैंक द्वारा भारत सरकार को लाभांश का भुगतान
Bank pays dividend to Government of India



बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, मुंबई में हिन्दी दिवस समारोह
Hindi Diwas Celebrations at Baroda Corporate Centre, Mumbai



बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित "वडोदरा मैराथन"
"Vadodara Marathon" - sponsored by Bank of Baroda.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एम. डी. मल्या "बैंक ऑफ़ द इयर"
पुरस्कार प्राप्त करते हुए
CMD, Shri M. D. Mallya receiving "Bank of the Year" Award



स्थापना दिवस समारोह
Foundation Day Celebrations



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank